# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

22 दिसम्बर, 2021

खण्ड–3, अंक–4

अधिकृत विवरण

## विषय सूची

बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021

पृष्ठ संख्या


तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लेने का मामला उठाना

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

शून्यकाल का समय बढ़ाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) हरियाणा में नये कोविड वैरियंट ओमिक्रॉन पर अंकुश लगाने के लिए उठाये गये पगों बारे
वक्तव्य–
स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

(ii) 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' के अंतर्गत किसानों द्वारा कृषि उपज के पंजीकरण से संबधित

वक्तव्य–
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

विभिन्न मुद्दे उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों/मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर

विधायी कार्य–

**(i) पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक**

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (संख्या 4) बिल, 2021

महंगाई भत्ता/महंगाई राहत एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए अंशदान की घोषणा

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(2) दि हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट्स (अमैंडमैंट) बिल, 2021

**(ii) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक**

(1) दि हरियाणा शिड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटेड डिवेल्पमैंट (अमैंडमैंट एंड वेलिडेशन) बिल, 2021

(2) दि पंचकूला मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2021

(3) दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमैनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशियंट एरियाज आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रौविजंस) बिल, 2021

हरियाणा विधान सभा के अपर सचिव की सेवानिवृत्ति की सूचना एवं उनको शुभकामनाएं देना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(4) दि हरियाणा एक्साईज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

कांग्रेस विधायक दल की उपनेता तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद एवं नववर्ष की शुभकामनाएं

# हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है ।

### To Set-up Sewerage Treatment Plant

***1292. Dr. Kamal Gupta:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether the capacity of sewerage treatment plant set-up by the Public Health Engineering Department for the domestic sewerage treatment in Hisar City is sufficient; and

(b) if not, whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up any other sewerage treatment plant in Hisar togetherwith the details thereof?

@**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार आवश्यक नहीं है।

**डॉ. कमल गुप्ता :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि टोटल वाटर ट्रीटमैंट प्लांट और टोटल सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का रेश्यो क्या है ? उसके मापदण्ड के हिसाब से हिसार में सफिशियंट सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट बना रखा है या नहीं बना रखा है । अगर नहीं बनाया हुआ है तो क्या कोई सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट अंडर प्रोसैस है और अगर प्रोसैस में है तो वह कब तक पूरा हो जाएगा ?

**डॉ. बनवारी लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हिसार शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,27,307 है । वहां पर आज के दिन 155 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वहां पर 52.98 एम.एल.डी. सीवेज उत्पन्न हो रहा है । हिसार शहर में 59 एम. एल.डी. क्षमता के 3एस.टी.पीज. लगे हुए हैं। हिसार में एक हाइड्रोलिक–कम–जैटिंग मशीन और एक अन्य सुपरसकर मशीन सीवरेज प्रणाली की सफाई व रूकावट को दूर करने के लिए उपलब्ध है । जब कभी भी सीवरेज की रूकावट की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक कर दिया जाता है । आज के दिन हिसार में 52.98 एम.एल.डी. सीवेज उत्पन्न हो रहा है और एस.टी.पी. पर 50 एम.एल.डी. सीवेज पहुंच रहा है । अतः हिसार में सीवेज का हमारा सिस्टम ठीक है। हमने वहां की 90 परसैंट पॉपुलेशन को एस.टी.पी. से कवर किया हुआ है। बची

---

***Replied by the Co-operation Minister (Dr. Banwari Lal)**

हुई 10 परसैंट पॉपुलेशन के लिए गंगवा राजगढ़ रोड पर 5 एम.एल.डी. क्षमता का एक एस.टी.पी. अंडर कंस्ट्रक्शन है । यह 5 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा । इसका कार्य 13.04.2021 को शुरू हुआ था और इसके पूरा होने की संभावित तिथि 12.10.2022 है । इसके अतिरिक्त 'अमरुत योजना' के तहत यू.एल.डी.बी. द्वारा 8 एम.एल.डी. कैपेसिटी का एक एस.टी.पी. 71.21 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है । इसमें विभिन्न साइजिज की 59 किलोमीटर लम्बी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। यह बहुत जल्द बन जाएगा । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके बन जाने के बाद हिसार में सीवरेज से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी ।

**डॉ. कमल गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर के सैक्टर 14 और 23 के लिए 15 एम.एल.डी. कैपेसिटी का भी एक एस.टी.पी. बन रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि उसका निर्माण कब तक हो जाएगा ?

**डॉ. बनवारी लाल :** अध्यक्ष महोदय, उपर्युक्त एस.टी.पी. 3–4 महीने में बन जाएगा । इसके अलावा माननीय सदस्य के क्षेत्र में सीवरेज से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है । वहां पर एग्जिस्टिंग एस.टी.पीज. की कैपेसिटी मौजूदा समय में सीवेज जैनरेशन से ज्यादा है ।

**डॉ. कमल गुप्ता :** धन्यवाद मंत्री जी ।

---

## To Set-up Sewerage Treatment Plants

***1376. Shri Sita Ram Yadav:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to Set-up the sewerage treatment plants and install sewerage system in the villages Baghot and Kheri Talwana of Ateli Assembly Constituency which have ten thousand population; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

**Deputy Chief Minster (Shri Dushyant Chautala):** No, Sir.

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें तथ्य कुछ और बोलते हैं। बाघोत गांव की आबादी 5228 है, खेड़ी गांव की आबादी 6457 है और तलवाना गांव की आबादी 1631 है। महाग्राम योजना के तहत सीवरेज लगवाने के लिए गांव की जनंसख्या 10,000 से ज्यादा की निर्धारित की गयी है। इस योजना के तहत हमारे प्रदेष के 108+ गांव आते हैं। जैसे 1 जनवरी, 2022 से

जनगणना अभियान शुरू होगा और उसके आंकड़ें आएंगे तो प्रदेष सरकार ने निर्णय लिया है कि अब महाग्राम योजना को भी तीन हिस्सों में बनाने का काम करेंगे। इसमें 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाएगा, 8,000 से 10,000 की आबादी वाले गांवों को एफ.एस.टी.पी. की सुविधा के साथ अपग्रेड किया जाएगा और 5,000 से 8,000 की आबादी वाले गांवों को पौंड अथॉरिटी एक नयी परियोजना के साथ टेक अप करेगी। जैसे ही जनगणना के आंकड़ें आएंगे तो माननीय सदस्य को संबंधित आंकड़ें भी दे दिए जाएंगे और उनके अनुसार काम भी शुरू करेंगे।

**श्री सीता राम यादवः** अध्यक्ष महोदय, अटेली विधान सभा के 9 गांवों क्रमषः सेहलंग, बाघोत, खेड़ी– तलवाना, भौजावास, धनौंदा, मिर्जापुर, बाछौद, दौंगड़ा अहीर और कांटी की आबादी लगभग 10,000 से ज्यादा है। इनमें खेड़ी –तलवाना दोनों इकट्ठे गांव हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन 9 गांवों में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर गंदे पानी को साफ करवाकर किसी नदी–नाले में या एग्रीकल्चर परपज के लिए यूज किया जाए। इन सभी गांवों में 8–8 और 10–10 एकड़ जमीन में गंदा पानी भरा हुआ है जिससे लोगों को बहुत भारी परेषानी हो रही है। इससे साथ लगते हुए मकानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन 9 गांवों में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के लिए इनको महाग्राम योजना से जोड़ दिया जाए। इन गांवों में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर पानी को साफ करके एग्रीकल्चर परपज के लिए यूज किया जाए।

**श्री दुष्यंत चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह बड़ी गम्भीर बात है क्योंकि आज के दिन पूरे प्रदेष के गांवों के तालाब/जोहड़ पहले से बहुत ज्यादा बदतर हालत में हैं। इसके लिए पौंड अथॉरिटी को आदेष दिए गए हैं और एच.आर.डी.एफ.सी. में स्पैषल बजट डायवर्ट किया जा रहा है। जिससे तालाबों की सफाई और सौंदर्यकरण का काम किया जाएगा। माननीय विधायक जी ने जो गांव बताएं हैं उनकी भी डिटेल्ड रिपोर्ट जल्द मंगवाकर नियमानुसार काम षुरू किया जाएगा।

**श्री सीता राम यादवः** अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

## To Construct Four Lane Road

***1317. Shri Subhash Gangoli :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct four lane road from Jind to Panipat; if so, the details thereof?

**Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):** Sir, there is no such proposal under consideration. The road is already four lanned in Jind City portion and work of four lanning is in the progress in city portions of Safidon and Panipat.

**श्री सुभाष गांगोलीः** अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से रिकवैस्ट है और उनके ऊपर हक भी है कि अगर संबंधित मार्ग को फोरलेन न किया जाए तो उसको 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ा जरूर किया जाए। जीन्द से सफीदों तक के रोड का आपके पास एस्टिमेट्स भी बनकर आया हुआ है। सफीदों से पानीपत रोड को भी 10 मीटर चौड़ा किया जाए। इसके अतिरिक्त षहर के फोरलेनिंग रोड का काम एक साल से रूका हुआ है, उसको भी पूरा किया जाए।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य थोड़े से अपडेटिड नहीं रहते। इस रोड का एस्टीमेट्स ऑलरेडी एप्रूव भी हो चुके हैं और वहां पर काम भी षुरू हो चुका है। जींद षहर में तो फोर लेनिंग का काम कम्पलीट भी हो चुका है। जहां तक जींद से सफीदों रोड की बात है उसके अंदर पेड़ कटने हैं जिनके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमैंट की परमिषन बीच–बीच में रिक्वॉयर्ड होती है। मगर उस पर भी काम जारी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एन.एच. या स्टेट हाईवे में इसको कंवर्ट करने से पहले हमारी सरकार का यह प्रयास है कि डबवाली से लेकर पानीपत तक एक एक्सप्रैस–वे जिसके लिए केन्द्र सरकार ने 80 लाख रुपये की डी.पी.आर. तैयार करने की मंजूरी भी दे दी है। जिस पर कार्य भी चल रहा है जैसे ही वह नैषनल हाईवे बनेगा वह डबवाली से लेकर पानीपत तक ईस्ट–वैस्ट हरियाणा को कनैक्ट करेगा जिसमें सात नैषनल हाईवेज के बीच में कनैक्षन भी होंगे। उसके बाद षायद हमें इसकी जरूरत भी न पड़े क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक है वह ऑटोमैटक्ली उस नैषनल हाइवेज पर डॉयवर्ट हो जायेगा।

**श्री सुभाश गांगोली :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि इस रोड पर सफीदों षहर के अंदर एक साल से कार्य रूका हुआ

है। वहां आधा काम हो चुका है और आधा रूका हुआ है। यह मैं सफीदों षहर से लेकर हांसी ब्रांच तक की सड़क की बात कर रहा हूं।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, अगर कोई कार्य रूका हुआ होगा तो उसको एग्जामिन करवाकर उसके ऊपर कार्यवाही करने का काम किया जायेगा।

---

**Construction Work of Drain**

***1337. Shri Balbir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction work of drain from Singhpura Chowk to village Bohali in Israna Assembly Constituency is lying incomplete; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the water drainage nullah from Singhpura Chowk in Israna to village Bohali and to connect it to the big dirty drain near the village Kabri?

@**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** (क) नही, श्रीमान जी।

(ख) नही, श्रीमान जी।

**श्री बलबीर सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि मेरे हल्का इसराना में गांव सिंहपुरा से लेकर बोहली तक पानी की निकासी के जो दो नाले हैं उनमें इस समय पानी की निकासी नहीं हो रही है। वे नाले पानी से पूरे भरे हुए रहते हैं जिस कारण सड़क पर बराबर पानी भरा रहता है और बारिश के समय तो जो दोनों तरफ बस्तियां हैं वहां पर लोगों के घरों में पानी तक भर जाता है। वहां पर लोग बड़ा ही नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। मंत्री जी को जिस भी अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है मेरा मानना है कि वह गलत है क्योंकि मैंने वहां पर कल भी चैकिंग करवाई है और इस रविवार को मैं खुद भी वहां पर गया था। वहां पर सड़क टूटी हुई थी जिसको मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को रिक्वैस्ट करके बनवाने का काम किया था। वहां पर पानी की निकासी न होने की वजह से उस सड़क के फिर से टूटने की सम्भावना से इनकार

---

**@ Replied by the Agriculture and Farmer's welfare Minister (Shri J.P. Dalal)**

नहीं किया जा सकता। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उस रास्ते से पांच से सात गांवों के वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। यह रास्ता बहुत से गांवों को पानीपत रिफाईनरी से भी जोड़ता है। पानीपत रिफाईनरी में जो भी उस तरफ का स्टॉफ काम करता है वो भी वहां आने–जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। जब इस रास्ते पर पानी भर जाता है तो आने–जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। रिफाईनरी के स्टॉफ को दूसरे रास्तों से आना–जाना पड़ता है और वे रास्ते काफी लम्बे पड़ते हैं। स्पीकर सर, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इन दोनों नालों के पानी की निकासी का प्रबन्ध तुरंत प्रभाव से गांव पाबड़ी के पास पड़ने वाले बड़े नाले में किया जाये ताकि वहां के निवासियों को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल सके और आने–जाने वाले वाहनों को भी परेशानी से छुटकारा मिल सके। मुझे यह बताया जाये कि मंत्री जी इस काम को कब तक करवा देंगे। अगर माननीय मंत्री जी इस काम को नहीं करवा सकते तो मुझे उसके कारण बताये जायें।

**श्री महीपाल ढांडा :** स्पीकर सर, हमारा गांव और श्री बलबीर सिंह जी का गांव बिलकुल एक साथ हैं। जो बलबीर सिंह जी बोल रहे हैं वह बिलकुल ठीक है। इनके विधान सभा के 3–4 गांव मेरी विधान सभा के बिलकुल बीच में ही पड़ते हैं और उनके आजू–बाजू फिर मेरी विधान सभा शुरू होती है। ऐसे ही हमारा एक गांव घड़ी सिकन्दरपुर है जोकि दोनों नहरों के बीच में है। ऐसे ही गांव थाना भी दोनों नहरों के बीच में है। अब स्थिति यह है कि पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। इनका सुझाव यह है कि वहां पर दो नाले बनाकर उस पानी को पाबड़ी के पास पड़ने वाली ड्रेन नम्बर–02 में डालने का बंदोबस्त किया जाये। मैं भी इस सम्बन्ध में भाई बलबीर सिंह जी की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को यह निवेदन करता हूं कि ड्रेनेज के माध्यम से इस पानी को ड्रेन नम्बर–02 में डलवाया जाये।

**श्री जय प्रकाश दलाल :** अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने पानी निकासी का विषय रखा है। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हमारे हरियाणा के अंदर पानी की वैसे भी बड़ी भारी कमी है। हरियाणा सरकार ने जहां–जहां पर भी पानी उपलब्ध है वहां–वहां पर एस.टी.पी. लगाकर उस पानी को सिंचाई के काम में प्रयोग में लाया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार ने बाकायदा से योजना बनाई

है। इस पानी को ड्रेन नम्बर–02 में डालने का अभी इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर माननीय सदस्य हमें जमीन उपलब्ध करवा दें तो उस पानी को साफ करके खेती में सिंचाई के काम में आने के लिए हम प्रावधान कर देंगे।

**श्री बलबीर सिंह :** माननीय स्पीकर महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बार–बार यही आग्रह है कि मेरे हल्के के इन गांवों के पानी को ड्रेन नम्बर–02 में ही डालने की व्यवस्था करने की कृपा करें क्योंकि मेरे विचार में इसका इससे अच्छा और कोई दूसरा हल नहीं हो सकता।

**श्री जय प्रकाश दलाल :** अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि सरकार की यह योजना है कि बड़े–बड़े शहरों में भी पानी को बर्बाद न किया जाये। गंदे पानी को एस.टी.पी. के माध्यम से शुद्ध करके सिंचाई के काम में लाने की हमारी सरकार ने योजना बनाई है इसलिए इनके गांव में भी ये हमें कोई ऐसी जगह उपलब्ध करवा दें जहां पर हम उस पानी को इक्ट्ठा करके सिंचाई के काम में उपयोग करने की व्यवस्था कर सकें। इससे पानी का सदुपयोग भी हो जायेगा और वहां की समस्या भी दूर हो जायेगी।

**श्री महीपाल ढांडा :** माननीय स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ये गांव बिलकुल गरीब गांव हैं। उन गांवों में जो तालाब हैं वे भी बहुत छोटे–छोटे हैं। घड़ी सिकन्दरपुर में तो शायद तालाब ही नहीं है इसलिए हमारा निवेदन यह है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिसके तहत चाहे उस पानी को इरीगेशन के लिए यूज किया जाये या किसी और परपज के लिए यूज किया जाये। उस पानी की निकासी की अभी तक किसी भी एंगल से कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। अगर सरकार अपने स्तर पर जमीन लेकर वहां एस.टी.पी. लगाकर उनकी समस्या का समाधान करती है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन है कि वे इस मामले में पर्सनल इंट्रस्ट लेकर अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से वहां का सर्वे करवायें और यह पता लगाया जाये कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। कुल मिलाकर हम तो यही चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण करे।

**श्री बलबीर सिंह :** स्पीकर सर, जब पानीपत रिफाईनरी को लगाया गया उस समय मेरे गांव सिंहपुरा बोहली को वहां से शिफ्ट किया गया था। इस गांव में न तो

कोई तालाब है और न ही कोई पंचायत की जमीन ही है इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन है कि वहां के पानी की निकासी ड्रेन नम्बर–02 में ही करने की व्यवस्था करने का काम करें।

**श्री जय प्रकाश दलाल :** स्पीकर सर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है हम उसी के मुताबिक इनके गांवों की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी, सरकार की नीति तो ठीक है लेकिन इनकी समस्या का तो समाधान होना ही चाहिए। अगर वहां पर जमीन और तालाब अवेलेबल नहीं है तो इनकी समस्या का आप किसी भी प्रकार से समाधान करने का काम करें। आप यह बतायें कि यह काम कब तक हो जायेगा?

**श्री जय प्रकाश दलाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अधिकारियों को भेजकर वहां का सर्वे करवा लेता हूं और उसके बाद जो भी आगे की कार्यवाही बनती होगी उसको जल्दी से जल्दी करने का काम किया जायेगा।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, हमने कई बार ई–भूमि पर भी डलवा दिया है। मैं दोनों माननीय विधायकों से भी यही कहना चाहूंगा कि हमने एक एकड़ जमीन के एक करोड़ रूपये तक की वहां पर ऑफर की हुई है। अगर दोनों विधायक साथी मिलकर वहां पर हमें एक एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देंगे तो कुल साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से ट्रीटमैंट प्लांट लगाने और आगे पानी को इरीगेशन परपज के लिए यूज करने या फिर ड्रेन में डालने की व्यवस्था करने का काम हम करेंगे। मैं तो यही चाहूंगा कि ज्वाईंटली दोनों एम.एल.एज. मिलकर हमें जितनी जल्दी एक एकड़ जमीन उपलब्ध करवायेंगे उतनी जल्दी हम इस पर काम शुरू कर देंगे।

**श्री अध्यक्ष :** धन्यवाद उप–मुख्यमंत्री जी।

———————

## To Construct Multilevel Car Parking

***1374. Shri Lila Ram:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a multilevel car parking which is already approved in Kaithal; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

**शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज)** :(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) अनुसार प्रश्न का यह हिस्सा नहीं उठता है।

**श्री लीला राम** : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कैथल शहर की दो लाख से भी ज्यादा आबादी है। वहां पर पूरे के पूरे शहर में कार पार्किंग की साईट अभी तक भी नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि कैथल शहर में मेन मार्किट के पास ही एक किला है और उस किले के पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि कैथल शहर की आबादी को देखते हुए वहां पर कार पार्किंग की व्यवस्था करवाने की कृपा करें क्योंकि कैथल शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है।

**श्री अनिल विज** : स्पीकर सर, मैं इस मामले को एग्जामिन करवा लूंगा और अगर पॉसीबल हुआ तो कैथल शहर में यह व्यवस्था करवा दी जायेगी।

**श्री लीला राम** : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम इस परपज के लिए मंत्री महोदय को कैथल शहर में पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे।

———————

## To Set-up Power Sub Stations

***1356. Shri Deepak Mangla:** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up new power sub-stations in Palwal city and the area of Bainslat; and

(b) if so, the time by which the said sub-stations are likely to be set up?

**बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह)**: श्रीमान, (क)हां, बैंसलात क्षेत्र में 2x 12.5/16 एमवीए, 66/11 केवी बिजली ट्रांसफार्मरों की क्षमता के साथ एक 66 केवी पावर सब–स्टेशन बड़ोली का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। हालांकि, पलवल शहर में नया पावर सब–स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) 66 केवी सब–स्टेशन बड़ोली वित्त वर्ष 2024–25 में चालू किया जाना संभावित है।

**श्री दीपक मंगला :** माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बैंसलात के क्षेत्र में एक पॉवर हाउस लगाने की सरकार ने जो योजना बनाई है उसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा इस मामले में यह कहना है कि बड़ौली में 66 के.वी.ए. का पॉवर हाउस लगना है और हमारा जो बैंसलात का यह बड़ौली गांव है इसमें हमारे लगभग 35 से 40 गांव आते हैं और इन गांवों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र के अंदर अगर हमारा यह पॉवर स्टेशन जल्दी फंक्शनल हो जायेगा तो हमारी बिजली की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा क्योंकि वहां पर ओवरलोड की समस्या होने के कारण लाईट की वोल्टेज बहुत ही ज्यादा कम आती है। इस कारण से वहां पर बार–बार ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। किसानों की मोटरें जल जाती हैं। गर्मियों के मौसम में तो वहां पर कम वोल्टेज की समस्या बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है इसलिए जितनी जल्दी हमारा यह पॉवर स्टेशन फंक्शनल हो जाये उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा।

**श्री रणजीत सिंह :** अध्यक्ष महोदय, पलवल में फिलहाल तीन पॉवर हाउस हैं इस समय जिनकी कुल क्षमता 158 एम.वी.ए. है। अगले दो वर्ष में इस क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाये जाने की सम्भावना है। इसके अलावा बाद में अगर आवश्यकता हुई तो इसको 700 एम.वी.ए. तक भी बढ़ाया जा सकता है इसलिए इस क्षेत्र में अभी नये पॉवर हाउस की कोई आवश्यकता नहीं हैं। जो पहले वाला है वह अण्डर एग्जामिनेशन है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके यहां पर पॉवर की कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी।

**श्री दीपक मंगला :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने पलवल शहर के अंदर एक पॉवर हाउस की बात की है वह बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका कारण यह है कि जो पलवल शहर का एक्सटैंडिड एरिया है उसमें 13 गांव पलवल शहर से जोड़ और दिये गये हैं। वैसे भी पलवल शहर का विस्तार हो रहा है। वहां पर कालोनियों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इन 13 गांवों के पलवल शहर के साथ और जुड़ने से वहां पर पॉवर का सिस्टम इतना ओवर लोडिड हो गया है कि उससे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गर्मियों के समय में हमारा जो पुराना शहर है वहां पर भी कम वोल्टेज की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती

है। वहां पर सैक्टर–02 में पर्याप्त जगह अवेलेबल है इसलिए अगर वहां पर भी एक और 66 के.वी.ए. का पॉवर हाउस होगा तो उससे कम वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि यह समस्या पलवल शहर की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या है।

**श्री रणजीत सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि पलवल में पहले ही तीन पॉवर हाउस हैं इसलिए वहां पर अभी किसी नये पॉवर हाउस की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूं कि इन तीनों पॉवर हाउस की कैपेसिटी को 700 एम.वी.ए. तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि 700 एम.वी.ए. की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती हैं। वहां पर 66 के.वी.ए. का ही पर्याप्त है और अगर इस कैपेसिटी को 700 एम.वी.ए. तक बढ़ा दिया गया तो उस समय पॉवर की कोई समस्या नहीं रह जायेगी। जिस काम को हम कर रहे हैं यह प्रपोजल हमारे उस प्रोग्राम में है।

**श्री दीपक मंगला :** माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इसमें यह भी कहना है कि जो हमारा बड़ौली वाला पॉवर हाउस है अगर मंत्री जी इसको जल्दी से जल्दी बनवा देंगे तो हमारी पॉवर की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा। जो हमारा चांट का पॉवर हाउस है और इसी प्रकार से जो मीरपुर कोराली का पॉवर हाउस है ये दोनों ही पॉवर हाउस शहर से बहुत दूरी पर स्थित हैं। जहां से हमारे सारे बड़ौली के क्षेत्र को लाईट की सप्लाई आ रही है वहीं से हसनपुर के कई गांवों में भी लाईट आ रही है। यह जितना जल्दी होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन यह भी है कि वहां का एक बार फिर से सर्वे करवाकर इस काम को जल्दी से जल्दी करवाया जाये। अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न और है। हमारे पलवल में जो पॉवर डिपार्टमैंट का मुख्य स्टोर है अर्थात् जहां पर पॉवर डिपार्टमैंट का सारे का सारा सामान रखा जाता है वह कालोनी रोड पर रखा जाता है। जहां यह सामान रखा जाता है वह बहुत ज्यादा व्यस्त सड़क हो गई है। वहां पर रोड पर ही खम्बे व ट्रांसफार्मर रख दिये जाते हैं। इससे वहां पर ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि मेघपुर में जो पॉवर स्टेशन है अगर वहां पर उस स्टोर को शिफ्ट कर दिया जाये और जो बिजली बोर्ड के जो कार्यालय हैं वे अगर कालोनी रोड पर आ जायें तो इससे

पलवलवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी और पॉवर डिपार्टमैंट के लिए भी यह बहुत अच्छा रहेगा।

**श्री रणजीत सिंह :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह सुझाव बहुत ही अच्छा है। मैं अपने अधिकारियों को वहां पर भेजकर इस मामले को एग्जामिन करवा लेता हूं अगर कोई जरूरत हुई तो वहां पर उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

**श्री जगदीश नायर :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र होडल के गांव खामी, पिडुकी, सौंध और पुलवाना ऐसे गांव हैं जो 10 हजार की आबादी को क्रोस करते हैं इसलिए उन गांवों में पावर स्टेशनों की जरूरत है। यहां हर दिन बिजली की किल्लत रहती है और उसकी वजह से लोग धरने प्रदर्शन करते हैं। मेरा एक सुझाव और है जिसके बारे में पलवल के माननीय विधायक ने भी अपना सुझाव दिया था। सरकार ने हमारे यहां गांव बंचारे में एक सब स्टेशन बनाया है जो ऑन जी.टी.रोड है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसी के साथ हम वहां ऑन रोड न्यू कालोनी में सरकार को ट्रांसफार्मर्ज स्टोरेज के लिए जमीन भी उपलब्ध करवा देंगे। अगर वह ट्रांसफार्मर्ज स्टोरेज ऑन रोड बन जाता है तो पूरे जिले में कहीं भी बिजली की किल्लत नहीं रहेगी क्योंकि वहां से गाड़ियां 10 मिनट में पलवल और 5 मिनट में होडल जा सकती हैं। इस तरह से सारे जिले के लिए वहां से ट्रांसफार्मर्ज सप्लाई होते रहेंगे।

**श्री रणजीत सिंह चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, अभी भी हमारे पास 448 ऐसे पावर हाऊसिज हैं जो 66 के.वी. से ऊपर के हैं। अगर माननीय साथी वहां जमीन बता रहे हैं तो हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो हम वहां ट्रांसफार्मर्ज स्टोरेज बनाने का काम भी कर देंगे।

.....

## To Shift Government School

***1431. Shri Vinod Bhayana:** will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Government Girls Senior Secondary School of Hansi City; if so, the time by which it is likely to be shifted?

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):** नहीं, श्रीमान जी।

**श्री विनोद भ्याना :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वैसे तो उन्होंने अपना उत्तर नहीं में दिया है लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी गर्ल्स स्कूल है जिसमें 1427 लड़कियां एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं और उस स्कूल में केवल 27 कमरे हैं इसके अलावा स्टाफ रूम और लैब को मिलाकर 11 कमरे और हैं। इस तरह से उस स्कूल में टोटल 38 कमरे हैं। वहां पर न तो प्ले ग्राउंड है और जो परेर ग्रांउड है वह भी सही ढंग का नहीं है। इस तरह तो हमारा जो एक 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का मोटो है वह सार्थक नही हो रहा है। 1427 लड़कियां केवल 27 कमरों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और मैं नहीं समझता कि इतने कम कमरों में उन लड़कियों को सही ढंग से शिक्षा मिल पा रही होगी क्योंकि वहां कई क्लासिज तो बरामदों में लगती हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि शहर में और भी अच्छी जगह हैं और यह बड़ा भीड़ भाड़ का इलाका है इसलिए इस स्कूल को वहां से शिफ्ट करके किसी और जगह खोला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री कंवर पाल :** अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य हमें कहीं कोई जगह उपलब्ध करवा देंगे तो निश्चित तौर पर हम इस पर विचार करेंगे।

**श्री विनोद भ्याना :** मंत्री जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

———————

## To Separate Youth Affairs Department

***1413. Shri Varun Chaudhry:** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to separate Youth Affairs Department from Sports Department for promotion of Youth Activities; if so, the details thereof ?

**खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह):** श्रीमान जी, नहीं ।

**श्री वरूण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, सरकार क्यों युवा गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। अधिकतर राज्यों में खेल विभाग और युवा मामलों के विभाग को अलग–अलग कर दिया जा चुका है। 25 नवम्बर 2015 को जब 21 वां राज्य स्तरीय यूथ फैस्टीवल मनाया जा रहा था उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि जल्द ही इन दोनों विभागों को अलग–अलग कर दिया जाएगा। आज 6 साल बाद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं

कि ऐसा कोई विचार ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से खेल महत्वपूर्ण हैं उसी प्रकार से युवा मामले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

**श्री अध्यक्ष :** वरूण जी, आपका प्रश्न क्या है?

**श्री वरूण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो यही है कि जब 6 साल पहले यह बात हो गई थी कि इनको अलग–अलग विभाग बनाया जाएगा तो फिर आज उनको अलग–अलग विभाग क्यों नहीं बनाया जा रहा हैं। हमारे जो यूथ कल्चर ऑफिसर होते हैं वे हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस ऑफिसर्ज की तरह ही होते हैं जोकि पहले हर जिले में दो से तीन ऑफिसर्ज हुआ करते थे जबकि आज पूरे राज्य में केवल 12 ऑफिसर्ज रह गये हैं। आज हमारा राज्य पिछड़ता जा रहा है। हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा खोरी बढ़ रही है। उसके बाद भी सरकार युवा मामलों को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाह रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों विभागों को जल्द से जल्द अलग किया जाए। जैसे कि खेलों के मामले में अर्जुन अवार्ड मिलता है वैसे ही नैशनल यूथ अवार्ड मिलता है और ऐसे अवार्ड जीते हुए बच्चे भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन दोनों विभागों को जल्द से जल्द अलग करके उस पर कार्य किया जाए। धन्यवाद।

**श्री संदीप सिंहः** अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जैसे एक सिक्के के हैड एंड टेल दो पहलू होते हैं और यदि उनको अलग कर दिया जाये तो सिक्के की वैल्यू खत्म हो जाती है ठीक उसी प्रकार से खेल एवं युवा मामले एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। यदि खेल और युवा मामले विभाग को अलग–अलग कर दिया गया तो इन दोनों विभागों की भी वैल्यू एक तरह से खत्म ही हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यूथ और स्पोर्ट्स की एज लगभग एक बराबर ही मानी जाती है। जहां तक खेल गतिविधियों की बात की गई है, के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां खेल गतिविधियां बहुत ज्यादा संख्या में हो रही हैं। खेल जगत में मिलने वाले पुरस्कारों की दिशा में हरियाणा सबसे आगे है। अभी जनवरी माह में 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक पांडिचेरी में जो फैस्टीवल हो रहा है, उसमें भी हरियाणा भाग ले रहा है। अगर क्लब की बात करें तो हमारे यहां लगभग 5000 के करीब क्लब गठित कर दिए गए हैं और आज के समय में खेल के क्षेत्र में हरियाणा की परफोरमैंस सबसे उपर चल रही है। हमारे यहां मिल्खा सिंह एडवेंचर्स स्पोर्ट्स क्लब भी बना दिया गया है। कोविड–19

के समय हमारे युवा क्लबों ने वालंटियर्स के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम पुरस्कार की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ युवा को प्रति वर्ष 20 हजार रूपये दिए जाते हैं, युवा मंडल को 30 हजार रूपये दिए जाते हैं, राज्य के सबसे बेहतर युवा को 40 हजार रूपये दिए जाते हैं और राज्य के सर्वश्रेष्ठ क्लब को 75 हजार रूपये दिए जाते हैं। अभी तक 53 युवाओं को हरियाणा का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिल चुका है। अगर गतिविधियों की बात करें तो यहां पर निबंध लेखन, चित्र कला, वाद–विवाद, कविता, लघु कथा, लेखक–नाटक, संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है और वर्तमान में भी यह गतिविधियां की जा रही हैं। अगर क्लब की बात करें तो हमारे 6560 गांवों में से 4977 गांवों में क्लब बना दिए गए हैं। मिल्खा सिंह एडवेंचर्स स्पोर्ट्स क्लब के तहत पर्वत आरोहण, रॉक क्लाइम्बिंग, रीवर लिफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स तथा पैरा ग्लाइडिंग जैसे खेलों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में अर्थात् 26.11.2021 को इसका गठन किया गया है। जहां तक परफोरमेंस की बात है तो 24 राष्ट्रीय उत्सवों में हरियाणा ने 5 बार प्रथम स्थान तथा 7 बार द्वितीय स्थान हासिल किया है। हरियाणा के द्वारा रोहतक में जो राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन किया गया था, उसमें दूसरा स्थान हासिल किया गया था और अभी जनवरी में 12 से 16 जनवरी, 2022 तक पांडिचेरी में आयोजित होने वाले यूथ फैस्टीवल के लिए हमारे प्रदेश के युवा तैयारियां कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य को अभी भी लगता है कि खेल एवं युवा मामले, दोनों को अलग अलग करना चाहिए तो उन्हें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि केन्द्र में भी अभी तक खेल एवं युवा मामले का एक ही विभाग है।

**श्री वरूण चौधरीः** स्पीकर सर, भारत सरकार की तरफ से राज्यों के लिए एक गाइडलाइन थी कि इन दोनों विभागों को अलग–अलग किया जाये। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** वरूण जी, पहले सैंटर को तो ऐसा करने दो, उसके बाद ही तो राज्य उसको एडाप्ट करेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री वरूण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने युवाओं को मिले अवार्ड की तो बात सदन में बता दी लेकिन विषय यह है कि हमारे खिलाड़ियों को बेहतर फैसिलिटी तो दी जायें ?

**श्री अध्यक्षः** वरूण जी, फैसिलिटी दी गई होंगी तभी तो अवार्ड मिले होंगे। प्लीज आप बैठिए। बतरा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

## Details of FIRs registered in State

***1350. Bharat Bhushan Batra**: Will the Home Minister be pleased to State-

(a) the yearwise and districtwise details of F.I.R.s registered by the Government for offence of Chain and purse snatching in State from the year 2015 to 2021; and

(b) the yearwise details of cases in which challans have been presented in the Court togetherwith the number of convictions during the abovesaid period?

**Home Minister (Shri Anil Vij) :** Sir, a statement is laid on the Table of the House.

## Statement

**(a) The yearwise and districtwise details of F.I.R.s registered by the Government for offence of chain and purse snatching from the year 2015 to 2021 (upto 30.11.2021)**

| District | Cases registered for chain snatching | | | | | | | Cases registered for purse snatching | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Gurugram | 169 | 104 | 87 | 83 | 57 | 36 | 69 | 44 | 31 | 33 | 35 | 20 | 5 | 12 |
| Faridabad | 93 | 59 | 86 | 120 | 65 | 54 | 57 | 5 | 11 | 4 | 19 | 9 | 6 | 9 |
| Panchkula | 25 | 12 | 18 | 35 | 17 | 6 | 6 | 25 | 3 | 19 | 9 | 20 | 19 | 10 |
| Ambala | 16 | 18 | 12 | 21 | 12 | 4 | 29 | 11 | 18 | 21 | 44 | 33 | 15 | 29 |
| Y. Nagar | 22 | 21 | 11 | 23 | 5 | 5 | 22 | 8 | 8 | 21 | 25 | 21 | 44 | 26 |
| Kurukshetra | 16 | 30 | 13 | 9 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 13 | 7 | 11 |
| Karnal | 36 | 63 | 47 | 35 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | 17 | 13 | 8 | 15 |
| Panipat | 40 | 42 | 32 | 28 | 20 | 15 | 18 | 9 | 6 | 11 | 10 | 5 | 3 | 10 |
| Kaithal | 6 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 2 | 2 | 3 |
| Hisar | 12 | 20 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 6 | 20 | 20 | 21 | 31 | 5 | 15 |
| Sirsa | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 10 |
| Jind | 11 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| Fatehabad | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 17 | 9 | 7 | 4 | 8 |
| Hansi | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rewari | 13 | 15 | 7 | 19 | 8 | 39 | 36 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| Palwal | 2 | 13 | 8 | 11 | 17 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| M. Garh | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Mewat | 8 | 7 | 5 | 12 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohtak | 30 | 26 | 36 | 28 | 16 | 27 | 22 | 4 | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 15 |
| Sonepat | 48 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Jhajjar | 7 | 3 | 13 | 6 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Bhiwani | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| Ch. Dadri | 11 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRP | 20 | 21 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 25 | 28 | 15 | 11 | 13 |
| **Total** | **605** | **511** | **452** | **502** | **341** | **289** | **376** | **132** | **155** | **238** | **287** | **242** | **154** | **201** |

**(b) The yearwise details of cases in which challans have been presented in the Court togetherwith the number of convictions for offence of chain and purse snatching.**

| Year | Chain snatching | | | Purse snatching | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Challans | Conviction | Under trial | Challans | Conviction | Under trial |
| 2015 | 278 | 76 | 126 | 69 | 12 | 37 |
| 2016 | 214 | 44 | 75 | 95 | 18 | 30 |
| 2017 | 186 | 35 | 54 | 165 | 37 | 51 |
| 2018 | 223 | 27 | 99 | 163 | 37 | 51 |
| 2019 | 123 | 6 | 103 | 127 | 16 | 90 |
| 2020 | 110 | 0 | 107 | 77 | 2 | 71 |
| 2021 (upto 30.11.2021) | 74 | 0 | 74 | 81 | 0 | 81 |

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बेटी बचाओ व व महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है लेकिन हमारी बेटियों व महिलाओं के साथ हुई चैन स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग की घटनाओं का जो डाटा सामने निकलकर आया है, उसको देखकर बड़ा दुख होता है। मैं इस डाटा को सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब एक बेटी एक बहू या किसी महिला की चैन स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग होती है तो इसको क्राइम अगेनस्ट स्टेट की दिशा में बहुत बड़ी घटना माना जाता है। जिस तरह से अगर कोई मर्डर हो जाता है तो

एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है कि आपसी दुश्मनी की वजह से ऐसी घटनायें होती है। रेप के बारे में भी सत्ता पक्ष की तरफ से डेफीनेशन दे दी जाती हैं कि मिलीभगत की वजह से रेप के केसिज बढ़ जाते हैं लेकिन जो चेन स्नैचिंग व पर्स स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं It's a crime against the public. It shatters the confidence of the lady जिस बहू, बेटी या महिला के साथ यह घटना हो जाती है तो वह कई दिन तक उस सदमे को भूल नहीं पाती है और न ही बर्दाश्त कर पाती है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं विज साहब के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पिछले सात साल के अंदर प्रदेश में 3076 केसिज चैन स्नैचिंग के रजिस्टर्ड हुए हैं और उनमें 1200 केसिज ऐसे थे जोकि ट्रेस हुए और बाकी 1876 केस अंट्रेसेबल रह गए और सिर्फ 188 केसिज ही कंविक्शन की स्टेज तक पहुंच पाये। This is the state of affairs of the State अगर पर्स स्नैचिंग की बात करते हैं तो प्रदेश में 1379 केसिज हुए जिनमें से 700 केसिज में ही चालान हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 700 केसिज तो अनट्रेसेबल हैं यानि 700 केसिज में बेचारी महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ, इसका आगामी कार्रवाई का पता ही नहीं चल पाया है। इनमें कंविक्शन केसिज की संख्या 122 हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, प्रदेश की महिलाओं में महिला सशक्तिकरण में विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे? क्या भविष्य में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं न हों इस संबंध में पुलिस विभाग का कोई मैकेनिज्म बनायेंगे? माननीय मंत्री जी, किस मैकेनिज्म के तहत विधान सभा के पटल पर यह इंश्योर करेंगे कि प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध भविष्य में नहीं होंगे? माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर जरूर बतायें।

**श्री अनिल विजः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन के पटल पर सही कहा कि वर्ष 2015 से लेकर 2021 तक इस संबंध में 3076 मामले दर्ज हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले तो माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2015 से पहले जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो चेन आर पर्स छीनने के 2620 केसिज हुए थे। इस प्रकार से वर्ष 2015 से ये केसिज लगातार कम होते हुए अब 2397 हुए हैं अर्थात् कांग्रेस पार्टी के शासन काल के मुकाबले काफी कम हुए हैं। माननीय सदस्य ने सदन को यह भी बताया कि 3076 मामले दर्ज हुए हैं। मेरा चेन छीनने के अपराध के संबंध में यह कहना है कि इसमें से 1208 केसिज का

निपटारा कर दिया गया है और 2249 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 188 मुकद्मों में अपराधियों को सजा हुई है। अब तक 638 केसिज माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसी प्रकार से पर्स छीनने के अपराध के संबंध में मेरा यह कहना है कि वर्ष 2015 से लेकर दिनांक 30.11.2021 तक 1409 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें 777 केसिज का निपटारा कर दिया गया है और 1427 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें से 122 अपराधियों को सजा हो चुकी है और 334 केसिज माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस बारे में लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह के क्राइम के ऊपर पूरी तरह से रोक लगे। इसके लिये हमने प्रदेश में सबसे बड़ा इवेंट 'डायल 112' का चलाया हुआ है। हरियाणा प्रदेश में डायल 112 के तहत ही 621 नई इनोवा गाड़ियां आधुनिक सिस्टम के साथ लॉंच की गई हैं। इन सभी गाड़ियों को पंचकूला में स्थित एकत्रित कॉल सैंटर बनाया हुआ है उससे कनैक्ट की हुई है। जहां कहीं भी अपराध होता है और उसके बारे में कोई भी कॉल आती है तो सिर्फ 17 मिनट 54 सैकेण्ड में घटना स्थल पर पहुँचने की आज की तारीख में इन गाड़ियों की एवरेज आती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं से भी अपराध के संबंध में डायल 112 पर कॉल आती है तो हमारी पुलिस की गाडी संबंधित स्थान पर 17 मिनट 54 सैकेण्ड के अंदर पहुँच जाती है। इस तरह से लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ने लग रहा है। लोगों को अब लग रहा है कि पुलिस हमारे साथ–साथ रहती है। जब भी हम पुलिस को बुलायेंगे तो पुलिस तुरंत प्रभाव से आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में यह स्कीम दिनांक 12.07.2021 को लॉंच की गई थी। अब तक डायल 112 के तहत 2102015 कॉल्स, 90277 कॉल्स एस.एम.एस. के माध्यम से, डायल 112 ऐप के माध्यम से 1224 कॉल्स और ई–मेल से 12 कॉल्स रसीव हुई हैं। इस प्रकार से इतने छोटे पीरियड में टोटल 276028 इवेंट रजिस्टर्ड हुए हैं और 239055 को डिस्पैच कर दिया गया है। (विघ्न) जारी

**श्री भारत भूषण बतरा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से इसका जवाब तो आ नहीं रहा कि इसको कैसे रिव्यू करेंगे, किस हिसाब से सख्ती करेंगे ? चेयर की तरफ से भी एक फाइंडिंग और इंस्ट्रक्शन ..... (शोर एवं व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी ने कभी यह जानने की कोशिश की है कि गुड़गांव में सबसे ज्यादा कॉल क्यों आ रही हैं और वहां पर क्या हो रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य डायल 112 से सहमत नहीं हैं । माननीय सदस्य के राज में तो औरतों की एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की जाती थी । अब पुलिस की गाड़ी 112 डायल करने के केवल 17.54 मिनट बाद पहुंच जाती है ।

**श्री अध्यक्ष :** बतरा जी, आपने प्रश्न पूछा था कि क्या उपाय किये जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी आपको इसका उत्तर दे रहे हैं लेकिन आप अपने प्रश्न का उत्तर भी सुनना नहीं चाहते । (विघ्न)

**श्री भारत भूषण बतरा :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी ने कोई रिव्यू कमेटी बनाई है या वे रिव्यू कमेटी बनाएंगे ?

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि आज का यह सत्र समाप्त होने के बाद माननीय सदस्य हरियाणा प्रदेश के किसी भी हिस्से में खड़े होकर एक बार 112 डायल करें और स्वयं इसकी तेजी का अंदाजा लगाएं ।

**Shri Bharat Bhushan Batra:** Speaker Sir, it is shattering the confidence of the people. It is shattering the confidence of a lady. (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कहीं पर खड़े होकर कॉल करके देखो । मेरा कहना है कि आप उस बेटी और उस बहू के बारे में सोचो जिसके साथ ये घटना हुई है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को तो हमारे इस प्रयास को ऐप्रिशियेट करना चाहिए कि सरकार ने इसे लागू किया है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कल :** अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं के विषय पर कुछ कहना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** गीता जी, यह किसी विषय पर चर्चा का समय नहीं है बल्कि यह प्रश्नकाल है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जितनी जल्दी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाएगी उतनी ही जल्दी आरोपी पकड़ लिया जाएगा । (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती शकुंतला खटक :** अध्यक्ष महोदय, एक महिला की चेन छीन ली गई थी और वहां पर पुलिसकर्मी भी खड़े थे । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्या के राज की होगी । हमारे राज में ऐसा नहीं होता ।

**श्री भारत भूषण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** बतरा जी, सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी बता रहे हैं । अतः आप उनको सुन लीजिए । अगर आपको कुछ नहीं सुनना है तो फिर आप क्वैश्चन ही क्यों लगाते हो ?

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, बतरा जी तो सयाने आदमी हैं, इसलिए वे समझ गए हैं । मैं केवल बतरा जी को ही नहीं बल्कि सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आप एक बार 112 डायल करके हमारे सिस्टम को अवश्य चैक करें । अगर किसी को इसमें कोई कमी महसूस हो तो हमें बताए । हम उसे दुरूस्त कर देंगे ।

---

## To Provide Medical Facilities

***1461**. **Shri Balraj Kundu**: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of staff as well as the adequate Medical facilities and equipments in the dilapidated building of the Government Hospital Meham; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide advanced as well as adequate medical facilities in the abovesaid hospital by constructing its new building in Meham togetherwith the details thereof?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज):** (क) नहीं श्रीमान जी, सरकारी सिविल अस्पताल, महम में पर्याप्त स्टाफ, चिकित्सा सुविधाएं और उपकरण हैं।

(ख) महोदय, भवन की मरम्मत पहले से ही प्रक्रियाधीन है।

**श्री बलराज कुण्डू :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में लिखा है कि सरकारी अस्पताल, महम में पर्याप्त स्टाफ है । मेरे महम के हॉस्पिटल में डॉक्ट्र्स के 11 पद स्वीकृत हैं और उसमें ऑर्थो, सर्जन जैसा एक भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं है । वहां पर अनैसथिसिया का डॉक्टर है लेकिन कोई सर्जन नहीं है । वहां पर एक भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर नहीं है । माननीय मंत्री जी का कहना है कि सरकारी अस्पताल, महम में पर्याप्त स्टाफ है । दूसरी बात, कल भी मैंने माननीय मंत्री जी से इस बारे में रिक्वैस्ट की थी । मैंने पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में कम से कम 10 बार लिखकर दिया है । वह अस्पताल वहां

की लाइफलाइन है । उसमें आधे नारनौंद के लोग आते हैं और उसमें बवानी खेड़ा के लोग भी आते हैं । वह अस्पताल बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है । कल मुझे माननीय मंत्री जी ने मौखिक रूप से बताया था कि उसकी मेंटेनैंस के लिए हमने 80 लाख रुपये इशू कर दिये हैं । यह बात लिखित जवाब में नहीं है । मेरा मानना है कि उस अस्पताल की मेंटेनैंस पर 80 लाख रुपये खर्च करना टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है क्योंकि उस बिल्डिंग की हालत जर्जर है । मरे हुए व्यक्ति में घी डालने से वह कभी जिन्दा नहीं होता है । जब तक उस अस्पताल की बिल्डिंग नई नहीं बनेगी तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से उसके नवनिर्माण के लिए बार–बार निवेदन किया है । उस अस्पताल की खिड़कियां–दरवाजे टूटे पड़े हैं । वहां मैंने स्वयं जाकर देखा है । अतः माननीय मंत्री जी मेरे साथ एक बार उस अस्पताल की विजिट करें । वहां की हालत ऐसी है कि वहां पर जो नर्सिज जॉब कर रही हैं वहां उनको अपनी ड्रैस चेंज करने में भी दिक्कत आती है। मैंने तो प्रैक्टिल देखा है। वहां पर 7 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्ज हैं जिनमें 2 की ड्यूटी दिन में और 2 की रात में ड्यूटी रहती है। इसमें से भी आधे डॉक्टर्ज कभी रोहतक पी.जी.आई. और कभी सी. एम.ओ. के पास जाते रहते हैं। इस प्रकार मौके पर 2 से ज्यादा डॉक्टर्ज नहीं रहते हैं। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मेरे महम हल्के को पता नहीं क्यों इग्नोर किया जा रहा है ? यह बात पक्की है कि अगर महम हल्के के साथ सरकार द्वेष भावना से काम करती रही तो वहां पर कभी कमल नहीं खिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि रोहतक में ग्रीवैंस कमेटी की मीटिंग में जाते समय 1 घंटे का समय निकालकर महम के हॉस्पिटल को मौके पर जाकर देख लेंगे तो हम उनके बहुत आभारी होंगे। रोहतक से महम का केवल 20 मिनट का रास्ता है। मुझे इस बात का विश्वास है कि जब माननीय मंत्री जी मौके पर देख लेंगे तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही भी कर देंगे। मुझे माननीय मंत्री जी की कार्यशैली पर पूरा भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जब भी उनका रोहतक में जाने का प्रोग्राम हो तो उस दौरान 1 घंटे का टाईम निकालकर मेरे महम हल्के के हॉस्पिटल के दर्शन जरूर कर लें।

**श्री अनिल विजः** अध्यक्ष महोदय, इस महम के हॉस्पिटल की नयी बिल्डिंग है और इसको सन् 1995 में बनाया गया था। जिन हॉस्पिटल्ज की बिल्डिंग्ज 100– 100

साल पहले बनायी गयी थी, वे सभी अच्छी हालत में खड़ी हुई हैं। इसकी जांच करनी पड़ेगी कि यह बिल्डिंग सन् 1995 में किसने बनवायी थी, किसकी सरकार के समय में बनवायी गयी थी और इसकी हालत इतनी जल्दी कैसे खराब हुई ?

**श्री बलराज कुंडू**: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास दोनों डिपार्टमैंट्स हैं और वे जब चाहें इसकी जांच करवा लें। मैं इनकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं तो माननीय मंत्री जी को मौका देखने के लिए कह रहा हूं।

**Shri Anil Vij**: Speaker Sir, Let me speak to clarify. इसकी जांच करनी पड़ेगी कि सन् 1995 में कौन सी सरकार थी, किसने उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनायी और क्यों यह ऐसी बिल्डिंग बनी जिसकी इतनी जल्दी हालत खराब हो गयी? जहां तक स्टॉफ की बात है तो he should be lucky कि वहां पर 70 पद स्वीकृत हैं और उनमें से 60 पद भरे हुए हैं। केवल 10 पद ही खाली हैं।

**श्री बलराज कुंडू**: अध्यक्ष महोदय, मैं तो डॉक्टर्ज के पदों की बात कर रहा हूं।

**श्री अनिल विज**: अध्यक्ष महोदय, जो सैंक्शंड पद हैं, वही भरे जाएंगे। मैं सभी पदों की बात कर रहा हूं कि 70 पदों में से 60 पद भरे हुए हैं। स्पीकर सर, मैं 2 दिन पहले डिटेल्ज से बता चुका हूं कि नयी भर्तियां हो चुकी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उनके बारे में दोबारा से बता दूंगा। जैसे ही नयी भर्तियां होंगी तो उनमें नर्सिज, डॉक्टर्ज के अलावा दूसरी भर्तियां भी होंगी। हम 980 पदों पर डॉक्टर्ज की भर्तियां करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि हम पहली बार स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज का कैडर क्रिएट करने जा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि डॉक्टर्ज की भर्ती हो जाती थी, लेकिन रिक्वायर्ड स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज नहीं मिलते थे। हमने बड़ी कोशिश और प्रयत्न करके इनके लिए एक नीति बनायी है और वह फाईल फाईनल एप्रूवल के लिए पड़ी हुई है। अभी तक हम स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज की एडवर्टाइजमैंट नहीं करते थे और उनमें जो स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज आ जाते थे तो उनको खाली जगह पर लगा देते हैं। मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के हॉस्पिटल्ज का सर्वे करवाया है कि हमें कितने स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज चाहिएं ? इनमें कितने ई.एन.टी., आईज, गॉयनो और सर्जन चाहिए। इस प्रकार फरदर जो एडवर्टाइजमैंट हुआ करेंगी, वे स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज के हिसाब से हुआ करेंगी। हमने इसके लिए व्यवस्था कर दी है। अभी 980 डॉक्टर्ज और भर्ती करने जा रहे हैं तथा अगले महीने तक उनकी भर्ती हो जाएगी। जहां –जहां पर उनकी जरूरत होगी, उसी हिसाब से उनकी पोस्टिंग कर देंगे।

**श्री बलराज कुंडू:** अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी है, इसलिए मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए।

**श्री अध्यक्षः** कुंडू जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी ने आपके सवाल का रिप्लाई दे दिया है। अब माननीय सदस्य श्री सुरेणूद्र पंवार जी अपना सवाल करेंगे।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस संबंध में एक सुझाव देना चाहती हूं।

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, यह क्वैश्चन ऑवर है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

———————————

**Details of Development Works**

***1309. Shri Surender Panwar:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the amount wise details of the development works completed under the Vidhayak Aadarsh Gram Yojana in Sonepat Assembly Constituency so far; if not, the reasons thereof?

**Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) :** No Sir, Sonepat Assembly Constituency is completely urban. There is no Gram Panchayat in this constituency. The villages of this constituency fall under the area of Municipal Corporation, Sonepat. As per guidelines, in case of urban constituency, Hon'ble MLA can identify any village from a nearby rural constituency. CEO, Sonepat has written D.O letter to Hon'ble MLA on 08.01.2021 and letter dated 22.11.2021 for sending proposal. However, no proposal has been received from Hon'ble MLA till now. constituencey wise statement showing Physical and financial status of Vidhayak Aadarsh Cram Yojana is annexed.

## RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, HARYANA, CHANDIGARH

### Constituency-wise Statement showing physical and financial status of (2.00 crore) Vidhayak Adarsh Gram Yojana for the year of 2018-19 (after 26.12.2018 ) ( As on 30.11.2021)

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Year | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-In-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambala | Smt.Santosh Chauhan Sarwan | Mullana | Mullana | 5056 | 2018-19 | 10.09.2019/ 5.10.2020 | 99.94 | 3.00 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Bhiwani | Sh. Ghanshyam Dass Saraf | Bhiwani | 3 villages (Kayla, Phoolpura and Devsar) | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 163.24 | 138.75 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Bhiwani | Sh. Bishamber Singh | Bawani Khera | 3 villages (Dhanana-II, Badesara and Dhani Chang) | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 124.50 | 119.09 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Bhiwani | Sh.Om Parkash Bharwa | Loharu | 4 villages (Damkora, Bhidhnoi, Morka, Budhshely) | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 189.94 | 189.14 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| | | | | | | | **Total** | **477.68** | **446.98** | **36** | **32** | **4** | **0** |
| 5 | Ch.Dadri | Sh. Sukhvinder Mandhi | Badra | 6 villages (Mahda, Maikalan, Rambass, Jhojhu Khurd, Bhadwa, Kanhda) | More than 10000 | 2018-19 | 11.09.2019/ 5.10.2020 | 103.60 | 61.55 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| | Ch.Dadri | Sh. Sukhvinder Mandhi | Badra | 4 villages (Badhara, Jagram Bass, Khorda, Rambass) | More than 10000 | 2018-19 | 20.09.2019/ 5.10.2020 | 90.82 | 75.13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | | **Total** | **194.42** | **136.68** | **9** | **4** | **1** | **4** |
| 6 | Faridabad | Sh.Tek Chand Sharma | Prithala | Hirapur | 3145 | 2018-19 | 06.09.2019 | 37.96 | 37.96 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Fatehabad | Sh.Subash Barala | Tohana | Samain | 10892 | 2018-19 | 10.09.2019 | 100.00 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Gurugram | Sh.Rao Narbir Singh | Badhshapur | 5 villages (Kakrola, Dhankot, Teekli, Gadhi Harsaru, Vandu) | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 197.08 | 163.10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | Jind | Sh. Jasbir Deswal | Safidon | Datrath | 8795 | 2018-19 | 30.07.2019 | 16.50 | 16.50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jind | Smt. Prem Lata | Uchana | Khanda | 3620 | 2018-19 | 12.09.2019 | 50.00 | 50.00 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | | | | | | | **Total** | **66.50** | **66.50** | **8** | **8** | **0** | **0** |
| 11 | Jhajjar | Sh.Om Parkash Dhankar | Badli | Patoda | 7447 | 2018-19 | 03.09.2019 | 32.21 | 32.21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Jhajjar | Sh.Om Parkash Dhankar | Badli | Dhakala | 4333 | 2018-19 | 12.09.2019 | 50.00 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | | | | **Sub Total** | **82.21** | **82.21** | **6** | **6** | **0** | **0** |
| 12 | Jhajjar | Sh.Naresh Kaushik | Bahadurgarh | 3 villages (Kassar, Barahi, Sankhol) | More than 10000 | 2018-19 | 16.09.2019 | 125.45 | 101.24 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| | | | | | | | **Total** | **207.66** | **183.45** | **13** | **12** | **0** | **1** |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Year | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-In-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hisar | Capt.Abhimanyu | Narnaund | Puthi Samain & Petwar | More than 10000 | 2018-19 | 30.07.2019/ 07.10.2020 | 24.17 | 24.17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Karnal | Sh. Bakhshish Singh Virk | Assandh | (22 villages) Bandrala, Bassi, Bilona, Chogama, Danoli, Dera Gama, Dera Gujratia, Dera Phoola Singh, Dera Pindoria, Dera Pindoria, Dupedi, Kherisarfali, Khidrabad, Mardanheri, Padhana, Popra, Rahra, Rattak, Rugsana, Salwan, Thal, Thari | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 200.00 | 189.29 | 43 | 42 | 1 | 0 |
| 15 | Karnal | Sh. Bhagwan Dass Kabir Panthi | Nilokheri | Naraina | 3553 | 2018-19 | 30.07.2019 | 7.96 | 7.96 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Karnal | Sh. Bhagwan Dass Kabir Panthi | Nilokheri | (13 villages) Sultanpur, Dayanagar, Brahman Majra, Bukhapuri, Dabarthala, Sambhi, Shekanpur, Parwala, Nigdhu, Majra Roran, Budhera Kalsha, Barana | More than 10000 | 2018-19 | 20.09.2019/ 07.10.2020 | 106.95 | 35.15 | 17 | 6 | 10 | 1 |
| | | | | | | | **Sub Total** | **114.91** | **43.11** | **19** | **8** | **10** | **1** |
| | | | | | | | **Total** | **314.91** | **232.40** | **62** | **50** | **11** | **1** |
| 16 | Kurukshetra | Sh. Subhash Sudha | Thanesar | (12 villages) Amin, Alampur, Bahri, Barwa, Bir Amin, Doda Kheri, Dabkheri, Jyotisar, Patti Kaserla, Partap Garh, Rattan Dera, Tigri Khalsa | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 200.00 | 199.5 | 24 | 23 | 1 | 0 |
| 17 | Kurukshetra | Sh.Krishan Kumar Bedi | Shahbad | (13 villages) Sudhpur, Khera, Macchaurali, Rawa, Yara, Kalsana, Maddipur, Saidpur Barwala, Ram Nagar, Boripur, Raipur/Raimajra, Thaska Ali, Berthali | More than 10000 | 2018-19 | 12.09.2019 | 93.32 | 79.10 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| | | | | | | | **Total** | **293.32** | **278.60** | **38** | **35** | **1** | **2** |
| 18 | Kaithal | Sh.Randeep Singh Surjewala | Kaithal | (21 villages) Kutubpur , Dillonwali, SangatPura , Malkheri, Sirta, Manas Patti , Baba Ladana , Nouch, Ujhana, Sajuma, Kathwar , Guhna , Dhons, Dayohra, Sirta , Budhakhera , Shakti Nagar , Deodkheri, Patti Khot , Padla | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 100.00 | 150.00 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| | Kaithal | Sh.Randeep Singh Surjewala | Kaithal | (9 villages) Sirta, Baba Ladana, Patti Khot , Mundri, Dehora, Chak Padla, Guhna, Bhanpura, Padla | More than 10000 | 2018-19 | 11.09.2019 | 50.00 | | | | | |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Year | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-In-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kaithal | Sh.Kulwant Singh Bazigar | Guhla | (18 villages) Tatiana, Mengra, Bhuna, Baupur, Landheri, Theh Banhera, Umedpur, Majri , Ramdasspura, Khanpur, Kangthali, Gohran, Kekyor Majra , Pissol, Parbhawat, Kheri Gulam Ali, Malikpur, Siwan | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 100.00 | 100.00 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| | | | | | | | **Total** | **250.00** | **250.00** | **45** | **45** | **0** | **0** |
| 20 | M/Garh | Sh.Ram Bilas Sharma | M/Garh | (4 villages) Zerpur, Chitlang, Malra Bass, Nanwan | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 100.00 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | M/Garh | Dr.Abhay Singh Yadv | Nangal Chodhary | (21 villages) Ajmabad Moukhuta, Pavera, GhataSher, Brahmanwas Nuh, Niyajalipur, Dhanota, Jainpur, Totahedi, Dokhera, Mulodi, Bhedanti, NangalKalia, Amarpura, Thanwas (DhaniSainya), Nangal Soda, RaiMalikpur, Kuljapur, Gaud, Makhsuspur, Bhankhri, Thana | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 100.00 | 100.00 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | M/Garh | Smt.Santosh Yadav | Ateli | (4 villages) Kakrala, Kheri, Bihali, Rattan Kalan | More than 10000 | 2018-19 | 11.09.2019 | 96.97 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| | | | | | | | **Total** | **296.97** | **100.00** | **37** | **15** | **0** | **22** |
| 23 | Palwal | Sh.Karan Singh Dalal | Palwal | Samain | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019/ 5.10.2020 | 94.77 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Panchkula | Sh. Gyan Chand Gupta | Panchkula | Rattewali | 2812 | 2018-19 | 30.07.2019 | 50.02 | 30.38 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 25 | Rewari | Dr.Banwari Lal | Bawal | (19 villages) Bidawas, Tankri, Nangli Parsapur, Mangleshwar , Dharan, Khandoda, Bishanpur, Chirhara, Tihara , Pranpura, Suthana, Nandrampur Bass, Bhatwas, Khijuri, Bhatsana , Dhani Sundroj, Kolana, Khatela, Mailawas | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 50.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Year | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-In-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sirsa | Sh.Balkaur Singh | Kalanwali | (15 villages) Baguwali, Dhani Khuwali, Biruwala Gudha, Farwai Kalan, Jhopra, Takhatmal, Handi Khera, Bharokhan, Ranga, Bhawdin, Farwai Khurd, Dhani Ram Pura, Ahamadpur , Jhorarrohi, Daulatpur Khera, | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 200.00 | 200.00 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 27 | Sirsa | Smt. Naina Chautala | Dabwali | (6 villages) Dabwali, Nilliawali , Panna, Panniwala Ruldu, Sawantkhera, Jandwala Jattan | More than 10000 | 2018-19 | 18.07.2019 | 98.61 | 94.72 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| | Sirsa | Smt. Naina Chautala | Dabwali | -do- | More than 10000 | 2018-19 | 06.02.2020/ 17.09.2020 | 94.51 | 84.61 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| | | | | | | | **Sub Total** | **193.12** | **179.33** | **28** | **26** | **2** | **0** |
| | | | | | | | **Total** | **393.12** | **379.33** | **52** | **50** | **2** | **0** |
| 28 | Y/Nagar | Sh.Shyam Singh Rana | Radour | (17 villages) Baindi, Nagal, Kanju, Topra Kalan, Ghilor, Lal Chappar, Jathlana, Palaka, Rapri, Mohri, Saran, Golni, Golanpur, Lakshibans, Rattangarh Majri, Rattangarh, Hartan | More than 10000 | 2018-19 | 11.09.2019 | 88.63 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | Y/Nagar | Sh.Shyam Singh Rana | Radour | (14 villages) Sadura, Silikhurd, M.T. Karhera, Silikalan, Marupur, Lakshibans, Unheri, Kandroli Dholra, Jaguri, Lal Chhapar, Fatehpur, Bhogpur Kajibans | More than 10000 | 2018-19 | 10.09.2019 | 111.37 | 17.06 | 14 | 3 | 5 | 6 |
| | | | | | | | **Total** | **200.00** | **17.06** | **21.0** | **3.0** | **5.0** | **13** |
| | | | | | | | **Grand Total** | **3348.515** | **2349.61** | **392** | **288** | **27** | **77** |

## RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, HARYANA, CHANDIGARH

### Constituency-wise Statement showing physical and financial status of (2.00 crore) Vidhayak Adarsh Gram Yojana for the year of 2019-20 (As on 30.11 2021)

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-in-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambala | Sh.Aseem Goel | Ambala City | (3 villages) Ugara, Jansui, Naneola | 1258, 2845, 4184 | 14.10.2020 | 131.13 | 62.95 | 27 | 19 | 1 | 7 |
| | Ambala | Sh.Aseem Goel | Ambala City | (2 villages) Ugara, Jansui | 1258, 2845 | 14.01.2021 | 15.05 | 15.05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Ambala | Sh.Aseem Goel | Ambala City | (2 villages) Batrohan, Jansui | 1449, 2845 | 18.03.2021 | 45.33 | 3.82 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| | | | | | | **Sub Total** | **191.51** | **81.82** | **35** | **22** | **1** | **12** |
| 2 | Ambala | Sh.Anil Vij | Ambala Cantt. | (9 villages) Bara, Barnala, Brahman Majra, Dhankour, Garnala, Janetpur, Khatouli, Panjokhra Sahib, Tundli | More than 10000 | 1.12.2020 | 186.11 | 80.76 | 25 | 11 | 7 | 7 |
| | Ambala | Sh.Anil Vij | Ambala Cantt. | 2 villages) Dhankaur & Janetpur | 1445 & 814 | 8.2.2021 | 13.89 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **82.76** | **27** | **12** | **7** | **8** |
| 3 | Ambala | Smt.Shalley Chaudhary | Naraingarh | (24 villages) Chechi Majra, Ferozpur Kath, Hadhbon, Miyanpur, Dehar, Lakhnaura , Shahpur Nurd, Rau Majra, Hussani, Kala Amb, Jauli, Nakhdoli, Badi Ujwal , Majri, Wasalpur , Shahzadpur, Naggawa, Tasrouli, Tandwal, Nasrouli, Fatehgarh, Jatwar, Handi Khera, Bheron | More than 10000 | 8.12.2020 | 129.41 | 45.97 | 30 | 13 | 1 | 16 |
| | Ambala | Smt.Shalley Chaudhary | Naraingarh | (8 villages) Khudda Kalan, Hasanpur, Chhoti Bassi, Andheri, Bibipur, Nek Nawan, Khuddi, Rollon | More than 10000 | 01.02.2021 | 70.59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **45.97** | **46** | **13** | **1** | **32** |
| 4 | Ambala | Smt.Santosh Chauhan Sarwan | Mullana | Saha | 8100 | 10.09.2019/ 5.10.2020 | 99.98 | 13.48 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| | Ambala | Sh.Varun Chaudhary | Mullana | (4 villages) Zaffarpur, Ugala, Allahpur, Samlehri | 2443, 7307, 4115 | 28.01.2021 | 87.94 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | Ambala | Sh.Varun Chaudhary | Mullana | Adhoi | | 18.03.2021 | 12.08 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **13.48** | **13** | **0** | **3** | **10** |
| | | | | | | **Total** | **791.51** | **224.03** | **121** | **47** | **12** | **62** |
| 5 | Bhiwani | Sh. Bishamber Singh | Bawani Khera | Ratera | 5572 | 30.07.2019 | 19.99 | 19.99 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Bhiwani | Sh. Bishamber Singh | Bawani Khera | Tigrana | 10712 | 03.09.2019 | 81.39 | 81.39 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | Bhiwani | Sh.Bishamber Singh | Bawani Khera | 2 villages (Gushkani & Sai) | 3070, 6080 | 06.02.2020 | 98.62 | 63.80 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **165.18** | **12** | **10** | **1** | **1** |
| 6 | Bhiwani | Smt.Kiran Chaudhary | Tosham | Lohani | More than 10000 | 04.09.2019 | 100.00 | 93.17 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| | Bhiwani | Smt.Kiran Chaudhary | Tosham | 2 villages (Isharwal and Garanpura Kalan) | 3950, 3719 | 31.12.2019 | 95.43 | 16.96 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| | Bhiwani | Smt.Kiran Chaudhary | Tosham | Sandwa | | 18.03.2021 | 4.57 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **110.13** | **21** | **14** | **5** | **2** |
| 7 | Bhiwani | Sh.Jai Parkash Dalal | Loharu | (20 Villages) Ahmadwas Khera, Sohansda, Gagadwas, Kudal, Garva, Naloi, Gurera, Kikral, Kalod, Talwani, Bidhwan, Dhani Bhakra, Obra, Sahryarpur, Sudhiwas, Hariyawas, Sherala, Baran, Dhani Gujran Sahryarpur, Budhedi | More than 10000 | 18.03.2020/ 5.10.2020 | 200.00 | 149.22 | 23 | 15 | 8 | 0 |
| 8 | Bhiwani | Sh. Ghanshyam Dass Saraf | Bhiwani | Sanga | 4539 | 30.07.2019 | 50.00 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Bhiwani | Sh. Ghanshyam Dass Saraf | Bhiwani | Menheru | 8214 | 10.09.2019 | 50.00 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Bhiwani | Sh.Ghanshyam Saraf | Bhiwani | Dhareru | 5491 | 26.03.2021 | 64.28 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | | **Sub Total** | **164.28** | **100.00** | **11** | **6** | **0** | **5** |
| | | | | | | **Total** | **764.28** | **524.53** | **67** | **45** | **14** | **8** |
| 9 | Ch.Dadri | Sh.Sombir Sangwan | Ch.Dadri | Charkhi | 6822 | 12.03.2020/ 5.10.2020 | 87.85 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-in-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ch.Dadri | Sh. Sukhvinder Mandhi | Badra | Jhoju Kalan | 8621 | 05.07.2019 | 60.66 | 75.59 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| | Ch.Dadri | Sh. Sukhvinder Mandhi | Badra | Jhoju Kalan | 8621 | 2.08.2019 | 39.34 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Ch.Dadri | Smt.Naina Chautala | Badra | (5 villages) Reharodi, Kaliyana, Mauri, Bhadra, Nanda | 2839, 4188, 3253, 26895, 3707 | 21.01.2021 | 91.70 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | Ch.Dadri | Smt.Naina Chautala | Badra | Chirriya | | 5.2.2021 | 8.30 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 75.59 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| | | | | | | Total | 287.85 | 75.59 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | Palwal | Sh.Tek Chand Sharma | Prithala (villages identified in Palwal Distt.) | Baghola | 5413 | 09.08.2019 | 97.27 | 45.00 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| | Palwal | Sh.Nayan Pal Rawat | Prithla (villages under Palwal distt.) | (9 villages) Alawalpur, Harfali, Sikanderpur, Bhurja, Amarpur, Kharjuka, Jalhaka | More than 10000 | 05.02.2021 | 97.15 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | Sub Total | 194.42 | 45.00 | 20 | 6 | 5 | 9 |
| 12 | Faridabad | Sh.Narender Gupta | Faridabad (villages identified of Prithala Const. being Faridabad urban Const.) | Harphala | 945 | 28.01.2021 | 37.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Faridabad | Sh.Narender Gupta | Faridabad (villages identified of Ballabgarh Const. being Faridabad urban Const.) | Mohla | 1625 | 05.02.2021 | 27.69 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| | Palwal | Sh.Narender Gupta | Faridabad (villages identified of Palwal Const. being Faridabad urban Const. and villages under Palwal distt.) | Kushak | 13477 | 08.01.2021 | 30.12 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Palwal | Sh.Narender Gupta | Faridabad (villages identified of Palwal Const. being Faridabad urban Const. and villages under Palwal distt.) | (2 villages) Devli & Mandkola | 2958 & 2808 | 05.02.2021 | 65.59 | 36.75 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| | | | | | | Sub Total | 160.90 | 36.75 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 13 | Faridabad | Sh.Neeraj Sharma | NIT Faridabad | (3 villages) Gothra Mohabatabad, Madalpur, Kureshipur | 3396, 1944, 2166 | 8.2.2021 | 74.80 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | Faridabad | Sh.Neeraj Sharma | NIT Faridabad | Dhauj | | 31.03.2021 | 80.73 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | Sub Total | 155.53 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Faridabad | Sh.Mool Chand Sharma | Ballabgarh | Aterna | 3878 | 25.02.2021 | 37.49 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| | Faridabad | Sh.Mool Chand Sharma | Ballabgarh | (2 villages) Junhera, Garhkhera | 2544, 3878 | 18.03.2021 | 87.66 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| | | | | | | Sub Total | 125.15 | 0.00 | 14 | 0 | 2 | 12 |
| 15 | Faridabad | Sh.Rajesh Nagar | Tigaon | Gharoda, Kaurali | 2028, 4089 | 25.02.2021 | 78.47 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | Total | 714.47 | 81.75 | 54 | 8 | 13 | 33 |
| 16 | Fatehabad | Sh.Dura Ram | Fatehabad | (8 villages) Barseen, Basti Bhima, Banawali, Bhattu, Ramsara, Sinthla, Nehla & Bhattu Mandi | More than 10000 | 28.09.2020 | 94.85 | 94.85 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| | Fatehabad | Sh.Dura Ram | Fatehabad | (12 villages) Khara Kheri, MP Rohi-I, MP-Rohi-2, Chinder, Dhani Majra, Salam Khera, Dharnia, Bhattu Mandi, Mehwala, Dhani Gopal, Baijalpur | More than 10000 | 1.12.2020 | 105.15 | 105.15 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 200.00 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 17 | Fatehabad | Sh.Laxman Napa | Ratia | (12 villages) Haroli, Noorki Ahli, MadH, Jallopur, Lali, Nagpur, Khai, Nangal, Lamba, Kanana, Darlyapur, Bhirdana | More than 10000 | 13.10.2020 | 200.00 | 200.00 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 18 | Fatehabad | Sh.Subash Barala | Tohana | Samain | 10892 | 2.08.2019 | 100.00 | 43.61 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| | Fatehabad | Sh.Devender Babli | Tohana | (5 villages) Jandli Kalan, jandli Khurd, Bosti, Haiderwala, Dher | 5212, 4670, 5405, 1440, 1755 | 25.02.2021 | 100.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 43.61 | 22 | 13 | 0 | 9 |
| | | | | | | Total | 600.00 | 443.61 | 69 | 13 | 47 | 9 |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-in-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gurugram | Sh.Satya Prakash Jrawta | Pataudi | (2 villages) Nanu Kalan & Khod | 4095 & 4933 | 3.12.2020 | 124.37 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Gurugram | Sh.Sanjay Singh | Sohana | (3 villages) Sarmathla, Hazipur, Garhi Wajidpur | 2377, 1876, 2719 | 04.02.2021 | 140.13 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Gurugram | Sh.Rakesh Daultabad | Badshahpur | (5 villages) Kherki, Makrola, Saketpur, Mubarakpur, Judola | 1648,2378, 1657, 2944, 2641 | 8.2.2021 | 200.00 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| | | | | | | **Total** | **464.50** | **0.00** | **30** | **0** | **0** | **30** |
| 22 | Hisar | Sh.Anoop Dhanak | Uklana | (6 villages) Pabda, Bhada Kheda, Panihari, Badhawad, Matloda & Sarheda | More than 10000 | 03.01.2020 | 97.87 | 97.87 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | Hisar | Sh.Anoop Dhanak | Uklana | (8 villages) Sarsana, Badha Khera, Matloda, Bhanbhori, Surhera, Kumbha Khera, Kharkara , Panihari | More than 10000 | 11.03.2020 | 75.00 | 69.00 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| | Hisar | Sh.Anoop Dhanak | Uklana | (4 villages) Landheri, Panihari, Kirori & Faridpur | More than 10000 | 19.03.2020 | 27.13 | 27.13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **194.00** | **27** | **24** | **3** | **0** |
| 23 | Hisar | Sh.Jogi Ram Sihag | Barwala | (11 villages) Kharkri, PanaMharana (Mirjapur), Mayar, Satrod Kalan, Ladwa, Alipur, Niyana, Dhansu, Dhani Khan Bahadur, Sarsoud, Juglan | More than 10000 | 20.02.2020 | 200.00 | 121.18 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 24 | Hisar | Sh.Ranbir Singh Gangwa | Nalwa | (3 villages) Daya, Shahpur, Kirtan | More than 10000 | 13.03.2020 | 200.00 | 192.81 | 21 | 19 | 2 | 0 |
| 25 | Hisar | Sh.Vinod Bhayana | Hansi | (19 villages)Bara Jaggamal, Kheri Gagan, Kumbha, Kanwari, Hazampur, Dhani Pirwali, Dhani Kumharan, Muzadpur, Channot, Bhatla, Mamanpura, Dhani Kundanpur, Dhana khurd, Dhamana, Rampura, Jamawari, Bhatol Jatan, Bhatol Rangran, Dhani Peeran | More than 10000 | 11.12.2020 | 200.00 | 113.37 | 21 | 0 | 15 | 6 |
| 26 | Hisar | Dr.Kamal Gupta | Hisar **(villages identified of Barwala Const. being Hisar urban const.)** | Kharar | 4789 | 21.01.2021 | 50.00 | 19.00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | Hisar | Dr.Kamal Gupta | Hisar **(villages identified of Barwala Const. being Hisar urban const.)** | (8 villages) Satrod Kalan, Mirjapur, Mirkan, Bahbalpur, Jewera, Rajli, Bichpadi, Sarsod | More than 10000 | 31.03.2021 | 145.43 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | **Sub Total** | **195.43** | **19.00** | **12** | **0** | **3** | **9** |
| 27 | Hisar | Sh.Kuldeeep Bishnoi | Adampur | (9 villages) Dhobi, Chandan Nagar, Kalirawan, Adampur, Chaudharywali, Khara Barwala,Dhani Mobbatpur, Mobbatpur, Mandi Adampur | More than 10000 | 8.2.2021 | 48.13 | 25.00 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| | Hisar | Sh.Kuldeeep Bishnoi | Adampur | (9 villages) Balsamand, Chandan Nagar, Malipur, Sadalpur, Mandi Adampur, Asrwan, Kohli, Bhana, Siswal | More than 10000 | 25.02.2021 | 147.34 | 10.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **195.47** | **35.00** | **12** | **5** | **4** | **3** |
| 28 | Hisar | Capt.Abhimanyu | Narnaund | Puthi Samain & Petwar | More than 10000 | 30.07.2019/ 07.10.2020 | 100.00 | 80.82 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| | Hisar | Sh.Ram Kumar Gautam | Narnaund | (8 villages) Kapro, Kheri Lochab, Petwar, Data, Gurana, Singhwa Khas, Puthi Smain, Badchapper | More than 10000 | 26.03.2021 | 100.00 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **80.82** | **17** | **4** | **3** | **10** |
| | | | | | | **Total** | **1390.90** | **756.18** | **121** | **53** | **40** | **28** |
| 29 | Jind | Sh.Dushyant Chautala | Uchana Kalan | (2 villages) Baroda, Chhatar, | 8595, 12095 | 28.09.2020 | 195.75 | 162.37 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| | Jind | Sh.Dushyant Chautala | Uchana Kalan | Chattar | | 25.01.2021 | 4.25 | 3.44 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **165.81** | **20** | **11** | **9** | **0** |
| 30 | Jind | Sh.Subash Gangoli | Safidon | (2 villages) Nimnabad, Malikpur | 2970, 3017 | 08.10.2020 | 99.00 | 91.68 | 25 | 24 | 1 | 0 |
| | Jind | Sh.Subash Gangoli | Safidon | (10 villages) Dhathrath, Gangoli, Budha Khera, Bhartana, Kharak Gagar, Muana, Ramnagar, Malar, Paju Khurd, Anchara Kalan | More than 10000 | 14.01.2021 | 86.47 | 61.77 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| | Jind | Sh.Subash Gangoli | Safidon | Gangoli | 5579 | 01.02.2021 | 14.51 | 14.10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.98** | **167.55** | **39** | **31** | **6** | **2** |
| 31 | Jind | Sh.Amarjeet Dhanda | Julana | (4 villages) Dhigana, Hathwala, Ponkhri Kheri, Rajpura | 4882, 4074, 3616, 4864 | 11.12.2020 | 193.67 | 114.72 | 23 | 15 | 8 | 0 |
| | Jind | Sh.Amarjeet Dhanda | Julana | Siwaha | | 25.02.2021 | 6.33 | 6.25 | 7 | 7 | 0 | 0 |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-in-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 200.00 | 120.97 | 30 | 22 | 8 | 0 |
| 32 | Jind | Dr.Krishan Lal Middha | Jind | (4 villages) Roopgarh, Manoharpur, Ahirka, Intal Kalan | 4205, 3382, 4011, 3048 | 01.02.2021 | 157.55 | 83.16 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| | Jind | Dr.Krishan Lal Middha | Jind | Amarheri | 4298 | 08.02.2021 | 42.45 | 3.24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 86.40 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 33 | Jind | Sh.Ram Niwas Surjakhera | Narwana | (9 villages) Jajanwala, Hatho, Khanpur, Sishar, Gurthali, Kalwan, Rasidan, Sainthali, Dhamtan Sahib | More than 10000 | 05.02.2021 | 155.11 | 146.91 | 24 | 20 | 4 | 0 |
| | Jind | Sh.Ram Niwas Surjakhera | Narwana | (3 villages) Danoda Kalan, Dharodi, Frain Kalan | 2011, 6737, 4656 | 08.03.2021 | 44.89 | 44.33 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 191.24 | 28 | 23 | 5 | 0 |
| | | | | | | Total | 999.98 | 731.97 | 130 | 94 | 34 | 2 |
| 34 | Jhajjar | Smt.Geeta Bhukkal | Jhajjar | (4 villgaes) Bhadani, Salhawas, Birdhana, Birohar | 4076, 5964, 5181, 6436 | 14.10.2020 | 162.21 | 31.45 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| | Jhajjar | Smt.Geeta Bhukkal | Jhajjar | (3 villages) Bhadani, Birdhana, Salhawas | 4076, 5181, 5964 | 25.03.2021 | 31.83 | 2.33 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| | | | | | | Sub Total | 194.04 | 33.78 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 35 | Jhajjar | Sh.Naresh Kaushik | Bahadurgarh | Bamnoli | 5141 | 10.09.2019 | 100.00 | 100.00 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | Jhajjar | Sh.Rajender Singh Joon | Bahadurgarh | (9 villages) Assoda Siwan, Bamnoli, Jakhoda, Kheri Jassor, Kanonda, Ladrawan, Noona Majra, Nilothi, Parnala | More than 10000 | 18.03.2021 | 100.00 | 4.21 | 13 | 2 | 0 | 11 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 104.21 | 18 | 7 | 0 | 11 |
| 36 | Jhajjar | Sh.Om Parkash Dhankar | Badli | Patoda | 7447 | 03.09.2019 | 100.00 | 91.38 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | Jhajjar | Sh.Kuldeep Vats | Badli | (3 villages) Silani Kesho, Silani Zalim, Jahangirpur | 3297, 3246, 4990 | 18.03.2021 | 99.63 | 5.00 | 13 | 1 | 0 | 12 |
| | | | | | | Sub Total | 199.63 | 96.38 | 21 | 8 | 1 | 12 |
| 37 | Jhajjar | Dr.Raghuvir Singh Kadian | Beri | (18 villages) Rohad, Matan, Rewari Khera, Barhana, Jahazgarh, Malikpur, Dubaldhan (G), Dimana, Chamanpura, Silothi, Palra, Baghpur, Wazirpur | More than 10000 | 18.03.2021 | 172.05 | 6.86 | 18 | 2 | 0 | 16 |
| | | | | | | Total | 765.72 | 241.23 | 65 | 19 | 1 | 45 |
| 38 | Karnal | Sh.Harwinder Singh Kalyan | Gharaunda | (9 villages) NaglaMegha, Jamalpur, Kutail, Arainpura, Kohand, Dinger Majra, GarhiBharal(Kashyap), Devipura, NalviKalan | More than 10000 | 10.09.2019 | 100.00 | 98.68 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| | Karnal | Sh.Harvinder Singh Kalyan | Gharaunda | (4 villages) Arainpura, Bastara, Kutail & Mohidinpur | More than 10000 | 12.03.2020/ 08.10.2020 | 100.00 | 54.40 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 153.08 | 19 | 13 | 6 | 0 |
| 39 | Karnal | Sh. Bakhshish Singh Virk | Assandh | Jalmana | 5864 | 01.07.2019 | 100.00 | 98.77 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| | Karnal | Sh.Shamsher Singh Gogi | Assandh | (8 villages) Popran, Bahri, Phaphrana, Dupedi, Khizrabad, Dera Gama, Jai Singhpura, Thari | More than 10000 | 12.03.2020/ 08.10.2020 | 100.00 | 29.85 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 128.62 | 30 | 20 | 9 | 1 |
| 40 | Karnal | Sh. Bhagwan Dass Kabir Panthi | Nilokheri | (12 villages) Sawant, Mohri Jagir, Dadupur, Sholo, Jamba, Sitamai, Seedpur, Khawajamedpur, Kamalpur, Haibatpur, Abli Khalsha, Kamalpur | More than 10000 | 20.09.2019/ 07.10.2020 | 100.00 | 17.05 | 17 | 5 | 12 | 0 |
| | Karnal | Sh.Dharampal Gonder | Nilokheri | (10 villages) Gittalpur, Kamalpur, Mohri Jagir, Sagga, Sounkra, Pujam, Bastli, Brass, Ranjeet Nagar & Guniana | More than 10000 | 19.03.2020/ 07.10.2020 | 100.00 | 21.00 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 38.05 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 41 | Karnal | Sh.Karan Dev Kamboj | Indri | 2 villages (Jattpura, Kurak Jagir) | 3365 | 20.09.2019/ 07.10.2020 | 63.43 | 11.10 | 16 | 10 | 6 | 0 |
| | Karnal | Sh.Ram Kumar Kashyap | Indri | (8 villages) Garhi Birbal, Garhi Birbal (Kharak), Gorgarh, Khanpur, Rasulpur, Umarpur, Jattpura & Nagala Roran | More than 10000 | 12.03.2020/ 24.11.2020 | 136.57 | 46.80 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| | | | | | | Sub Total | 200.00 | 57.90 | 31 | 12 | 19 | 0 |
| 42 | Karnal | Sh.Manohar Lal Khattar | Karnal | (6 villages) Pundrak, Rattangarh, Kalampura, Kachwa, Dabri, Zarifabad | More than 10000 | 25.03.2021 | 200.00 | 27.27 | 23 | 1 | 2 | 20 |
| | | | | | | Total | 1000.00 | 404.92 | 128 | 52 | 55 | 21 |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-in-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | K/Shetra | Sh.Sandeep Singh | Pehowa | (21 villages) Bhatt Majra, Zulmat, Talheri, Sandhola , Arnaicha, Dera Fateh Singh, Thana, Kheri Shishgran, Diwana, Murtzapur, Seonsar, Kakrala Gujjaran, Harigarh Bhorakh, Dera Khara Ssingh, Satora, Dhoolgarh, Dunia Majra, Bilochpura, Bhorsaidin, Nanakpura, Jalbehra | More than 10000 | 18.02.2020 | 200.00 | 196.82 | 28 | 27 | 1 | 0 |
| 44 | Kurukshetra | Sh. Subhash Sudha | Thanesar | Mirzapur | 5490 | 30.07.2019 | 99.29 | 99.29 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | K/Shetra | Sh.Subash Sudha | Thanesar | (5) Rao Garh, Amargarh Majhra, Partapgarh, Amin & Kheri Markanda | More than 10000 | 11.03.2020/ 08.10.2020 | 100.71 | 41.71 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **141.00** | **19** | **16** | **2** | **1** |
| 45 | K/Shetra | Sh.Mewa Singh | Ladwa | 38 villages | More than 10000 | 28.09.2020 | 194.80 | 180.92 | 48 | 44 | 4 | 0 |
| | K/Shetra | Sh.Mewa Singh | Ladwa | Bhootmajra | | 25.01.2021 | 4.19 | 4.19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | K/Shetra | Sh.Mewa Singh | Ladwa | Kalal Majra | | 25.02.2021 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.99** | **185.11** | **49** | **45** | **4** | **0** |
| 46 | Kurukshetra | Sh.Krishan Kumar Bedi | Shahbad | (9 villages) Saidpur Barwalia, Patti Sahzadpur, Raipur Rai Majra, Ajrana Kalan, Sarai Sukhi, Buhawa, Ajrani, Dhurala, Adhon | More than 10000 | 09.07.2019 | 65.27 | 63.63 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| | Kurukshetra | Sh.Krishan Kumar Bedi | Shahbad | (7 villages) Katalahri, Mohri, Ahmedpur, Rewa, Macchaurali, Buhawa, Berthali, | More than 10000 | 02.08.2019 | 34.73 | 29.73 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| | K/Shetra | Sh.Ramkaran | Shahbad | (12 villages) Chanarthal, Dholamajra, Saidpur Barwalia, Kharindwa, Mohri, Sulkhani, Tangor, Teora , Fatehgarh Jhorli/Jhorli Kalan, Fatehgarh Jhorli/Jhorli Kalan, Yari, Arjana Khurd | More than 10000 | **25.02.2021** | **100.00** | **8.77** | **24** | **0** | **3** | **21** |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **102.13** | **44** | **18** | **4** | **22** |
| | | | | | | **Total** | **799.99** | **625.06** | **140** | **106** | **11** | **23** |
| 47 | Kaithal | Sh.Dinesh Kaushik | Pundri | Sirsal & Teontha | More than 10000 | 02.08.2019 | 100.00 | 98.98 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| | Kaithal | Sh.Randhir Singh Gollen | Pundri | (5 villages) Barsana, Habri, Kheri Sikander, Sangroli & Pai | More than 10000 | 24.01.2020 | 99.82 | 99.58 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.82** | **198.56** | **27** | **27** | **0** | **0** |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-In-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Kaithal | Sh.Jai Parkash | Kalayat | Serdha | 8163 | 16.09.2019 | 39.34 | 39.34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Kaithal | Sh.Jai Parkash | Kalayat | Saran | 1367 | 20.09.2019 | 26.52 | 26.52 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Kaithal | Smt.Kamlesh Dhanda | Kalayat | (23 villages) Roherian, Titram, Chandana, Kakut, Ramgarh Pandwa, Balu Gadra, Sinand, Haripura, Dhundwa, Badsikri Khurd, Sinand, Kurar, Batta, Bhalang, Kaliram, Kasan, Galiyana, Songal, Rohera, JakholiDabdal, Jakholi Kaman, Birthebhari, Mandwal | More than 10000 | 12.03.2020/ 21.09.2020 | 129.73 | 85.27 | 25 | 4 | 14 | 7 |
| | Kaithal | Smt.Kamlesh Dhanda | Kalayat | Rohera | | 18.03.2021 | 4.40 | 4.40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.99** | **155.53** | **32** | **11** | **14** | **7** |
| 49 | Kaithal | Sh.Randeep Singh Surjewala | Kaithal | Kutubpur , Dillonwali, SangatPura , Malkheri, Sirta, Manas Patti , Baba Ladana , Nouch, Ujhana, Sajuma, Kathwar , Guhna , Dhons, Dayohra, Sirta , Budhakhera , Shakti Nagar , Deodkheri, Patti Khot , Padla | More than 10000 | 10.09.2019 | 100.00 | 99.82 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| | Kaithal | Sh.Leela Ram Gurjar | Kaithal | (3 Villages) Kathwar, Dhons & Deyora | 3782, 3507, 4954 | 28.09.2020 | 99.50 | 99.50 | 15 | 15 | 0 | **0** |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.50** | **199.32** | **29** | **28** | **1** | **0** |
| 50 | Kaithal | Sh.Kulwant Singh Bazigar | Guhla | (18 villages) Tatiana, Mengra, Bhuna, Baupur, Landheri, Theh Banhera, Umedpur, Majri , Ramdasspura, Khanpur, Kangthali, Gohran, Kekyor Majra , Pissol, Parbhawat, Kheri Gulam Ali, Malikpur, Siwan | More than 10000 | 10.09.2019 | 99.78 | 99.78 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | Kaithal | Sh.Ishwar Singh | Guhla | (9 villages)Sarola, Tarawali, Parbhot, Kharkan, Nangal, Kakrala Anayat, Ladana Chaku, Ajit Nagar , Polad | More than 10000 | 13.10.2020 | 100.00 | 100.00 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.78** | **199.78** | **40** | **40** | **0** | **0** |
| | | | | | | **Total** | **799.09** | **753.19** | **128** | **106** | **15** | **7** |
| 51 | M/Garh | Dr.Abhe Singh Yadv | Nangal Chodhary | (21 villages) Ajmabad Moukhuta, Pavera, GhataSher, Brahmanwas Nuh, Niyajalipur, Dhanota, Jainpur, Totahedi, Dokhera, Mulodi, Bhedanti, NangalKalia, Amarpura, Thanwas (DhaniSainya), Nangal Soda, RaiMalikpur, Kuljapur, Gaud, Makhsuspur, Bhankhri, Thana | More than 10000 | 10.09.2019 | 100.00 | 67.60 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | M/Garh | Dr. Abhe Singh Yadav | Nangal Chaudhary | (13 villages) Bayal, Islampra, Nangal Durgu, Bigopur, Basirpur, Azmabad Mokhuta, Maghot Hala, Dholda, Banihari, Dhani Prema (Niyamatpur), Morund, Nayan, Nagal Soda | More than 10000 | 12.03.2020/ 1.12.2020 | 100.00 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **67.60** | **19** | **3** | **2** | **14** |
| 52 | M/Garh | Smt.Santosh Yadav | Ateli | (4 villages) Kakrala, Kheri, Bihali, Rattan Kalan | More than 10000 | 06.09.2019 | 100.00 | 6.53 | 33 | 0 | 14 | 19 |
| | M/Garh | Sh.Sita Ram Yadav | Ateli | (5 villages) Ateli, Bazar, Chandpura, Ganiyar, Sujapur | 1373, 1251, 1846, 2778, 1187 | 12.03.2020/ 1.12.2020 | 99.86 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.86** | **6.53** | **39** | **0** | **14** | **25** |
| 53 | M/Garh | Sh.Ram Bilas Sharma | M/Garh | (4 villages) Zerpur, Chitlang, Malra Bass, Nanwan | More than 10000 | 06.09.2019 | 100.00 | 80.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| | M/Garh | Sh.Rao Dan Singh | M/Garh | (19 villages)Nangal Harnath, Buchawas, Jasawas, Basri, Bass (Satnali), Majra Khurd, Lawan, Majra Kalan, Malra Sarai, Khaira, Bucholi, Patharwa, Gadharwas, Akoda, Jant, Kherki, Nihalawas, Gadania, Riwasa | More than 10000 | 3.12.2020 | 100.00 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **80.00** | **29** | **6** | **2** | **21** |
| 54 | M/Garh | Sh.Om Parkash Yadav | Narnaul | (9 villages) Dublana, Rampura, Nangal Khatha, Seka, Mohenpur Hamidhka, Dohar Khurd, Deroli Ahir, Sihma, Guawani | More than 10000 | 16.12.2020 | 200.00 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | **Total** | **799.86** | **154.13** | **96** | **9** | **18** | **69** |
| 55 | Mewat | Sh.Aftab Ahmed | Nuh | (17 villages) Tapkan, Badka, Udaka, Atta, Maroda,Kalinjar, Raipuri, Hussainpur (Satputiyaka), Muradbass, Khanpur (Raisika), Paldi, Ghaseda, Salahedi, Basai, Alawalpur, Mewli, Akeda | More than 10000 | 13.10.2020 | 200.00 | 192.66 | 17 | 17 | 0 | 0 |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-In-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Kaithal | Sh.Jai Parkash | Kalayat | Serdha | 8163 | 16.09.2019 | 39.34 | 39.34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Kaithal | Sh.Jai Parkash | Kalayat | Saran | 1367 | 20.09.2019 | 26.52 | 26.52 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Kaithal | Smt.Kamlesh Dhanda | Kalayat | (23 villages) Roherian, Titram, Chandana, Kakut, Ramgarh Pandwa, Balu Gadra, Sinand, Haripura, Dhundwa, Badsikri Khurd, Sinand, Kurar, Batta, Bhalang, Kaliram, Kasan, Galiyana, Songal, Rohera, JakholiDabdal, Jakholi Kaman, Birthebhari, Mandwal | More than 10000 | 12.03.2020/ 21.09.2020 | 129.73 | 85.27 | 25 | 4 | 14 | 7 |
| | Kaithal | Smt.Kamlesh Dhanda | Kalayat | Rohera | | 18.03.2021 | 4.40 | 4.40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.99** | **155.53** | **32** | **11** | **14** | **7** |
| 49 | Kaithal | Sh.Randeep Singh Surjewala | Kaithal | Kutubpur , Dillonwali, SangatPura , Malkheri, Sirta, Manas Patti , Baba Ladana , Nouch, Ujhana, Sajuma, Kathwar , Guhna , Dhons, Dayohra, Sirta , Budhakhera , Shakti Nagar , Deodkheri, Patti Khot , Padla | More than 10000 | 10.09.2019 | 100.00 | 99.82 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| | Kaithal | Sh.Leela Ram Gurjar | Kaithal | (3 Villages) Kathwar, Dhons & Deyora | 3782, 3507, 4954 | 28.09.2020 | 99.50 | 99.50 | 15 | 15 | 0 | **0** |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.50** | **199.32** | **29** | **28** | **1** | **0** |
| 50 | Kaithal | Sh.Kulwant Singh Bazigar | Guhla | (18 villages) Tatiana, Mengra, Bhuna, Baupur, Landheri, Theh Banhera, Umedpur, Majri , Ramdasspura, Khanpur, Kangthali, Gohran, Kekyor Majra , Pissol, Parbhawat, Kheri Gulam Ali, Malikpur, Siwan | More than 10000 | 10.09.2019 | 99.78 | 99.78 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| | Kaithal | Sh.Ishwar Singh | Guhla | (9 villages)Sarola, Tarawali, Parbhot, Kharkan, Nangal, Kakrala Anayat, Ladana Chaku, Ajit Nagar , Polad | More than 10000 | 13.10.2020 | 100.00 | 100.00 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.78** | **199.78** | **40** | **40** | **0** | **0** |
| | | | | | | **Total** | **799.09** | **753.19** | **128** | **106** | **15** | **7** |
| 51 | M/Garh | Dr.Abhe Singh Yadv | Nangal Chodhary | (21 villages) Ajmabad Moukhuta, Pavera, GhataSher, Brahmanwas Nuh, Niyajalipur, Dhanota, Jainpur, Totahedi, Dokhera, Mulodi, Bhedanti, NangalKalia, Amarpura, Thanwas (DhaniSainya), Nangal Soda, RaiMalikpur, Kuljapur, Gaud, Makhsuspur, Bhankhri, Thana | More than 10000 | 10.09.2019 | 100.00 | 67.60 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | M/Garh | Dr. Abhe Singh Yadav | Nangal Chaudhary | (13 villages) Bayal, Islampra, Nangal Durgu, Bigopur, Basirpur, Azmabad Mokhuta, Maghot Hala, Dholda, Banihari, Dhani Prema (Niyamatpur), Morund, Nayan, Nagal Soda | More than 10000 | 12.03.2020/ 1.12.2020 | 100.00 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **67.60** | **19** | **3** | **2** | **14** |
| 52 | M/Garh | Smt.Santosh Yadav | Ateli | (4 villages) Kakrala, Kheri, Bihali, Rattan Kalan | More than 10000 | 06.09.2019 | 100.00 | 6.53 | 33 | 0 | 14 | 19 |
| | M/Garh | Sh.Sita Ram Yadav | Ateli | (5 villages) Ateli, Bazar, Chandpura, Ganiyar, Sujapur | 1373, 1251, 1846, 2778, 1187 | 12.03.2020/ 1.12.2020 | 99.86 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.86** | **6.53** | **39** | **0** | **14** | **25** |
| 53 | M/Garh | Sh.Ram Bilas Sharma | M/Garh | (4 villages) Zerpur, Chitlang, Malra Bass, Nanwan | More than 10000 | 06.09.2019 | 100.00 | 80.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| | M/Garh | Sh.Rao Dan Singh | M/Garh | (19 villages)Nangal Harnath, Buchawas, Jasawas, Basri, Bass (Satnali), Majra Khurd, Lawan, Majra Kalan, Malra Sarai, Khaira, Bucholi, Patharwa, Gadharwas, Akoda, Jant, Kherki, Nihalawas, Gadania, Riwasa | More than 10000 | 3.12.2020 | 100.00 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **80.00** | **29** | **6** | **2** | **21** |
| 54 | M/Garh | Sh.Om Parkash Yadav | Narnaul | (9 villages) Dublana, Rampura, Nangal Khatha, Seka, Mohenpur Hamidhka, Dohar Khurd, Deroli Ahir, Sihma, Guawani | More than 10000 | 16.12.2020 | 200.00 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | **Total** | **799.86** | **154.13** | **96** | **9** | **18** | **69** |
| 55 | Mewat | Sh.Aftab Ahmed | Nuh | (17 villages) Tapkan, Badka, Udaka, Atta, Maroda,Kalinjar, Raipuri, Hussainpur (Satputiyaka), Muradbass, Khanpur (Raisika), Paldi, Ghaseda, Salahedi, Basai, Alawalpur, Mewli, Akeda | More than 10000 | 13.10.2020 | 200.00 | 192.66 | 17 | 17 | 0 | 0 |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-in-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Rohtak | Sh.Bharat Bhushan Batra | Rohtak **(villages identified of Kalanaur Const. being Rohtak urban const.)** | (10 villages) Dobh/Baniyani, Jindran, Kherari, Lahali, Kakrana, Ballab, Basana, Marodhi Rangdha, Anwal, Nigana | More than 10000 | 3.12.2020 | 200.00 | 65.48 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 69 | Rohtak | Sh.Bhupinder Singh Hooda | Garhi-Sampla-Kiloi | (18 villages) Khidwali, Katwara, Sanghi, Ladhot, Kansala, Bakheta, Assan, Ismaila-II, Ghuskani, Bhiyanpur, Ghilor Kalan, Garhi Sampla, Morkheri, Brahamanwas, Dhamer, Humayunpur, Chuliyana Duhan | More than 10000 | 8.12.2020 | 200.00 | 51.80 | 22 | 7 | 15 | 0 |
| | | | | | | **Total** | **800.00** | **259.21** | **67** | **20** | **47** | **0** |
| 70 | Rewari | Dr.Banwari Lal | Bawal | (19 villages) Bidawas, Tankri, Nangli Parsapur, Mangleshwar , Dharan, Khandoda, Bishanpur, Chirhara, Tihara , Pranpura, Suthana, Nandrampur Bass, Bhatwas, Khijuri, Bhatsana , Dhani Sundroj, Kolana, Khatela, Mailawas | More than 10000 | 10.09.2019 | 100.00 | 99.28 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | Rewari | Dr.Banwari Lal | Bawal | (16 villages) Keshopur, Ramsingpura, Rajpura Istmurar, Shbazpur Istmurar, Nagal Jamalpur, Khaleta, Nandha, Cheetadungra, Dhani Bhandor, Basduda, Tint, Bhalkhi Majra, Dhani Sobha, Rampura, Nandrampur Bas, Devlawas | More than 10000 | 18.03.2020/ 08.10.2020 | 100.00 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **99.28** | **26** | **7** | **1** | **18** |
| 71 | Rewari | Sh.Laxman Singh yadav | Kosli | (21 villages) Bahlaa, Bawwa, Bhakli-I, Garhi, Gujarwas, Jharauda, Karoli, Khurshid Nagar, Kosli, Lilodh, Lukhi, Lula Ahir, Rattan Sathal, Musepur, Nangal Pathani, Nangal, Bhagwanpur (Nangal), Kahri, Kheri (Ramgarh), Ramgarh, Rampuri | More than 10000 | 18.03.2020/ 08.10.2020 | 200.00 | 0.00 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 72 | Rewari | Sh.Chiranjeev Rao | Rewari | (12 villages) Hansaka, Meerpur, Chiller, Gokulgarh, Saharanwas, Fetehpuri , Turkiyawas, Ramgarh, Bhagwanpur, Kaluwas, Ghatal Mahaniawas, Dhakia | More than 10000 | 08.02.2021 | 198.16 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| | | | | | | **Total** | **598.16** | **99.28** | **72** | **7** | **1** | **64** |
| 73 | Sonepat | Sh.Jagbir Singh Malik | Gohana | (7 villages) Bohla, Bhutana, Jafrabad, Juan-I, Pinana, Jauli, Lath & Mehalana | More than 10000 | 20.03.2020/ 08.10.2020 | 125.09 | 43.27 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| | Sonepat | Sh.Jagbir Singh Malik | Gohana | (4 villages) Jaully, Dubheta, Bhatgaon Dungran, Bhatgaon Malyan | 5963, 6789, 3594 | 8.12.2020 | 74.91 | 5.89 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **49.16** | **20** | **11** | **5** | **4** |
| 74 | Sonepat | Sh.Mohan Lal Badoli | Rai | (6 villages) Jakhauli, Akbarpur Barota, Safiyabad, Badhmalik, Jainpur, Asadhpur | More than 10000 | 14.10.2020 | 135.48 | 17.73 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| | Sonepat | Sh.Mohan Lal Badoli | Rai | Ashadpur | 2695 | 8.12.2020 | 36.71 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | | **Sub Total** | **172.19** | **17.73** | **10** | **1** | **5** | **4** |
| 75 | Sonepat | Sh.Jaiveer Singh | Kharkhoda | (14 villages) Rohat, Pai, Kidoli, Barona, Jharoth, Farmana, Sisana -I, Mandora, Mandori, Sisana-II, Jharoth, Gorar, Firojpur Bangar, Naklio, Khurmpur | More than 10000 | 01.02.2021 | 200.00 | 123.45 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 76 | Sonepat | Smt. Nirmal Rani | Ganaur | Purkhas Rathi, Purkhas Dhiran | 3304 & 4052 | 01.02.2021 | 100.00 | 7.87 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| | Sonepat | Smt. Nirmal Rani | Ganaur | Panchi Jatan | 6580 | 18.03.2021 | 100.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **7.87** | **9** | **0** | **2** | **7** |
| 77 | Sonepat | Sh.Indu Raj Narwal | Baroda | (8 villages) Mundlana, Jagsi Sahrawat, Bhainswal Khurad, Chhichhrana, Dhanana, Kathura, Katwal | More than 10000 | 26.03.2021 | 112.93 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| | Sonepat | Sh.Indu Raj Narwal | Baroda | (8 villages) Bhanwar Bura, Banwasa, Madina, Rindhana Jitsthar Pana , Rindhana, Ruhki Khas, Anwali, Katwal | More than 10000 | 31.03.2021 | 86.17 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.10** | **0.00** | **25** | **0** | **0** | **25** |
| | | | | | | **Total** | **971.29** | **198.21** | **81** | **12** | **29** | **40** |

| Sr. No. | Name of District | Name of MLA | Name of Constituency | No. of Villages | Population | Sanctioned Date | Sanctioned Amt. (Rs.in lacs) | Expenditure Amt. (Rs.in lacs) | Total No. of works Sanctioned | Works Completed | Works-In-Progress | Yet to Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Sirsa | Smt. Naina Chautala | Dabwali | (6 villages) Dabwali, Nilliawali , Panna, Panniwala Ruldu, Sawantkhera, Jandwala Jattan | More than 10000 | 03.01.2020 | 105.81 | 92.52 | 16 | 14 | 1 | 1 |
| | Sirsa | Sh.Amit Sihag | Dabwali | (3 villages) Abubshahar, Maujghar, Odhan | 8912, 3962, 8643 | 14.10.2020 | 94.19 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **92.52** | **24** | **14** | **1** | **9** |
| 79 | Sirsa | Sh.Gopal Kanda | Sirsa | (3 villages) Jodhkan, Gadali, Rajpura Kairanwali | 7533, 1092, 2670 | 4.12.2020 | 121.17 | 121.17 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 80 | Sirsa | Sh.Balkaur Singh | Kalanwali | (20 villages) Phaggu, Bhima, Sahuwala-1st, Baragudha, Thiraj, Bupp, Rori, Baragudha, Pacca Sahidan, Rohan, Sangar Srista, Ranga, Patli Dabar, Jhopra, Biruwala Gudha, Bhawdin, Raghuana, Malhri, Dhani Khuwali, Raghuana, | More than 10000 | 10.09.2019 | 100.00 | 82.81 | 20 | 18 | 1 | 1 |
| | Sirsa | Shishpal Singh Keharwala | Kalanwali | (9 villages) Bhadra, Tilokewala, Bupp, Kurangwali, Bagguwali, Bhima, Sikanderpur, Dhani Khuwali (Dhani Majra), Jhiri, Desukhurd | More than 10000 | 8.12.2020 | 100.00 | 71.24 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **200.00** | **154.05** | **34** | **29** | **4** | **1** |
| 81 | Sirsa | Ch.Ranjit Singh | Rania | (4) Moujdeen, Nathor, Nakora, Khai Shergarh | 1935,3977,2203, 273 | 07.12.2021 | 196.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | | | **Total** | **717.72** | **367.74** | **89** | **65** | **5** | **19** |
| 82 | Y/Nagar | Sh.Shyam Singh Rana | Radour | Gumthala | 4455 | 05.07.2019 | 49.93 | 45.68 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | Y/Nagar | Sh.Shyam Singh Rana | Radour | (7 villages) Potli, Palewala, Baghwangarh, Fatehgarh, Jhiverhedi, Unheri, Rajheri | More than 5000 | 02.08.2019 | 50.07 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | Y/Nagar | Sh.Bishan Lal Saini | Radaur | (5 villages) Damla, Road Chhapar, Saran, Sili Khurd, Amloha | More than 10000 | 20.02.2020/ 07.09.2020 | 99.52 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | | **Sub Total** | **199.52** | **45.68** | **25** | **5** | **1** | **19** |
| 83 | Y/Nagar | Sh.Kanwar Pal | Jagadhri | Begampur | 2198 | 20.02.2020/ 07.09.2020 | 46.95 | 46.95 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | Y/Nagar | Sh.Kanwar Pal | Jagadhri | Partap Nagar, Lakkarmai Partap Pur, Jaidhari | 7163, 1696, 3013 | 01.12.2020 | 146.52 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | | **Sub Total** | **193.47** | **46.95** | **7** | **4** | **0** | **3** |
| 84 | Y/Nagar | Sh.Ghanshyam Dass Arora | Yamunanagar | (5 villages) Mukarakpur, Ratanpur (Kayampura), Bibipur & Kanalsi | More than 10000 | 12.03.2020/ 07.09.2020 | 194.17 | 32.00 | 36 | 6 | 8 | 22 |
| 85 | Y/Nagar | Sh.Balwant Singh | Sadhaura | Talakaur | 3303 | 03.09.2019 | 21.70 | 21.70 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y/Nagar | Sh.Balwant Singh | Sadhaura | Talakaur | 3303 | 10.09.2019 | 27.97 | 27.97 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Y/Nagar | Smt.Renu Bala | Sadhaura | (7 villages) Rulakheri, Mehlanwali, Ariyanwala, Satari, Saidupur, Sangholi, Mohideenpur | More than 10000 | 14.10.2020 | 141.35 | 12.37 | 25 | 5 | 4 | 16 |
| | Y/Nagar | Smt.Renu Bala | Sadhaura | Ariyanwala | | 1.12.2020 | 7.30 | 7.30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Sub Total** | **198.32** | **69.34** | **32** | **12** | **4** | **16** |
| | | | | | | **Total** | **785.48** | **193.97** | **100** | **27** | **13** | **60** |
| | | | | | | **Grand Total** | **16092.12** | **7196.90** | **1787** | **812** | **400** | **575** |

(Rs. in crore)

| Year | No. of MLAs | Funds Sanctioned | Funds Utilized | Total Villages |
|---|---|---|---|---|
| (2018-19) | 28 | 33.49 | 23.50 | 211 |
| (2019-20) | 85 | 160.92 | 71.97 | 926 |
| Total | | 194.41 | 95.47 | 1137 |

**श्री सुरेणूद्र पंवारः** अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के संदर्भ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि सोनीपत विधान सभा क्षेत्र में कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है। मैंने 2 साल पहले जिन कार्यों की सूची ए.डी.सी./कॉरपोरेशन कमिशनर साहब को दी थी, उसका 2 सालों के बाद यह जवाब दिया जा रहा है कि उस विधान सभा क्षेत्र में संबंधित काम नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पहले तो यह पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार 2 सालों तक संबंधित कार्य बाधित हुए हैं, उसका जिम्मेवार कौन है ? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने 2 सालों तक एक विधायक को गुमराह रखा? मुझसे विभागीय अधिकारी आए दिन कहते रहे कि उन्होंने संबंधित फाईल ऊपर भेजी हुई है और बजट सैंक्शन होकर आने वाला है। आज 2 सालों के बाद सरकार द्वारा यह जवाब मिला है। दूसरी बात यह है कि इसी सरकार के कार्यकाल में जब सोनीपत को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था तो 36 गांवों को इस कॉरपोरेशन में शामिल किया गया था। इसमें उन्हीं गांवों को शामिल किया गया था जिनके खातों में 50–100 करोड़ रुपये के फंड्ज पड़े हुए थे। इन गांवों में से किसी गांव में 100 करोड़ रुपये और किसी गांव में 50 करोड़ रुपये के फंडज पड़े हुए थे। इन पैसों को म्युनिसिपल कोरपोरेशन के खाते में लेकर उस समय की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कोरपोरेशन में खर्च किया या नहीं, हमें इस बारे में पता नहीं है। इसके बाद 18 गांव कोरपोरेशन से अलग कर दिये गये। आज तक इन गांवों में कोई चुनाव नहीं हुआ और न ही वहां पर कोरपोरेशन ने कोई काम करवाया। इसके कारण गांवों के लोग भी उन कार्यों को नहीं करवा पाये। जब वहां के कोरपोरेशन में शामिल किए गए गांवों का सारा पैसा खर्च कर दिया गया तो उन गांवों के विकास कार्यों की जिम्मेवारी किसकी बनती है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के साथ लगते हुए इस गांवों के कार्यों की सूची उनको देना चाहूं तो क्या वे कार्य हो पायेंगे?

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ए.डी.सी. और सी.ई.ओ., सोनीपत ने इनको दिनांक 08.01.2021 और दिनांक 22.11.2021 को पत्र लिखे गये हैं। इन पत्रों के माध्यम से इनसे यह कहा गया है कि जो फुली अर्बनाइज्ड कांस्टीच्यूएंसी हैं उनके एडज्वाईनिंग किसी भी गांव में काम करवाया जा सकता है लेकिन आज तक माननीय सदस्य या इनके

ऑफिस के स्टाफ ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस बारे में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। माननीय सदस्य की कास्टीच्यूएंसी के एडज्वाईनिंग गांवों में या किसी भी साथ लगती हुई रूरल कांस्टीच्यूएंसी के किसी भी गांव को आदर्श विधायक गांव बनाने के लिए फंड अगर लगाना चाहते हैं तो सरकार जरूर इनको इसकी स्वीकृति देगी।

**श्री सुरेणूद्र पंवार** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जटवाना गांव के लिए लिखकर दिया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : पंवार जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने बताया है कि आपको दो पत्र लिखे हुए हैं।

**श्री सुरेणूद्र पंवार** : अध्यक्ष महोदय, मुझे पत्र लिखे गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : पंवार जी, आप इन पत्रों को माननीय उपमुख्यमंत्री जी को दिखा दीजिए।

**श्री दुष्यंत चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य के यहां से हमें इन कार्यों के बारे में जितनी जल्दी लिखकर दिया जायेगा उसके 30 दिन के अंदर–अंदर उन कार्यों के लिए फंड रिलीज कर दिया जायेगा।

———————

## To Provide Employment to Local Residents

***1441. Shri Parmod Kumar Vij:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the people of Panipat are more effected with the Pollution and other side effects from IOCL Refinery Plant in Panipat;

(b) whether any preference in employment/job has been given to the local residents in recruitments of the said plant;

(c) if so, the details thereof togetherwith the number of local residents who got jobs in the said plant so far; and

(d) if not, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide reservation in employment to the local residents in the said plant in future together with the number of seats reserved in the said plant at present?

**Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):** Sir, a statement is laid on the table of the House.

**Statement**

a) (i) As per report received from HSPCB, it has been informed that a study was done by the Joint Committee in matter of Hon'ble NGT in O.A. No.738/2018 titled as Satpal Singh, Sarpanch, Singhpura-Sithana Vs IOCL & Ors as per orders of Hon'ble NGT. The data of air/water borne disease obtained from Medical Officer, CHC Dadlana, Panipat for the period 2015 to 2019 is given as below.

| Year | Water borne diseases | Respiratory diseases |
|---|---|---|
| 2015 | 198 | 1911 |
| 2016 | 60 | 2449 |
| 2017 | 436 | 505 |
| 2018 | 388 | 1157 |
| 2019 | 205 | 2495 |

The NEERI in its report has attributed this Air/Water borne diseases to IOC Panipat. The NGT has disposed of the case vide order dated 22.03.2021 directing to implement the restoration plan submitted by the State of Haryana and IOCL which includes installation of Online Continuous Effluent Monitoring System, Medical Checkup of the people, plantation and maintenance of Forest, supply of safe drinking water etc.

(ii) IOCL Panipat Refinery vide their letter dated 14.12.2021 has inter-alia informed as under:-

"The Refinery has a robust system for ensuring control and abatement of pollution. All the environmental protection measures are in accordance with the stipulated guideline and law promulgated from time to time. Online analyzers are connected with pollution monitoring authorities.

In all project implementation, prior Environmental Impact Assessment study has been carried out. Subsequently, environment management plan based on the EIA has been prepared and adhered to. Appropriate approval as per the statutory norms has always been taken from the Ministry of Environment, Forest & Climate Change and other statutory authorities like Central Pollution Control Board (CPCB), Haryana Pollution Control Board (HSPCB), PESO, Factory Inspector etc.

Further, it may be informed that all stack emission parameters (SOX, NOX, PM) of Panipat Refinery are within CPCB Standard limit. All stack emission parameters are connected to CPCB/HSPCB through online continuous emission monitoring system (OCEMS). It may also be informed that considering all aspects, Hon'ble NGT court has disposed the case on pollution against Panipat Refinery on 22.03.2021. Further all suggestions given by Hon'ble NGT court has been complied with.

Moreover, as a commitment towards a greener environment, Refinery is taking various measures through CSR and CER. The Refinery is also creating facility (2G Ethanol Plant), 1st of its kind in India, for reducing the stubble burning event in the area, which has immense polluting impact on NCR region. Further, plant (3G Ethanol Plant) is being erected for reducing the global warming gas i.e. carbon dioxide".

b) 1. Vide letter No.PR/HR/VS/1/2021 dated 14.12.2021 received from IOCL Panipat Refinery, it has been informed that since acquisition of land for Panipat Refinery & Petrochemical Complex was done in a phased manner through Government of Haryana, there is no agreement either with the land losers or with the Government of Haryana to provide employment or any other facility to the land losers. However, based on discussion in the Office of Additional Deputy Commissioner, Panipat in 1997, following initiatives for rehabilitation have been taken by IOCL wherein indirect employment opportunities have been extended to the families of the land losers to provide economic opportunities:-

i) Vehicles have been engaged on fixed terms & conditions.

ii) Non-technical petty jobs like grass cutting and drain cleaning have since been awarded to the land losers through their registered Cooperative Societies.

2. For additional land acquired through Govt. agencies after 05.03.2005, Government of Haryana has formulated a scheme for Rehabilitation and Resettlement (R&R) of land losers, wherein land losers are being paid annuity by IOCL for next 33 years over and above the usual land compensation. The amount of annuity being paid is Rs.15,000/- per acre per year which is increased by fixed sum of Rs. 500/- per acre per year.

3. However, based on the available skill of local manpower, they are getting an opportunity to work with contractors, who are working in the Refinery.

c) Not applicable in light of (b) above.

d) No, there is no proposal under consideration of the Government to provide reservation in employment to the local residents in IOCL Panipat Refinery.

**श्री प्रमोद कुमार विज :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के जवाब से बिल्कुल सहमत हूं लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है और जिसके कारण वहां पर काफी एयर पोल्यूशन भी होता है। पानीपत निगम में 120 पार्क हैं। जिनको आर.डब्ल्यू.ए. मेंटेन करती है और इनका सारा खर्चा उठाती हैं, जोकि बहुत ही एक्सपेंसिव है इसलिए हमें इन पार्क्स को मैनेज करने में दिक्कत आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रिफाइनरी को भी परस्यू करे। निगम द्वारा पार्कस को मेंटेन करने के लिए कम से कम 3 से 5 करोड़ रुपये सालाना दिये जायें, ताकि एयर पोल्यूशन को रोकने में मदद हो सके। मेरा आग्रह है कि इस मामले को परस्यू करने का काम किया जाये।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, जहां तक एयर क्वालिटी की बात है इसमें आपने भी स्वयं देखा है कि सप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार निरन्तर पूरे एन.सी.आर. रीजन को मॉनिटर कर रही है। इस बाबत पहले भी सर्वे हुआ है और बावजूद इसके यदि माननीय विधायक इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आने वाले समय में प्रदेश

सरकार, केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर एयर क्वॉलिटी के संदर्भ में दोबारा से सर्वे करवाने के लिए अनुरोध कर सकती है। जहां तक पार्क मैंटेन करने की बात है, एच.एस.वी.पी. के एरिया में आने वाले पार्क्स को संबंधित आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा मैंटेन करने का काम किया जाता है और इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार द्वारा पर–स्क्वेयर मीटर के निर्धारित मानदंडों के आधार पर भी संबधित आर.डब्ल्यू.ए. व एच.एस.वी.पी. के बीच टाइअप करके, पार्क्स मैंटेन करवाने का काम किया जाता है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के सी.एस.आर. फंड्स का इस्तेमाल करके पानीपत शहर के नॉन–एच.एस.वी.पी एरिया के अधीन आने वाले पार्क्स को मैंटेन करने का किया जाये, तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं जिला पानीपत जिले की ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के दौरान माननीय सदस्य तथा संबंधित म्युनिसिपल कारपोरेशन के सभी शीर्षस्थ अधिकारियों की ज्वॉयंटली बैठक करवाकर, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सी.एस.आर. फंड्ज को नॉन–एच.एस.वी.पी. एरिया के पार्क्स के लिए डॉयवर्ट करवाने का काम किया जायेगा।

———————

## To Increase the Capacity of Hospital

***1353. Shri Shamsher Singh Gogi:** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the capacity of hundred bed hospital of Assandh is likely to be increased as per the announcement made by the Hon'ble Chief Minister togetherwith the details thereof?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज)** : श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी कोई घोषणा/प्रस्ताव नहीं है।

**श्री शमशेर सिंह गोगी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी विधान सभा सत्र में यह बात उठाई थी कि हमारा अस्पताल बीमार है। जब से मैं विधायक बना हूं और जब से इस सरकार के कार्यकाल के विधान सभा सत्र शुरू हुए है तब से मैं इस अस्पताल के बारे में रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि पहले इस बीमार अस्पताल को ठीक करने का काम किया जाये फिर इसमें डॉक्टर्ज की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये लेकिन अभी तक न तो बीमार अस्पताल ठीक हुआ है और न ही इसमें डॉक्टर्ज की ड्यूटी लगाई गई। इस अस्पताल की आधी से ज्यादा बिल्डिंग खराब पड़ी हुई है

और इस अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बेड का अस्पताल बनाने की अनाउंसमैंट भी की गई थी। आज मुझे मजबूरी में फिर कल वाली बात कहनी पड़ेगी कि हरियाणा में इलैक्शन नजदीक था इसलिए वहां पर अनाउंसमैंट कर दी गई और उस अनाउसंमैंट को आज तक कागजों में चढ़ाया नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे कल से यह बताया जा रहा है कि यह तो सी.एम. अनाउंसमैंट ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जीन्द, कैथल, पानीपत और करनाल से असन्ध 45 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किये जाने की सख्त जरूरत है। वहां पर 100 बैड का हॉस्पिटल भी बनाया जाये तथा डॉक्टर्स की पोस्टिंग भी की जाये। कैथल से दिल्ली जाते हुए यह बीच में पड़ता है और यहां पर मेडिकल सुविधाओं की बहुत जरूरत है। इसी प्रकार से वहां पर एक डॉक्टर चहल हैं, मैंने मंत्री जी से रिक्वैस्ट करके उनका तबादला करवाया था। स्वास्थ्य मंत्री जी वैसे तो बहुत पॉवरफुल हैं लेकिन वह डॉक्टर आज तक रिलीव नहीं हुआ है। उन्होंने वहां पर बहुत लूट खसोट मचा रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस बीमार हॉस्पिटल को कब तक ठीक किया जायेगा, डॉक्टर चहल को कब तक हटाया जायेगा और असंध के हॉस्पिटल को कब तक 100 बैड का बनाया जायेगा?

**श्री अनिल विजः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्री जी की घोषणा का है। कल भी इनका एक प्रश्न लगा हुआ था जिसमें राजकीय महाविद्यालय असंध में स्टेडियम बनाए जाने बारे ये कह रहे थे कि यह सी.एम. अनाउंसमैंट है। उसके बारे में इन्होंने बाद में मुझे बता दिया कि इस घोषणा के बारे में इनको श्री अनिल राव ने बताया था। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि इस घोषणा के बारे में भी इनको श्री अनिल राव ने ही तो नहीं बताया है। उन्होंने बहुत से सदस्यों को सी.एम. अनाउंसमैंट् के बारे में इसी तरह से बताया हुआ है।

**श्री शमशेर सिंह गोगीः** अध्यक्ष महोदय, मुझे इन अनाउंसमैंट्स के बारे में श्री अनिल राव ने ही बताया है।

**श्री अनिल विजः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा सरकार के लिए पत्थर पर लकीर हो जाती है। जब घोषणा हो जाती है तो उसको पूरी ताकत लगा कर पूरा किया जाता है।

माननीय सदस्य बिना मुख्यमंत्री की घोषणा के ही मुख्यमंत्री की घोषणा बता रहे हैं। इनको उस अधिकारी के झांसे में नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की घोषणा बाकायदा रिकॉर्ड होती है, उस पर कंप्यूट्राइज्ड नम्बर लगता है तथा उसकी मॉनिटरिंग होती है तथा उसके लिए पैसा रिलीज होता है। मुख्यमंत्री जी की सभी घोषणाओं पर काम होता है। अगर माननीय सदस्य झूठी सी.एम. अनाउंसमैंट्स लेकर आ जायेंगे तो सरकार हर बात का जवाब नहीं दे सकती है। जहां तक माननीय सदस्य डॉक्टर चहल की बात कर रहे हैं तो मैं आदेश दे रहा हूं कि Dr. Chahal stands relieved from now. **(इस समय मेजें थपथपाई गई।)**

**श्री शमशेर सिंह गोगी:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि असंध के हॉस्पिटल की बीमारी कब तक दूर हो जायेगी?

**श्री अध्यक्ष:** गोगी जी, एक बीमारी तो दूर हो गई है तथा दूसरी भी दूर हो जायेगी।

**श्री अनिल विज:** अध्यक्ष महोदय, असंध के हॉस्पिटल में 78 सैंक्शन पोस्ट्स हैं और उनमें से 43 भरी हुई हैं तथा बची हुई 35 पोस्ट्स के बारे में मेरा कहना यह है कि जैसे–जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे हम प्राथमिकता के आधार पर उनको भरने की कोशिश करेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

.....

## नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

### Employees Residing in Boosters and Disposals

***1343. Shri Narender Gupta:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the booster wise and disposal wise number of employees residing in boosters and disposals of Municipal Corporation, Faridabad in Faridabad-89 Assembly Constituency; and

(b) the number of employees who have given permission by the Government to reside in the abovesaid boosters and disposals?

**शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज)** : (क) श्रीमान जी। फरीदाबाद–89 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नगर निगम के 10 नंबर बूस्टरों में 27 व्यक्ति निवास कर

रहे हैं व 9 नम्बर डिस्पोजल में 17 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। बूस्टर–वार व डिस्पोजल–वार विवरण अनुलग्नक–ए में संलग्न है।

(ख) नगर निगम फरीदाबाद ने इन बूस्टर व डिस्पोजल में 10 नंबर कर्मचारियों (बूस्टर में 6 नंबर और डिस्पोजल में 4 नंबर) को इन बूस्टरों और डिस्पोजल में रहने की अनुमति दी है।

## विवरण

## अनुलग्नक–ए

नगर निगम फरीदाबाद के बूस्टर एवं डिस्पोजल में निवास करने वाले कर्मचारियों की बूस्टर वार एवं डिस्पोजल वार संख्या निम्नानुसार हैः–

**बूस्टर वार विवरणः–**

| क्रंमाक संख्या | बूस्टर का नाम और स्थान रहने वाले | रहने वाले कर्मचारियों/ठेकेदार कर्मचारियों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | राम नगर वार्ड नंबर 13 | 01 |
| 2 | सेक्टर–19 वार्ड नंबर 30 | 01 |
| 3 | सेक्टर–17 वार्ड नंबर 31 | 04 |
| 4 | सेक्टर–16 वार्ड नंबर 31 | 03 |
| 5 | सेक्टर– 16ए वार्ड नंबर 31 | 06 |
| 6 | सेक्टर– 14 वार्ड नंबर 32 | 02 |
| 7 | सेक्टर– 15 वार्ड नंबर 32 | 03 |
| 8 | सेक्टर–15ए वार्ड नंबर 32 | 03 |
| 9 | सेक्टर– 7 वार्ड नंबर 34 | 03 |
| 10 | सेक्टर– 8 वार्ड नंबर 34 | 01 |
| | कुल | 27 नंबर |

**डिस्पोजल वार विवरणः–**

| क्रंमाक संख्या | बूस्टर का नाम और स्थान रहने वाले | रहने वाले कर्मचारियों/ठेकेदार कर्मचारियों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कच्ची खीरी रोड डेयरी योजना वार्ड नं. 28 | 01 |
| 2 | सेक्टर–18 वार्ड नंबर 29 | 01 |
| 3 | सेक्टर–13 वार्ड नंबर 32 | 02 |
| 4 | सेक्टर–14 वार्ड नंबर 32 | 03 |
| 5 | सेक्टर–9 वार्ड नंबर 33 | 02 |
| 6 | सेक्टर–11 वार्ड नंबर 33 | 02 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | सेक्टर–4 पर सेक्टर–7–8 डिवाइडिंग रोड एंड वार्ड नंबर 34 | 03 |
| 8 | बरसाती पानी डिस्पोजल नजदीक बाई पास सेक्टर–8 वार्ड नंबर 34 | 02 |
| 9 | बरसाती पानी डिस्पोजल नजदीक सीता राम मंदिर वार्ड नंबर 34 | 01 |
| | **कुल** | **17 नंबर** |

———————

## To Provide Adequate Facilities in CHC

***1365. Smt. Renu Bala:** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the adequate facilities are likely to be provided by the Government in CHC Sadhaura?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज)** : श्रीमान जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सढौरा में पर्याप्त सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं।

.....

## To Meet the Shortage of Doctors

***1479. Smt. Naina Singh Chautala:** Will the Health Minister be pleased to state the steps taken by the Government to meet the shortage of doctors and specialists in the Civil Hospital located at Dadri headquarter, CHC Gopi, CHC Jhojhu and PHC Badhra togetherwith the details thereof?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज)** : श्रीमान्जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा है।

**कथन**

नागरिक हस्पताल, चरखी दादरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झोझू कलां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाढ़ड़ा में चिकित्सकों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

| चिकित्सा संस्था का नाम | पद का नाम | स्वीकृत | भरे हुए | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| नागरिक हस्पताल, चरखी दादरी | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 3 | 1 | 2 |
| | उप चिकित्सा अधीक्षक | 2 | 1 | 1 |
| | चिकित्सा अधिकारी | 42 | 27 | 15 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झोझू कलां | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| | चिकित्सा अधिकारी | 7 | 6 | 1 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **गोपी** | चिकित्सा अधिकारी | 7 | 7 | 0 |
| **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाढ़ड़ा** | चिकित्सा अधिकारी | 2 | 2 | 0 |
| **कुल** | | **65** | **44** | **21** |

जिला चरखी दादरी में चिकित्सकों की स्थिति निम्न अनुसार हैः–

| **पद का नाम** | **स्वीकृत** | **भरे हुए** | **रिक्त** |
|---|---|---|---|
| सिविल सर्जन | 1 | 1 | 0 |
| प्रधान चिकित्सा अधिकारी | 0 | 0 | 0 |
| उप सिविल सर्जन | 8 | 1 | 7 |
| उप चिकित्सा अधीक्षक | 2 | 1 | 1 |
| वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 7 | 1 | 6 |
| चिकित्सा अधिकारी | 93 | 68 | 25 |
| **कुल** | **111** | **72** | **39** |

राज्य में चिकित्सा तथा पैरा–चिकित्सा अमले की भारी कमी है। चिकित्सा अधिकारियों के मामले में यह कमी अधिक गंभीर है। इस समय चिकित्सा अधिकारियों के 3685 स्वीकृत पदों में से 1070 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

.....

## To Construct Community Centre

***1340. Smt. Shalley Choudhary:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Community Centre in every village of State for the people of all castes; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

**उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :** नहीं, श्रीमान।

.....

## Shortcomings in No Objection Certificate Portal

***1474. Shri Amit Sihag:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there are following shortcomings in no objection certificate portal of Urban Local Bodies Department:-

(i) the development tax is imposed on old constructed colonies for which rules are not clarified;

(ii) approved areas are shown as unapproved and most of the unapproved area has shown as approved;

(iii) residential property has shown as commercial property;

(iv) the record of portal is different from the offline record of Municipal Council; and

(b) if so, the steps are being taken by the Government to overcome the abovesaid shortcomings togetherwith the details thereof?

**शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज)** : (क) नहीं श्रीमान जी, "अनापत्ति प्रमाण पत्र" नाम से कोई पोर्टल नहीं है, परन्तु एक पोर्टल नामतः "बेबाकी प्रमाण पत्र" का शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है ।

i. कोई विकास कर नहीं होता, परन्तु लाल डोरा में पड़ने वाली आवासीय सम्पत्तियों को छोड़कर, पालिका सीमाओं में लगने वाला विकास शुल्क लिया जाता है।

ii) & iii) नहीं। अधिकृत, अनाधिकृत, आवासीय तथा वाणिज्यिक क्षेत्र/संपत्तियां पोर्टल पर सही दशाई गई हैं । परन्तु कुछ पृथक कमियां हो सकती हैं तथा इन कमियों के सुधारने की स्पष्ट प्रक्रिया है। यह सुधार नियमित रूप से किया जा रहा है तथा यह एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

iv) हर नगर निकाय द्वारा "बेबाकी प्रमाण पत्र" पोर्टल पर उनके पास उपलब्ध आफलाईन डाटा के आधार पर डाटा अपलोड किया गया है। तथापि, यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनका सुधार पूर्ण प्रक्रिया अपनाने के बाद किया जाता है ।

(ख) जब भी नागरिकों अथवा स्वयं नगर निकायों द्वारा कोई त्रुटि ध्यान में लाई जाती है, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त ठीक कर दी जाती है ।

———————

## To Construct the Ladmaki Minor

***1330. Shri Praveen Dagar:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to complete the construction of incomplete Ladmaki Minor emanated from Gurugram Canal for the irrigation purpose of the farmers of Hathin Constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : (क और ख) श्रीमान जी, लड़माकी माईनर का निर्माण पहले से ही वर्ष 2005 में पूरा हो चुका है।

.....

## Financial Losses to Bajra Farmers

***1328. Smt. Kiran Choudhry:**
**Shri Balraj Kundu:** } Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the farmers of Bhiwani, Narnaul and Rewari Districts are suffering huge loss of Rs. 3000-4000 per Acre on Bajra Crops;

(b) whether it is also a fact that timely purchase/procurement of Bajra has not been started by the Government in State;

(c) whether it is also a fact that farmers are bound to sell their Bajra Crops at Rs. 1200-1400 per quintal whereas MSP is fixed as Rs. 2250 and registered and unregistered farmers are facing a loss of Rs. 350-550 to 950-1150 per quintal respectively on Bajra Crops in State;

(d) whether compensation under Bhavanter Bharpai Yojna has not been paid to the bajra farmers of State for their losses; and

(e) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide some relief to unregistered farmers of Bajra crops keeping in view of their huge losses?

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल)** : श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

**कथन**

(क) नहीं श्रीमान जी, बीबीवाई के अन्तर्गत किसानों को उनकी उपज के लिए रुपये 600/– क्विंटल भावांतर भुगतान (एम0एस0पी0 माईनस औसत बाजार दर) मिला है। भिवानी, नारनौल और रेवाड़ी जिलों में बाजरा के लिए बीबीवाई के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र.स. | जिला | किसान | अनुमानित उत्पादन (क्विंटल) | क्षेत्र (एकड़) | राशि (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भिवानी | 31006 | 717979.82 | 98039.07 | 430787892 |
| 2. | नारनौल | 55530 | 1651322.62 | 183902.74 | 990793572 |
| 3. | रेवाडी | 38993 | 1099090.89 | 131420.43 | 659454534 |

(ख) नहीं श्रीमान जी, राज्य सरकार ने बाजरा की खरीद अवधि यानि 01.10.2021 से पहले ही भावांतर भरपाई योजना बाजरा को लागू करने का निर्णय ले लिया था।

(ग) प्रत्येक बाजरा किसान के नुकसान को कम करने के उद्देष्य से, राज्य सरकार ने बाजरे की फसल को भावांतर भरपाई योजना के अन्तर्गत षामिल करने का निर्णय लिया है। कुछ मंडियों में बाजरा के रेट कम होने के कुछेक उदाहरण हो सकते हैं जो ''उचित औसत गुणवत्ता स्पेसिफिकेशन'' की पुश्टि नहीं करते थे। इस योजना के तहत 2,38,245 किसान लाभान्वित हुए हैं और 428.07 करोड़ रुपये की राषि सीधे पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में वितरित की गई है।

(घ) बीबीवाई के कार्यान्वयन से किसानों को लाभ हुआ है और किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की भावांतर राशि का भुगतान किया गया। लाभार्थी किसानों का विवरण अनुलग्नक–'ए' पर है।

(ड) नहीं श्रीमान जी, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत और सत्यापित किसान ही बाजरा के लिए भावांतर भरपाई योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।

**अनुलग्नक–'ए'**

| क0 सं0 | जिला | किसान की संख्या | अनुमानित उत्पादन (क्विंटल ) | क्षेत्र (एकड़) | राशि (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंबाला | 140 | 2073.18 | 218.53 | 1243908 |
| 2 | भिवानी | 31006 | 717979.82 | 98039.07 | 430787892 |
| 3 | चरखी दादरी | 25135 | 794560.68 | 97998.70 | 476736408 |
| 4 | फरीदाबाद | 1744 | 44824.43 | 5454.25 | 26894658 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | फतेहाबाद | 1365 | 21126.92 | 2257.11 | 12676152 |
| 6 | गुरूग्राम | 12722 | 454884.66 | 45661.63 | 272930796 |
| 7 | हिसार | 16776 | 312148.87 | 37639.42 | 187289322 |
| 8 | झज्जर | 14785 | 559049.96 | 57524.89 | 335429976 |
| 9 | जींद | 3204 | 55335.97 | 6628.97 | 33201582 |
| 10 | कैथल | 203 | 2981.11 | 343.89 | 1788666 |
| 11 | करनाल | 70 | 1325.26 | 151.74 | 795156 |
| 12 | कुरूक्षेत्र | 7 | 70.74 | 7.80 | 42444 |
| 13 | महेन्द्रगढ | 55530 | 1651322.62 | 183902.74 | 990793572 |
| 14 | मेवात | 15270 | 801185.57 | 80198.99 | 480711342 |
| 15 | पलवल | 8766 | 349324.35 | 37156.05 | 209594610 |
| 16 | पंचकुला | 584 | 10205.83 | 1266.65 | 6123498 |
| 17 | पानीपत | 355 | 8565.17 | 878.81 | 5139102 |
| 18 | रेवाडी | 38993 | 1099090.89 | 131420.43 | 659454534 |
| 19 | रोहतक | 3417 | 79802.34 | 9138.53 | 47881404 |
| 20 | सिरसा | 5376 | 101775.81 | 11809.56 | 61065486 |
| 21 | सोनीपत | 2785 | 66777.09 | 7022.17 | 40066254 |
| 22 | यमुनानगर | 12 | 141.95 | 15.21 | 85170 |
| **कुल** | | **238245** | **7134553.22** | **814735.15** | **4280731932** |

.....

## अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

## To Upgrade The School

**545. Shri Abhay Singh Chautala:** Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High School upto Government Senior Secondary School in village Hanzira of Ellenabad Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded?

**शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) :** नहीं, श्रीमान जी, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

———————

**To Construct Bhagwan Parshuram Chowk**

**558. Shri Bishan Lal Saini:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a chowk on the name of Bhagwan Parshuram is to be constructed by Government on ITI road in Municipal Corporation Yamunanagar; and

(b) if so, the reasons for which it has not been constructed so far?

**उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला)** : (क) श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

————————

**To Start Round the Clock Power Supply**

**593. Smt. Naina Singh Chautala:** Will the Power Minister be pleased to state the time by which round the clock electricity is likely to be supplied by the Government in Badhra Municipality area?

**बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह)** : श्रीमान् जी, बाढ़डा नगर पालिका क्षेत्र को 15.02.2022 तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान किए जाने की संभावना है। बाढ़डा नगर पालिका की घोषणा से संबंधित अधिसूचना हाल ही में 21.09.2021 को की गई है।

——————

**Details of Land Left for Common Facility**

**610. Shri Neeraj Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that 3.30 acreage of land has been left by HSVP in village Jhar Saintly, Sector-59, Faridabad for the common facility;

(b) whether approximately 1.39 acreage of land had been allotted by the Government for Barat Ghar (Marriage Palace) out of the above-said land; and

(c) whether any park has been developed on the remaining land together-with the name of the department by whom the open gym has been built in the said park together with the amount incurred on the open gym?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : श्रीमान्, (क) सेक्टर–59 के प्रारम्भिक अनुमोदित लेआउट प्लान ड्राईंग नं. डीटीपी(फ)/1879/98 दिनांक 18–02–1998, में जलघर

के साथ लगती एक 4.0 एकड़ की साईट सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रस्तावित की गई थी। परन्तु नवीनतम अनुमोदित प्लान में यह स्थल 66 के.वी. सब–स्टेशन (2.0 एकड़) और बारात घर (1.39 एकड़) के लिए प्रस्तावित की गई हैं एवं इसका कुछ भाग (0.61 एकड़) जलघर में मिला दिया गया है।

(ख) नहीं

(ग) सेक्टर–59 फरीदाबाद में कोई पार्क या खुली व्यायामशाला बारात घर के लिए प्रस्तावित 1.39 एकड़ भूमि में विकसित नहीं की गई है। तथापि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना स्थानीय निवासियों द्वारा उक्त सेक्टर में 66 केवी इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन की साइट पर एक पार्क का निर्माण/रखरखाव किया गया है।

———————————

## To Re-Carpet/ Repair the Roads

**529**. **Shri Pardeep Chaudhary:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the following roads in the Kalka Assembly Constituency have been damaged badly-

(i) Quazampur to Bharouli;

(ii) Bagwali to Samanwa;

(iii) Bagwali to Bagwala;

(iv) Garhi Kota to Masumpur;

(v) Tangri Bridge to Tirlokpur Chowk;

(vi) Tokah to Doodgarh; and

(b) if so, the time by which abovesaid roads are likely to be re-carpeted/ repaired?

**उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):** महोदय सड़क अनुसार उत्तर इस प्रकार हैः–

(i) **काजमपुर से भरोली**:– काजमपुर से भरोली तक का मार्ग पंचकूला जिले में टिक्करताल से रायपुररानी वाया कैम्बवाला–मुरादनगर लिंक रोड़ पर पड़ता है, जिसकी लम्बाई 14.58 कि.मी. है। इस सड़क को 5.50/3.66 मीटर से 7.00 मीटर तक पक्का चौड़ा और मजबूत करने के लिए निविदा 08/2021 को 18 महीने की

समय सीमा के साथ ठेकेदार को आवंटित की जा चुकी है। वन विभाग से मजूंरी का इंतजार है और उसके मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।

(ii) **बागवाली से समानवा**:—बागवाली से समानवा तक ठरवा होते हुए लिंक रोड़ 2.95 कि.मी. लम्बी है, जिसकी पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर है। सड़क को गड्ढे भर कर यातायात योग्य स्थिति में कर दिया गया है। इस सड़क की अंतिम मरम्मत 10/2016 मे 20 मि. मी. पी0 सी0 से की गई थी। ।

(iii) **बागवाली से बागवाला**:— गांव बागवाला से बागवाली तक लिंक सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सम्बन्धित है। इस सड़क की कुल लम्बाई 1. 75 कि.मी. है और इसका निर्माण वर्ष 2002 के दौरान किया गया था। इस सड़क की विशेष मुरम्मत के लिए 47.16 लाख रूपये की प्रशसनिक अनुमति दिनांक 15.12. 2021 को दी गई है। इसके लिए 14.01.2022 को निविदा आमन्त्रित की गई है और यह कार्य वर्ष 2022—23 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है।

(iv) **गढ़ी कोटाह से मासुमपुर**:— गढ़ी कोटाह से मासुमपुर तक सड़क की लम्बाई 4.50 कि.मी. है जिसकी पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर है। मरम्मत की अंतिम तिथि 07/2016 थी और दोष दायित्व अवधि 07/2020 को समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान में सड़क यातायात योग्य स्थिति में है। पीएमजीएसवाई फेज—3 के तहत इस सड़क की मुरम्मत का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है और मन्त्रालय से मंजूरी का इंतजार है।

(v) **टांगरी ब्रिज से त्रिलोकपुर चौंक**:—टांगरी ब्रिज से त्रिलोकपुर चौंक तक सड़क की लम्बाई 4.50 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 5.50 मीटर है। मरम्मत की अंतिम तिथि 09/2016 थी और दोष दायित्व अवधि 09/2020 को समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान में सड़क यातायात योग्य स्थिति में है।

(vi) **टोका से दूदगढ़**:—टोका से सबीलपुर तक लिंक रोड़ की लम्बाई 11.72 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौडाई 5.50 मीटर है। मरम्मत की अन्तिम तिथि 05/2017 की थी और दोष दायित्व अवधि 05/2021 को समाप्त कर दी गई थी। फिलहाल पैचवर्क के द्वारा सड़क को यातायात योग्य बनाया गया है।

सबीलपुर से खेतपुराली तक की सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सम्बन्धित है। सड़क की लम्बाई 0.57 कि.मी. है जिसका 1994 के दौरान निर्माण किया गया था। इस सड़क की विशेष मुरम्मत के लिए 32.45 लाख रूपये की प्रशासनिक अनुमति दिनांक 16.12.2021 स्वीकृत किये गए हैं। इसके लिए

17.01.2022 को निविदा आमन्त्रित की गई है और यह कार्य वर्ष 2022–23 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है।

खेतपुराली से दूदगढ़ तक लिंक रोड़ की लम्बाई 2.95 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर है। मरम्मत की अन्तिम तिथि 10/2017 थी और दोष दायित्व अवधि 10/2021 को समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान में सड़क अच्छी स्थिति में है।

————————

**To Release Funds under Vidhayak Adarsh Gram Yojana**

**523. Shri Varun Chaudhry:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the reasons for which the funds for the years 2020-21 and 2021-22 (other than the funds of 2019-20) under the Vidhayak Adarsh Gram Yojana have not been released by the Government till to date?

**उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):** नहीं श्रीमान् जी। दिनांक 08.04.2020 को हुई सर्वदलीय बैठक में विधायक आदर्श ग्राम योजना को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गत् दो वर्षों अर्थात् 2020–2021 तथा 2021–2022 के लिए किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब तक निधिंया जारी नहीं की गई।

————————

**To Develop the HSVP Sector**

**582. Shri Balraj Kundu:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop any HSVP Sector in Meham; and

(b) if so, the details thereof together-with the time by which it is likely to be developed?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न अप्रासांगिक है।

————————

## Abolition of Post of Lambardar

**553. Shri Jagbir Singh Malik:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish the post of Lambardar in the State; and

(b) if so, the reasons thereof togetherwith the alternative arrangement made or likely to be made by the Government ?

**उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला)** : नहीं, श्रीमान जी।

———————

## Number of Suicides

**547. Shri Abhay Singh Chautala:** Will the Home Minister be pleased to state the yearwise and district wise number of farmers and labourers related to agriculture who have committed suicide in the State during the year 2018 till to date?

**गृह मंत्री (श्री अनिल विज)** : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

**सूचना**

**वर्ष 2018 से अब तक के दौरान राज्य में कृषि से सम्बन्धित किसानों तथा मजदूरों की वर्षवार तथा जिला वार संख्या जिन्होंने आत्महत्या की है ।**

मांगी गई सूचना निम्नलिखित है :–

| क्रमांक संख्या | जिले का नाम | वर्ष | किसानों की संख्या जिन्होने आत्महत्या की है | कृषि से संबंधित मजदूरों की संख्या जिन्होंने आत्महत्या की है |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सोनीपत | 2018 | 0 | 0 |
| | | 2019 | 0 | 0 |
| | | 2020 | 1 | 0 |
| | | 2021 | 4 | 0 |
| 2. | झज्जर | 2018 | 1 | 0 |
| | | 2019 | 0 | 0 |
| | | 2020 | 2 | 0 |
| | | 2021 | 2 | 0 |
| 3. | जीन्द | 2018 | 0 | 0 |
| | | 2019 | 0 | 0 |
| | | 2020 | 0 | 0 |
| | | 2021 | 1 | 0 |
| | **कुल** | **2018** | **1** | **0** |
| | | **2019** | **0** | **0** |
| | | **2020** | **3** | **0** |
| | | **2021** | **7** | **0** |

**नोटः–** हरियाणा के सोनीपत, झज्जर और जीन्द जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में वर्ष 2018 से अब तक कृषि से जुड़े किसी भी किसान तथा मजदूर ने आत्महत्या नहीं की है । अतः इन जिलों को उपरोक्त तालिका में नहीं दर्शाया गया है ।

---

**Construction of Commercial Building**

**559. Shri Bishan Lal Saini:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the commercial building are being constructed after taking approval of the map for residential building on the land of Municipal Corporation near Meerut fine, in Ward No.8 of Municipal Corporation, Yamunanagar; and

(b) if so, the reasons for which construction of such commercial buildings has not been stopped even after issuing show cause notices by the Government togetherwith the present status thereof?

**शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) :** नहीं, श्रीमान,

(क) नगर निगम यमुनानगर की कोई भी भूमि मेरठ फाइन वार्ड नं0 8 में नहीं हैं जिस पर कोई आवासीय भवन योजना स्वीकृत की गई हो।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार।

---

**Total Number of Hydraulic Fire Extinguisher Machines**

**606. Shri Neeraj Sharma:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the districtwise total number of hydraulic fire extinguisher machines in fire brigade stations of State; and

(b) the total number of fire brigades in State which could be used in case of fire in building taller than 15 storeyes togetherwith the details thereof?

**शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) :** (क) 42 मीटर ऊंचाई के 02 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, दमकल केन्द्र, गुरूग्राम तथा पंचकूला में कार्यरत् है।

(ख) 15 मंजिले ईमारतें मुख्य रूप से गुरूग्राम, पंचकूला, फरीदाबाद तथा सोनीपत जिले में आती है। ऐसे जिलों में 02 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जिनका

उपयोग आपात स्थिति में मौजूदा फायर ब्रिगेड/वाहनों के अलावा किया जा सकता है। इसके अलावा 101 मीटर उंचाई का 01 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की खरीद करने का प्रस्ताव नगर निगम, गुरूग्राम के लिए तथा 55 मीटर ऊंचाई के 02 टर्न टेबल लेडर (नगर निगम, सोनीपत तथा नगर निगम, फरीदाबाद, प्रत्येक के लिए एक–एक) विभाग के विचाराधीन है।

————————

## To Re-Carpet/Repair of Roads

**530. Shri Pardeep Chaudhary:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the following roads in the Kalka Assembly Constituency have been damaged badly:-

(i) Hangoli to Hangola;

(ii) Raipur Rani to Mirpur upto Gobindpur;

(iii) Madhawala (Pinjore) to Barotiwala;

(iv) Kalka Mandir to Mallah Chowk; and

(b) if so, the time by which abovesaid roads are likely to be re-carpeted/repaired?

**उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):** महोदय सड़क अनुसार उत्तर इस प्रकार हैः–

**(i) हंगोली से हंगोलाः**–हंगोला से हंगोली तक की सड़क की लम्बाई 1.90 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर है। मरम्मत की अन्तिम तिथि 05/2015 थी और दोष दायित्व अवधि 06/2017 में समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान में सड़क यातायात योग्य स्थिति में है।

**(ii) रायपुररानी से मिरपुर, गोबिंदपुर तकः**– रायपुररानी से नारायणपुर तक लिंक रोड़ की लम्बाई 2.89 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 5.50 और 3.66 मीटर है। मरम्मत की अंतिम तिथि 08/2019 थी और सड़क 08/2023 तक ठेकेदार की दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत है। वर्तमान में सड़क अच्छी स्थिति में है।

नारायणपुर से गोबिंदपुर तक लिंक रोड़ की लम्बाई 5.15 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर है। मरम्मत की अंतिम तिथि 05/2018 थी और सड़क 06/2022 तक ठेकेदार की दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत है। सड़क अच्छी स्थिति में है।

गोबिंदपुर से बधौर तक लिंक रोड़ की लम्बाई 1.40 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 5.50 मीटर है। मरम्मत की अंतिम तिथि 4/2019 थी और सड़क 05/2023 तक ठेकेदार की दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत है। सड़क अच्छी स्थिति में है।

बधौर से मीरपुर तक लिंक रोड़ की लम्बाई 1.05 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर है। मरम्मत की अंतिम तिथि 07/2016 थी और दोष दायित्व अवधि 07/2020 को समाप्त कर दी गई थी। सड़क यातायात योग्य सिथित में है।

**(iii) मधावाला (पिंजौर) से बरोटीवालाः–** मधावाला (पिंजौर) से बरोटीवाला तक सड़क की लम्बाई 1.25 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 7.00 मीटर है। 04/2018 को सड़क की दोष दायित्व अवधि समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान में सड़क यातायात योग्य स्थिति में है।

**(iv) कालका मंदिर से मलाह चौंकः–** कालका मंदिर से मलाह चौंक तक सड़क की कुल लम्बाई 6.70 कि.मी. है। सड़क का अंतिम मरम्मत 07/2015 के दौरान किया गया था। सड़क की पक्की चौड़ाई 9.20 मीटर और 12 मीटर है। सड़क की दोष दायित्व अवधि 30.08.2019 को समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान में सड़क संतोषजनक स्थिति में है। इसके अलावा इस सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार द्वारा यादि क्रमांक 09/695/2021–3 बी एण्ड आर(डब्ल्यू)दिनांक 06.12.2021 के तहत 1470.97 लाख रूपये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 50 मि.मी. डी.बी.एम व 30 मि.मी. बी.सी. का प्रावधान किया गया है। जिसका विस्तृत अनुमान और डीएनआईटी तैयार किए जा रहे है।

---

## Number of Cases Pending Under Indian Stamp Act

**482. Shri Varun Choudhry:** Will Deputy Chief Minister be pleased to state the district wise number of cases pending under section 47A of Indian Stamp Act (as applicable to the State of Haryana) and the duty involved therein as on 31 March, 2021?

**उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यंत चौटाला):** जिलेवार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 ए के तहत लंबित मामलों की संख्या व उनसे प्राप्त होने वाली राशि निम्न प्रकार हैः–

| क्रम संख्या | जिलों का नाम | लम्बित मामलों की संख्या | प्राप्त की जाने वाली राशि (रूपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | अम्बाला | 1114 | 10,80,85,736/– |
| 2 | भिवानी | 268 | 1,75,90,289/– |
| 3 | चरखी दादरी | 488 | 1,13,26,975/– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | फरीदाबाद | 2212 | 64,56,86,208/- |
| 5 | फतेहाबाद | 804 | 8,21,97,176/- |
| 6 | गुरूग्राम | 2929 | 48,61,22,421/- |
| 7 | हिसार | 674 | 5,75,29,712/- |
| 8 | झज्जर | 1089 | 20,45,48,284/- |
| 9 | जीन्द | 1129 | 12,10,67,543/- |
| 10 | कैथल | 995 | 4,63,58,933/- |
| 11 | करनाल | 1376 | 35,23,84,065/- |
| 12 | कुरूक्षेत्र | 1786 | 27,02,52,317/- |
| 13 | महेन्द्रगढ | 1672 | 31,52,70,062/- |
| 14 | नूंह | 446 | 9,17,50,885/- |
| 15 | पलवल | 1226 | 43,81,36,568/- |
| 16 | पंचकूला | 160 | 2,33,85,644/- |
| 17 | पानीपत | 888 | 7,86,53,252/- |
| 18 | रेवाडी | 758 | 27,56,52,851/- |
| 19 | रोहतक | 955 | 5,13,50,801/- |
| 20 | सिरसा | 815 | 4,23,75,836/- |
| 21 | सोनीपत | 1025 | 23,98,32,333/- |
| 22 | यमुनानगर | 970 | 13,65,38,606/- |
| | **कुल** | **23,779** | **4,09,60,96,497/-** |

---

## Number of Posts of BEOs

**583. Shri Balraj Kundu:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the total number of posts of BEOs (Block Education Officers) sanctions in the state togetherwith the number of officers posted on the said posts alongwith the number of posts lying vacant;

(b) the process under which the vacant posts are likely to be filled;

(c) the number of posts of Deputy D.E.Os lying vacant in the State togethewith the reasons thereof; and

(d) whether there is any proposal new B.E.E.Os keeping in view of excess work load on B.E.Os. if so, the details thereof?

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : (क) राज्य में खण्ड शिक्षा अधिकारियों के 119 पद स्वीकृत है, जिनमें से 55 पद भरे हुए हैं और 64 पद रिक्त है।

(ख) खण्ड शिक्षा अधिकारियों के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते है तथा शेष रिक्त पदो को निकट भविष्य में योग्य प्राचार्यो की उपलब्धता अनुसार जल्द ही भर लिया जाएगा।

(ग) राज्य में उप–जिला शिक्षा अधिकारियों के 64 पद स्वीकृत है, जिसमें से 36 पद भरे हुएहै और 28 पर रिक्त है। यह रिक्तियां उप– जिला शिक्षा अधिकारियों को सेवानिवृति तथा उच्च पदों पर पदोन्नतियों होने के उपरांत हुई हैं। इन पदो पर पदोन्नति के माध्यम से भरने हेतु मामला विचाराधीन है व निकट भविष्य में इन पदो को जल्द ही भर लिया जाऐगा।

(घ) श्रीमान जी, नहीं ।

————————

## Case Registered for Stubble burning

**548. Shri Abhay Singh Chautala**: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the yearwise and districtwise number of cases registered against the farmers for stubble burning togetherwith the amount of fine imposed alongwith the number of farmers got arrested in abovesaid cases during the last 3 years in the State?

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल)** : महोदय, 2019 से 2021 तक 2943 किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामलें में पुलिस शिकायत/केस दर्ज किए गए है । पराली जलाने के मामलें में किसानों के खिलाफ वर्षवार व जिलावार दर्ज केस/पुलिस शिकायतों का विवरण जुर्माने की राशि सहित एवं पिछले 3 वर्षों में गिरफ्तार किए गए किसानों का ब्यौरा पताका 'क' पर संलग्न है।

पताका 'क'

| | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | कुल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | जिला | पुलिस शिकायतें /दर्ज मामलों की संख्या | जुर्माना राशि (रू0) | गिरफतार किसानों की संख्या | पुलिस शिकायतें /दर्ज मामलों की संख्या | जुर्माना राशि (रू0) | गिरफतार किसानों की संख्या | पुलिस शिकायतें /दर्ज मामलों की संख्या | जुर्माना राशि (रू0) | गिरफतार किसानों की संख्या | पुलिस शिकायतें /दर्ज मामलों की संख्या | जुर्माना राशि (रू0) | गिरफतार किसानों की संख्या |
| 1 | फतेहाबाद | 491 | 575000 | 384 | 233 | 1325000 | 339 | 0 | 1837500 | 0 | 724 | 3737500 | 723 |
| 2 | रेवाड़ी | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 0 |
| 3 | गुरूग्राम | 0 | 10000 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 |
| 4 | भिवानी | 16 | 30000 | 0 | 32 | 65000 | 0 | 3 | 10000 | 0 | 51 | 105000 | 0 |
| 5 | महेन्द्रगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | अम्बाला | 23 | 260000 | 0 | 13 | 163750 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 36 | 573750 | 0 |
| 7 | कुरूक्षेत्र | 71 | 87500 | 0 | 6 | 885000 | 0 | 0 | 992500 | 0 | 77 | 1965000 | 0 |
| 8 | पंचकुला | 13 | 17500 | 0 | 0 | 107500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 125000 | 0 |
| 9 | मेवात | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | रोहतक | 14 | 17500 | 13 | 0 | 37500 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 15 | 75000 | 13 |
| 11 | हिसार | 38 | 127500 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 292500 | 0 | 38 | 930000 | 0 |
| 12 | फरीदाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | यमुनानगर | 15 | 317500 | 0 | 0 | 682500 | 0 | 0 | 152500 | 0 | 15 | 1152500 | 0 |
| 14 | झज्जर | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 |
| 15 | सोनीपत | 0 | 135000 | 0 | 0 | 247500 | 0 | 0 | 177500 | 0 | 0 | 560000 | 0 |
| 16 | पलवल | 77 | 25000 | 0 | 0 | 307500 | 0 | 4 | 202500 | 0 | 81 | 535000 | 0 |
| 17 | करनाल | 438 | 22500 | 0 | 144 | 1695000 | 0 | 82 | 1312500 | 0 | 664 | 3030000 | 0 |
| 18 | पानीपत | 4 | 192500 | 0 | 1 | 467500 | 0 | 0 | 305000 | 0 | 5 | 965000 | 0 |
| 19 | सिरसा | 110 | 1017000 | 0 | 0 | 1347500 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 110 | 3264500 | 0 |
| 20 | कैथल | 149 | 755000 | 0 | 0 | 2445000 | 0 | 8 | 1590000 | 0 | 157 | 4790000 | 0 |
| 21 | जीन्द | 515 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 954 | 320000 | 0 |
| | कुल | 1975 | 3632000 | 397 | 868 | 10298750 | 339 | 100 | 8262500 | 0 | 2943 | 22193250 | 736 |

## Illegal Construction in Yamunanagar

**560. Shri Bishan Lal Saini:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the land of Sunder Nagar Part II Colony in Ward No. 11 of Yamunanagar has been sold in unauthorized manner, the colony has been carved out and construction was made illegally; and

(b) if so, the name of officers who are involved in the process from registry to illegal construction of abovesaid area togetherwith the action taken by the Government against the said officers alongwith the details thereof ?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** क. जी हाँ। ग्राम तेजली, तहसील जगाधरी, जिला मुनानगर के राजस्व सम्पदा के खसरा क्रमांक 1026, 1051, 1052 आदि में एक अनाधिकृत कॉलोनी को अनाधिकृत तरीके से काटा गया है और निर्माण अवैध रूप से किया गया है।

ख . उन अधिकारियों के नाम जो कालोनी को तराशने और भूखंडों के अवैध पंजीकरण में शामिल रहे हैं, मामले की जांच करने के बाद बताया जा सकता है। यमुनानगर के उपायुक्त को मामले की जांच करने और दो महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट भेजने को कहा जाएगा। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

---

## To Connect Faridabad to Gurugram wiht Metro

**611. Shri Neeraj Sharma:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether the route of Metro for connecting Faridabad to Gurugram has been finalized by the Government; if so, the detail thereof; and

(b) the time by which the work of connecting Faridabad to Gurugram with Metro is likely to be stated togetherwith the time by which it is likely to be completed?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** महोदय, (क) फरीदाबाद को गुरूग्राम से मैट्रो द्वारा जोड़ने का रूट बाटा चौक, फरीदाबाद से वाटिका चौक, गुरूग्राम है जिसकी कुल लंबाई 32.14 किमी है जिसमें 12 स्टेशनों हैं जिनके नाम है बाटा चौक, प्याली चौक,

शहीद भगत सिंह मार्ग, बढ़कल एन्कलेव, पाली चौक, पुलिस चौकी मांगर, ग्वाल पहाड़ी, सेक्टर 56, सुशांत लोक–3, रोजवुड सिटी एवं वाटिका चौक।

(ख) परियोजना की अंतिम विस्तृत परियाजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा रही है। जब भी डी.पी.आर. तैयार हो जाएगी, उसे मंत्रिपरिषद, हरियाणा के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन पश्चात् डी.पी.आर. को अनुमोदन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसलिए इस स्तर पर मैट्रो परियोजना को शुरू करने और पूरा करने की सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती है।

———————

## To Reconstruct the Roads

**531. Shri Pardeep Chaudhary:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state&

(a) whether it is a fact that the following roads constructed by Market Committee in the Kalka Assembly Constituency are in very bad condition:&

(i) Rampur to Mirpur;

(ii) Garhi Kotah to Shahjahanpur; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be reconstructed ?

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल)** : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) इन सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है तथा इनके 31.03.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

———————

## Number of Primary Schools

**573. Shri Varun Chaudhary:** Will the Education Minister be please to state the number of Government Primary Schools in State togetherwith the number of part time and permanent sweeers and maids working therein as on 1st November 2021?

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : श्रीमान्, विवरण विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

# विवरण

श्रीमान् जी,

**(क)** राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है:–

| विद्यालयों की संख्या | |
|---|---|
| **प्राथमिक विद्यालय** | **8656** |

**(ख)** अल्पकालीन कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:–

| कमांक | जिले का नाम | राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अल्पकालीन सफाई कर्मचारी |
|---|---|---|
| 1. | अम्बाला | 318 |
| 2. | भिवानी | 288 |
| 3. | चरखी दादरी | 90 |
| 4. | फरीदाबाद | 164 |
| 5. | फतेहाबाद | 196 |
| 6. | गुरूग्राम | 141 |
| 7. | हिसार | 197 |
| 8. | झज्जर | 119 |
| 9. | जींद | 262 |
| 10. | कैथल | 133 |
| 11. | करनाल | 255 |
| 12. | कुरूक्षेत्र | 242 |
| 13. | महेन्द्रगढ | 152 |
| 14. | नूह मेवात | 81 |
| 15. | पलवल | 148 |
| 16. | पंचकूला | 245 |
| 17. | पानीपत | 34 |
| 18. | रेवाड़ी | 185 |
| 19. | रोहतक | 72 |
| 20. | सिरसा | 491 |
| 21. | सोनीपत | 286 |
| 22. | यमुनानगर | 483 |
| **कुल** | | **4582** |

(ग) राज्य के नियमित सफाई कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:–

| | |
|---|---|
| **नियमित सफाई कर्मचारियों की संख्या** | **2** |

(घ) राज्य में 01 नवम्बर 2021 के अनुसार मेड/कुक–कम–हैल्पर का विवरण निम्नानुसार है:–

| | |
|---|---|
| मिड–डे–मील के अन्तर्गत मेड/कुक–कम–हैल्पर की संख्या | **29554** |

---

## Cases of Sedition Registered in State

**549. Shri Abhay Singh Chautala:** Will the Home Minister be pleased to state the districtwise details of persons against whom the cases of sedition have been registered in state during last 2 years i.e. 2019-2020 and 2020-2021?

**गृह मंत्री (श्री अनिल विज) :** श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

### वक्तव्य

**2019–2020 एवं 2020–2021 में देशद्रोह के मामले में आरोपित किये गये व्यक्तियों का जिलावार विवरणः–**

| 01.04.2019 से 31.03.2020 | | |
|---|---|---|
| जिला | मुकदमा नं0, दिनांक, धारा और थाना | उन व्यक्तियों का विवरण जिनके खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किये गये है। |
| जी0आर0पी0 /हरियाणा, अम्बाला कैंट। | 1. मुकदमा नं0. 86 दिनांक 16.04.2019 धारा 124ए/153ए/295ए/ 505(1)(बी) भा.द.स. जी. आर.पी.एस./अम्बाला कैंट।<br><br>2. मुकदमा नं0. 100 दिनांक 14.09.2019 धारा 124ए/153ए/295ए/ 505(1)(बी) भा.द.स. जी. आर.पी.एस./रोहतक। | आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद, एरिया कमांडर मैसूर अहमद, जम्मू कश्मीर सिंधु, पाकिस्तान द्वारा धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ। खुदा आफिस आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद।<br><br>एरिया कमान्डर मैसुद अहमद (जम्मू कश्मीर) (कराची) पाकिस्तान द्वारा धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ। |

**2019–2020 एवं 2020–2021 में देशद्रोह के मामले में आरोपित किये गये व्यक्तियों का जिलावार विवरणः–**

| 01.04.2020 से 31.03.2021 | | |
|---|---|---|
| जिला | मुकदमा नं0, दिनांक, धारा और थाना | उन व्यक्तियों का विवरण जिनके खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किये गये है। |
| गुरूग्राम | 1. मुकदमा नं0 137 दिनांक 02.07.20 धारा 124–ए/153ए भा0द0स0 और 10ए, यू.ए.पी.ए. अधिनियम 1967 थाना भोंडसी। | गुरपतवंत सिंह सिख के लिए न्याय। |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. मुकदमा नं0 9 दिनांक 28.01.21 धारा 124ए/153ए/153बी/505(द्वितीय)/120बी भा0द0स0 थाना भोंडसी। | (i) राजदीप सरदेसाई, न्यूज एंकर इंडिया टुडे।<br>(ii) शशि थरूर, संसद सदस्य–भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।<br>(iii) मृणाल पांडे (राष्ट्रीय हेराल्ड़ के समूह वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार)<br>(iv) जफर आगा (उर्दू अखबार कौमी आवाज के प्रधान संपादक) जो राष्ट्रीय हेराल्ड़ के प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में समाचार के प्रकाशन के लिए सामूहिक रूप से प्रभारी और जिम्मेदार है।<br>(v) परेशनाथ (कारवां, पत्रिका के प्रधान संपादक, प्रकाशक और मुद्रक)।<br>(vi) अनंतनाथ, (कारवां के संपादक।<br>(vii) विनोद के. जोस (कारवां के कार्यकारी संपादक)। |
| कुरूक्षेत्र | मुकदमा नं0. 597 दिनांक 12.07.2020 धारा 10ए/13 का यू.ए.पी.ए. 1967 153ए/124ए भा.द.स. थाना सदर थानेसर। | गुरपतवंत सिंह उर्फ पन्नू व अन्य |
| सिरसा | मुकदमा नं0. 255 दिनांक 25.08.2020 धारा 124ए/153ए/148/149/153/186/353/341/342/506 भा.द.स और 10/13 गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967, थाना ऐलनाबाद। | गुरमीत सिंह निवासी तिलोकावाला और 15/20 अन्य व्यक्तियों |
| जी0आर0पी0/हरियाणा, अम्बाला कैंट। | 1. मुकदमा नं0. 69 दिनांक 31.08.2020 धारा 124ए/505(1)(बी) भा.द.स. जी.आर.पी.एस./अम्बाला कैंट।<br><br>2. मुकदमा नं0. 107 दिनांक 29.12.2020 धारा 124ए/505/34 भा.द.स. जी.आर.पी.एस. फरीदाबाद। | लैंडलाईन नम्बर 12026576269 से एक महिला नामपता नामालुम ने सुचना दी कि उसे कहीं से मालुम हुआ है कि खलिस्तिनी रेलवे ट्रैक उड़ा देंगें।<br><br>आर0पी0एफ0 हैल्पलाईन नई दिल्ली ने सूचना दी की गाडी नं0. 02173 श्रीधाम एक्सप्रैस, जो रेलवे स्टेशन निजामुद्धीन से जबलपुर के लिए रवाना हुई है, एक लाल रंग के बैग के अन्दर विस्फोटक पदार्थ रखे होने की सूचना प्राप्त हुई है। |
| झज्जर | मुकदमा नं0. 18 दिनांक 15.01.2021 धारा 121/124ए भा.द.स. थाना सदर बहादूरगढ़। | सुनील गुलिया निवासी जहांगीरपुर |

————————

## Details of Case Registered In P.S. Farakpur

**561. Shri Bishan Lal Saini:** Will the Home Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a case No. 164 was registered in P.S. Farakpur (Yamunanagar) on dated 05.08.2021; and

(b) if so, the details of the action taken by the Government against the culprits so far ?

**गृह मंत्री (श्री अनिल विज) :** (क) हाँ, महोदय।

(ख) अभियोग श्री सुखदेव सिंह पुत्र तरसेम सिंह वासी थाना फरकपुर, जिला यमुनानगर की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसने आरोपी संजीव शर्मा को 2600/–रूपये अच्छी गुणवक्ता की ईंटें खरीदने के लिए दिये थे। इसके बदले घटिया ईंटों की आपूर्ति करने पर जब एतराज किया तो

आरोपी संजीव शर्मा और उसके भाई अश्वनी ने उस पर हमला किया और जाति सूचक गालियां दी। अभियोग का अनुसंधान दो उप पुलिस अधीक्षको द्वारा किया गया। अनुसंधान अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया व मौके के गवाह नितिन शर्मा के कथन अंकित किये। मौके के गवाह द्वारा दी गई घटना का विवरण असंगत है। आरोपी व्यक्तियों को अनुसंधान में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किये गये थे, लेकिन उन्होने उसकी पालना नहीं की। अभियोग अनुसंधानाधीन है। यदि आरोपी व्यक्ति अनुसंधान से बचना जारी रखता है तो दण्ड़ात्मक कार्रवाई की जायेगी।

———————

**To Make The Over Head Water Tanks Functional**

**608. Shri Neeraj Sharma:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of over head water tanks in NIT Faridabad Assembly Constituency; and

(b) whether all the abovesaid over head water tanks have been made functional by the Government; if not, the time by which the said tanks are likely to be made functional?

**शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज):** (क) श्रीमान जी, एन आई टी फरीदाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 नंबर ओवरहेड पानी के टैंक मौजूद हैं।

(ख) नहीं श्रीमान जी, पानी की कमी के कारण उपरोक्त सभी ओवरहेड पानी के टैंक काम नहीं कर रहे हैं।

इन ओवरहेड पानी के टैंकों को पर्याप्त पानी, जिसे फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफ एम डी ए) द्वारा प्रदान किया जाना है, की उपलब्धता के बाद कार्यक्षील बनाया जाएगा ।

———————

**Shortage of Bus Service**

**532. Shri Pardeep Chaudhary**: Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of bus-service in the Morni and Raipur Rani areas of Kalka Constituency; and

(b) whether, it is also a fact that the bus services stopped during the lockdown period have not been re-started on many routes; if so, the time

by which adequate bus services are likely to be provided and the bus services stopped during the lockdown period are likely to be re-started togetherwith the details thereof ?

**परिवहन मंत्री (श्री मूलचन्द शर्मा) :** (क) श्रीमान् जी, नहीं। (ख) इन मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन दिनांक 02.07.2021 से पुनः आरम्भ करवाया जा चुका है।

———————

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 को वापिस लेने का मामला उठाना।**

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि वर्ष 2020 में The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement(Haryana Amendment) Bill, 2021 विधान सभा से पास होकर राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था जिस पर राज्यपाल महोदय ने अभी तक एक्शन टेकन नहीं भेजा है, उस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। जब सरकार ने तीन काले कानून वापिस ले लिए हैं तो बहुत अच्छा समय है कि इस कानून को भी सरकार वापिस ले। हम किसानों के विरूद्ध क्यों काम करें?(शोर एवं व्यवधान)

**(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे।)**

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, इस कानून को वापिस लिया जाये। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह किसानों के हक में नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**शिक्षा मंत्री(श्री कंवर पाल):** अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के साथी कानून वापिस करने की बात कर रहे हैं। पहले हमने 3 कानून वापिस लिए तो अब हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि इस एक कानून को और वापिस ले लो। अगर ये 5 साल और सत्ता से बाहर रहे तो ये यह भी कहेंगे कि विधान सभा को ही समाप्त कर दो इसकी भी जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः** अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि इस बिल का स्टेटस क्या है? इस बिल को गवर्नर साहब ने वापिस कर दिया है या नहीं किया है? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** डॉ. कादियान, यह बिल विधान सभा से पास हो गया है और वह गवर्नर साहब के पास है। अगर कोई डाइसेंट होगी तो आपको बता देंगे। हम गवर्नर साहब को कम्पैल नहीं कर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :** अध्यक्ष महोदय, इन केस गवर्नर साहब, इसको वापिस कर दें तो क्या यह बिल विद्ड्रा हो जाएगा?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** प्लीज आप सभी बैठ जाइये, सरकार ने इसको सदन में पास कर दिया है।(शोर एवं व्यवधान) अगर सरकार इसको वापिस लेना चाहेगी तो प्रस्ताव ले आएगी। आपके कहने से सरकार थोड़े ही चलेगी।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक :** अध्यक्ष महोदय, इसमें अमेंडमैंट भी हो सकता है और वापिस भी हो सकता है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, यह मनी बिल तो है ही नहीं इसलिए सरकार इस बिल को वापिस ले सकती है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** किरण जी, अगर इसमें कोई टैक्निकल इशू होगा तो गवर्नर साहब इसको रिजैक्ट कर देंगे।(शोर एवं व्यवधान) आप अगर गवर्नर साहब के ऊपर भी डाउट करते हैं और सरकार के ऊपर भी डाउट करते हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। सरकार ने इसको पास करके भेजा है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इसको विद्ड्रा नहीं करेगी?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** किरण जी, अगर सरकार चाहेगी तो विद्ड्रा करेगी।(शोर एवं व्यवधान) जब यह बिल पास हुआ था तो आप लोगों ने विरोध किया था और आपके विरोध के बावजूद भी इसको सरकार ने पास किया। सरकार जो चाहेगी वही तो होगा। आप जो चाहेंगे वह नहीं होगा। जब सरकार चाहेगी तो उसको वापिस कर लेगी।(शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, यह काला कानून है और सरकार विरोधी कानून है और इसको गलत तरीके से पास किया गया है। अभी मौका है इस कानून को विद्ड्रो कर लीजिए। आज सारा हरियाणा देख रहा है कि सरकार किसानों के प्रति या किसी भी लैंड होल्डर के प्रति इस विधान सभा में किस प्रकार की कार्यवाही कर रही है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : किरण जी, आपके कहने से यह कानून काला नहीं होता है और न आपके कहने से यह कानून पीला होता है। आप प्लीज बैठ जाइये।(शोर एवं व्यवधान)

---

## नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

## नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना**

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। अब श्री अमित सिहाग शून्यकाल में अपनी बात रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अमित सिहाग (डबवाली) :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपना विरोध इस बात के लिए दर्ज करवाना चाहूंगा कि डी–प्लान के लिए विधायकों से प्रस्ताव तो मांगे जाते हैं लेकिन हमने जितने भी प्रस्ताव दिये उनमें जितने भी फिजिबल प्रस्ताव थे उनमें से एक भी प्रस्ताव को डी–प्लान के अन्दर सम्मिलित नहीं किया गया जो कि बड़ा निंदनीय कार्य है। इसमें मैं मानता हूं कि यह जनमत का और जन प्रतिनिधि का एक तरीके से तिरस्कार है। अगर सरकार यह मानती है कि विपक्ष के विधायकों द्वारा दिये गये प्रस्तावों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा और बस केवल औपचारिकता करनी है तो कृपा करके सरकार अगली बार उनका समय व्यर्थ में नष्ट करवाने का काम न करे। मैंने जो प्रस्ताव दिये थे वे सारे सार्वजनिक और सभी के जनहित के प्रस्ताव थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी व्यक्ति विशेष का एक खाला बनाने का प्रस्ताव तो सम्मिलित कर लिया गया है और जिन प्रस्तावों को किसानों की सुविधा का कारण बनना था उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। सबसे पहले तो जब हम 'सबका साथ और सबका विकास' की बात करते हैं तो मैं इसके लिए विरोध दर्ज कराना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक खालों की बात है जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है। जो यह नया कानून व नियम लाया गया है जिसमें माईक्रो इरीगेशन में 30 प्रतिशत सबसिडी देने की बात कही गई है उस संबंध में मैं एक आंकड़ा सांझा करना चाहूंगा कि पिछले एक साल में सिरसा जिले में तकरीबन 405 प्रस्ताव खालों को पक्का करवाने के आए हैं जिनमें से केवल 5 प्रस्ताव पारित हुए हैं। मंत्री महोदय भी यहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने भी यह बात कही है कि ये प्रस्ताव बहुत बढ़िया हैं लेकिन आज किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि 405 प्रस्तावों में से केवल 5 प्रस्ताव ही पारित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यह मांग भी करना चाहूंगा कि इसको वॉलंटरी किया जाए। अगर आप सही मायने में किसानों को विवश न करके

माइक्रो इरीगेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उनको पूरी की पूरी 100 प्रतिशत सबसिडी देने का काम कीजिए। इसके साथ ही आज की तारीख में स्प्रिंकलर सैट पर 12 प्रतिशत के आस पास जी.एस.टी. लगता है। उस जी.एस.टी. को भी हटाया जाए ताकि किसान अपने आप माइक्रो इरीगेशन की तरफ ले आएं। इसके साथ–साथ यह बात भी कही जाती है कि यह डबल इंजन की सरकार है और कितना विचित्र है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यह सरकार नैशनल हाइवे के उपर जो बीच में बैरियर बना हुआ है/जो बीच में फुटपाथ बना हुआ है उसको उठाने तक में भी यह सरकार असमर्थ और लाचार दिखाई दे रही है। अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले वर्ष 2019 में हमारे यहां ओढा में एक बस स्टैंड बनवाया गया था जो आज तक भी कारगर नहीं हो सका है। मैंने कितनी ही बार इस मुद्दे को उठाया है लेकिन बावजूद इसके हालात वैसे ही बने हुए है। अध्यक्ष महोदय, यह हालात केवल डबवाली में नहीं हैं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कई जगह ऐसे बस स्टैंड हैं जिनको बने हुए तो काफी समय हो चुका है लेकिन वे आज तक भी कारगर नहीं हो पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है और बावजूद इसके इस डबल इंजन की सरकार द्वारा एक फुटपाथ तक नहीं हटाया जा सका है। माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं। मैंने उनसे इस बारे में जब सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि उन्होंने एन.एच.ए.आई. से इस फुटपाथ को हटाने के लिए बार गुहार लगाई है लेकिन एन.एच.ए.आई. द्वारा इस फुटपाथ को नहीं हटाया गया है तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब यह डबल इंजन की सरकार एक फुटपाथ तक को नहीं हटा पा रही है तो फिर कैसे यह बेरोजगारी, अनएम्पलायमैंट और किसानों के मुद्दे हल कर पायेगी ? अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि मेरे डबवाली क्षेत्र में जो बस स्टैंड बनाया गया है, उस बस स्टैंड को 31 मार्च तक कारगर करने का काम किया जाये अन्यथा हमें वहां पर जाकर धरना करने के लिए विवश होना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बस स्टैंड का निर्माण करने के लिए जनता का 2 करोड़ रूपये से ज्यादा पैसा खर्च करने का काम किया है लेकिन बावजूद इसके यह बस स्टैंड आज भी निष्क्रिय हैं अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार जल्द से जल्द इस बस स्टैंड का निर्माण करवाये। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** अमित जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है अतः आप प्लीज बैठिए और कृष्ण लाल मिढ्डा जी को अपनी बात रखने दें।(विघ्न)

**श्री अमित सिहागः** अध्यक्ष महोदय, मुझे एक–दो बातें और रखनी हैं अतः मुझे बोलने का थोड़ा सा समय और दिया जाये।

**श्री अध्यक्षः** अमित जी, आप प्लीज बैठिए क्योंकि सदन के दूसरे सदस्यों को भी तो अपनी बात रखनी है। आपकी बात का उत्तर देने के लिए परिवहन मंत्री जी अपनी सीट से उठे हैं, एक बार आप उनकी बात को सुन लीजिए।

**परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा):** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फुटपाथ की बात कही हैं, निःसंदेह इस फुटपाथ के बारे में जानकारी ली जायेगी।

**श्री अध्यक्षः** मिढ्डा जी, अब आप अपनी बात रखें।

**डॉ. कृष्ण लाल मिढ्डा(जींद):** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से तथा जींद की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा जो उन्होंने भागीरथ का रूप धारण कर 400 करोड़ रूपये की लागत से जींद को भाखड़ा का पानी पहुंचाने के लिए हामी भर दी है और इसके लिए जमीन वगैरह भी खरीद ली गई है ताकि यह कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ हो सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। मेरे पिता जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैडीकल कॉलेज की एक डिमांड रखी थी उसका कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है जिसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विज साहब का तथा माननीय डिप्टी सी.एम साहब का अपनी तरफ से तथा जींद की जनता की तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अंतोदय के विषय पर निरंतर काम कर रही है और उसी कड़ी में 13.11.2017 को सरकार ने फैसला लिया था कि छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी और फड़ी वालों को तथा खोखा मालिकों को बिजली के कारण आग लगने से, बाढ़ या भूचाल से तथा प्राकृतिक आपदा से यदि कोई नुकसान होता है तो उनको आर्थिक सहायता दी जायेगी और इस बारे में सरकार की तरफ से लैटर के माध्यम से निर्देश भी जारी किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, उस लैटर के दिशा–निर्देशों में यह बात भी स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि संबंधित नगर परिषद नुकसान के मुआवजे की राशि की अदायगी अपने फंड्स से आर.टी.जी.एस बैंक ट्रांसफर के माध्यम से, संपत्ति मालिकों को देने का काम करेगी और एक सप्ताह की समयावधि में यह कार्य पूर्ण करते हुए आफिस को इंटीमेट किया

जायेगा। स्पीकर सर, पत्र संख्या डी.एफ.ए./एफ.ए–1 2011–1500 दिनांक 18.1.2021 में दर्शाया गया है कि शॉप अप टू 200 स्क्वेयर फिट एक लाख रूपये से ज्यादा नुकसान की अवस्था में 100 परसैंट, 1 से 2 लाख रूपये के नुकसान की अवस्था में 75 परसैंट, 2 से 3 लाख रूपये के नुकसान की अवस्था में 60 परसैंट, 3 से 5 लाख रूपये के नुकसान की अवस्था में 50 परसैंट, 5 से 7 लाख रूपये के नुकसान की अवस्था में 40 परसैंट, 7 से 10 लाख रूपये के नुकसान की अवस्था में 30 परसैंट और 10 लाख रूपये से उपर हुए नुकसान की अवस्था में 0 प्रतिशत की अदायगी की जायेगी। स्पीकर सर, मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस रेशो का सरलीकरण करते हुए इसको एक समान रूप से 100 परसैंट ही करने का काम किया जाये ताकि किरायेदार, दुकानदार यदि उपरोक्त नियमों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी अवस्था में उसको तुरंत प्रभाव से सहजता के साथ आर्थिक सहायता मिल जाये ताकि उसका गुजारा ठीक तरह से चलता रहे। अध्यक्ष महोदय, अब सदन के माध्यम से मैं जींद का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहां पर दो साल में करीबन 10 दुकानों में आग लग चुकी है लेकिन दुख की बात है कि सरकार के दिशा–निर्देशों की अवहेलना करते हुए मुआवजे संबंधी फाइल को एस. डी.एम. स्तर पर ही दबाने का काम कर दिया गया है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुआवजा राशि को 100 परसैंट करने तथा नियमों के सरलीकरण के काम को सुनिश्चित किया जाये और प्रदेश भर में जितने भी ऐसे केसिज हैं उनको मुआवजा देने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बनाई है, उसी तर्ज पर चलते हुए व्यापारी और दुकानदारों के लिए भी कोई ऐसी कम से कम प्रीमियम आधारित बीमा योजना जरूर बनाई जाये ताकि इस वर्ग को भी लाभ पहुंच सके। इसके अतिरिक्ति मेरा सदन से अनुरोध है कि बागवानी विभाग की जमीन के बारे में मैने जो मुद्दा पिछले सदन में भी उठाया था उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद (एन.आई.टी.)):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो बातें सदन के पटल पर रखूंगा उनको शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि एक सुझाव के तौर पर रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको बड़ी खुशी होनी

चाहिए कि जिस सदन का आप संचालन कर रहे हैं, उस सदन में 41 नये माननीय सदस्यगण चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों पहली बार चुनकर आये हैं। मैं यह भी समझता हूँ कि यह दर्द केवल मेरा नहीं बल्कि हम सभी 41 नये माननीय सदस्यों का भी है। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम बात यह है कि सदन में जो कोरोना कॉलोनी हम सभी नये 41 माननीय सदस्यों के लिये बसाई है उसको उजाड़ने का काम करें क्योंकि सदन में जो बातें सत्य वाली लिखी गई हैं उनको हम सब पढ़ नहीं पाते हैं न ही उनसे कोई प्रेरणा ले पाते हैं और न ही चेयर से आँखें मिला पाते हैं। इस कारण से हमें सदन में बोलने का उतना समय नहीं मिलता जितना बाकी माननीय सदस्यों को मिलता है। यह मेरे अकेले का दर्द नहीं है, बल्कि हम सभी नये 41 माननीय सदस्यों का दर्द है जो इस दर्द को कोरोना काल में झेल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सभी माननीय सदस्यगण कल रात्रि भोज के अवसर पर आपके निवास स्थान पर इक्ट्ठे हुए थे और सभी माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि यहां पर तो कोरोना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या कोरोना सदन में ही दिखाई दे रहा है। मैं इस संबंध में पहले ही सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ कि यह केवल एक सुझाव है कोई शिकायत नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा विश्वास है कि बाकी 40 नये माननीय सदस्य मुझे बोलने के लिये अपने–अपने हिस्से के दो–दो मिनट्स भी जरूर देंगे। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** शर्मा जी, आप अपना कीमती समय इस तरह की बातों पर खराब न करें। अपने सब्जैक्ट को ही सदन के पटल पर रखें।

**श्री नीरज शर्माः** अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से अपनी बातें सदन के पटल पर रखना चाहूँगा। लोग हमें चुनकर विधान सभा में भेजते हैं और यदि हम अपने हल्के से संबंधित समस्याओं का जिक्र सदन में नहीं करेंगे तो फिर कहां जाकर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा में 'फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण बारे' ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था लेकिन वह नामंजूर हो गया। जबकि हमारे प्रदेश के लिये प्रदूषण का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदूषण को लेकर पिछले चार दिनों से सभी न्यूज पेपर्ज में खबरें भरी पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद के खोरी गांव के अंदर कई हजार परिवार उजड़ गये हैं। उस संबंध में भी सदन को 'गांव खोरी में गरीबों के मकानों बारे' ध्यानकार्षण प्रस्ताव दिया गया था। इस बारे में सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। उन परिवारों का क्या रहा, कहां वे विस्थापित

होंगे और क्या उनके बारे में सोचा जायेगा? मैं इस बारे में चर्चा करना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, मैंने 'जिला गुरूग्राम में पुलिस विभाग द्वारा पैसों की बन्दरबांट बारे' बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, उसे भी नामंजूर कर दिया गया।

**श्री अध्यक्षः** नीरज शर्मा जी, इस संबंध में सरकार से प्राप्त टिप्पणी आपको भिजवा दी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का जो इस संबंध में पक्ष था वह आपके पास आ चुका है।

**श्री नीरज शर्माः** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्राप्त टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय, देश में जब नोटबंदी हुई और उस संबंध में डाटा यह आया कि 90 प्रतिशत कालाधन वापिस हो गया। मैं तो कहता हूँ कि यह सदन गुरूग्राम थाने में 309 नम्बर पर दर्ज एफ.आई.आर. देखें। क्या इस संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और किसके कहने पर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है? किसके कहने पर वह केस सी. आई.ए. में गया सुओमोटो यह केस एस.टी.एफ. में गया। शिकायतकर्त्ता यह कह नहीं रहा है कि मेरा कितना पैसा चोरी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 40 करोड़ रुपये से ज्यादा वहां पकड़ा गया था और 400 करोड़ रुपये से ज्यादा लेन–देन की बात आ रही है। यह भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि जब ब्लैक मनी जनरेट होती है तो यह अदरक के पंजों की तरह कई जगहों पर जाती है। ऐसा ही चार नम्बर केस स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का है। सरकार में यह एक धारणा बन गई है। सरकार में जो भी मोटी चीज हो अर्थात् बड़ा करप्शन हो उसे एक आदमी के इर्द–गिर्द घुमा दो तो बड़े–बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं। गुरूग्राम का मसला देख लीजिए सिपाही के ऊपर डाल दिया। यह 400 करोड़ रुपये का घोटाला सिर्फ डी.सी.पी. सेतिया जी के ऊपर डाल दिया। (घंटी) इसी तरह से सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोगा का घोटाला डिप्टी सेक्रेटरी श्री अनिल नागर के ऊपर डाल दिया। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, हम इसकी जांच जो उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सी.बी.आई. से करने की मांग इसलिए कर रहे थे, वह इसलिए कर रहे थे कि पुलिस विभाग को अख्तियार नहीं है और इसमें इंकम टैक्स डिपार्टमैंट भी इन्वोल्व होना चाहिए। इसमें ई.डी. भी इन्वोल्व होना चाहिए। इसमें फेरा का और फेमा का भी मामला है। अध्यक्ष महोदय, केवल हरियाणा पुलिस इस मामले की इतनी गहराई से जांच नहीं कर सकती। (घंटी) विधान सभा सत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और संबंधित मंत्री उन प्रश्नों के जवाब देते हुए आश्वासन देते हैं। उसके बाद वे आश्वासन हरियाणा विधान सभा की

'सरकारी आश्वासनों' संबंधी समिति को चले जाते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से हमें पता चलता है कि वह काम होगा लेकिन वास्तव में वह काम नहीं होता है। इसका मैं एक उदाहरण भी सदन के पटल पर रख सकता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने विधान सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 189 लगाया था । इसमें मैंने प्याली पार्क के बारे में पूछा था । वह पार्क शहर के प्रथम नागरिक महापौर के वार्ड से संबंधित है और तीन विधान सभा क्षेत्रों बल्लभगढ़, बड़खल और फरीदाबाद एन. आई.टी. का वहां पर संगम है । इस प्रश्न पर हमें माननीय मंत्री जी से आश्वासन मिला था और आश्वासन समिति से यह मामला पास भी हो गया कि इसका काम हो जाएगा लेकिन वहां पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है ।

**श्री अध्यक्ष :** नीरज जी, अब आप बैठिये ।

**श्री नीरज शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे अपनी बात कहने का और समय नहीं देते तो मैं अपने कागजात सदन के पटल पर रख देता हूं । आप इन्हें हाउस की प्रोसीडिंग्ज में शामिल करवा देना ।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है नीरज जी, आप अपने कागजात सदन के पटल पर रख दीजिए । इनको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बना दिया जाएगा ।

***श्री नीरज शर्मा :** उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा विधान सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 189 लगाया गया था। इसमें मेरे द्वारा प्याली पार्क की दुर्दशा के बारे में पूछा गया था । इस पर इस महान सदन में बताया गया था कि नए ट्यूबवेल की स्थापना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 7.92 लाख के अनुमान की मंजूरी प्राप्त की गयी है तथा निविदायें आमंत्रित करने उपरांत मामले की निविदायें दरें मंजूरी प्रक्रिया में हैं । इसके अतिरिक्त प्याली पार्क की चारदीवारी तथा फुटपाथ की मरम्मत हेतु नगर निगम फरीदाबाद द्वारा 74.00 लाख रुपये का अनुमान तैयार कर लिया गया है और मंजूरी लेने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि यह पार्क तीन विधान सभा क्षेत्रों की लाइफलाइन है तथा शहर के प्रथम नागरिक मेयर महोदया के वार्ड में है । विधान सभा तथा आश्वासन समिति से मंजूर होने के बाद भी यह काम आज तक नहीं हुआ जबकि इसको कई महीने हो चुके हैं । इसी तरह मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 187 के माध्यम से सरकार से पूछा था कि क्या क्यू.आर.जी. अस्पताल

---

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया ।**

सैक्टर–16, फरीदाबाद सरकार के नियमों के अनुसार सभी नियमों और कानूनों को पूरा करता है तथा क्या उक्त अस्पताल को सरकार द्वारा अनुपालना प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इसका ब्यौरा क्या है ? इस पर श्री अनिल विज जी, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा सरकार ने इस महान सदन को (क) और (ख) का 'हां' में उत्तर दिया था । इसके बाद अस्पताल का ब्यौरा मांगा गया था। उसके बाद क्यू.आर.जी. अस्पताल बारे एक नोट उपलब्ध करवाया गया है जोकि विवेकानंद आश्रम सोसायटी का है जबकि मेरे द्वारा क्यू.आर.जी. अस्पताल सैक्टर–16, फरीदाबाद का ब्यौरा मांगा गया था एवं जो अनुपालना प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय प्रमाण उपलब्ध करवाया गया है वह वर्ष 2009 का है जबकि वर्ष 2009 में क्यू.आर.जी. अस्पताल था ही नहीं । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपनी जान हथेली पर रखकर और यह सोच कर कि चाहे हमारी दो वोट खराब हो जाएं लेकिन हम जनता का नुकसान नहीं होने देंगे और जनता को सुविधा देंगे । इसके लिए हम भाग–दौड़ करते हैं । रात को बूस्टर पर सरकारी कर्मचारी स्थानीय पार्षद के साथ शराब पीते पाया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस महान सदन में सबको पता है कि उस पर कार्यवाही ना करके बदले की भावना से मेरी विधवा मां के घर पर तोड़–फोड़ की गई लेकिन मैं फिर भी जनता की आवाज दबने नहीं दूंगा। बड़े–बड़े अधिकारी मौके पर फोन नहीं उठाते और बाद में जब आपसे शिकायत की जाती है तो उस पर उनकी सफाई देखिए। उनके द्वारा कहा जाता है कि in view of above facts, it is humbly requested that the complaint may kindly be filed for being baseless, false and motivated. अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी आपको भी है । सरकार कहती है कि विधायक का पद मुख्य सचिव के बराबर का है तो फिर बताया जाए कि कोई अधिकारी यह कैसे कह सकता है ?

ये सब तो पिछले सत्र की बाते हैं लेकिन इस सत्र में भी वो ही काम हो रहा है । मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 602 पूछा गया था । उसके जवाब के अनैक्सचर में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो लिस्ट उपलब्ध करवाई गई उसमें क्रमांक न. 5 पर बताया गया कि पाखल टोल टेक्स से गांव पावटा वाले रास्ते का काम पूरा हो चुका है जबकि अभी मौके पर कार्य प्रगति पर है । अध्यक्ष महोदय विधान सभा में भी अधूरे जवाब दिये जाएंगे तो हम कहा जाएंगे ?

अब मैं आपका ध्यान ऐसे ही एक अन्य मामले गुरूग्राम में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 4 एस.वी.बी की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें सिर्फ एक सिपाही पर ही सारा मामला डालकर आज तक किसी और व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया । यह मामला भी करोड़ों रुपये का था।

महोदय, कल स्थगन प्रस्ताव पर अढ़ाई घंटे से भी ज्यादा समय तक चर्चा हुई। हमारे सब साथी बार–बार एच.पी.एस.सी. के द्वारा एच.सी.एस इत्यादि भर्तियों की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग कर रहे थे । उसका एक मात्र उद्देश्य यह जानना है कि इस तरह के मामलों में क्या हमारी पुलिस को पावर है, इनकम टैक्स डिपार्टमैंट को या ई.डी. को या FERA की पॉवर है कि वह इनकी जांच कर सकें इसलिए जब तक इन सारे केसों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सी.बी.आई. से नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है ? मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम एक महात्मा समझते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्' यानी अगर आपका नाम महात्मा है तो आप महात्मा बनकर दिखाईये। दूध का दूध करिये और पानी का पानी करिये। हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर कोई संशय नहीं है। घटना होने से कोई नहीं रोक सकता परंतु घटना होने के बाद सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है उस पर हरियाणा के करोड़ों लोग आंख लगा कर, टकटकी लगा कर देखते हैं। अध्यक्ष महोदय इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह हमारा सदन है । इस सदन के अंदर सत्य के बारे में भी लिखा हुआ है। हम सभी जितने भी सदस्य बैठे हैं वह सत्य सनातम धर्म की शाखा से जुड़े व्यक्ति हैं। मनु स्मृति में हमारे सत्य सनातम धर्म के बारे में लिखा है कि सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्। प्रियं च नानृतम् ब्रूयात् एष धर्म सनातनः ।। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात विधान सभा में उठाते हैं और प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न के उत्तर आने के बाद मामला आश्वासन समिति में जाता है आश्वासन मंजूर भी हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो बड़ा दुख होता है । मेरा आपसे अनुरोध है हमारे कार्य करवाये जाएं । मैं उदाहरण के तौर पर आपको यह बता रहा हूं। गुड़गांव में चोरी हुई थी । इसकी अल्फा ग्रुप ने खेड़की दौला पुलिस थाने में 21 अगस्त को शिकायत दी कि उनके यहां से 4 अगस्त को चोरी हुई है लेकिन इसका पता उन्हें 20 अगस्त को लगा।

बताया गया कि मेंटीनैंस की राशि चोरी हुई है, लेकिन कितनी राशि चोरी हुई है । इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। कंपनी ने एस.टी.एफ. को मामला देने की डी. जी.पी. से गुहार की, लिहाजा एस.टी.एफ. को केस दे दिया गया। एस.टी.एफ. ने जांच शुरू की तो कंपनी ने बताया कि 50 लाख रुपये की चोरी हुई है लेकिन इससे कहीं ज्यादा रिकवरी हो चुकी है। कुल 11 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है, जिसमें कैश, ज्वैलरी, विदेशी मुद्रा आदि शामिल है। यह जानकारी खुद एस.टी. एफ. ने गुड़गांव में एडीशनल सेशन जज श्री जसबीर सिंह की अदालत को दी है।

आज तक न तो एस.टी.एफ. चोरी हुई कुल राशि की जानकारी जुटा पाई है और न ही बिल्डर कंपनी इस बारे में जानकारी दे रही है क्योंकि सारी राशि काले धन की थी। आज तक वह गाड़ी भी बरामद नहीं हुई है जिसमें कैश गया था क्योंकि सारा कैश हवाला के जरिये एडजस्ट हो चुका था।

इस चोरी में बदमाश विकास लंगरपुरिया भी शामिल रहा, जबकि उसके साथ डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे से जुड़े डॉक्ट्र्स भी शामिल रहे।

डॉ. सचिन्द्र जैन उर्फ नवल की गिरफ्तारी चौंकाने वाली थी क्योंकि उसके कई दर्जन आई.ए.एस., आई.पी.एस. से करीबी संबंध थे। उसने पूछताछ में कुछ अफसरों के नाम भी लिए थे जोकि एस.टी.एफ. ने अपनी डिस्क्लोजर रिपोर्ट में भी दर्ज किए हैं।

गुरूग्राम में एडीशनल सेशन जज श्री जसबीर सिंह की कोर्ट ने टिप्पणी दी कि आई.पी.एस. धीरज सेतिया ने गुड़गांव में तैनाती के दौरान इस केस की सही जांच नहीं होने दी। इस तरह की तल्ख टिप्पणी आरोपी डॉ. सचिन्द्र जैन की स्टेटमैंट पर की गई, जिसमें कहा गया था कि सेतिया को कुछ दिया गया था।

कोर्ट की टिप्पणी के बाद एस.टी.एफ. ने श्री सेतिया को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। इसी बीच प्रदेश सरकार ने श्री सेतिया को सस्पैंड कर दिया। एस.टी.एफ. ने श्री सेतिया के गुड़गांव निवास पर रेड भी की, किन्तु अभी तक श्री सेतिया न तो पूछताछ के लिए हाजिर हुए और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है।

कोर्ट ने इस मामले में एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे निरस्त कर दिया कि अभी तक तो चोरी की सही रकम तक सामने नहीं आई है। बिल्डर कंपनी जो रकम बता रही है, उससे कहीं अधिक की रिकवरी हो चुकी है। इससे साफ है कि बिल्डर कंपनी कुछ छिपा रही है। कोर्ट का कहना है कि 30–40

करोड़ से अधिक अमाउंट चोरी होने की जानकारी मिल रही है, चर्चाएं भी चल रही हैं।

मुख्यमंत्री महोदय भी स्वयं दो बार गुड़गांव में इस मामले पर मीडिया को अपनी बाइट दे चुके हैं। एक बाइट में उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बार उन्होंने कहा कि उन तक भी सूचनाएं आई हैं कि चोरी 30–40–50 करोड़ या इससे भी ज्यादा की है, इसलिए वे जांच के बाद ही कोई फिगर सार्वजनिक कर पाएंगे।

एस.टी.एफ. इस मामले की जांच के लिए ई.डी. और इनकम टैक्स डिपार्टमैंट को लिख चुकी है। कल ही इनकम टैक्स डिपार्टमैंट ने कुछ नोटिस भी जारी किए हैं।

**श्री अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री नरेणूद्र गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे ।

**श्री नरेन्द्र गुप्ता (फरीदाबाद) :** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि डिसिप्लिन में रहना कहीं हमारी अयोग्यता तो नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष :** ऐसा नहीं है नरेन्द्र जी ।

**श्री नरेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वैश्चन आवर में भी हमारे प्रश्नों के समय पर विपक्ष के साथी हो–हल्ला करते हैं । इसके अलावा मेरे जैसे नये चुनकर आये हुए सदस्यों का क्वैश्चन भी 13वें या 14वें स्थान पर लगता है । सोमवार को भी ऐसा हुआ और आज भी वैसा ही हुआ जिसकी वजह से हमारा प्रश्न टेक अप नहीं हो पाता । मेरा प्रश्न आज भी नहीं लग पाया । अतः आप इस ओर भी ध्यान दें । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने देखना है कि नये विधायकों के साथ क्या हो रहा है । (शोर एवं व्यवधान) मेरे बोलने के समय पर अब दोबारा से हो–हल्ला किया जा रहा है । मैं विधान सभा में पहली बार चुनकर आया हूं और मेरा बोलना विपक्ष के साथियों को सहन नहीं हो रहा है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद की जनता ने मुझ पर विश्वास करके जिताया है । मैंने चुनाव में जनता से अपने शहर को सफाई के मामले में इंदौर से भी पहले स्थान पर लाने का वायदा किया था । इस दिशा में मेरा और सरकार का प्रयास जारी है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार की 'अमरुत योजना' से संबंधित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों से इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं । इस योजना के तहत मुख्य तौर पर यू.एल.बी. डिपार्टमैंट को काम सौंपा गया है । इस समय माननीय मंत्री श्री

अनिल विज सदन में उपस्थित नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 'अमरूत योजना' के तहत जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा है । मैं यह बात माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं । फरीदाबार नगर निगम में उस काम के लिए एस.डी.ओ., एस.ई. जैसे अधिकारी परमानैंटली नहीं लगाए गए हैं । इस वजह से मुझे उन कामों की पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती है । इस योजना के तहत केन्द्र सरकार से जो पैसा आता है उसके पूरे उपयोग के बारे में भी हमें जानकारी की आवश्यकता होती है । इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बारे में मेरा कहना है कि जो दिल्ली–वड़ोदरा एक्सप्रैस–वे बन रहा है उसके साथ बहुत–से माफिया बैठे हुए हैं । अगर गरीब आदमी झुग्गियों में रहे तो समझ में आता है लेकिन कुछ ऐसे माफिया हैं जिनको जहां पर भी जमीन मिलती है वे वहां पर कब्जा कर लेते हैं और वहां पर झुग्गियां बनाकर उनको लोगों को रहने के लिए किराये पर देते हैं । मेरा कहना है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन से झुग्गियों को उठाकर सिंचाई विभाग की जमीन पर ले जाकर उनको बसाया जा रहा है । अतः फरीदाबाद को इंदौर जैसा साफ–सुथरा शहर बनाने का हमारा जो सपना है वे झुग्गियां उसमें रुकावट हैं । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस ओर ध्यान दे । माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय जिनके पास पी.डब्ल्यू.डी. भी है, वे इस समय सदन में नहीं बैठे हैं । कुछ माफिया जमीनों पर कब्जे करते हैं । मैंने माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से कई बार प्रार्थना की है कि वे उनको वहां से उठवायें । अगर उपर्युक्त समस्याओं का समाधान हुआ तो मैंने फरीदाबाद को इंदौर जैसा साफ–सुथरा बनाने का जो वादा किया है और जो सपना देखा है वह पूरा हो पाएगा । मैं माननीय मंत्री श्री अनिल विज से कुछ प्रश्न पूछना चाहता था लेकिन वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं । श्री अनिल विज जी की कार्य प्रणाली से विपक्ष भी निश्चित रुप से खुश है । उन्होंने माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी जी की मांग को स्वीकार करते हुए एकदम डॉक्टर को उसकी प्रेजैंट पोस्टिंग से रिलीव करने की बात कह दी थी । अध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः निवेदन है कि आप नये चुनकर आये हुए विधायकों के प्रश्नों को प्रायर्टी दें । आपको शायद इसमें भी कोई आरक्षण रखना पड़ेगा कि जो विधायक पहली बार बने हैं उनके प्रश्नों को पहले लगायें । आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

**श्रीमती शकुंतला खटक (कलानौर) (एस.सी.):** थैंक यू स्पीकर सर । स्पीकर सर, जब बी.जे.पी. पहली बार सरकार में आई थी तब 2–3 नारें 'भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'सबका साथ सबका विकास' बहुत लगाये जाते थे । मेरा कहना है कि बी.जे.पी. ने साथ तो सबका ले लिया लेकिन विकास किसी का नहीं किया । इस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं । मेरा कहना है कि अगर पूरे हरियाणा में सरकार ने कहीं भी कोई एक ईंट लगाई हो तो हमें बता दें । विकास टेलीविजन और अखबार में तो दिखाया जाता है लेकिन धरातल पर विकास नहीं हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के की समस्याओं के संबंध में डी.सी. ऑफिस से लेकर सदन तक अनेक बार आवाज उठाई है लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है । मेरे हल्के के 2–3 रोड्ज गरनावठी मोड़ से बालंद तक, गरनावठी मोड़ से गरनावठी तक, कनहेली रोड से कलानौर बाइपास तक की हालत बहुत खराब है । इनके कारण अनेकों एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। इन एरियाज के लोगों ने मुझे कल और आज भी फोन करके कहा था कि बहन जी आप हमारी आवाज सदन में उठाएं ताकि हमारी सुनवाई हो सके। ऐसे ही दो लड़कियों के स्कूल्ज के बारे में मैं कह चुकी हूं। इस समय माननीय एजुकेशन मिनिस्टर सदन में नहीं बैठे हैं। इस संबंध में मैं उनको हजारों बार कह चुकी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार मेरे हाथ से कागज लेकर कहा था कि इन कार्यों को जरूर करवायेंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के किसानों के खेतों में जबरदस्त जलभराव की समस्या है। मेरे हल्के के कम से कम 24–25 गांव ऐसे हैं जिनमें जलभराव के कारण किसानों की दुर्गति हो रही है। जब पानी निकालने की बात आती है तो उनके लिए न मोटर मिलती है और न ही बिजली का कनैक्शन मिलता है। वहां पर लोग धरना देते हैं तब जाकर उनको मोटर मिलती है और बिजली का कनैक्शन मिलता है। क्या सरकार का यही विकास है ? इसके अलावा मेरे हल्के के सभी गांवों में पीने के पानी की समस्या है। शिमली, खेड़ी, बालंद, कलावड़ आदि गांवों में पानी की समस्या है। रोहतक कांस्टीच्युएंसी में 65 आउटर कॉलोनीज हैं। अध्यक्ष महोदय, इनमें सीवरेज सिस्टम का बहुत बुरा हाल है और उनके ओवर फ्लो होने से गलियों में पानी बहकर चलता है। इससे लोगों को गलियों में चलने में कठिनाई होती है और लोग उसी पानी में चलने को मजबूर हैं। इन आउटर कॉलोनीज में पीने के पानी की समस्या है और लोग सीवरेज का मिक्स पानी पीने के लिए मजबूर

हैं। इन कॉलोनीज के लोग मेरे को कह रहे थे कि आप यहां से एक पानी की बोतल भरकर ले जाएं और सत्ता पक्ष वालों को एक–एक घूंट पिला देना। फिर मैंने उनको कहा कि वहां पर पानी की बोतल साथ लेकर नहीं जा सकते क्योंकि इसकी वहां पर पाबंदी है। हम नियम का पालन करते है। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त मैं भ्रष्टाचार के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एच.पी.एस. सी. को लेकर साढे चार घंटे तक डिस्कशन हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा अधिकारियों पर थोप दिया है। वह बिल्कुल गलत बात है।

**श्री अध्यक्षः** शकुंतला जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं। आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। अब माननीय सदस्य श्री राजेश नागर जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री शकुंतला खटकः** अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार की शह नहीं होगी तब तक कोई भी अधिकारी गलत काम नहीं कर सकता। मैं यह बात गारंटी के साथ कह सकती हूं। इस सबंधं में, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी करती थी। (शोर व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** शकुंतला जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। आपके बोलने का समय समाप्त हो चुकी है। अब माननीय सदस्य श्री राजेश नागर जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री राजेश नागरः** अध्यक्ष महोदय, (शोर व्यवधान)

**श्रीमती शकुंतला खटकः** अध्यक्ष महोदय, ****(शोर व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** शकुंतला जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। मेरी इजाजत के बैगर माननीय सदस्या जो बोल रही हैं, वह नोट न किया जाए।

**श्रीमती शंकुतला खटकः** अध्यक्ष महोदय, **** (शोर व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** शकुंतला जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। मेरी इजाजत के बैगर आप जो बातें बोल रही हैं, उनको नोट नहीं किया जा रहा है।

**श्री राजेश नागर (तिगांव):** स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे फरीदाबाद में एक नई अथॉरिटी एफ.एम.डी.ए. बनायी गयी है और इसके चेयरपर्सन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें फंड्ज की कमी की वजह से डिवल्पमैंट वर्क्स में दिक्कतें आ रही हैं। हमारे एरियाज की रोडज पुरानी हो चुकी हैं और सीवरेज की भी प्रॉब्लम है इसलिए वहां

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

पर फंड्ज उपलब्ध करवाए जाएं। हमारे वहां पर दो बिजली के सब स्टेशन बनने हैं। वहां पर एक नया ग्रेटर फरीदाबाद बनने जा रहा है। वहां पर 2 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। वहां पर एक टाऊन पार्क और एक स्टेडियम भी बनाया जाये। हमारा कुछ एरिया नगर निगम में भी आता है और नगर निगम में भी फंड्ज की कमी की वजह से सीवरेज और रोडज के काम रूके हुए है। इसलिए नगर निगम को भी फंड्ज दिए जाएं जिससे हमारे जो काम रूके हुए हैं, वे भी पूरे हो सकें। स्पीकर सर, मेरे हल्के के कई गावों की जमीन को एक्वायर किया गया है, परन्तु उनका मुआवजा बहुत सालों से रूका हुआ है। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न भी लगाया था कि हमारे जिन गांवों की जमीन एक्वायर की गयी है उन जमीनों का मुआवजा संबंधित गांव वालों को दिया जाये। इसके अतिरिक्त हमारे वहां पर एक नया नगर निगम बनने जा रहा है उसमें मेरी विधान सभा के 18 गांव शामिल किये गये हैं। वहां पर कर्मचारियों की भी कमी है और वहां पर फंड्ज की कमी के कारण डिवल्पमैंट वर्क्स नहीं हो पा रहे हैं। इन बातों पर भी ध्यान दिया जाये। इसके अतिरिक्त हमारे फरीदाबाद से कई खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में कई मैडल्ज जीते हैं। इनके लिए भी एक शूटिंग एकैडमी बनाई जाये जिससे हमारे नये बच्चे और युवाओं को शूटिंग के खेल का प्रशिक्षण मिल सके। इसके अतिरिक्त हमारे एरिया के तिगांव की बहुत ज्यादा आबादी है जिसके कारण वहां पर समय–समय पर जाम लगता रहता है। इसके लिए भी दो बाईपास बनाये जायें। जिससे वहां पर जाम न लगे। इसके अतिरिक्त बरसात के दिनों में भी हमारे तिगांव में पानी भर जाता है, इसलिए उस पानी की निकासी के लिए भी प्रबन्ध किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे एरिया के मझावली में कई सालों से पुल बन रहा है, उसके कार्य को भी जल्दी पूरा करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती रेणू बाला (सढौरा)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आज मेरा सदन में एक क्वैश्चन लगा हुआ था लेकिन मेरा क्वैश्चन आने से पहले क्वैश्चन ऑवर खत्म हो गया इसलिए सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पहले कार्यकाल के दौरान यानी वर्ष 2015 में आप सढौरा में गये थे, वहां पर आपने स्वास्थ्य केन्द्र सढौरा को अपग्रेड करके

50 बेड का बनाने की घोषणा की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि वर्ष 2015 में सी.एम. घोषणा की गई थी और आज वर्ष 2021 भी खत्म होने को आ गया है लेकिन आज तक वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करना तो दूर की बात रही, न तो वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा दी गई है और न ही वहां पर परमानेंट डॉक्टर्ज अवेलेबल करवाये गये हैं। सरकार द्वारा एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है लेकिन उसकी दूसरे स्वास्थ्य केन्द्र में भी ड्यूटी लगाई हुई है। आये दिन वहां के मरीजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनका प्रोपर तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि उन मरीजों को वहां से रैफर कर दिया जाता है जिसके कारण मरीज की जान को खतरा बना रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से यह आग्रह करूंगी कि वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करके कम से कम 25 बेड का अस्पताल बनाया जाये क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 बेड का अस्पताल बनाने के लिए घोषणा की थी परन्तु यह अस्पताल अभी तक नहीं बन पाया है। अध्यक्ष महोदय, इस समय स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वहां पर परमानैंट डॉक्टर की ड्यूटी भी लगाई जाये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वहां पर एक गायनी की डॉक्टर लगाई जाये क्योंकि वहां की महिलाओं को गायनी डॉक्टर की बहुत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उपस्थित नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि प्रदेश के सभी वोकेशनल टीचर्ज को अपनी मांगों को लेकर पंचकुला में लगभग 2 महीने से ज्यादा धरने पर बैठे हुए हो गये हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी उनकी बातों को सुने और उनकी मांगों को भी पूरा करने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है। उनको धमकाया जा रहा है। उन पर डंडे और लाठियां बरसाने का काम किया जा रहा है। अब आप ही बतायें कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के क्या मायने रह गये? (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलते हुए दो मिनट का समय भी नहीं हुआ है।

**श्री अध्यक्ष :** बहन जी, आपको बोलते हुए 3 मिनट का समय हो गया है।

**श्रीमती रेणू बाला** : अध्यक्ष महोदय, आपने बाकी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : बहन जी, आपने 11 बजकर 30 मिनट पर बोलना शुरू किया था।

**श्रीमती रेणू बाला** : अध्यक्ष महोदय, अब मैं गेस्ट टीचर की बात करूंगी कि उनको सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उसको पूरा करने का काम किया जाये और उनकी नियमित तौर पर भर्ती की जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे जो नम्बरदार हैं उनकी पोस्ट खत्म की गई है उसको बहाल करने का काम किया जाये क्योंकि यह एक सम्मानित पोस्ट है।

**श्री राम करण (शाहबाद)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2017 में चम्मुकलां में एक कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। इस कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। हमने इस कॉलेज के निर्माण के लिए विभाग को पंचायत की जमीन भी उपलब्ध करवा दी थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वहां के कॉलेज को जल्दी से जल्दी बनाने का काम किया जाये। मेरी दूसरी बात यह है कि गांव सरपानी में मैंने एक साल पहले पुल मंजूर करवाया था। इस गांव की जमीन दूसरी साइड में पड़ती है। वहां का ठेकेदार और विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है जिसके कारण गांव के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए इसको भी जल्दी से जल्दी बनाने का काम किया जाये ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब मैं तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि जो हमारी लोकल सड़के हैं जो एक गांव से दूसरे गांव तक जाती हैं, इन सड़कों पर घास बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो रखी है जिसके कारण आये दिन एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। चाहे तो पी. डब्ल्यू.डी.(बी.एंड आर) विभाग या वन विभाग द्वारा सड़क से घास कटवाने का काम करवाया जाये। जैसे जी.टी. रोड से घास काटने का काम एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जाता है उसी तरह से हमारी लोकल सड़कों पर घास कटवाने का काम करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शाहबाद का बस स्टैंड काफी छोटा है इसलिए इस बस स्टैंड को बड़ा बनाने का काम किया जाये। इस बस स्टैंड के सामने पूरा शहर एक तरफ है और स्कूल और कॉलेज में जाने का रास्ता दूसरी तरफ है इसलिए स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए एक अंडर पास बनाने का काम किया जाये। जिन झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों ने हुडा की

जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सरकार इन लोगों को प्लॉट देने क काम करे ताकि वे सरकारी जमीन छोड़कर अपने प्लॉट में घर बनाकर रह सके इसलिए उनको सरकार की तरफ से प्लॉट दिये जायें। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे गांवों में जितने भी जोहड़ और तालाब बने हुए हैं, वहां पर न तो मशीन द्वारा इनकी सफाई करने का काम किया जाता है और न ही इनकी मनरेगा के माध्यम से सफाई करवाई जाती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मशीन या मनरेगा के द्वारा इन तालाबों और जोहड़ों की सफाई करवाने का काम करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन तालाबों और जोहड़ों की चार दीवारी भी बनाने का काम जल्दी से जल्दी करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्मय से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे हल्के के खेतों में जो कच्चे रास्ते हैं, उनके लिए बजट मंजूर किया गया था इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि कच्चे रास्तों के लिए बजट मंजूर करके पक्के रास्ते बनाने का काम जल्दी से जल्दी किया जाये।

**श्री लक्ष्मण नापा (रतिया)** : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि एम.एस.एम.ई. जोकि सैंट्रल गवर्नमैंट की पॉलिसी है उसकी तर्ज पर ही हरियाणा सरकार ने भी एम.एस.एम.ई. पॉलिसी लांच की है लेकिन उसमें कहीं पर भी शिडयूल्ड कॉस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। जो सैंट्रल गवर्नमैंट की एम.एस.एम. ई. पॉलिसी है उसमें शिडयूल्ड कॉस्ट कैटेगरी के लिए 20 परसैंट का प्रॉविजन है कि जो भी कम्पनियां खरीद करेंगी वे एस.सी./एस.टी. owned कम्पनियों से ही करेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सी.एम. साहब से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश सरकार ने एम.एस.एम.ई. पॉलिसी बनाई है उसमें भी 20 परसैंट का प्रावधान किया जाये और जो एस.सी./एस.टी. हब सैंट्रल गवर्नमैंट ने बनाया है जिसका 490 करोड़ रुपये का बजट है उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी एक एस.सी./एस. टी. हब का गठन करे ताकि एस.सी./एस.टी. वर्ग के जो भी लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको आवश्यक फण्ड उपलब्ध हो सके। अभी अंत्योदय मेलों का सरकार के स्तर पर आयोजन किया। उसमें कई योजनायें हैं कि बैंक से लोन लेकर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है लेकिन जो बैंकिंग व्यवस्था है वह बहुत ही मुश्किल है इसलिए मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जो 200 करोड़ रुपये का कॉरपस फण्ड है सरकार इसका प्रॉविजन करे ताकि अनुसूचित जाति के लोग भी उद्योग लगा सकें। कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के

औद्योगिक क्षेत्रों में एस.सी./एस.टी. वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत प्लॉट मिलने की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में सिर्फ एक लाईन ही लिखी हुई है। मैं माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से यह अनुरोध करूंगा कि एम.एस.एम.ई. में शिडयूल्ड कॉस्ट के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले इसकी समुचित व्यवस्था की जाये। कल माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने निजी कम्पनियों की नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। उसमें सरकार का यह जवाब आया था कि इसका इसमें कोई प्रावधान नहीं है लेकिन मेरा यह कहना है कि एम.एस.एम.ई. कम्पनी सरकार की है और यह बात संविधान में लिखी है कि सरकारी कम्पनियों की नौकरियों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान है। मैं माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से कहना चाहूंगा कि यह प्रावधान किया जाये। इसके अलावा मैं दो–तीन अपने हल्के की मांग रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि रतिया शहर में पंजाब बॉर्डर से राजस्थान बॉर्डर तक एक सड़क जाती है। यह एक बहुत ही बिजी सड़क है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सड़क पर रतिया शहर में बाई–पास बनाया जाये। इसी प्रकार से मेरे रतिया शहर में नहरी पानी का वॉटर वर्क्स बनाया जाये।

**श्री लक्ष्मण नापा (रतिया) :** अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि एम.एस.एम.ई. जोकि सैंट्रल गवर्नमैंट की पॉलिसी है उसकी तर्ज पर ही हरियाणा सरकार ने भी एम.एस.एम.ई. पॉलिसी लांच की है लेकिन उसमें कहीं पर भी शिडयूल्ड कॉस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। जो सैंट्रल गवर्नमैंट की एम.एस.एम.ई. पॉलिसी है उसमें शिडयूल्ड कॉस्ट कैटेगरी के लिए 20 परसैंट का प्रॉविजन है कि जो भी कम्पनियां खरीद करेंगी वे एस.सी./एस.टी. owned कम्पनियों से ही करेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सी.एम. साहब से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश सरकार ने एम.एस.एम.ई. पॉलिसी बनाई है उसमें भी 20 परसैंट का प्रावधान किया जाये और जो एस.सी./एस.टी. हब सैंट्रल गवर्नमैंट ने बनाया है जिसका 490 करोड़ रुपये का बजट है उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी एक एस.सी./एस.टी. हब का गठन करे ताकि एस.सी./एस.टी. वर्ग के जो भी लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको आवश्यक फण्ड उपलब्ध हो सके। अभी अंत्योदय मेलों का सरकार के स्तर पर आयोजन किया। उसमें कई योजनायें हैं कि बैंक से लोन लेकर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है लेकिन जो बैंकिंग व्यवस्था है वह बहुत ही मुश्किल है इसलिए मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जो 200 करोड़ रुपये

का कॉरपस फण्ड है सरकार इसका प्रॉविजन करे ताकि अनुसूचित जाति के लोग भी उद्योग लगा सकें। कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में एस.सी./एस.टी. वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत प्लॉट मिलने की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में सिर्फ एक लाईन ही लिखी हुई है। मैं माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से यह अनुरोध करूंगा कि एम.एस.एम.ई. में शिडयूल्ड कॉस्ट के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले इसकी समुचित व्यवस्था की जाये। कल माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने निजी कम्पनियों की नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। उसमें सरकार का यह जवाब आया था कि इसका इसमें कोई प्रावधान नहीं है लेकिन मेरा यह कहना है कि एम.एस.एम.ई. कम्पनी सरकार की है और यह बात संविधान में लिखी है कि सरकारी कम्पनियों की नौकरियों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान है। मैं माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से कहना चाहूंगा कि यह प्रावधान किया जाये। इसके अलावा मैं दो–तीन अपने हल्के की मांग रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि रतिया शहर में पंजाब बॉर्डर से राजस्थान बॉर्डर तक एक सड़क जाती है। यह एक बहुत ही बिजी सड़क है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सड़क पर रतिया शहर में बाई–पास बनाया जाये। इसी प्रकार से मेरे रतिया शहर में नहरी पानी का वॉटर वर्क्स बनाया जाये।

**श्री जयवीर सिंह (खरखौदा) :** स्पीकर सर, सबसे पहले तो मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सर, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार के स्तर पर प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति बड़े–बड़े विज्ञापन दिये जाते हैं। कोरोना से हर आदमी को जूझना पड़ा है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में कोरोना की तकलीफ को झेला है। यहां पर बहुत से साथियों द्वारा यह भी कहा जाता है कि कोरोना काल में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया। मैं विशेष तौर पर सफाई कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि प्रदेश के सफाई कर्मचारी ने कोरोना महामारी से लड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी तभी एंटर करता था जब सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई कर दी गई होती थी लेकिन उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस समय प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारियों की हालत बहुत ही दयनीय है। मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है कि सरकार को प्राथमिकता के तौर पर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की हर सम्भव मदद करनी चाहिए। सफाई

कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी जाये। उसके बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो। चाहे कोई भी मौसम हो वह अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सुबह–सुबह 6 बजे अपने काम पर निकल जाता है। उसको यह चिंता नहीं होती कि उसके बच्चे स्कूल में जायेंगे या नहीं जायेंगे। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह भी करना चाहूंगा कि जो सफाई कर्मचारियों की ठेकदारी प्रथा है हरियाणा प्रदेश से इसको तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि हर ठेकेदार सफाई कर्मचारियों का शोषण करता है। मैंने उनकी पीड़ा को स्वयं महसूस किया से बहुत से ज्ञापन भी आये हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पास नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान की ओर से उनकी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान करने का काम करे। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सफाई कर्मचारियों में ठेकेदारी प्रथा को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाये क्योंकि सफाई कर्मचारियों का ठेकेदारों द्वारा बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो सफाई कर्मचारियों के 13000 पद खाली पड़े हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से भरने का काम किया जाये। मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हमने उनको यह बात बताई कि ग्रामीण आंचल में भी सफाई कर्मचारियों की जरूरत है तो उन्होंने हमारी बात को मानकर प्रदेश के ग्रामीण आंचल में भी हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम किया था। यह बड़े दुख की बात है कि पिछले सात साल के दौरान अनेक सफाई कर्मचारियों को हटाया तो गया है लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। मेरा यह कहना है कि चाहे गांव हो या फिर शहर हो प्रत्येक वार्ड में एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है। सरकार को इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। स्पीकर सर, मैंने एक क्वैश्चन खरखौदा अस्पताल के बारे में लगाया था। उसके जवाब में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा है कि उसको 50 बैड का अस्पताल बनाया जायेगा। स्पीकर सर, हुड्डा साहब ने 20 फरवरी, 2010 को उस अस्पताल को 100 बैड का अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा वहां पर सारी की सारी सुविधायें देने की भी बात की गई थी लेकिन जब से बी.जे.पी. सरकार आई है इस सम्बन्ध में कोई भी

कार्यवाही नहीं की गई है। स्पीकर सर, वहां पर डॉक्टर्ज की दो ही पोस्टें हैं लेकिन वहां पर 650 से 700 प्रतिदिन की ओ.पी.डी. हैं। वहां पर सिर्फ पर्ची काटने की सुविधा है। इसके अलावा वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यही अनुरोध है कि मेरे खरखौदा के अस्पताल को 100 बैड का अस्पताल बनाया जाये। स्पीकर सर, कल सदन में यह बात आई थी कि छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए बहुत परेशानी होती है। मेरे खरखौदा में सभी प्रकार की रजिस्ट्रियां बंद हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि मेरे खरखौदा में सभी प्रकार की रजिस्ट्रियों को खोला जाये ताकि आम जनता को इससे होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सके। स्पीकर सर, सफाई कर्मचारियों की तरफ से मुझे जो ज्ञापन दिया गया है मैं उसको सदन के पटल पर रख देता हूं। आप कृपया करके उसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा दें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है।

***श्री जयवीर सिहं:** ठीक है अध्यक्ष महोदय, यह सारे कागजात निम्न प्रकार है–

186 76

# नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा

(सम्बंधित :सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा)

प्रादेशिक मुख्यालय : नगर निगम कर्मचारी यूनियन कार्यालय, नजदीक नगर निगम मुख्यालय
बी.के. चौक, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001 (हरियाणा)
E-mail : npks.haryana@gmail.com

नरेश कुमार शास्त्री
प्रांतीय प्रधान
म. नं. 329, रूल्यापुरी, एन.एच.3,
एन.आई.टी. फरीदाबाद (हरियाणा)
मो०: 9540669779, 8750505741

मांगेराम तिगरा
महासचिव
गांव तिगरा, वाल्मीकि बस्ती, पोस्ट नाहरपुर,
तहसील जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
मो०: 8708455761, 8930909412

क्रमांक : न.पा.क.सं.ह./.....

दिनांक : 10/3/21

सेवा में,

माननीय मनोहर लाल खट्टर,
मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

मार्फत विधायक श्री मति गीता भुक्कल जी

Hon'ble Speaker Sir kindly look into the memorandum of M.C employees Pl.

Jaiveer Valmiki M.L.A

विषय:– ज्ञापन व मांग पत्र।

मान्यवर / महोदय,

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि संघ व सरकार के मध्य 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को कर्मचारियों की मांगों कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रूपये आर्थिक सहायता राशि व नियमित रोजगार, देने, 4 हजार जाखिम भत्ता देने, ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 की काटी गई राशि कर्मचारियों के खोतों में जमा करन, क्षेत्रफल व आबादी के अनुपात में नये पद सृजित पर नियमित भर्ती करने, सफाई कर्मचारियों व फायर कर्मचारियों की जर्त पर अन्य सभी तृतिय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर करने फायर विभाग के 1368 पेरोल पर आये कर्मचारियों व अन्य टेके के कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर मर्ज करने, छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापिस लेने सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी थी। और सरकार ने वार्ता के दौरान ठोस आशवासन दिया कि जल्द मानी गई मांगो के पत्र जारी करने का भरोसा दिया था। लेकिन लम्बा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किये, मानी गई मांगो के पत्र जारी करवाने के लिये संघ लगातार आन्दोलन की राह पर है लेकिन सरकार लगातार कर्मचारियों की मांगों को अन्देखा कर रही है वही सरकार फायर विभाग को निकाय विभाग से अलग कर राजस्व विभाग में शामिल करने जा रही है जिससे फायर विभाग के कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मन्डरा रहा है । प्रदेश की पालिकाओं, परिषदों व निगमों के कर्मचारियों ने 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020, के समझोतों को लागू करवाने व फायर विभाग को पुनः निकाय विभाग में शामिल करवाने के लिये 19 सितम्बर को मुख्यमंत्री जी के आवास करनाल में प्रदर्शन किया । प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन करनाल ने संघ को लिखित पत्र देकर 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराने का आशवासन दिया, संघ ने जिला प्रशासन के लिखित पत्र पर विश्वास करते हुये अपने आन्दोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि अभी तक भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई वार्ता का सन्देश नहीं आया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना काल में अपनी जान जाखिम में डालकर काम करने वाले कोरोना योद्धाओंकी मांगों को सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही सरकार के इस रवैये से नाराज नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 17 अक्टूबर 2021 को रोहतक में राज्य स्तरीय कन्वैन्शन आयोजित कर 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 के समझोते को लागू करवाने व फायर विभाग को निकाय विभाग से अलग करने के विरोध राज्य स्तरीय आन्दोलन करने का फैसला लिया था। जिसका नोटिस संघ ने 26.10.2021 को सरकार को भेजकर अनुरोध किया कि 10.11.2021 से पहले पहले संघ के साथ बात–चीत कर उक्त सभी मानी गई मांगों के पत्र जारी करे तथा नई उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान हेतु समय व स्थान सुनिश्चित कर संघ को अवगत करायें लेकिन सरकार ने संघ के अनुरोध पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की ।

MLA.

Scanned with CamScanner

187

--2--

इसलिये संघ के फैसले के अनुसार प्रदेश की कमिश्नरी वाईज सभी जिला उपायुक्तों के कार्यालय पर जिलावार एवं तिथिवार प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया है जिसके तहत दिनांक 11 नवम्बर से 26 नवम्बर तक सभी कमिश्नरी के जिला उपायुक्तों के कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन व मांग पत्र प्रषित किये गये हैं। लेकिन सरकार ने आजतक न तो मानी गई मांगों के पत्र जारी किये है और न ही मांग पत्र पर बात–चीत करने का समय दिया है। इसलिये प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं व फायर विभाग के कर्मचारी कमिश्नरी वाईज प्रदेश के सभी मन्त्रीयों, सांसदों, विधायकों के आवास .....से..... तक प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे, इस कम में आज ..... कमिश्नरी के मन्त्रीयों, सांसदों, विधायकों के आवास पर आज दिनांक ..... को ..... ज्ञापन प्रेषित किया गया ।

अतः संघ अनुरोध करता है कि जल्द से जल्द 25 अप्रैल व 17 अगस्त के समझोतों में मानी गई मांगों के पत्र जारी करने का कष्ट करें व फायर विभाग को निकाय विभाग में पुनः शामिल करने तथा नई उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान हेतु संघ के साथ बातचीत करने का समय व स्थान सुनिश्चित कर संघ को अवगत करवाने का कष्ट करें अन्यथा संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल के आन्दोलन की घोषणा करेगा, जिसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से

राज्य प्रधान

जिला प्रधान

राज्य सचिव

रोहतक
8168092375

मांग पत्र संलग्न :–

सन्दीप विकास इंकाई सचिव झज्जर
9050828009
कुलदीप कर्मचारी - 34 पुस्तान-
7404628
किशन, मि मनीषा
बबली
गौरव, मनीष सुरेश
नवीन बबीता
Vikash up Parddhan
9817939180

Scanned with CamScanner

188

# मांग पत्र।

1 25 अप्रैल, 2020 के समझौते को लागू करो।

क) 25 अप्रैल, 2020 को संघ व सरकार के बीच हुई वार्ता में पालिका, परिषदों व निगमों के कर्मचारियों को कोरोना वायरस से मौत होने पर 50 लाख रूपये विशेष आर्थिक सहायता राशि देने व मृतक के आश्रितों को नियमित रोजगार दिया जाये।

ख) 4000/– रूपये जोखिम भत्ता लागू किया जाये।

2 ठेका प्रथा समाप्त करने।

क) सफाई कर्मचारियों, सीवरमैनों एवं फायर कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी के सेवादार, माली, बेलदार, चौकीदार, क्लीनर तथा तृतीय श्रेणी के सहायक सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, लिपिक, बिल वितरक, सहायक निरीक्षक, निरीक्षक, ड्राईवर, व्हीकल इन्सपैक्टर, कनिष्ठ अभियन्ता, वाटर पम्प ऑपरेटर, वाटर पम्प हैल्पर, ट्यूबवेल मैकेनिक व हैल्पर, फिटर, इलैक्ट्रीशन, मैशन, रोड़ इन्सपैक्टर, मैट, हैड माली, सफाई दरोगा व अन्य तृतीय श्रेणी के क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, वाटर पम्प चालक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, सहायक सफाई निरीक्षक, ड्राईवर, कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर रखा जाये।

3 रेगुलराईजेशन।

क) 2 वर्षों के अनुभव के आधार पर अनुबन्धित आउटसोर्सिंग पार्ट–1 व पार्ट–2 में लगे सफाई कर्मचारियों, सीवरमैनों तथा क्षेत्रफल आबादी व कार्य की अधिकता एवं आवश्यकतानुसार चतुर्थ श्रेणी के सेवादार, माली, बेलदार, चौकीदार, क्लीनर तथा तृतीय श्रेणी के सहायक सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, लिपिक, बिल वितरक, सहायक निरीक्षक, निरीक्षक, ड्राईवर, व्हीकल इन्सपैक्टर, कनिष्ठ अभियन्ता, वाटर पम्प ऑपरेटर, वाटर पम्प हैल्पर, ट्यूबवेल मैकेनिक व हैल्पर, फिटर, इलैक्ट्रीशन, मैशन, रोड इन्सपैक्टर, मैट, हैड माली, सफाई दरोगा व अन्य को रेगुलराईजेशन नीति बनाकर पक्का किया जाये या पूर्व सरकार द्वारा पत्र कमांक 12/105/2014–5का1 दिनांक 13–08–2014 के पत्र को लागू करते हुये शैक्षणिक योग्यता व आयु आदि में ढील देकर नई नियुक्ति की जायें।

ख) नगर निगम, फरीदाबाद में दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों, मैशन, बेलदार, माली, ट्यूबवैल ऑपरेटर, ड्राईवर, सीवरमैन व अन्य सहायकों व हिसार में 8 सफाई कर्मचारियों को नियम व शर्तों में ढील देकर नियमित किया जाये तथा नियमित होने तक पार्ट–2 के कर्मचारियों की भांति समान काम समान वेतन दिया जाये।

ग) 1366 फायरमैनों व फायर ड्राईवरों को फायर ऑपरेटरों के 2260 स्वीकृत पदों पर समायोजित कर नियमित किया जाये।

Scanned with CamScanner

189

4 विभिन्न पालिका, परिषद व निगमों तथा स्थानीय निकायों के फायर व मार्केट कमेटी के फायर स्टेशनों से छंटनी किये गये कर्मचारियों को ड्यूटी पर बहाल करों।

क) पालिका, परिषद व निगमों से 24 मई, 2010 के बाद पुण्ड्री से 19 सफाई कर्मचारी व भिवानी से 190, उचाना से 13, सफीदो से 39, गहम से 40, सोनीपत से 15, पंचकुला से 51, पानीपत से 230, कैथल से 65, घरोडा से 65, निसींग से 20, नीलोखेडी से 12, बेरी से 1, रानिया से 3, फतेहाबाद से 2, करनाल से 198 हटाये गये सभी सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर पुनः बहाल किया जाये।

ख) स्थानीय निकायों के फायर स्टेशनों से 24 मई, 2018 के बाद छंटनी किये गये फायरमैनों व फायर ड्राईवर, सोनीपत से 4, पानीपत से 4, जाखल से 1 हटाये गये सभी फायरमैनों व ड्राईवरों को ड्यूटी पर बहाल करो।

ग) मार्केट कमेटी के बन्द किये गये फायर स्टेशनों, हांसी, उकलाना, भूना, कलायत व कैथल को पुनः चालू करो तथा इन स्टेशनों से नौकरी से निकाले गये फायर ड्राईवरों व फायरमैनों को ड्यूटी पर वापिस लो।

5 वेतन।

क) पालिका, परिषद व निगमों में विभाग के रोल पर लगे सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाये तथा 10 मेडिकल अवकाश व 10 आकस्मिक अवकाश लागू किया जाये।

ख) पालिका, परिषद व निगमों में लगे सभी ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग, डोर–टू–डोर के सफाई कर्मचारियों व सीवरमैनों का वेतन एक समान करते हुये मंहगाई के मध्य नजर 24 हजार रूपये दिया जाये तथा 5 प्रतिशत प्रति वार्षिक बढ़ोतरी की जाये।

ग) पालिका, परिषद व निगमों की सीमा बढ़ाने व नई पालिकाओं के गठन के बाद पालिका, परिषद व निगमों में आये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, टयूववैल चालकों व चौकीदारों को कर्मचारियों का दर्जा दो तथा पालिका कर्मचारियों की तर्ज पर विभाग के रोल पर करो। वेतन व ई0एस0आई0सी0 व ई0पी0एफ0 व अन्य सुविधा लागू करो।

घ) पालिका, परिषद व निगमों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख व सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को माह की 7 तारीख को वेतन दिया जाये।

6 सभी कैडरों के नये पद सृजित करने।

क) 400 की आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों, सीवरमैनों तथा क्षेत्रफल आबादी व कार्य की अधिकता एवं आवश्यकतानुसार चतुर्थ श्रेणी के सेवादार, माली, बेलदार, चौकीदार, क्लीनर तथा तृतीय श्रेणी के सहायक सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, लिपिक, बिल वितरक, सहायक निरीक्षक, निरीक्षक, ड्राईवर, व्हीकल इन्सपैक्टर,

Scanned with CamScanner

190 ~~80~~

कनिष्ठ अभियन्ता, वाटर पम्प ऑपरेटर, वाटर पम्प हैल्पर, इलैक्ट्रिकल मैकेनिक व हैल्पर, फिटर, इलैक्ट्रीशन, मैशन, रोड इन्सपैक्टर, पैंट, बैग माली, सफाई दरोगा व अन्य श्रेणियों के नये पद सृजित कर फौरी भर्ती की जाये।

ख) फायर स्टेशन नारनौल जिला हिसार में 21 फायर ऑपरेटर, 3 लीडिंग फायरमैन, 1 एस0ओ0 का पद सृजित किये जाये।

7 भर्ती करने।

क) कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रदेश की पालिका, परिषद व निगमों में 12500 सफाई कर्मचारी व 1050 सीवरमैनों की नियमित नियुक्ति की जाये।

ख) नगर निगम, फरीदाबाद में 1000, सफाई कर्मचारी व 500 सीवरमैन, गुरूग्राम में 1000, सफाई कर्मचारी व 200 सीवरमैन तथा रोहतक, हिसार, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर व पंचकुला में 500–500 सफाई कर्मचारी व 50–50 सीवरमैनों की भर्ती करे तथा सभी परिषदों में 200–200 सफाई कर्मचारी तथा पालिकाओं में 50–50 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये।

ग) सीवरमैन की नियमित भर्ती पर लगाई गई रोक को हटाया जाये।

घ) पालिका, परिषद व निगमों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की आधार कार्ड में दर्शाई गई उम्र के अनुसार कर्मचारियों को सेवानिवृत किया जा रहा है। इन कर्मचारियों की आयु को आधार कार्ड से न मापकर जन्म प्रमाण पत्र या सिविल सर्जन से उम्र का मेडिकल करवाकर उम्र तय की जाये।

8 जी0आई0एस0।

क) अन्य विभागों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति प्रदेश की पालिका, परिषदों व निगमों के कर्मचारियों की जी0आई0एस0 की राशि काटी जाये ताकि इन कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके। अभी पालिका, परिषदों व निगमों में 1/– रूपये जी0आई0एस0 की राशि काटी जा रही है।

9 सीवरमैन व सफाई के कार्य को राष्ट्रीय श्रम घोषित करने।

सीवरमैन व सफाई के कार्य को राष्ट्रीय श्रम घोषित किया जाये तथा ठेका प्रथा व कच्चे कर्मचारी रखने की नीति बन्द करो। नियमित, अनियमित, ठेकेप्रथा, अनुबन्धित आधार, वर्क आउटसोर्सिंग, नियमित कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी का वेतन दो तथा योग्यता के आधार पर तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत करो।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

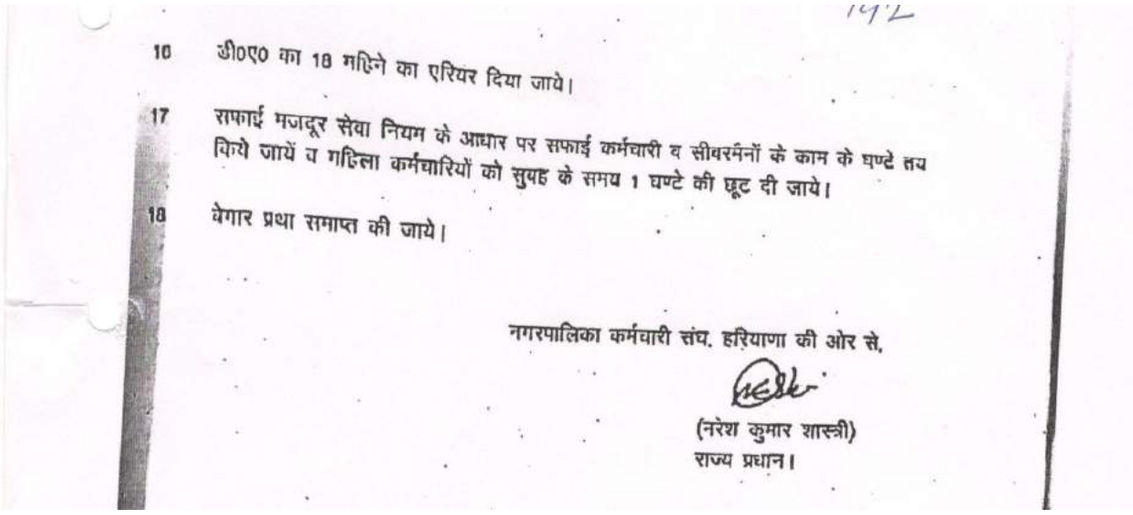

16 डी०ए० का 18 महिने का एरियर दिया जाये।

17 सफाई मजदूर सेवा नियम के आधार पर सफाई कर्मचारी व सीवरमैनों के काम के घण्टे तय किये जायें व महिला कर्मचारियों को सुबह के समय 1 घण्टे की छूट दी जाये।

18 बेगार प्रथा समाप्त की जाये।

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा की ओर से,

(नरेश कुमार शास्त्री)
राज्य प्रधान।

**श्री लक्ष्मण यादव (कोसली):** अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आज पूरा देश और हरियाणा प्रदेश आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है लेकिन हमारी सरकार की घोषणा के अनुसार हमें वर्ष 1962, 1965 और वर्ष 1971 के शहीदों को नौकरी देनी थी जिनमें से दो शहीदों के आश्रितों को सरकार नौकरी दे चुकी है और पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल 6 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देना बाकी हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि अपनी घोषणा के अनुसार उन 6 शहीदों के आश्रितों को भी नौकरी देने का काम करे। यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और अमृत महोत्सव का अर्थ भी सार्थक होगा। इनमें मेरे हल्के रेवाड़ी के 4 लोग हैं। रोहित यादव पुत्र श्री पृथ्वी सिंह वर्ष 1971 की लड़ाई में शहीद हुए। अजय यादव पुत्र श्री चमन लाल वर्ष 1962 की लड़ाई में शहीद हुए। अमित कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह वर्ष 1962 की लड़ाई में शहीद हुए और पंकज कुमार पुत्र श्री ईश्वर सिंह वर्ष 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे जोकि ये मेरे ही क्षेत्र के लोग है। कृपा सरकार इनके आश्रितों को नौकरी देकर अपनी घोषणा को पूरा करने का काम करे। कोसली विधान सभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है लेकिन उसमें पशुधन भी किसान की आय बढ़ाने में एक बड़ा स्रोत है इसलिए मैंने पशु अस्पताल की डिमांड पहले भी रखी थी और आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं। मेरा सरकार से निवेदन है कि बारमपुर, जुड्डी, कुमरोदा, जैनाबाद, गुज्जरवास, सुरखपुर और कनहोरी, कराहवरा, मानकपुर झाल चौकी नम्बर–2, बांस, कटोड़ी, लुहाना और छअुवा गांवों में पशु अस्पताल बनाने का काम करे। ठीक उसी तरह से मैं खेल मंत्री आदरणीय श्री संदीप जी को भी कहना चाहूंगा कि वे अवाली में एस्ट्रोटर्फ की घोषणा करके आए थे क्योंकि मेरे क्षेत्र के खिलाड़ियों ने हॉकी में अन्तर्राष्ट्रीय लैवल पर खेलने का काम किया है इसलिए उस

एस्ट्रोटर्फ को भी जल्द से जल्द बनवाया जाए। ठीक इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने 6 साल पहले कोसली उप मण्डल में एक बाईपास बनाने की घोषणा की थी लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछले सदन में कहा गया था कि हम उस पर एक महीने में काम शुरू करवाएंगे लेकिन अभी तक उस पर कोई काम चालू नहीं किया गया है। उसी तरह से कोसली क्षेत्र में गांव जाटूसाना में फ्लोर मिल की हैफड द्वारा बनवाने की घोषणा की गई थी। उसमें भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है। कोसली विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने गांव जाटूसाना में कॉलेज बनाने की भी घोषणा की थी क्या सरकार वह घोषणा भी पूरी करने का कष्ट करेगी। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में दो सी.एच.सीज. हैं। एक गांव नहाड़ में है और दूसरी गांव बुरावड़ा में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी मेरी सरकार 50–50 बैड का अस्पताल बनाने और उनका जीर्णोद्धार करने का काम करे। अन्त में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज नौकरियों में जो पारदर्शिता लाने का काम किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

**श्री मेवा सिंह (लाडवा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में ही नहीं बल्कि हमारे इलाके लाडवा में जाम लगने की एक बहुत बड़ी समस्या है। यमुनानगर में माईनिंग होती है और वहां से बड़े–बड़े ट्राले रेत, बजरी और पत्थर लेकर निकलते हैं। उनसे पैसे तो यमुनानगर वाले कमाते हैं और जाम की समस्या से लाडवा एरिया वालों को भुगतना पड़ता है। लाडवा के बीच में एक इन्द्री चौंक बहुत छोटा चौंक है जहां भीम राव अम्बेडकर जी का स्टैच्यु लगा हुआ है। वहां जाम के कारण कई बार उस स्टैच्यु को भी नुकसान हुआ है। मैं यह समस्या कई बार सदन में उठा चुका हूं कि लाडवा में एक बाईपास बनाया जाए। बाईपास का नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां तीन–चार किलोमीटर की सड़क बना देंगे और लाडवा–यमुनानगर सड़क को लाडवा–करनाल सड़क में मिला देंगे तो हमारे इलाके की जाम की समस्या का हल हो जाएगा। यह केवल हमारे इलाके की समस्या नहीं है बल्कि जब कई जिलों के लोग यहां से हरिद्वार, ऋषिकेश और मंसूरी जाते हैं या कोई फूल लेकर हरिद्वार जाता है तो वे कई–कई घंटों तक वहां जाम में फंसे रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि वह सड़क जरूर बनवाने का काम करें। दूसरा पिपली में एक पी.एच.सी. बनी हुई है जिसके लिए पिछले सैशन में खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी यह माना था कि उस पी.एच.सी. की हालत बहुत दयनीय

है। उन्होंने कहा था कि अगर विधायक जी वहां जमीन दिलवाने का काम करेंगे तो हम वहां पर ट्रॉमा सैंटर बनाने का काम करेंगे। मैंने वहां जमीन देने का रैजोल्यूशन भी दे दिया है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप वहां ट्रॉमा सैंटर नहीं बना सकते हैं तो कम से कम वहां एक सी.एच.सी. ही बना दीजिए। इसी तरह से एक सरस्वती हैरिटेज बोर्ड बनाया हुआ है जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री जी हैं। कुरूक्षेत्र आधा शहर बरसात के दिनों में डूब जाता है और कई गांवों में पानी भर जाता है वहां से पानी की निकासी का सिर्फ एक ही साधन है सरस्वती नदी और उस सरस्वती नदी में इतना ज्यादा कब्जा हो चुका है कि पानी की निकासी एक तरह से बंद हो चुकी है। यहां पर प्रापर्टी डीलरों ने छोटे– छोटे पुल बनाकर उसमें रास्ते बना लिए है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि निशानदेही वगैरह करवाकर सभी अवैध कब्जों को तुड़वाने का काम किया जाये और इसके बाद इस नदी की खुदाई करवाकर, इस इलाके के गांवों को डूबने से बचाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। हमने जीरी की परचेज के विषय पर कालिंग अटैंशन नोटिस भी लगाने का काम किया था। मेरा निवेदन है कि जीरी की खरीद 15 सितम्बर से शुरू कर दी जाये। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** मेवा सिंह जी, आपका बोलने का समय पूरा हो चुका है। आप प्लीज बैठिए और धर्मपाल गौंदर जी को अपनी बात रखने दें।

**श्री मेवा सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मेरी एक–दो बातें और रह गई हैं। मेरा अनुरोध है कि मुझे मेरी पूरी बात रखने दी जाये।

**श्री अध्यक्षः** देखिए, सदन के दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठ जाये और गौंदर जी को उनकी बात रखने दें।

**श्री धर्मपाल गौंदर (नीलोखेड़ी):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिनके कुशल प्रशासन की अवधारणा की वजह से मनाना गांव की जिस लड़की का मर्डर किया गया था, उस मर्डर को करने वाले अपराधी पकड़े गए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अपराधियों को तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग में सरकार द्वारा करोड़ों रूपये का बजट अधिकारियों/कर्मचारियों की सैलरीज व दूसरी योजनाओं पर खर्च किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आज से 60

वर्ष पहले एक ड्रेन खोदी गई थी जोकि वैसे तो कुदरत की तरफ से दी गई एक नदी है जिसको चेतंग नदी के रूप में जाना जाता है और जोकि वर्तमान में नाली का रूप धारण कर चुकी है। मेरा निवेदन है कि इसकी पुनः खुदाई करके इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाई जाये। अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी विधान सभा में निसिंग से डाचर और डाचर से चौरकारसा तक जो चेतंग नदी नाली का रूप धारण कर चुकी है, उसकी भी खुदाई करके कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया जाये। इस पर केवल साढे छः करोड़ रूपया ही खर्च आयेगा लेकिन यह खर्च हर वर्ष किसानों को होने वाले 15 हजार करोड़ रूपये के नुकसान से काफी कम होगा। अतः इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। आज से चार साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीलोखेड़ी की मंडी को बाहर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की थी और इसके लिए मनकमाजरा और पूजम गांव की जमीन देने का फैसला किया गया था। यही नहीं मनकमाजरा और पूजम गांव के बीच में से जो रास्ता बनाया गया था, इस रास्ते में कई बाड़ें आते हैं, यदि रास्ता बनाया जाता है तो इन बाड़ें के मालिकों को भी कोई आपत्ति नहीं है। अतः रास्ता तैयार करके इस मंडी को जल्द से जल्द बाहर शिफ्ट करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां निगदू गांव में बस स्टैंड बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की 2015 की एक अनाउंसमैंट है और इस कार्य के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की तरफ से मंडी बोर्ड को जमीन के लिए पैसे भी दे दिए गए है लेकिन बावजूद इसके इस बस स्टैंड के विषय पर कोई विचार नहीं किया गया है अतः मेरा अनुरोध है कि इस बस स्टैंड को जल्द से जल्द बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, निगदू एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। इस गांव के तथा इसके साथ लगते गांवों में लगभग 900 के करीब बच्चे कॉलेज नहीं होने की वजह से 12वीं कक्षा के बाद आगामी पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं । अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि यहां पर जो साढे नौ एकड़ पंचायती जमीन इस काम के लिए प्रस्तावित है, उस जमीन पर जल्द से जल्द कालेज बनाने का काम किया जाये। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** गौंदर जी, आपका बोलने का समय पूरा हो चुका है। आप प्लीज बैठिए।

**श्री धर्मपाल गौंदर :** अध्यक्ष महोदय, मेरी एक–दो बातें और रह गई हैं। मेरा अनुरोध है कि मुझे मेरी पूरी बात रखने दी जाये।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** देखिए, सदन के दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठ जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय उठाये जा रहे हैं लेकिन ट्रेजरी बैंचिज पर मिनिस्टर बैठे नहीं हैं। इतनी क्या इमरजेंसी हैं कि मंत्री सदन में अवेलेबल ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** मलिक जी, सदन में पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर बैठे हुए है। यह उनका मामला है। आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे तो हैं लेकिन वे कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं। इतनी क्या अरजैंसी है कि मंत्री सदन में अवेलेबल ही नहीं होते।

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपनी चिंता करनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सदन की प्रोसिडिंग्ज भी रिकॉर्ड हो रही है और मैं भी सभी प्वॉयंट्स नोट कर रहा हूँ इसलिए माननीय सदस्य यदि अपनी चिंता कर लें तो वह ही ज्यादा बेहतर होगा।

**श्री अध्यक्षः** मलिक साहब, अब आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। गौतम जी, अब आप अपनी बात रखें।

**श्री राम कुमार गौतम (नारनौद):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत मुद्दत के बाद हरियाणा प्रदेश में ऐसी रिवायत शुरू की है कि जो होशियार बच्चे हैं उन्हें रोजगार मिल सके। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) जिसका पिता नहीं है उसको नौकरी में अलग से 5 नम्बर देने का प्रावधान किया गया, जिसके घर में कोई रोजगार नहीं है उसको भी नौकरी में अलग से 5 नम्बर देने का प्रावधान किया गसर है और अतिरिक्त योग्यता के आधार पर भी नौकरी में अलग–अलग नम्बर देने का प्रावधान किया है। मैं आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे बोलने के समय पर जरूर ध्यान दें।

**श्री अध्यक्षः** पंडित गौतम जी, सभी माननीय सदस्यों का तीन मिनट का समय निर्धारित किया गया है फिर भी आपको चार मिनट बोलने का समय दिया जायेगा।

**श्री राम कुमार गौतमः** अध्यक्ष महोदय, सदन में एक मामला ई.बी.पी.जी.सी. का उठा था। सरकार ने उसमें पूरे तरीके से कार्यवाही नहीं की जिस कारण वह मामला अभी

भी माननीय न्यायालय में लंबित है। यह मामला वर्ष 2015 का है और वे बेचारे लाखों रुपये खर्च करके माननीय न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। इसमें ऑक्शन रिकॉर्डर, मण्डी सुपरवाईजर, टैक्सेशन इंस्पैक्टर आदि हैं। इनमें कई बच्चे तो लग चुके हैं और कुछ ही बचे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस संबंध में केवल एक ही शपथ–पत्र लेना है कि जो भी फैसला इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में आयेगा वही मान्य होगा, इस शर्त पर सरकार को उनको ज्वाईन करवाना चाहिए। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हरियाणा प्रदेश में एस.सी. क्लास का बैकलॉग तुरंत प्रभाव से भरना चाहिए। विशेषतौर से पुलिस विभाग में तो इसका पालन जरूर से जरूर करना चाहिए। प्रदेश में किसी एस.सी. वर्ग के बच्चे साथ जब भी अन्याय होता है तो पुलिस विभाग में उसके वर्ग का कोई नहीं होता है तो उसको यह महसूस होता है कि वह न्याय से वंचित रह जायेगा। अध्यक्ष महोदय, बी.सी.–ए में 16 प्रतिशत और बी.सी.–बी में 11 प्रतिशत रिजर्वेशन की दो कैटेगरी बनाई हुई है। यह रिजर्वेशन क्लास वन और क्लास टू में भी लागू होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि इस संबंध में सदन को एक रैजोल्यूशन बनाकर भेजना चाहिए। सैंटर की नौकरियों में भी जो असली बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनको एक प्रतिशत भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के शासन काल में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा ने 10 प्रतिशत स्पेशली बैकवर्ड क्लास के लिये और 10 प्रतिशत ही ई.बी.पी.जी.सी. के लिये लागू किया था। वह बहुत ही अच्छी शुरूआत थी। इसकी भी माननीय न्यायालय में अच्छी तरह से पैरवी नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, ई.बी.पी.जी.सी. में जनरल कैटेगरी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनके पास कोई धन–दौलत जमीन–जायदाद कुछ भी नहीं है। सरकार को इसको दोबारा से लागू करना चाहिए। इन्द्रा साहनी केस का फैसला देश में पूरी तरह से लागू नहीं है। (घंटी) देश के साउथ के कई स्टेटों में 70–70 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू है। एक बात मेरी यह है कि संस्कृत भाषा के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। संस्कृत भाषा हमारी ऋषि–मुनियों की भाषा रही है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि हमारे कई माननीय सदस्यों के फोन ऑफिसर्ज नहीं उठाते हैं। इस बात की शिकायत अध्यक्ष महोदय आपके पास भी आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि जब चन्नी साहब पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, श्री मनोहर

लाल, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो सामान्य आदमी भी एक दिन चीफ मिनिस्टर बन सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कोई भी एम.एल.ए. चीफ मिनिस्टर/मिनिस्टर बन सकता है। इस बात का भी ध्यान ऑफिसर्ज को जरूर रहना चाहिए। इस प्रकार से ऑफिसर्ज को हर विधायक का फोन उठाना चाहिए और उनके द्वारा कही बातों पर अमल करना चाहिए। (विघ्न)हर एम.एल.ए. सदन में अपने हल्के की बात कहता है । अतः उसे ध्यान से सुना जाना चाहिए ।

**श्री अध्यक्ष :** राम कुमार जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है । अतः अब आप बैठ जाइये ।

**श्री प्रवीण डागर (हथीन) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । सबसे पहले तो मैं अपने हथीन क्षेत्र के किसानों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र के 20–25 गांवों में सेम की समस्या थी । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दुबालु माइनर को ड्रेन में तब्दील करने के लिए आदेश दिये और 4.61 करोड़ रुपये का बजट भी मन्जूर किया । इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के सभी किसानों की तरफ से माननीय मंत्री जी और इरीगेशन डिपार्टमैंट के अधिकारियों का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं । माननीय स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय का हथीन के बाइपास को मन्जूरी देने के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं । उस बाइपास का टैण्डर प्रोसैस में है । यह हमारी काफी पुरानी मांग थी । उसको पूरा करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप–मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारे हथीन क्षेत्र की जो प्रमुख डिमाण्ड्ज हैं मैं उनको सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । मैंने 17 तारीख को भी क्वैश्चन लगाया था कि हमारे पलवल जिले में मैडिकल कॉलेज की बहुत जरूरत है । जब सरकार सभी जिलों में मैडिकल कॉलेज खोलने जा रही है तो उससे हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहना चाहिए । पलवल क्षेत्र के फुलवाड़ी में एक मैडिकल कॉलेज खोलने के लिए मांग रखी गई थी । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पलवल क्षेत्र के फुलवाड़ी गांव में एक मैडिकल कॉलेज खोलने की हमारी मांग पूरी की जाए । मंडकौला मेरा अपना गांव है । मंडकौला गांव की उत्तर और पश्चिम दिशा में के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे और वडौदरा–मुम्बई एक्सप्रैस–वे जा रहे हैं । अतः वहां पर एक आई.एम.टी. बनाई जाए ताकि युवाओं को रोजगार

मिल सके । मंडकौला गांव काफी बड़ा गांव है । हमारे हथीन ब्लॉक में 76 पंचायतें हैं । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि मंडकौला गांव को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए । लड़माकी माइनर जोकि अधूरी पड़ी है, के संबंध में मैंने आज भी क्वैश्चन लगाया था लेकिन समय के अभाव के कारण वह टेक अप नहीं हो पाया । लड़माकी माइनर मेवात के किसानों की एक बहुत बड़ी मांग है । यह माइनर गुड़गांव कैनाल से निकलती है । इस माइनर को गुड़गांव कैनाल से उटावड़ रजवाहे में डालने के लिए मांग की गई थी । यह माइनर वर्ष 2005 में 5.5 किलोमीटर तक बनाई गई लेकिन इसका 2.5 किलोमीटर का एक टुकड़ा बनाना बाकी रह गया था । अतः वहां के किसानों की यह बहुत बड़ी मांग है कि अधूरी पड़ी लड़माकी माइनर को पूरा किया जाए । हमारे वहां पर जो हथीन नगरपालिका है उसके लिए 10 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाए जिससे वहां पर विकास कार्य करवाये जा सकें । मेरी हथीन बाइपास से संबंधित एक और मांग भी है । जो हथीन बाइपास बनाया गया है उसमें 2.5 किलोमीटर का एक टुकड़ा बनने से रह गया है । अगर उस टुकड़े का निर्माण भी हो जाएगा तो उससे हमारे पूरे क्षेत्र को एक सौगात मिलेगी और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

**श्री सुभाष गांगोली (सफीदों)** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अपने क्षेत्र सफीदों की कुछ मांगें रखना चाहता हूं । सफीदों के नागरिक अस्पताल में 13 डॉक्ट्र्स की सैंक्शंड पोस्ट्स हैं जिनमें से सिर्फ 2 पोस्ट्स भरी हुई हैं । मैंने पिछले सत्र में भी इस विषय को सदन में उठाया था । इस संबंध में मुझे माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था । इसके बावजूद वहां पर एक भी नया डॉक्टर नहीं भेजा गया है । पिल्लू खेड़ा के गर्ल्स कॉलेज की कक्षाएं एक स्कूल में लगाई जाती हैं । वहां पर कॉलेज के निर्माण के लिए सरकार को जमीन भी ऑफर कर दी गई है, इसलिए उस कॉलेज के भवन का निर्माण अवश्य करवाया जाए । हमारे शहर में पहले एक गन्दा नाला होता था । अब उस नाले को कवर कर दिया गया है जिससे वहां पर 7 फुट का एक कच्चा रास्ता निकल आया है । उस रास्ते की लम्बाई 600 मीटर है । अतः उस कच्चे रास्ते को पक्का करवाया जाए । मेरे विधान सभा क्षेत्र से 3 नैशनल हाइवेज निकल रहे हैं । वहां पर बड़े–बड़े डम्परों की वजह से ग्रामीण सड़कों का सारा जाल ध्वस्त हो गया है । इसलिए कृपा करके चाहे वे

पी.डब्ल्यू.डी. बी एंड आर की सड़के हों या मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हों, उन सड़कों का दोबारा से निर्माण करवाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मुआना गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है और उस गांव में सीवरेज दबाने का काम किया गया था। इस दौरान सभी गलियां उखड़ गयी और उनकी टाईल्ज/ईटों को उठाकर लोगों ने अपने– अपने घरों के आंगन पक्के कर लिए इसलिए उस गांव का सर्वे करवाकर गलियों का निर्माण करवाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालुआ गांव में सन् 1977–78 में पी.एच.सी. बनायी गयी थी और उसके बाद उसको सी.एच.सी. का दर्जा दिया गया था। हमारे पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के लिए एक नागरिक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाए। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के की 24 नयी कच्ची सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें छापर से बूढाखेड़ा, रिटोली से आलनजोगी खेड़ा, रिटोली से कोलखेड़ा आदि सड़कें हैं।

**श्री अध्यक्षः** गांगोली जी, आप इन सड़कों के बारे में लिखित में दे दें।

**श्री सुभाष गांगोलीः** अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे एरिया में 9 तारीख का प्रोग्राम रखा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस दौरान मेरी इन सभी मांगों को घोषित करें। अभी संबंधित प्रोग्राम में टाईम भी है इसलिए इनकी फिजिब्लिटी भी चैक हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन देना चाहता हूं।

**श्री राम कुमार गौतमः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं, इसके लिए मुझे समय दिया जाए।

**श्री अध्यक्षः** गौतम जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री संजय सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री राम कुमार गौतमः** अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों का बात रखने के लिए समय बढ़ा दें।

**श्री अध्यक्षः** गौतम जी, आप अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को अलग से लिखित में दे दें। प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री संजय सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री संजय सिंह (सोहना):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत– बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि

जब से हमारा हरियाणा प्रदेश बना है तब से पहली बार बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया गया है। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी देने की आदत नहीं थी और उस आदत को हमारी पार्टी की सरकार ने बदल डाला है। इसी कारण आज हरियाणा प्रदेश का युवा बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किसी भी एग्जॉम को देने के लिए जाता है तो उसे पूरा विश्वास होता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बैठे हुए हैं। उनके साथ पूरा न्याय होगा और बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां दी जाएंगी। मैं परसों देख रहा था कि जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो हमारे विपक्ष के साथी बहुत बड़ी– बड़ी बातें कर रहे थे। मैं भी लगातार सन् 1996 से सैशन देखता हुआ आ रहा हूं और मैंने सदन की बहुत कार्यवाही देखी हैं। आज तक किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं की क्योंकि अगर किसी ने भ्रष्टाचार करने का काम किया है तो वह हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों की सरकारों ने किया है।

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, वैसे तो जीरो ऑवर का टाईम खत्म हो चुका है, यदि सदन की सहमति हो तो जीरो ऑवर में बोलने के लिए इसका समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

**आवाजेंः** ठीक है, जी।

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, जीरो ऑवर 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

**श्री संजय सिंहः** अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत सी लाभकारी योजनाएं लागू की हुई हैं। फिर उसमें चाहे किसानों की बात हो या अंतिम पक्ति में खड़े गरीब से गरीब व्यक्ति की बात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी लाभकारी योजनाएं पहली बार प्रदेश को देने का काम किया है। हमारे प्रदेश में जो लाभकारी योजनाएं लागू हुई हैं, उन अच्छी योजनाओं को केन्द्र सरकार ने पूरे देश में लागू करने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे मेवात जिले के तावडू में लघु सचिवालय बनाने की मांग पूरी कर दी है। जिसको पहले सैशन में उठाया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को स्वीकार करते हुए इसका शिलान्यास करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत –सी अच्छी योजनाएं लागू की हैं।

**श्री अध्यक्षः** संजय जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र सिंह बबली जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री देवेन्द्र सिंह बबली (टोहाना) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे टोहाना विधान सभा की कुछ समस्याएं हैं जो मैं सदन में रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के लोगों और टोहाना क्षेत्र के लोगों को जो मुलभूत सुविधाएं दी जाती है उन पर इनका हक भी है। हमारे यहां नगर परिषद् टोहाना और नगर पालिका जाखल में सफाई का मामला बहुत लम्बे से लम्बित भी है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिए हमें फंड रिलीज करवाया जाये ताकि जो डम्पिंग ग्राउंड के लिए टिपर ट्रक्स वगैरह परचेज करने हैं वे हम कर सके। आज मैं टोहाना या जाखल मंडी की बात करूं तो पूरा का पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, जब भी संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस बारे में मीटिंग की जाती है और उनसे इस बारे में कोई सवाल किया जाता है तो बार–बार उनकी तरफ से यही जवाब दिया जाता है कि हमारे पास जगह नहीं है। जब विभाग के अधिकारियों ने जगह एलोकेट की तो उन्होंने मुझे यह बताया कि हमारे पास फंड नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संबंधित विभाग को डम्पिंग ग्राउंड के लिए फंड रिलीज करके जगह दिलवाई जाये ताकि हमारा शहर साफ सुथरा हो सके। अध्यक्ष महोदय, हमें हमारे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए फंड की जरूरत है इसलिए हमें सरकार फंड देने का काम करे। इसके अलावा हमारे शहर में बरसाती पानी का मुद्दा पिछले दो तीन दशक से लम्बित पड़ा हुआ था इस दौरान कई सरकारें आई और गई लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हरियाणा सरकार ने शहर से बरसाती पानी को निकालने के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे शहर को चार जोन में बांटा गया था, जब मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी तब उन्होंने 40 करोड़ रुपये मंजूर किये थे। सदन में संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं इसलिए मैं उनको भी कहूंगा कि वे इस कार्य में थोड़ी तेजी लाने का प्रयास करें क्योंकि थोड़े दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारी सबसे बड़ी समस्या सब्जी मंडी से संबंधित है। जो हमारा लो लाइन एरिया है जैसे रतिया रोड और शहीद भक्त सिंह चौक चण्डीगढ़ रोड है। इस सब्जी मंडी के लिए सरकार की

तरफ फंड आ चुका है। अगर सब्जी मंडी का काम समय पर पूरा होगा तो मेरे टोहाना शहर की तीन दशक पुरानी समस्या भी जल्दी ही दूर हो जायेगी। मेरे हल्के में समैन गांव बहुत बड़ा है और इस गांव की आबादी ज्यादा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यहां पर एक वाटर टैंक बनाया जाये और उसको फतेहाबाद ब्रांच से जोड़ दिया जाये ताकि यहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मुहैया हो सके। मेरे टोहाना हल्के के कुछ गांवों में सेम की समस्या है, वैसे तो यह समस्या पूरे हरियाणा की है लेकिन मेरे टोहाना हल्के में भीमावाले गांव के थोड़े से एरिया में सेम की समस्या आ गई है। सेम की समस्या और लो लाईन एरिया में पानी का खड़ा होना ये दोनों अलग–अलग मामले हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरे हरियाणा का सर्वे करवाकर एक अलग से डिपार्टमैंट बनाने का काम किया जाये। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय और दे दीजिए। आपने सदन में जीरो ऑवर की परम्परा चलाई है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद भी करता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक माननीय सदस्य को सदन में जीरो ऑवर पर 3 मिनट का समय दिया जाता है, उसे बढ़ाकर 5 मिनट कर दीजिए और जीरो ऑवर का समय 1 घंटे की बजाए 2 घंटे कर दीजिए और इसी तरह से क्वैश्चन ऑवर का समय भी 1 घंटे की बजाए 2 घंटे कर दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : बबली जी, सदन की कार्यवाही हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार ही चलाई जायेगी।

**श्री देवेन्द्र सिंह बबली** : अध्यक्ष महोदय, हम समय के अभाव में अपनी पूरी बात नहीं कह पाते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बबली जी, आप बजट सत्र में अपनी बात रख लेना क्योंकि आपको बजट सत्र में बोलने के लिए काफी समय मिलेगा।

**श्री देवेन्द्र सिंह बबली** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक हमारे टोहाना शहर में नए बस स्टैंड का मामला है। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने टोहाना हल्के में एक प्रोग्राम किया था जिसमें इसके लिए सी.एम. अनाउंसमैंट की गई थी। मैंने इस विषय पर अपना सदन में सवाल भी लगाया था। मैंने परिवहन मंत्री जी का जवाब पढ़ा था। मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं इनसे 5 बार बस स्टैंड के विषय को लेकर पर्सनली भी मिला था। इन्होंने मुझे इस बारे में

आश्वस्त भी किया था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बस स्टैंड शहर के अंदर होने की वजह से आये दिन एक्सीडैंट्स होते रहते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** बबली जी, आप अपनी स्पीच लिखकर दे दीजिए ताकि उसे प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जा सके।

**श्री मनोहर लाल :** बबली जी, आपके हल्के के कार्य हो जायेंगे।

***श्री देवेन्द्र सिंह बबली :** ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी लिखित स्पीच सदन के पटल पर रख देता हूं।अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा टोहाना के लगभग 25 गांवों के नहरी जलघर की फाइलें पैंडिंग पड़ी हुई हैं कृपया करके सरकार द्वारा इनकी मंजूरी दी जाये ताकि जल जीवन मिशन के तहत हर नल हर घर जल का वायदा पूरा किया जा सके। इसी तरह से टोहाना विधान सभा के गांवों में बरसाती पानी की निकासी के लिए बोर करवाए जाएं और उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा नहरों की नगरी टोहाना में सिंचाई विभाग की बहुत समस्याएं हैं। यहां पर पिछले समय में जो ब्रिज और नहरों का निर्माण किया गया था उनको 70 साल से ज्यादा बने हुए हो गये हैं। जिनका नवीनीकरण की बहुत आवश्यकता है ताकि नहरों की नगरी टोहाना अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सके। इसी तरह हमारा एकमात्र इंदिरा गांधी सरकारी कॉलेज है, जो काफी पुराना बना हुआ है और वह मेन सड़क के नीचे है इसलिए इस कॉलेज को नवीनीकरण करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि कॉलेज में आने–जाने के लिए बरसात के समय में छात्र–छात्राओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे टोहाना हल्के में सरकारी अस्पताल को 100 बेड करने की मंजूरी देने पर मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और मैं इसके अलावा सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उस सरकारी अस्पताल में जल्द से जल्द डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का काम किया जाये। टोहाना नगर परिषद् में कचरा उठाने के लिए 8 टिपर खरीदे गए थे जो ड्राइवर की कमी के कारण बदहाली में पड़े हुए है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द ड्राइवरों की नियुक्ति की जाये।

———————————————

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

टोहाना नगर परिषद् व जाखल नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का काम किया जाये। टोहाना में लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरों को रिपेयर करवाने का काम किया जाये और जरूरत के अनुसार और कैमरे लगाए जाएं जिससे सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टोहाना चण्डीगढ़ रोड रेलवे लाइन के पार प्राइमरी स्कूल बनाया जाए ताकि छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए रेलवे लाइन पार न करनी पड़े। इसी तरह से हिसार रोड से चंडीगढ़ रोड तक बाइपास बनाने का काम किया जाये और हमारे टोहाना में गर्ल्स कॉलेज बनाने का भी काम किया जाये। इसी तरह से टोहाना व जाखल मंडी में जिन गलियों में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है क्योंकि वहां पर 15–20 सालों से पाइप लाइन पुरानी डली हुई हैं। जिसके कारण वहां के लोग लगातार गंदे पानी के आने की शिकायतें भी करते रहते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर नई पाइप लाइन डालने का काम किया जाये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन गलियों में सीवरेज पाइप लाइन नहीं डाली गई हैं, वहां पर सीवरेज लाइन डालने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एम.सी. टोहाना में म्यूनिसिपल वेस्ट के ट्रीटमैंट और प्रोसैसिंग के लिए इस समय कोई लैंड नहीं दी गई है। मेरी मांग है कि इसके लिए पांच एकड़ लैंड खरीदने के लिए फंड दिए जाएं। इसी तरह से एम.सी. टोहाना एरिया के विभिन्न डिवैल्पमैंट वर्क्स के लिए स्पैशल फंडज दिए जाएं। इनकी लिस्ट निम्न प्रकार से हैः–

**Special demand of funds for Various Dev. Works to be undertaken in MC Tohana Area**

| Sr. No. | Works Name | Est. Cost in Lacs |
|---|---|---|
| 1 | Beautification of Town Park Hisar Road Tohana | 50.00 |
| 2 | Beautification of certral verge in Railway Road Tohana | 98.00 |
| 3 | Beautification of Ambedkar Chowk Ratia Road | 50.00 |
| 4 | Beautification of Bhaghat Singh Chowk Hisar Road | 30.00 |
| 5 | Beautification of Green Belt in Model Town in Tohana | 50.00 |
| 6 | Const. of Roads in Model Town Tohana | 60.00 |
| 7 | Const. of Street Aggarsain Chowk to Dena Bank Tohana | 20.00 |
| 8 | Beautification of Park on Parbhakar Colony | 10.00 |
| 9 | Const of Street From H/o Kulbhushan to H/O Baljeet via H/o Lakhvinder W. No. 3 at Tohana | 15.00 |
| 10 | Const of Street From Jain Moter to Shop of Kala Mistri W. No. 3 at Tohana | 17.00 |
| 11 | Const of Street From India Moters to Nain Electrical Shop and other connecting street Auto Market W. No. 3 | 10.00 |
| 12 | Const. Of Street from H/o of Parvesh Sharma to Shop of Munish Singla Atta Chaki W No. 3 Tohana | 6.00 |
| 13 | Const. of Park near H/o Rajinder Billa in Teacher Colony at Tohana | 30.00 |
| 14 | Revenution of Community Centre at Gillan wali Dhani | 20.00 |
| 15 | Completion of Community Centre at Masala Foctory Area | 10.00 |
| 16 | Installation of Welcome Gate at Hisar Road Tohana | 10.00 |
| 17 | Const. of Street Ganshyan Pujari wali gali New Parbhkar Colony W. No. 3 | 10.00 |
| 18 | Const. of Shahid Samarak at Tohana | 40.00 |
| 19 | Const of IPB street from H/o Dhoni to Lila via Bhatt Dharamshala, Bhatt basti ward 1 | 8.30 |
| 20 | Const of IPB street from Dr surender to H/o Bheera , Rajnagar ward 1 | 6.06 |
| 21 | Const of IPB street from H/o Gagan to h/o Vicky singh , Bhatt basti ward 1 | 2.17 |
| 22 | Const of IPB street from Omparkash meat shop to shop of Kaka , Bhatt basti ward 1 | 9.39 |
| 23 | Const of IPB street from Opp Omparkash meat shop to Narender via H/o Bhim bhatt, Bhatt basti ward 1 | 11.45 |
| 24 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 01 | 14.98 |
| 25 | Const of IPB street from H/o Roshni to Kaalu Kuhia , Bhatt basti ward 1 | 2.96 |
| 26 | Const of IPB street from H/o sukha to Subash bhatt , Bhatt basti ward 1 | 3.38 |
| 27 | Const of IPB street from H/o Nafe to Darshan Singh , Rajnagar ward 2 | 7.93 |
| 28 | Const of IPB street from H/o Narsi Fooji to H/o Hansraj Via Shop of kaalu Kalu , Rajnagar ward 2 | 6.66 |
| 29 | Const of IPB street from H/o Rjpal to Fatehn Singh , Rajnagar ward 2 | 3.72 |
| 30 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 02 | 14.98 |
| 31 | Const of IPB street from Shitla mata mandir to H/o Narsi , Rajnagar ward 2 | 4.62 |
| 32 | Const of IPB street Near Mata Joodi ward 3 | 22.80 |
| 33 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 03 | 14.98 |
| 34 | Const of CC street from Chandigarh Road to dada khera ward no 3 | 25.00 |
| 35 | Const of street from Main Road to Park in Parbhakar Colony Ward no. 03 | 21.59 |
| 36 | Const of street from H/o Karambir Sharma to H/o Bhana Ram Ward no. 03 | 6.75 |
| 37 | Const of CC street from h/o Baldev to Lucky batra in Ramnagar ward no 4 | 12.54 |
| 38 | Const of CC street from h/o Master Surjit to Pammi Sunar ward no 4 | 7.33 |
| 39 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 04 | 14.98 |
| 40 | Const of CC street from h/o Vinay Verma to Tilak Mistri ward no 4 | 12.84 |
| 41 | Const of CC street B/S Ravidass Dharamshala To anil Jain Via Gopal ward no 5 | 11.48 |
| 42 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 05 | 14.98 |

| | | |
|---|---|---|
| 43 | Const of CC street h/o Sandeep Kumar to Durga parasad and Bharamkumari Ashram via Sethi Furniture and Chand Fooji ward no 5 | 13.38 |
| 44 | Const of CC street Dr Alock Kumar to krishan Bhatia Via Gopal And Khajan Singh ward no 6 | 13.88 |
| 45 | Const of CC street Parveen Nagpal to h/o Harish ward no 6 | 13.88 |
| 46 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 06 | 14.98 |
| 47 | Const of CC street Parveen Nagpal to h/o Harish ward no 6 | 12.10 |
| 48 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 07 | 23.00 |
| 49 | Const of CC streetNaya baza to Dalwara Saini Via Sanjay Rabari ward no 08 | 25.05 |
| 50 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 08 | 23.00 |
| 51 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 09 | 23.00 |
| 52 | Const of CC street from h/o banta to jaibhagwan in 10 ward no 10 | 11.17 |
| 53 | Const of CC street from h/o ramkumar saini to harpal chowk and other branch 18 ward no 10 | 13.02 |
| 54 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 10 | 23.00 |
| 55 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 11 | 22.70 |
| 56 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 12 | 22.85 |
| 57 | Const of street from Nikka To Surender ward no. 13 | 14.71 |
| 58 | Const of street H/o Angrej to H/o Surender ward no. 13 | 7.18 |
| 59 | Const of street from Bala Ji Mandir to Mitthu ward no. 13 | 15.51 |
| 60 | Const of street Mahender Verma Chowk to Gurudwara ward no. 13 | 17.10 |
| 61 | Const of street H/o Naseeb to H/o Amarjeet ward no. 13 | 9.25 |
| 62 | Const of street H/o Raj Kumar to H/o Subashward no. 13 | 12.30 |
| 63 | Const of street H/o Ram Saroop to H/o Pawan ward no. 13 | 13.12 |
| 64 | Const of street Taj Mahomad to Satguru ward no. 13 | 20.04 |
| 65 | Repair of Maintance of Dharmashala in Gila wali Dhani ward No. 14 | 8.53 |
| 66 | Const of Main street Dhangra Road to house of ajay bhukkal in ward no 14 | 25.00 |
| 67 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 15 | 22.55 |
| 68 | Const of CC street Mirchi hotel wai gali ward no 16 | 25.00 |
| 69 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 16 | 18.93 |
| 70 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 17 | 23.24 |
| 71 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 18 | 23.73 |
| 72 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 19 | 21.53 |
| 73 | Const of CC street from manoj master to sanjay dhobi ward no 19 | 10.00 |
| 74 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 20 | 23.00 |
| 75 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 21 | 24.31 |
| 76 | Const of CC street near take chand mandi park ward no 22 | 11.48 |
| 77 | Const of CC street from post office to main gate of old model town ward no 22 | 17.36 |
| 78 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 22 | 23.00 |
| 79 | Repair of Various street/ Drains/ pullias in ward no 23 | 23.00 |
| | Total Amount | 1462.75 |
| | Say | 14.63 Crore |

Devender Singh Babli
MLA Tohana

**श्री मोहन लाल बड़ौली (राई)** :अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने विधान सभा के बहालगढ़ गांव में वर्ष 1995 में गरीब लोगों को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से प्लॉट दिये गये थे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर अभी नैशनल हाइवे 334–बी का निर्माण हुआ है जिसकी वजह से उनके नैशनल हाइवे में 44 प्लॉट आ गये हैं क्योंकि पहले सरकार की तरफ से वहां पर 2 एकड़ के करीब जमीन एक्वायर की गई थी। जितने भी प्लॉट इन 2 एकड़ भूमि में काटे गये थे उनका मुआवजा सभी के नाम से आ गया है लेकिन अभी तक इनमें से किसी एक गरीब आदमी को भी मुआवजे की राशि नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, वहां के गरीब आदमियों को अपने मुआवजे के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको सरकार मुआवजा दिलवाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी

कहना चाहता हूं कि वह कॉलोनी दो भागों में बंटी हुई हैं। उनके लिए अंडर पास की सुविधा नहीं है क्योंकि कॉलोनी के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कॉलोनी के लोगों की सुविधा के लिए अंडर पास बनाया जाये। इसी प्रकार से खेवड़ा गांव में एन.एच.ए.आई. ने रोड बना रखा है। वहां पर सर्विस लाइन का एक 100 मीटर का टुकड़ा है जिसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हमने इस बारे में कई बार उनसे बात भी की थी तो उनका इस विषय पर यही कहना है कि इसकी फाइल पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) विभाग, चण्डीगढ़ को भेजी गई थी लेकिन उन्होंने इस पर ऑब्जैक्शन लगा दिया है इसलिए उन्होंने इस काम को अधूरा छोड़ रखा है। अध्यक्ष महोदय, वह किसानों के आवागमन का रास्ता है इसलिए इस रास्ते को जल्दी से जल्दी बनाने का काम करवाया जाये। इसी तरह से हमारे असावरपुर गांव में वर्ष 2005 में राजीव गांधी एजूकेशन सिटी बनी थी। उसमें असावरपुर गांव के साथ लगते 125 मकान हैं जो उसमें आए हुए हैं उन लोगों की कमेटी बना कर उन लोगों के बसने का कोई रास्ता निकालें। इसी तरह जब के.जी.पी. का निर्माण हुआ था तो बडखालसा गांव के किसानों को भूमि के बदले भूमि दी गई थी लेकिन यह मामला बीच में ही लटका हुआ है, इस मामले में भी कोई कमेटी बना कर प्रशासन द्वारा उनकी समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। इसी तरह से नांगल कलां गांव में वर्ष 2002 में भूमि अधिग्रहण के तहत 85 एकड़ जमीन पर सैक्शन–9 लगा था लेकिन अभी तक यह मामला लटका हुआ है। किसान उस जमीन पर खेती कर रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उस जमीन को रिलीज नहीं किया गया है इसलिए उस जमीन को रिलीज करके किसानों को राहत प्रदान की जाये। राई विधान सभा में यमुना नदी लगती है और यमुना नदी के साथ लगते गांवों में वर्षा के समय जब यमुना में पानी आता है तो उनकी भूमि का कटाव हो जाता है। यह समस्या निमारपुर, टिकोला, जैनपुर, असदपुर, मेहन्दीपुर तथा मेरे खुद के गांव बड़ौली में भी है। इस बारे में किसानों की मांग रहती है कि भूमि कटाव से बचने के लिए नदी के तट पर ठोकर भरी जायें लेकिन प्रशासन की तरफ से पिछली बार भी सिर्फ एक गांव में ठोकर भरने का काम किया गया। यह इन पांच गांवों के किसानों की मांग है इसलिए इन पांचों गांवों में ठोकर भरवाने का काम करके किसानों को राहत प्रदान की जाये। धन्यवाद।

**श्री सुभाष सुधा (थानेसर):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी कुरूक्षेत्र में गीता जयन्ती महोत्सव हुआ था उसमें माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप, हमारे माननीय मंत्री जी तथा हमारे विधायक साथी उसमें पहुंचे उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे साथी विधायक श्री जयवीर सिंह जी ने सफाई कर्मचारियों की सैलरी का मामला उठाया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च, 2022 तक की पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की सैलरी एडवांस में उनके बैंक खातों में डाल दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी एडवांस में डाली गई है। जिन सफाई कर्मचारियों ने शमशान घाट में कोरोना काल में अंतिम संस्कार के लिए कार्य किया है उनको 2–2 लाख रुपये के चैक वितरित किये गये हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज जी का धन्यवाद करता हूं। कुरूक्षेत्र एक धार्मिक स्थल है और यहां पर बहुत पर्यटक आते हैं। जी.टी. रोड से सरस्वती नदी के लिए जो लिंक देना है उसके ठेकेदार ने कार्य बीच में ही छोड़ दिया है इसलिए उसका ठेका रद्द किया जाये तथा उसको ब्लैकलिस्ट करके दूसरे ठेकेदार से यह कार्य करवाया जाये। इसी तरह से नरकातारी तथा ज्योतिसर की रोड टूटी हुई है उनकी भी शीघ्र कारपेटिंग करवाई जाये। कुरूक्षेत्र एक धार्मिक स्थल है इसलिए इसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये। कुरूक्षेत्र में कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं है। जैसा कि माननीय साथी श्री देवेन्द्र बबली जी ने भी बताया था कि जिस भी गांव के पास कूड़ा डालने जाते हैं तो उस गांव के लोग इसका विरोध करते हैं जिससे सफाई व्यवस्था गड़बड़ जाती है इसलिए सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। आजकल सैक्शन 7–ए की रजिस्ट्रियां बंद हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए चाहे लोगों से डिवैल्पमैंट चार्जिज लिए जायें या कोई और सम्भावित रास्ता निकाला जाये लेकिन ये 7–ए की रजिस्ट्रियां खोली जायें। इसके अतिरिक्त जो एप्रूव्ड कालोनियां थी उनको भी निगम ने पोर्टल पर अनएप्रूव्ड दिखाया हुआ है उसको पोर्टल पर ठीक किया जाये। इसके अतिरिक्त भारतमाला–2 में हमारे एक बाईपास को लिया गया है, उसका सर्वे करवा कर जल्दी से जल्दी उसको पूरा करवाया जाये। इसी तरह से पिपली बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाये। अंत में परिवार पहचान पत्र के तहत 1,80,000/– से कम

वार्षिक आय वाले परिवारों को जो बेनिफिट दिये गये हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

**राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गरिमामय सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में किसान और जवान की कितनी अहम भूमिका रही है। यह किसान जो पिछले एक साल के संघर्ष के बाद सफलता हासिल करके आया और 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी लेकिन वर्तमान सरकार सत्ता के मद में मस्त होकर उनके लिए संवेदना और सहानुभूति दो शब्द भी नहीं बोल पाई। अध्यक्ष महोदय, किसान अपनी लड़ाई कभी एम.एस.पी. के लिए, कभी खाद की उपलब्धता के लिए और कभी बिजली के कनैक्शन के लिए लड़ता है लेकिन अब एक और लड़ाई डीजल के भाव के लिए लड़ रहा है। एक समय ऐसा था जब पूरे उत्तर भारत में हरियाणा में सबसे सस्ता डीजल मिलता था। आज हरियाणा में डीजल पर 17 प्रतिशत वैट लगा कर सबसे महंगा डीजल कर दिया गया है। पंजाब में डीजल का भाव 84.53 रुपये, हरियाणा में 86.88 रुपये, चण्डीगढ़ में 80.90 रुपये और हिमाचल में 79.09 रुपये प्रति लीटर हैं यानि हरियाणा में डीजल सबसे महंगा है। इससे न केवल किसान को बल्कि आमजन को भी भारी परेशानी है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमने डीजल पर 8 प्रतिशत वैट रखा था लेकिन आज उसको 17 प्रतिशत किया हुआ है इसलिए उसको कम किया जाये जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, यही हालत जवान की भी है। जब जवान फौज में रहता है तो वह अपने प्राणों की आहुति देकर देश को बाहरी आक्रमण से भी बचाता है तथा देश की आंतरिक सुरक्षा भी करता है। लेकिन जब वह रिटायर हो कर घर आ जाता है और दुर्भाग्य से अगर घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तथा वह उसको लेकर किसी पैनल के हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि ई.सी.एच.एस. के लिए नो बैड इज अवेलेबल। यह बात उन बड़े उन बड़े हॉस्टिल्स में देखने को मिलती है जहां पर आदमी सोचता है कि यहां पर अच्छा इलाज होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन हॉस्पिटल्स में विशेष ध्यान दें कि जब भी कोई एक्स सर्विसमैन आता है तो उसके उपचार के लिए वे प्राथमिकता दें। अध्यक्ष महोदय, मिलिट्री और पैरामिलिट्री के 13 हजार जवानों ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में

1–1 लाख रुपये देकर मकान के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक न ही तो उनको मकान मिले हैं और न ही उनका पैसा वापिस मिला है। एक सिपाही स्तर का आदमी 1 लाख रुपये देकर अप्लाई करता है और जब उसको जरूरत पड़ती है तो वे 1 लाख रुपये उसको वापिस नहीं मिलते हैं। इसमें सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जब सरकार के पास पैसे होंगे तो वापिस दे दिये जायेंगे इसलिए इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये तथा उनका पैसा यथाशीघ्र वापिस किया जाये। महेन्द्रगढ़ से रेवाड़ी को फोरलेन किये जाने की हमारी मांग है क्योंकि वहां पर बड़ा हैवी ट्रैफिक आता है। वह ट्रैफिक शाम के समय कई गांवों से होकर गुजरता है। इस हैवी ट्रैफिक के कारण पूरे गांव की दीवारें हिल जाती हैं क्योंकि महेन्द्रगढ़ से दिल्ली के लिए जितना भी बिल्डिंग मैटीरियल जाता है वह वहीं से होकर गुजरता है इसलिए इस रोड के फोरलेन बनाने की सख्त जरूरत है। धन्यवाद।

**श्री विनोद भ्याना (हांसी):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और दो दिन पहले मेरा एक प्रश्न लगा था लेकिन उस प्रश्न का नम्बर नहीं आया। मैंने मांग की थी कि हांसी में एक राजकीय महिला कॉलेज खोला जाये। मैंने उसका जवाब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वहां पर पहले से ही एक सनातन धर्म महिला महाविद्यालय है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि सारा सदन जानता है कि हर कॉलेज में हर सब्जैक्ट के विद्यार्थियों की सीमित सीटें होती हैं कि इतने स्टूडैंट्स उसमें दाखिला ले सकते हैं। हांसी शहर अपने आप में ही बहुत बड़ा शहर है और इसके आसपास लगभग 100 गांव लगते हैं। इन 100 गांवों और पूरे हांसी शहर की बच्चियां भी इसी महिला कॉलेज में दाखिला लेने का प्रयास करते हैं। जब सीमित संख्या की सीटें पूरी हो जाती हैं तो बाकी की बच्चियां दाखिले से वंचित रह जाती हैं जिसके कारण या तो उनको हिसार जाना पड़ता है या वे मायूस होकर घर बैठ जाती हैं और वे पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म कॉलेज में बी.कॉम., बी.एस.सी., एम.ए. इंगलिश व एम.कॉम में दाखिला सैल्फ फाइनेंस स्कीम से किया जाता है। इसके चलते कॉलेज की फीस में काफी फर्क आ जाता है और गरीब परिवार की लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि एस.पी. महिला महाविद्यालय की मैनेजमैंट सारे नियमों को ताख पर रखकर अपनी मनमर्जी करती है जिससे वहां का टीचिंग

व नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत परेशान है। उस मैनेजमैंट के खिलाफ शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने भी काफी बार शिकायत की है। जिसके बाद वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक सरकार ने उस कॉलेज को एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों में दिया था लेकिन वर्ष 2020 में वहां एक बार फिर इलैक्शन करवाया गया जिसमें वही मैनेजमैंट दोबारा से चुनकर आ गई। उस मैनेजमैंट को दोबारा तो आना ही था क्योंकि वहां प्राइमरी सदस्य टोटल 102 हैं जिनमें एक ही परिवार के 80 सदस्य हैं इसलिए जब भी चुनाव होता है तो मैनेजमैंट वही आती है। आज हश्र यह है कि उस मैनेजमैंट में बाप प्रधान है और बेटा जनरल सैक्रेटरी है जो उस कॉलेज को पूरी तरह से एक प्राइवेट कम्पनी की तरह चला रहे हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस कॉलेज को पूर्ण रूप से अपने अधीन लेकर अपने हिसाब से उस कॉलेज को चलाए क्योंकि वह कॉलेज एक प्राइवेट कम्पनी की तरह से चल रहा है जिससे पूरा शहर परेशान है। उनकी मैनेजमैंट से वहां के बच्चे और टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ सभी परेशान हैं।

**श्री ईश्वर सिंह (गुहला)** : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं विधान सभा की एस.सी., एस.टी. कमेटी की तरफ से सरकार का शुक्रियादा करना चाहता हूं क्योंकि जब कोरोना के समय में हर आदमी बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहा था, उस समय सभी स्कूल्ज भी बन्द थे और बच्चों को ऑनलाईन पढ़ाया जा रहा था, उस समय कमेटी ने सरकार को एक सुझाव दिया था कि स्कूल्ज के अन्दर बच्चों को जो ऑनलाईन पढ़ाने की प्रैक्टिस की जा रही है, उसमें अमीर घरानों के बच्चों के पास तो मोबाइल हैं वे तो ऑनलाईन क्लास अटैंड कर लेंगे।

———————

## शून्यकाल का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अगर हाऊस की सहमति हो तो शून्यकाल का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

**आवाजें** : ठीक है जी।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, शून्यकाल का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

(शून्यकाल का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया गया।)

**श्री ईश्वर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जिन गरीब परिवारों के बच्चों के पास मोबाइल आदि नहीं है वे ऑनलाईन क्लासिज कैसे अटैंड कर पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 600 करोड़ रुपये की लागत से गरीब बच्चों को टैब देने का प्रावधान किया जिससे उन गरीब बच्चों को उनकी ऑनलाईन पढ़ाई में नुकसान होने से बचाया गया। इस बात के लिए विधान सभा की पूरी एस.सी, एस.टी. कमेटी मुख्यमंत्री जी की आभारी है। अध्यक्ष महोदय, हम रिजर्व विधान सभा से चुनकर आते हैं जिससे हमारा यह दायित्व बनता है कि हम रिजर्व कैटेगरी के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएं। वर्ष 1989 में एक पी. ओ.ए. एक्ट बना था जिसको बने आज 32 साल हो गये हैं। इस बीच कितनी सरकारें आई और चली गई परन्तु एस.सी., एस.टी. कैटेगरी की स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है क्योंकि आज भी वही स्थिति है कि क्राईम रेट बढ़ता जा रहा है और कन्विक्शन रेट घटता जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि हमने अपनी विधान सभा की एस.सी., एस.टी. समिति की मीटिंग में जब जिला वार 10 साल का डाटा मंगवाया तो उसमें देखा गया है कि किसी जिले में 10 साल में 3 आदमियों को सजा दी गई और किसी जिले में 5 आदमियों को और किसी जिले में 7 आदमियों को सजा दी गई है। किसी भी जिले में 7 आदमियों से ऊपर सजा नही दी गई। ऐसे हालात के अन्दर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी सरकारी वकील की बनती है क्योंकि सरकारी वकील एक गरीब आदमी के केस की पैरवी करता है तो वह तारीखों पे तारीख, तारीखो पे तारीख देता रहता है जिससे बहुत लम्बा समय गुजर जाता है। इतने लम्बे समय के बाद एक गरीब आदमी दबाव में पड़ जाता है। गांव के कुछ दबंग आदमी उसको डरा भी देते हैं जिससे वह गरीब आदमी अपना केस वापिस ले लेता है। इस तरह से कुछ केस रफा–दफा हो जाते हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इस तरह के केसों के साथ सरकारी वकील की ए. सी.आर. भी अटैच की जाए कि एट्रोसिटी एक्ट के अन्दर उसने कितने केस किये हैं और कितने नहीं किये हैं। इसी के साथ अगर किसी एस.सी, कैटेगरी के आदमी की मृत्यु कर दी जाती है तो उसको आठ लाख रुपये की कम्पनसेशन ग्रांट मिलती है और अगर किसी एस.सी. कैटेगरी की महिला के साथ रेप किया जाता है तो उसको छः लाख 80 रुपये कम्पनसेशन के रूप में मिलते हैं। आपको मैं यह दावे के साथ कहता हूं और यह लिखित में भी है कि केवल सोनीपत को छोड़कर बाकी किसी भी जिले में कम्पनसेशन ग्रांट पूरी तरह से नहीं दी गई। वह ग्रांट पूरी तरह से दिलवाई जाए क्योंकि उस समय उस पीड़ित व्यक्ति को उस ग्रांट की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उस समय उसके ऊपर विपदा होती है और बुरा वक्त होता

है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी पिछले हफ्ते सरोगेसी एक्ट जिसके तहत गोद को किराये पर लिए जाने का प्रावधान होता है, वह पास हो गया है। मैं सरकार को आगाह करना चाहूता हूँ कि यह विषय आगे चलकर कमर्शियल रूप धारण कर लेगा और इससे हमारे दलित वर्ग के लोगों का बहुत शोषण होगा क्योंकि यह सबको मालूम ही है कि जो धनी लोग होते हैं वे ही गोद किराये पर लेने का काम करते हैं। अतः सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अभी बातें तो मुझे और भी कहनी हैं लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपनी सीट गृहण करता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती निर्मल रानी (गन्नौर):** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने अंतोदय परिवार उत्थान मेले जो लगाये हैं यह निश्चित रूप से बहुत ही ठोस प्रयास की मिसाल है। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ऐसे दो तीन मेले गन्नौर में भी लगे तो मैंने यह देखा कि अब लोग कुछ ज्यादा ही जागृत हो रहे हैं और इसी तरीके से यदि मेले लगते रहे तो इन योजनाओं का वाकई में लोगों को फायदा पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी यहां धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने शिक्षा जगत में बहुत ही ठोस और अनूठे कदम उठाने का काम किया है। मैंने उनसे एक अपील की थी कि खानपुर में जो कंप्यूटर की क्लासिज बंद कर दी गई हैं, उनको दोबारा से शुरू करवाया जाये। यह क्लासिज दोबारा से शुरू करवा दी गई है इसके लिए मैं उनका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। हमारी सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ के मिशन पर बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। बेटी बचाओ मिशन में भी पी.सी.–पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत जो इतनी ज्यादा छापेमारी की गई है, उसकी वजह से लिंगानुपात की दर में जो सुधार आया है वह भी निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अध्यक्ष महोदय, कल सदन में मेरा एक सवाल लगा था लेकिन इस प्रश्न में जो मैं कहना चाहती थी वह बात सामने निकलकर नहीं आई। यह सवाल थोड़ा सा गलत था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहती हूँ कि हमारे स्कूल को–एजुकेशन प्रणाली से युक्त हों। मैं यह चाहती हूँ कि पूरी की पूरी एजुकेशन प्रणाली एक प्रकार से को–एजुकेशन प्रणाली से युक्त

होनी चाहिए क्योंकि इसी की वजह से ही हमारे समाज में बहुत ज्यादा सुधार आयेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे गन्नौर में 15 किलोमीटर तक के दायरे तक में भी कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं है और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत हैं और मानते हैं कि को–एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि वह पहला को–एजुकेशन कॉलेज गन्नौर में ही देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूरी आशा रखती हूँ और जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरी बात सुनकर गर्दन हिला रहे हैं, तो मैं उनसे सदन के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्री जी अब सिर्फ गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, मैंने आपसे जो आशा और उम्मीद की है, उसको पूरा करते हुए आप इस बारे में सदन में स्पष्ट आश्वासन दे दें ताकि मैं अपने गन्नौर की जनता के बीच जाकर कह सकूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उनकी बात को सुना है और मान लिया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं विषय पर आगे बढ़ते हुए कहना चाहूंगी कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो इससे दो परिवार शिक्षित होते हैं और अगर एक बेटा शिक्षित होता है तो पूरा सभ्य समाज ही शिक्षित होता है तो हमें बेटे और बेटियों में किसी तरह का कोई भेद नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बेटे और बेटियां दोनों साथ–साथ पढ़ेंगे तो एक अच्छे और सभ्य समाज की कल्पना को साकार करने में यह अहम कदम साबित होगा और इस प्रकार से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और हम उन्नति करते चले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रामा सैंटर के विषय पर बात करना चाहूंगी। करनाल से लेकर दिल्ली तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ट्रामा सैंटर है जिसका प्रयोग आपात स्थिति में किया जा सके। अतः इस संदर्भ में मैं एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि गन्नौर के बढ़ी गांव में एक बहुत ही अच्छी और पंचायती लैंड हाइवे पर स्थित है तथा अंतर्राष्ट्रीय फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, गन्नौर के साथ भी लगती है। यदि इस जमीन पर यह ट्रामा सैंटर बना दिया जाये तो इसका बहुत ही फायदा होगा। अतः सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, सदन में जो लाइनें लिखी हुई हैं, यह वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक हैं। इनमें लिखा हुआ है किः–

> **"सभा में या तो प्रवेश न किया जाये यदि प्रवेश किया जाये तो वहां पर स्पष्ट और सच बात कही जाएं क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है।"**

अध्यक्ष महोदय, यह जो कथन सदन की वाल पर अंकित किए गए हैं, मैं इन कथनों को सदन में चरितार्थ होते हुए देख रही हूँ। यही नहीं मैंने पिछले तीन दिनों से यह भी देखा है कि हमारे विपक्ष के माननीय साथी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहते नजर आये हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही नेक, ईमानदार और सच्चे व्यक्तित्व के मालिक हैं और अंत में मैं आज इस सदन के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता को सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका फिर से बहुत–बहुत धन्यवाद।

**श्री सुरेन्द्र पंवार (सोनीपत):** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने सोनीपत विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहां पर सात गांव हैं अर्थात कालूपुर, जटवाड़ा, अहमदपुर, कबीरपुर, लहराड़ा, गढ़ी ब्राम्हण और कुमासपुर इन गांवों के तीन हजार किसानों की समस्या यह है कि इनको आज तक किसान सम्मान निधि की एक किस्त भी नहीं मिल पाई है। ये लोग तीन साल से दर–दर की ठोकरें खातें फिर रहे हैं लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी पीछे इन्होंने सी. एम. विंडो पर भी अपना केस लगाया गया था। इसके साथ ही कंसंर्ड डिप्टी डॉयरेक्टर की तरफ से भी इस बाबत एक चिट्ठी भेजी हुई है जिसको भेजे हुए डेढ़ साल के करीब का समय बीत चुका है लेकिन इसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। दूसरी समस्या हमारे सोनीपत विधान सभा क्षेत्र में जो कॉरपोरेशन एरिया है उसमें आधे से ज्यादा कॉलोनियों में धारा 7–ए लगी हुई है। धारा 7–ए के अन्तर्गत स्थानीय लोगों को यहां यह दिक्कत आ रही है कि जब वे अपना मकान या प्लॉट किसी भी कारण से बेचते हैं तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब स्पष्ट है कि सोनीपत के कॉरपोरेशन एरिया की कॉलोनियों में जो भी रजिस्ट्री होगी वह कॉरपोरेशन से एन.ओ.सी. लेकर ही होंगी। जब कॉरपोरेशन एन.ओ.सी. जारी कर देता है तो टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऑफिस से उसकी एन.ओ.सी. नहीं मिलती है। इससे बहुत लोगों को परेशानी होती है। कॉलोनियों में गरीब तबका रहता है और किसी को अपना मकान/प्लॉट खरीदना या बेचना होता है तो वह अपना काम नहीं कर पाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि यह समस्या मेरे सोनीपत में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में होगी, सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। यह बात ठीक है कि नई कॉलोनियां न बने लेकिन जो पुरानी कॉलोनियां हैं उनकी

तो रजिस्ट्री वगैरह जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इंतकाल की समस्या भी पूरे हरियाणा की समस्या होगी। पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि इंतकाल चढ़वाना कितना जरूरी होता है। जब से आनलाइन सिस्टम हुआ है तब से कम्प्यूटर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है जिसका इंतकाल न हुआ हो। आज हजारों लोग इंतकाल के चक्कर में अपनी पुरानी रजिस्ट्रियां लेकर धक्के खाते फिरते रहते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वह पटवारी या तहसीलदार से सैटिंग करके 1 लाख रूपये या 50 हजार रुपये में अपनी प्रॉपर्टी का इंतकाल चढ़वा लेता है लेकिन गरीब आदमी जिसका प्लॉट/मकान ही दो–तीन लाख रुपया का है तो वह इतनी मोटी रकम कहां से लाकर देगा। (घंटी) सरकार को इसका कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। गरीब आदमी अपना मकान चिन्हित करके और नक्शा आदि बनाकर बैठा हुआ है, इसलिए जिनका इंतकाल पहले नहीं चढ़ा हो उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर सिस्टम में जरूर डाला जाना चाहिए। धन्यवाद सर।

**श्री राम कुमार कश्यप (इन्द्री):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूँ। हमारे प्रदेश का चहुँमुखी विकास तो हो रहा है लेकिन साथ ही उसमें बहुत सी चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात उदाहरण के तौर पर सदन के पटल पर यह कहना चाहता हूँ कि पहले पानी का काफी अभाव था, हमें पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता था लेकिन अब पानी की उपलब्धता पूरी हो गई है। लेकिन पानी के साथ–साथ निकासी की प्रॉब्लम हो गई है। यदि आज हरियाणा प्रदेश में कोई समस्या है तो वह पानी की निकासी को लेकर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के शहर के पास पावर कॉलोनी है। बिल्डर ने कॉलोनी तो डिवैल्प कर दी लेकिन पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं किया। इसी तरह से गांव अब्बदुलापुर का तालाब पानी से भरा पड़ा है लेकिन उसमें भी पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। इसकी निकासी का भी सरकार को कोई न कोई समाधान करना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में यह कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष काफी बरसात हुई थी। काफी बरसात के कारण मेरे हल्के के गांव उचानी में काफी पानी भर गया था। यदि हम उस गांव में से पानी आगे निकालते तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधान सभा क्षेत्र की सीमा में पानी भर जाता। इस प्रकार से शहर में जरूरत से कहीं ज्यादा पानी भर जाता। इस प्रकार से पानी

गांव में ही रहा और कई गरीबों के घरों में पानी भरा रहा और उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि जिन गरीब परिवारों के मकान बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका एक सर्वे करवा कर मुआवजा देने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में बंदरों के आंतक की समस्या पैदा हो गई है। मेरे हल्के के गांव नगला रोडान, गावं डिपू और इन्द्री शहर में बंदरों की बहुत भरमार हो गई है बल्कि ये काफी हिंसक भी होते जा रहे हैं। गांव डिपू का एक बच्चा जो स्कूल से पढ़कर आ रहा था तो कई बंदर उसके पीछे पड़ गये। बच्चा अपना बचाव करते हुए दौड़ पड़ा और वह उसके साथ लगती नहर में अपने–आप को बचाने के चक्कर में लटक गया। एक बंदर उसके हाथ को तब तक काटता रहा जब तक कि वह बच्चा नहर में नहीं गिरा। यह हमारे क्षेत्र के लिये बहुत बड़ी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस समस्या का भी कोई न कोई जरूर समाधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से बी.पी.एल. परिवार के संबंध में सदन में कुछ कहना चाहता हूँ। (घंटी) हमारे यहां बी.पी.एल. परिवारों के बहुत सारे कार्ड बने हैं और उनको बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं। जब हम अपने हल्के का दौरा करते हैं तो बहुत से योग्य परिवार हमें ऐसे मिलते हैं जो बी.पी.एल. परिवार की श्रेणी में नहीं आये हैं, उनके नाम भी बी.पी.एल. श्रेणी में जरूर जोड़ने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमैंट ने जो 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वालों को क्रीमीलेयर में रखा है, उस पर भी जरूर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। इससे कोई लम्बा–चौड़ा फर्क नहीं पड़ता । मेरा कहना है कि नौकरियां सीमित हैं और योग्यता के हिसाब से ही मिलेंगी । अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय 8 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमीलेयर में रखेंगे तो उससे सभी को मौका मिलेगा । इससे 'सबका साथ सबका विकास' की नीति पर भी अमल होगा । धन्यवाद ।

**श्री इन्दू राज (बरोदा) :** धन्यवाद स्पीकर सर । स्पीकर सर, हरियाणा सरकार झूठे ढिंढोरे पीटने में माहिर है । सरकार ने बगैर पर्ची–खर्ची के काम करने की बात की लेकिन एच.पी.एस.सी. में करोड़ो रुपये मिले और उससे हरियाणा प्रदेश और पूरा देश भी शर्मसार हो गया । इसके अलावा प्रदेश सरकार ने झूठा ढिंढोरा पीटा कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं । हल्का बरोदा के उप–चुनाव में बड़ी–बड़ी घोषणाएं की गई । (विघ्न) बरोदा हल्के में आई.एम.टी. बनाने, बुटाना में युनिवर्सिटी

बनाने और 2–2 महिला कॉलेज बनाने की बात कही गई लेकिन वहां पर एक रुपये की भी ग्रांट नहीं दी गई और न ही कोई युनिवर्सिटी बनाई गई । वहां पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई । जब मैंने इनके बारे में अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कार्य मुख्यमंत्री की घोषणा में ही शामिल नहीं हैं । बरोदा हल्के में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छाती पीटकर कहा था कि बरोदा हल्के के दो–दो विधायक होंगे । एक मनोहर लाल खट्टर होगा और दूसरा वह होगा जो चुनकर आएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि बरोदा हल्के में पी.टी.आई. टीचर्स को यह आश्वासन दिया गया था कि मैं आपके घर के चूल्हों को बुझने नहीं दूंगा । इसके बावजूद उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया । अतः मेरा कहना है कि उन टीचर्स की समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए । इसके अलावा वॉकेशनल टीचर्स ने भी सरकार को खून से पत्र लिखकर दिया था । अतः उनकी समान वेतन की मांग को भी माना जाना चाहिए । मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने तीनों काले कृषि कानूनों को भी वापिस ले लिया है । अतः मैं सरकार से मांग करूंगा कि किसान आन्दोलन के दौरान जो भी किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक–एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए । अब मैं उन माननीय सांसद श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने राज्यसभा में तीनों काले कृषि कानूनों के संबंध में किसानों के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी । उन्होंने वहां पर तीनों काले कृषि कानूनों को काले कानून बताया । उन्होंने किसानों का तीनों काले कृषि कानूनों के विषय पर धरना देने और विरोध करने को अपना पूरा समर्थन दिया । मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा विधान सभा के इस सदन को भी माननीय सांसद श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहिए । धन्यवाद । जय हिन्द । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक :** अध्यक्ष महोदय, आपने हमें जीरो आवर में बोलने के लिए समय देने की बात कही थी । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** जगबीर सिंह जी, जीरो आवर में सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय नहीं दिया जा सकता । अतः अब आप बैठ जाइये । (शोर एवं व्यवधान) जीरो आवर के लिए एक घंटे का समय होता है । (शोर एवं व्यवधान) एक घण्टे में जितने माननीय सदस्य बोल सकते थे मैंने उन सभी को मौका दिया है । ऐसा नहीं है कि जीरो आवर सारा दिन ही चलता रहेगा । अतः अब आप बैठ जाइये ।

(शोर एवं व्यवधान) जो माननीय सदस्य सदन में जीरो आवर में बोल चुके हैं मेरे पास उनका सारा रिकॉर्ड है । कौन माननीय सदस्य कितने समय तक सदन में बोला है इसका हमारे पास रिकॉर्ड है । अतः रिकॉर्ड की चीज को झुठलाया नहीं जा सकता । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की यमुना बैल्ट के उन किसानों की समस्या को सदन में रखना चाहता हूं जिनकी जमीनें दरिया बुर्द होने के बाद बरामद तो हो गई लेकिन उनको अपनी जमीनों का दोबारा मालिकाना हक नहीं मिला । स्पीकर सर, बरामदगी के बाद इन जमीनों की एक शामलात देह की अलग खेवट बनाई गई और मलकियत के खाने (कॉलम) नं. 4 में शामलात देह दर्ज कर दिया गया जबकि किसान को केवल काश्त के खाने में ही दर्शाया गया है । स्पीकर सर, इस कारण से किसानों के सामने वर्ष 2011 के बाद से एक बड़ी समस्या खड़ी है क्योंकि वे अपनी पुश्तैनी जमीन की न तो रजिस्ट्री करवा सकते हैं, न उस पर लोन मिल सकता है, उसका मुआवजा मिलने में दिक्कत होती है और इन्तकाल भी नहीं होता है। इस प्रकार से एक भारी समस्या संबंधित किसानों के सामने हैं। मैं खासतौर पर यह बात कहना चाहूंगा कि शामलात जमीन की परिभाषा एक्ट में क्लीयर है कि दरिया बुर्द जमीन शामलात के तहत नहीं आती है क्योंकि शामलात जमीन वह जमीन होती है जिसको सामूहिक तौर पर गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं फिर उसमें चाहे तालाब हों, चाहे गलियां हों, चाहे स्कूल्ज हों या मैदान हों। इसका एक प्रावधान पंजाब लैंड रिवैन्यू एक्ट के सैक्शन– 13ए में है। जिसमें कलैक्टर को पॉवर है कि वह टाईटल को क्लीयर कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि रिवैन्यू विभाग एक समय सीमा में यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी केसिज के टाईटल्ज क्लीयर हों और संबंधित किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिले। स्पीकर सर, इन किसानों की एक और बड़ी समस्या है जिसको रिवैन्यू विभाग और कृषि विभाग को मिलकर देखना पड़ेगा क्योंकि जब 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें एक ओ.टी.पी. नम्बर जनरेट होता है।

**श्री अध्यक्षः** हरविन्द्र जी, आप इस विषय पर कॉलिंग अटैंशन मोशन के समय अपनी बात रख लेना।

**श्री हरविन्द्र कल्याणः** अध्यक्ष महोदय, जो ओ.टी.पी. नम्बर जनरेट होता है उसको दोनों विभाग को मिलकर देखना पड़ेगा। जोकि वर्तमान में संबंधित गांव के

सरपंच/ग्राम सचिव के पास जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

**श्री शीशपाल सिंह (कालांवाली):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ मेरे हल्के की और कुछ प्रदेश की समस्याओं के बारे में अवगत करवाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों अपने उद्बोधन में कहा था कि वे चिराग हैं और उनकी लड़ाई अंधेरे से है। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान अंधेरे की तरफ दिलाना चाहूंगा ताकि वहां पर रोशनी आ सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया है। मेरा कहना है कि सभी माननीय सदस्यों का विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत जो पैसा रूका हुआ है, वह पैसा दिया जाए। इसके साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में जैसा कि पहले से अवगत है कि वहां पर नशे का बहुत ज्यादा प्रचलन है। हमें नशे से लड़ने के लिए वहां पर खेल नर्सरियां स्थापित करनी पड़ेंगी। मैं चाहूंगा कि मेरे कालांवाली में स्टेडियम बनाया जाए व नजदीक के गांवों सुरतिया, भीमा या सुखचयन में बनवाया जाए। चूंकि मेरे एरिया में वालीबाल का प्रचलन है तो वहां पर वालीबाल का ग्राउंड बनाया जाए ताकि बच्चे नशे से बच सकें। इसी के साथ मेरे हल्के के वेदवाला गांव की लैंड हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गयी थी, लेकिन वहां पर कभी डि–नोटिफिकेशन हो जाती है और कभी अलग तरह की अड़चनें आ जाती हैं। जिसके कारण उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि इस समस्या का निवारण किया जाए। हमारे कालांवाली शहर के साथ कालांवाली गांव भी है, परन्तु शहर के नाम पर कालांवाली गांव की रजिस्ट्रीज भी बन्द की हुई हैं। मैं चाहूंगा कि वहां पर पुनः रजिस्ट्रीज करनी आरम्भ की जाएं। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान पी.टी.आई., गैस्ट टीचर्ज के अलावा परिवहन विभाग में वर्ष 2018 में हुई भर्तियों की तरफ करना चाहूंगा। इनके लिए उन्होंने वायदा किया था कि इनके चूल्हे बन्द नहीं होने दिए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इनके चूल्हे बन्द न किए जाएं। इन पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी नजर/रोशनी जरूर डालें। इसी तरह से नम्बरदारों के पद समाप्त करने की बात आयी थी। यह बहुत ही सम्मानित पद है। इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि

सी.एम. विंडों में व्यापक भ्रष्टाचार है। इसमें अधिकारी खुद ही साईन करके शिकायत को वहीं से निपटा देते हैं। सी.एम. विंडों भ्रष्टाचार की विंडो बनकर रह गयी है। इस पर भी सरकार पूरा ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

**श्री वरुण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

**श्री अध्यक्षः** वरुण जी, आप कई बार अपनी बात रख चुके हैं, इसलिए दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने के लिए समय मिलना चहिए। आप ऐसा न करें और दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी बात रखने दें। अभी आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन भी आना है और आप उस दौरान अपनी बात रख लेना। अब माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार विज जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री प्रमोद कुमार विज (पानीपत शहर):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**श्री वरुण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैं भी पहली बार सदन में चुनकर आया हूं, इसलिए मैं भी नया सदस्य हूं और मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

**श्री अध्यक्षः** वरुण जी, आपको पहले ही अपनी बात रखने का मौका दिया जा चुका है। बाकी दूसरे माननीय सदस्य जो एक बार भी नहीं बोले हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

**श्री प्रमोद कुमार विज :** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन दिनों एन.सी.आर. रीजन में एन.जी.टी. के जो आदेश आ रहे हैं वे तबाही मचाने वाले हैं। इन आदेशों से इंडस्ट्रीज पर बुरा असर होगा और अनइम्पलॉयमैंट बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, एन.जी.टी. रोजाना ही कोई न कोई आदेश जारी कर देती है। वह कभी इंडस्ट्रीज बंद करने के आदेश दे देती है। इन आदेशों की वजह से एन.सी.आर. रीजन में कभी–कभी तो एक–एक सप्ताह तक इंडस्ट्री बंद हो जाती हैं। एन.जी.टी. कभी यह आदेश दे देती है कि इंडस्ट्री 8 घंटे की शिफ्ट में चलाई जायेगी और कभी यह आदेश दे देती है कि गैस आधारित चलाई जायेगी। ऐसे में अब आप ही बतायें कि गैस आधारित जो बॉयलर होते हैं, वे ऐसे नहीं चल सकते हैं, उनमें कोई वाल्व नहीं लगे हुए हैं कि कोयला डालकर चला दें। हमें इस चीज को पहले कम्पनी में भेजना पड़ेगा क्योंकि हजारों

बॉयलर लगे हुए हैं। अगर पूरे इंडिया का स्ट्रक्चर वे इस तरह से चेंज करने में लग जायेंगे तो भी उनको 2 से 3 साल बॉयलर चेंज करने में लग जायेंगे। इसके साथ ही साथ एन.जी.टी. यह भी आदेश देती है कि जनरेटर नहीं चला सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर लाइट चली जायेगी तो जनरेटर चलाने ही पड़ेगे। जनरेटर बंद हो जाने के कारण एक–एक कम्पनी को लाखों रुपये का रोजाना नुकसान हो रहा है इसलिए वहां पर अनइम्पलॉयमैंट बढ़ रही है। हम पहले 8 घंटे फैक्टरी चला रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में हमारे हरियाणा में उद्योग नहीं पनप पायेंगे। हमारे लिये यह एक बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है और सबसे बड़ी समस्या इसमें एक और है। वह यह है कि हमें एन.सी. आर. में रहने का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम किसी से कम्पीट ही नहीं कर पायेंगे। जो इंडस्ट्रीज नॉन एन.सी.आर. यूनिट में लगी हुई हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे से नीचे चली जायेगी। अब आप ही हमें बतायें कि इंटरनैशनल मार्केट में हम कैसे कम्पीट करेंगे? At the same time with the city even एन.जी.टी. यह कहती है कि वहां पर गैस की सप्लाई है वहां पर उद्योग कोयले, भूसे या लकड़ी से चला सकते हैं लेकिन जहां पर गैस की सप्लाई है वहां पर गैस से नहीं चला सकते इसलिए within the city हम कैसे कम्पीट करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो हमारा कोई कम्पीटीशन नहीं रह जायेगा इस वजह से हम तबाही के कगार पर पहुंच गये हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे और इस विषय पर एन.जी.टी. से बात करके अधिकारियों की ड्यूटी लगाये। जो गैस की कॉस्ट है वह एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुजरात में गैस की कॉस्ट अलग है, यू.पी. में अलग कॉस्ट है, हरियाणा में अलग कॉस्ट है। इस चीज को कम्पीट कैसे करना है। इस प्रकार से इंडस्ट्रीज खत्म हो जायेगी। अगर गैस की कॉस्ट ऐट पार नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज यहां से पलायन करने के बारे में विचार कर लेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अलग से भी प्रार्थना कर लूंगा। इस बारे में लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। यह बहुत ही जरूरी विषय है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मैंने पहले भी इस बारे में सदन में अपनी बात रखी थी और आज भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि जेड.एल.डी. यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया

था जो पानी की कमी की वजह से तबाह हो गया था, आज के दिन वहां पर कुछ नहीं है। इसी तरह से पानीपत की भी यही हालत होती चली जा रही है इसलिए हमारे पानीपत के लिए जेड.एल.डी. यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बहुत जरूरी है। मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है और उन्होंने इसकी आज्ञा भी दी हुई है। हमें पानीपत में इंडस्ट्री के लिए फायर स्टेशन चाहिए। मैंने एक इन्डोर स्टेडियम बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी और हमने इसकी डी.पी.आर. भी तैयार करवाई है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** विज साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज अब आप बैठ जाये।

**श्री प्रमोद कुमार विज :** अध्यक्ष महोदय, पानीपत में 28 बस्ती है। इसमें से 17 वाल्मीकि समाज की बस्ती हैं और 11 दूसरे समाज की बस्ती हैं। हमें इनकी रेणूवेशन के लिए फंडस की जरूरत है। इनकी डी.पी.आर. तकरीबन 43 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हो चुकी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऑडिटोरियम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी अंत में माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि सनोली रोड और गोहाना रोड को एल.एंड.टी. फ्लाई ओवर के साथ कनैक्ट करने का काम किया जाये और पानीपत को ऐलिवेटिड बस स्टॉप देने का भी काम किया जाये। धन्यवाद।

**श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) :** अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में मेमोरियल बनाया जाये और जो उनके खिलाफ मुकद्में चल रहे हैं उनको भी वापिस लेने का काम किया जाये। शहीद किसानों के परिवारों को सहायता और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाये। इसके अलावा जिस परिवार में कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है, मैं उस परिवार के लिए पेंशन की डिमांड करता हूं क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गये हैं उन परिवारों में छोटे–छोटे बच्चे और विधवा बहनें रह गई हैं उनको भी फैमली पेंशन देने का काम किया जाये। इस किसान आंदोलन में अन्न दाता को यह कहा गया कि ये तो पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं और खालिस्तानी हैं, पता नहीं उनको क्या–क्या कहा गया। कभी यह बात कही गई कि इनके हाथ काट दो कभी कहा गया कि इनकी आंखें निकाल दो। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले

दिल से किसानों से माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उनको बहुत बुरा भला कहा इसलिए इनको भी हरियाणा के लोगों से इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन सम्मान योजना शुरू की गई थी और आज यह सरकार उस बुढ़ापा पेंशन पर कैंची चलाने का काम कर रही है। इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले हरियाणा के लोगों से 5100 रुपये प्रति माह बुढ़ापा पेंशन देने का वायदा किया था परन्तु हरियाणा में 51000 बुजुर्ग लोगों की पेंशन काटने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी इस बात का पता है कि आजकल के बुजुर्ग आदमी अपने परिवार के सदस्यों के साथ किस स्थिति में रह रहे हैं। मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि नम्बरदार एसोसिएशन की भी मांग है कि उनके पद बने रहने चाहिए। इसके अतिरक्ति सरकार की तरफ से सब्जी मंडी में टैक्स का 2 परसैंट इन्ट्रेस्ट लगाया जाता है। इस बारे में मेरे पास संयुक्त किसान मंच का यह मांग पत्र है और यह मांग पत्र मैं सदन की टेबल पर रखना चाहूंगा। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं यहां पर एक बात और विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि सदन में सरकार के लगभग सभी मंत्रियों ने भाषण दिये कि सदन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं उसको हर हाल में पूरा किया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं। मेरे गोहाना हल्के के अंदर वैस्टर्न बाई–पास है। जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार तो वर्ष 2016 में घोषणा की थी और जिसके बारे में सम्बंधित मंत्री ने सदन में उस बाई–पास को बनाने की घोषणा की थी लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। क्या दो बार मुख्यमंत्री जी की घोषणा और दो ही बार सदन में घोषणा की कोई अहमियत नहीं है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे सारी की सारी बातें कहां गई? इसके अलावा गोहाना में सैक्टर–16 और सैक्टर–17 को डिवैल्प करने की भी बात कही गई थी लेकिन सात साल का समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। हमारी सरकार के समय में इसके लिए जमीन को एक्वॉयर किया गया था और जमीन के मालिकों को कम्पनसेशन का भुगतान भी किया गया था। इसी प्रकार से महम और बरौदा रोड पर बाई–पास बनाने की बात थी। इस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों के मामले में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे नैना गांव के पास से नैशनल हाईवे बन रहा है वहां पर मेरे गांव का रास्ता ही बंद कर दिया गया। वहां पर मेन सोनीपत रोड पर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि इस

समस्या का कोई न कोई सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जाये। पहले वहां पर जो अण्डर ब्रिज बना रखा था अब उसको भी बंद कर दिया गया है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही रिक्वैस्ट है कि मेरे गांव को रास्ता दिया जाये। सरकार की हर पथ नाम से एक ऐप (App) थी। जिसके तहत सरकार ने प्रदेश की सभी सड़कों के गड्ढे भरने की बात कही थी। मेरे हल्के में 21 सड़कें तो हरियाणा एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड की हैं और इसी प्रकार से 27 सड़कें पी. डब्ल्यू.डी. की हैं और ये सड़कें वाहनों के चलने लायक नहीं हैं। वहां सोनीपत रोड पर गडढों की वजह से एक ट्रैक्टर पलट गया। मेरे पास इससे सम्बंधित तस्वीरें भी हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इनको देख लें। इस सम्बन्ध में मैंने वहां के ऑफिसर्ज को बहुत बार कहा है कि उन गड्ढो को भर दिया जाये लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं यह तथ्य भी सम्बंधित मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। स्पीकर सर, मंत्री जी को इनके अधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं। मेरे हल्के में एक बड़वासनी की सड़क है। वह सड़क एक किलोमीटर तक तो बनी ही नहीं है लेकिन मंत्री जी के पास इनके अधिकारियों ने जवाब भिजवा दिया कि यह सड़क बिलकुल सही है।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है जगबीर सिंह जी, अब आप बैठ जायें। आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है।

**श्री जगबीर सिंह मलिक :** स्पीकर सर, मैं आपकी इजाजत से वर्तमान सरकार की कारगुजारियों के ऊपर एक शेयर सुनाना चाहता हूं कि

सत्ता को विरासत समझ बैठे हैं,
प्रजा पर जुल्म करने को सियासत समझ बैठे हैं,
सत्ता के नशे में हैं चूर ये बी.जे.पी./जे.जे.पी. नेता
प्रदेश को अपनी रियासत समझ बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इनको यही कहना है कि जब समय आयेगा तो पब्लिक इनको सच्चाई बता देगी। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है।

———————

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

**श्री रघुवीर सिंह कादियानः** स्पीकर सर, मैंने हरियाणा प्रदेश में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार के बारे में कालिंग अटैशन मोशन दिया था। मुझे उसका फेट बताने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष :** कादियान साहब, यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दिन में दो से ज्यादा कालिंग अटैशन मोशन नहीं लगाये जा सकते। इस बार मुझे 51 कालिंग अटैशन मोशंज के नोटिसिज प्राप्त हुए हैं।

**श्री रघुवीर सिंह कादियान :** स्पीकर सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपका तो यह आखिरी सैशन है क्योंकि इसके बाद तो आप मंत्री बन जायेंगे इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है कि आप फराखदिली दिखा दो और मेरे ड्रग्स से सम्बंधित कॉलिंग अटैशन मोशन के नोटिस को स्वीकार करके उसके ऊपर चर्चा करवाने का समय निर्धारित कर दें। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि हरियाणा विधान सभा के 250 से 300 इम्प्लॉयज को आपने पता नहीं क्या घुट्टी पिला रखी है वे सभी सुबह यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हमारे स्पीकर को मंत्री बना दो। स्पीकर सर, यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि आपको मंत्री बनाने के लिए हरियाणा विधान सभा के 250 से 300 इम्प्लॉयज प्रयास कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** कादियान साहब, आपके ड्रग्स के विषय से सम्बंधित कालिंग अटैंशन मोशन के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपका यह कालिंग अटैंशन मोशन डिस्अलाऊ हो चुका है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ड्रग्स एब्यूज का मामला बहुत बड़ा मामला है और यह आज का नहीं है बल्कि यह पिछले बहुत से वर्षों से चला आ रहा है। अगर आपके पास कोई तत्काल प्रकृति का कोई मामला हो तो आप उसके बारे में बतायें।

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :** स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जल्दी से जल्दी स्थापना करनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** कादियान साहब, यह सरकार का काम है इसलिए इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जायेगा वह सरकार के स्तर पर ही लिया जायेगा। अभी आप कृपया करके बैठ जायें।

———

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

### (i) हरियाणा में नये कोविड वैरियंट ओमिक्रॉन पर अंकुश लगाने के लिए उठाये गये पगों बारे

13:00 बजे

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मुझे श्री चिरंजीव राव, विधायक, द्वारा हरियाणा में नये कोविड वैरियंट ओमिक्रॉन पर अंकुश लगाने के लिए उठाये गये पगों से

सम्बंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 प्राप्त हई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 35 जोकि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–38, जोकि श्री बलराज कुण्डु, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलराज कुण्डु, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। ऐसे ही ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–47, जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 के साथ जोड़ दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकती हैं। अब श्री चिरंजीव राव, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

**Shri Chiranjeev Rao:** Sir, I want to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that Omicron Covid Variant is spreading in various States like Kerala, Karnataka, Maharashtra and Delhi even case has recently detected in Chandigarh. I want to ask what steps have been taken to stop spreading of Omicron Virus in Haryana and what compensation the Government will give to Covid victims who died. Government may give a statement on the floor of the House.

**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 35**

**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 के साथ सलंग्न**

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 35 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक कोरोना का ओमिक्रॉन नाम से नया वैरियंट के बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि कोरोना का ओमिक्रॉन नाम से नया वैरियंट के बारे में केन्द्र सरकार की तरफ से बार–बार चेताया गया है और उसके बारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जनमानस को मास्क व दूरी आदि के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। सरकार इस नये कोरोना के वैरियंट को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है और इसके लिए जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान मे रखते हुए किन–किन स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विचार कर रही है। उनमें सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

## ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38

## स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 के द्वारा, श्री बलराज कुंडू, विधायक प्रदेश में कोरोना महामारी के नए प्रारूप ओमिक्रॉन से निपटने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में कोरोना महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसके बाद अब कोरोना का नया प्रारूप ओमिक्रॉन भी प्रदेश में फैलने लगा है। जिसके कारण पूरे प्रदेश में भय का माहौल बनता जा रहा है। सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है। इस बारे में सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करे।

## ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 47

## स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 के साथ सलंग्न

श्रीमती किरण चौधरी, विधायक ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती हैं कि जैसा कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला वायरस है। यह वायरस डेल्टा से भी 70 प्रतिशत तेज दर से बढ़ता है। सरकार यह स्पष्ट करे कि इस बीमारी से लड़ने और रोकने के लिए क्या उपाय किए है? क्या डॉक्टरों और नर्सों की अतिरिक्त सख्यां में तैनाती की है। पैरा मैडिकल स्टाफ, ओपरेटर को उचित परीक्षण दिया जा रहा है, एक्सरे अल्ट्रासांउड ऑक्सीजन सिलेंडर और इनके प्लाट की उचित व्यवस्था की गई है या नहीं? क्या सरकार ने बड़े अस्पतालों जैसे पीजीआई रोहतक में लैब को लगाने के लिए INSACOG से प्रमाणित करवा लिया या नहीं? क्योंकि इससे पहले सरकार द्वारा जो कोविड के सैम्पल लिए जाते हैं उनमें से Randomly 5 प्रतिशत कोविड रोगियों के सैम्पल इंदिरा गांधी इस्टि्टयूट ऑफ VIGNOLOGY दिल्ली में जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing) के लिए भेजे जाते हैं जिसके परिणाम आने में भी 20 से 25 दिन का समय लगता है। इसी कारण दूसरी लहर में इतना दुष्प्रभाव पड़ा कि हमें 10 हजार से भी ज्यादा प्रदेशवासियों की मौतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि 20–25 दिन का दायरा बहुत लम्बा होता है। इस दौरान सक्रंमित व्यक्ति कहां घूमता है किसके सम्पर्क में आता है और इसी कारण यह तेजी से फैलता रहता है। इसलिए सरकार को प्रदेश में भी ऐसी लैब की व्यवस्था करनी चाहिए जो INSACOG से प्रमाणित हो।

ओमिक्रॉन के उपचार के लिए अस्पतालों में समय रहते अलग व्यवस्था करनी चाहिए। विदेशों से आने वाले यात्रियों की चैकिंग टेस्टिंग और आईसोलेशन की उचित व्यवस्था हो। अब तक कितने विदेशी यात्रियों की जांच की गई है उसका ब्यौरा दिया जाए। London School of Hygiene & Tropical Medical (LSHTM) की एक Study में कहा गया है कि समय रहते UK में ओमिक्रॉन के प्रभाव को रोकने के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध नहीं कराए तो ब्रिटेन में 2021 से भी ज्यादा कहर पनप सकता है। अभी हाल ही में नीति आयोग के सदस्य श्री वी.के. पोल ने कहा है कि इस समय पूरा यूरोप बहुत ही गम्भीर हालात से गुजर रहा है। अगर U.K. जैसे हालात बने तो 13 लाख मामले रोजाना देश में आने की सम्भावना है। इसलिए हमें भी ओमिक्रॉन से बचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मियों वरिष्ठ नागरिकों एवं गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को जैसे कि डायाबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की जाए। कोरोना लहर के तहत हुई मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों को कितनी आर्थिक मदद की गई है ब्यौरा दिया जाए। अब तक प्रदेश में कितने ऐसे केस चिन्हित किए हैं का ब्यौरा दिया जाए। सरकार को ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि कोई ऐसी शर्तें ना लगाए कि जिसके लिए उत्तराधिकारियों को दर बदर भटकना ना पड़े। जैसा कि कोविड पोजिटिव का सर्टिफिकेट आमतौर पर उत्तराधिकारियों के पास नहीं होता। जिनकी मृत्यु हुई है यह सरकार को स्वयं ही शमशान घाट के रिकॉर्ड या अस्पतालों से अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि उचित आर्थिक मदद कोविड के कारण मृत हुए उत्तराधिकारियों तक पहुंच सके। माननीय सदस्या सदन के सभी मननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहती हैं कि वो सरकार पर दबाव डाले कि वह समय रहते इस वायरस से लड़ने/उपचार की व्यवस्था करे। क्योंकि हमने दूसरी कोरोना की लहर के कहर को झेला है जिसके कारण सरकार की मैडिकल व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई थी और हमने भारी संख्या में अपनों को खोया था। हमें 10 हजार से ज्यादा अपने लोगों को खोया था।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

वक्तव्य–

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

**Health Minister (Shri Anil Vij) :** Speaker Sir, I am grateful to Hon'ble Members of Haryana Legislative Assembly, Shri Chiranjeev Rao, Shri Abhay Singh Chautala, Shri Balraj Kundu and Smt. Kiran Choudhry for raising an important issue related to curtailing the spread of newly discovered COVID-19 Variant 'Omicron' and the compensation being paid to the families of the persons, who lost their lives due to COVID-19.

I would like to inform my Hon'ble colleagues that State Government has not left any stone unturned to curtail the spread of COVID-19. The State has well fought the two previous waves of pandemic and has been the front runner among all the States. I would like to brief this august House regarding the new Omicron variant of COVID and preparedness of the State for tackling the same. (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री असीम गोयल पदासीन हुए।)

On 26th November, 2021, World Health Organisation designated the variant B.1.1.529, a 'variant of concern', as Omicron. The first case was reported from South Africa on 24th November, 2021.

Europe including United Kingdom, South Africa, Brazil, Botswana, China, Ghana, Mauritius, New Zealand, Zimbabwe, Tanzania, Hong Kong & Israel are "At risk countries".

Till date six cases of Omicron are reported in Haryana.

Case 1- The patient named Samarth Gulati, age 23 years, is a resident of U.K. and has travelled alone to India via UAE (Dubai). He was travelling to meet his relatives in Gurugram. He was tested positive at the airport and is in isolation since 14.12.2021 Government isolation facilities in Delhi and is asymptomatic.

Case 2- On December 17, 2021 forenoon, another Omicron positive case named Abhinandan aged 18 years was cross-notified by State Surveillance Unit, Delhi. The patient is a Law student and was

travelling alone from UK to back home in Gurugram on vacation. He was tested positive at the airport and another sample was also taken at LNJP Hospital, Delhi and is asymptomatic.

Case 3- On December 18, 2021 night, an Omicron positive patient named Praveen Kumar aged 55 years was cross-notified by State Surveillance Unit, Delhi. He was travelling from UK to his residence in Gurugram and was symptomatic on arrival. He was found tested positive at Delhi airport. Patient is isolated in Max Hospital Saket in Delhi since 13.12.2021 and now asymptomatic. He was also accompanied by his wife who was tested negative at airport and allowed to go home at Gurugram.

All these three patients have never entered in Haryana. They are out of Haryana and are being treated at Delhi. Two in LNJP Hospital, Delhi and one in Max Hospital Saket in Delhi. Apart from this, as per verbal communication from IGIB, Delhi, a Canada returnee Nikita Sahani who arrived at Delhi on 13,12,2021 had tested covid positive on 14.12.2021. Her sample was sent for WGS and has been found positive for Omicron on 20.12.2021 and her two primary contacts, mother and an aunt, have also tested covid positive. Her Aunt Anupama Ganju, a resident of Delhi is presently staying with Nikita. Her Mother and her aunt's samples have been sent for WGS sampling. All three have been quarantined at a private health facility in Faridabad. Nikita's personal physician also with staff were advised for CB-NAAT test for Covid-19 to ensure tracing of Covid-19.

As per the list of international travellers being shared with State Government by Airport Authority; 22918 international travellers have been taken under active surveillance and conducted 17,933 RTPCR tests, out of which 7 were found positive and further sent for Whole Genome Sequencing (result pending).

Aggressive IEC activities are being done to promote COVID-19 Appropriate Behaviour (CAB) in public and strict adherence to protocols is ensured.

State Government has established 22 Government molecular labs for testing RT-PCR tests.

COVID-19 vaccination status: 3,11,86,292 doses have been given till 19th December, 2021 [1st Dose: 1,91,10,472 (93%) 2nd Dose: 1,20,75,820 (59%)]

State has earmarked sufficient number of COVID health facilities with isolation, oxygen supported & ICU beds and ventilators for the treatment of COVID patients, alongwith adequate oxygen supply and stock of COVID related drugs and consumables.

As compensation to the families of all the persons, who have died due to COVID, State Government is providing:

> ex-gratia amount of Rs.50,000/- for all the Haryana residents who died due to Covid.

> ex-gratia amount of Rs.2 lakhs for BPL card holders aged 18-50 years.

> Special Ex-gratia grant of Rs.5 lakhs for employees (regular/contractual/ ad hoc/outsourcing/etc.) & Special Compassionate Financial Assistance of Rs.20 Lakhs for frontline workers.

State Government has also implemented Pradhan Mantri Garib Kalyan Package: Life Insurance scheme of Rs.50 Lakhs for healthcare personnel (govt. & private) deployed for COVID duty.

Mr. Chariperson Sir, I would like to inform my Hon'ble colleagues that State Government is fully genral up to combat the Spread of onicron variant of Coved and also to deal with any smge in the numer of Covid cases.

**श्री चिरंजीव रावः** सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी सदन में जो जवाब दिया है, के परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि कोविड की दूसरी वेव से पहले जो सत्र

आयोजित हुआ था, उस सत्र के दौरान भी मैंने इसी नेचर का एक ध्यानाकर्षण नोटिस देने का काम किया था और उस वक्त भी सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई थी और बावजूद उसके किस तरह से हरियाणा को कोविड की सैकिंड वेव से जूझना पड़ा था, वह हम सबको याद है। लोगों को आक्सीजन स्पोर्टिड बैड तक नहीं मिल पाये थे, वैंटीलेटर्ज नहीं मिल पाये थे और अगर कहीं पर वैंटीलेटर्ज थे भी तो टैक्निशियंज नहीं थे जोकि वैंटीलेटर्ज को चला सकें। सभापति जी, मैं वैंटीलेटर के संबंध में एक वाक्या सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब मैंने एक बार वैंटीलेटर के लिए एक सी.एम.ओ. को फोन किया तो उसने मुझे जानकारी दी कि हमारे पास वैंटीलेटर तो हैं लेकिन वैंटीलेटर चलाने वाला नहीं है। इस प्रकार के हालात थे तो ऐसी सूरत में मैं आज सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे स्पेशल टैक्निशियंज का कितना स्टॉफ है जोकि इन वैंटीलेटर्ज को चला सके या आक्सीजन मशीनों को आपरेट कर सके। सभापति जी, मैंने यह भी जानने की कोशिश की थी कि गवर्नमैंट होस्पिटल्ज में कितने बैड्ज की संख्या बढ़ाई गई है लेकिन मंत्री जी के जवाब में इसका कोई हवाला नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कितने वैंटीलेटर्ज लगाये गए हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो पढ़कर बताया है, उसमें कहा गया कि 93 परसैंट लोगों को फर्स्ट डोज देने का काम किया गया है और 59 परसैंट लोगों को सैकिंड डोज लगा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं सरकार की कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से लोगों को कोविड की डोज लगाने के लिए जागरूक नहीं किया जा सका और न ही उनके अंदर जो कोविड की डोज के प्रति तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने का काम किया गया। सरकार द्वारा जनता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था कि कोविड की डोज को जनता जल्द से जल्द लगवाये लेकिन सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई। सभापति जी, जहां तक टैस्टिंग की बात है, वह भी बहुत कम हो रही है। जैसाकि मैंने ओमिक्रोन वायरस के बारे में पढ़ा है, उससे पता चला कि ओमिक्रोन वायरस जो कोविड का वरिएंट है, यह कोविड से थ्री टाइम्स फास्टर फैलता है तो अगर वर्ष के सिनारियो यह हमारे देश मैं फैलता है तो एक स्ट्डी बताती है कि करीबन 13 लाख केसिज हमारे देश के अंदर एक टाइम पर हो जायेंगे तो सरकार को देखना पड़ेगा कि इससे निपटने के लिए उसकी

तैयारी कैसी है। अब मैं इंडियन क्रिकेट टीम के साउथ अफ्रीका दौरे के विषय पर बात करना चाहूंगा। वैसे यह हमारे परव्यू के अंदर नहीं आता परन्तु इस पर बात करना जरूरी है। अभी इंडियन क्रिकेट टीम, साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैचिज खेलने गई है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे यहां से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ गए होंगे और ऐसी स्थिति में जब ये लोग इंडिया आयेंगे तो उस स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सभापति जी, जब हमें यह पता है कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा आम्रिकोन वॉयरस फैला हुआ है तो उसके बावजूद भी हमारी टीम वहां मैचिज खेलने जाती है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजों से बचा जाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और जाने–अनजाने हमें इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। सभापति जी, मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह बात भी कही थी कि हरियाणा के अंदर इस वायरस का कोई केस डिटैक्ट नहीं हुआ है लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब कोविड की सैकिंड वेव आई थी, उस वक्त यहां पर काफी समय तक एक भी केस नहीं आया था लेकिन जब केसिज आने शुरू हुए तो वह हालात सबको मालूम ही है। सभापति जी, कोविड के केसिज उस समय सबसे ज्यादा गुरूग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद के अंदर आये थे और लोगों में हाहाकार मच गया था तथा कितनी ही डैथ अकेले आक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि आक्सीजन की कमी की वजह से हरियाणा के अंदर कोई नहीं मरा लेकिन यह बात सब जानते हैं कि कितने लोगों की डैथ आक्सीजन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें न मिलने की वजह से हुई थी तो इन सब बातों के मद्देनजर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाये, इसके लिए सरकार ने किस तरह की फैसिलिटीज बढ़ाने का काम किया है। अब मैं एक अन्य विषय के बारे में बात करूंगा। सभापति जी, मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का एक सदस्य हूँ। हमारी समिति ने ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने की दिशा में एस.सी./बी.सी. परिवारों के बच्चों को टैबलेट्स बांटने संबंधी एक अनुशंसा प्रस्तुत की थी जिसको सरकार ने इंप्लीमैंटेशन करने का काम किया। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को यह टैबलेट्स बांटने का काम किया गया है। अभी तक यह आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने बच्चों को यह टैबलेट्स बांटे गए है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल्ज अभी तक नहीं खुले हैं। सभी जगह आनलाइन क्लासिज चल रही हैं। गरीब

बच्चों के पास मोबाईल और टैबलेट्स नहीं होते हैं, इस प्रकार से जिन बच्चों के पास कोई मोबाईल/टैबलेट नहीं होंगे तो वे अपनी पढ़ाई किस तरह से करेंगे?

**श्री सभापतिः** चिरंजीव जी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिस विषय को लेकर दिया गया है, कृपया करके उसी से संबंधित बातें सदन के पटल पर रखिए। आप कोरोना वायरस का ऑमिक्रोन स्वरूप से संबंधित प्रश्न न पूछ कर बच्चों के मोबाईल/टैबलेट के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं। इस तरह की बातों पर आप सदन का और अपना कीमती समय बर्बाद न करे।

**श्री चिरंजीव रावः** सभापति महोदय, यह प्रश्न भी उसी से संबंधित है। क्योंकि आज ऑनलाइन क्लासिज इस वजह से चल रही है क्योंकि देश और प्रदेश में कोविड–19 वैश्विक महामारी का संक्रमण फैला हुआ है। यह इसी से संबंधित है और मैं अपने सब्जैक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूँ। मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि उन गरीब बच्चों को अभी तक मोबाईल/टैबलेट्स क्यों नहीं मिले?

**श्री सभापतिः** चिरंजीव जी, आप हैल्थ मिनिस्टर को एड्रैस करके एजुकेशन मिनिस्टर से प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है।

**श्री चिरंजीव रावः** सभापति महोदय, हमारे जो गरीब बच्चे हैं यदि उनको टैबलेट्स समय रहते बंट जायेंगे तो वे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। यही मेरा मुख्य सवाल है।

**श्री अनिल विजः** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को टैस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज तक 1,42,23,617 सैम्पल टैस्ट किये जा चुके हैं और इसमें से 7,72,197 were found positive. 7,61,903 patients have been recovered. Recovery rate is 98.67% and 10,061 deaths have occurred. Fatality rate is 1.30%. As far as the COVID facility is concerned, the details are as under:-

**The COVID health facilities in the State: Total Facilities – 1097**

- Dedicated COVID Hospitals (DCH) – 69
- Dedicated COVID Health Centre (DCHC)- 588
- Dedicated COVID Care Centre (DCCC) – 440

**Availability of beds:**

- Isolation Beds – 59932
- Total Isolation beds for Paediatric Patients – 5367
- Oxygen supported beds – 16757
- Oxygen isolation beds for Paediatric Patients – 3865
- ICU Beds – 5974
- ICU Beds Paediatric – 2140
- Ventilators – 2385
- Ventilators Paediatric – 719

Government Health Facilities have more than 10,000 Oxygen supported and 650 ICU Beds और मैडिसन का स्टॉक भी हमारे पास पूरा है। अगर सदन कहें तो वो भी मैं पढ़कर सुना देता हूँ। 75 PSA Plants have been installed in Health Department out of which 72 are functional. Additionally, 54 PSA plants have been installed in private hospitals. Apart from 75 PSA Plants installed in Health Department, in the Medical Colleges also LMO Tanks have been provided. Existing capacity of LMO Tanks is 80,000 Litre and LMO Tanks of 30,000 Litre are under construction (PGIMS, Rohtak-10,000 Litre, KCGMC Karnal-10,000 Litre and MAMC Agroha-10,000 Litre). So, total 1,10,000/- Litre capacity LMO Tanks have been added to the system. The status of PSA Plants and their capacity is that- PGIMS Rohtak-3833 LPM, BPSGMC Khanpur-2,000 LPM, SHKMGMC Nalhar Nuh-3,000 LPM, KCGMC Karnal-2,250 LPM, SABV GMC, Chhainsa-2,250 LPM and MAMC Agroha-1,000 LPM.

सभापति महोदय, हमने कोविड–19 की सैकेण्ड वेव के बाद प्रदेश में ऑक्सीजन का ऐडिशनल अरेंजमैंट किया है । हम जिस तरह से चल रहे हैं उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम हरियाणा में ऑक्सीजन के इतने प्लांट लगाने जा रहे हैं कि हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जो ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा । हमने न केवल सरकारी अस्पतालों में पी.एस.ए. (Pressure Swing Adsorption) प्लांट लगाने के लिए आदेश जारी किये हैं बल्कि हमने प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा कि 50 बैड की क्षमता से ज्यादा क्षमता वाले प्राइवेट अस्पताल अपनी जरूरत के मुताबिक पी.एस.ए. प्लांट लगा सकते हैं ।

**श्री चिरंजीव राव** : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अस्पतालों में 2000 वैंटीलेट्र्स लगा दिए गए हैं । यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इनको चलाने वाले टैक्नीशियंज भी सरकार के पास हों । मेरा प्रश्न है कि क्या इन वैंटीलेट्र्स को चलाने के लिए टैक्नीशियंज को प्रशिक्षण दिलवाया गया है ? इसके अलावा जो ऐडिशनल डॉक्ट्र्स और स्टाफ लगाया गया है क्या उनको भी इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है ? इसके अलावा मैंने यह भी प्रश्न किया था कि अभी तक सैकेण्ड डोज केवल 59 परसैंट लोगों को ही लगी है तो डोज के 100 परसैंट के टार्गेट तक कब पहुंचा जाएगा ? मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि सरकार बूस्टर

डोज लगाना कब शुरू करेगी ? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत–से लोग तो ऐसे हैं जिनको फर्स्ट और सैकेण्ड डोज लगे हुए काफी समय हो गया है । अतः माननीय मंत्री जी बतायें कि बूस्टर डोज कब लगानी शुरू की जाएगी ?

**श्री अनिल विज :** सभापति महोदय, कोविड–19 से बचाव के उपाय या इसके कवच वैक्सीन की दोनों डोज, मास्क और सोशल डिस्टैंसिंग है । इस महामारी से बचने के ये तीन उपाय हैं । ये बहुत जरूरी हैं । लोगों को मास्क लगवाने के लिए हमने सभी एस.पीज. को वायरलैस मैसेजिज कर दिए हैं । अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा तो उसका 500 रुपये का चालान किया जाएगा । हमने कहा है कि इस आदेश की सख्ती से पालना की जाए क्योंकि इसकी सख्ती से पालना बहुत जरूरी है । हमने यह भी आदेश जारी कर दिए हैं कि किसी भी गैदरिंग में जितनी संख्या निश्चित की गई है डी.सी. अपनी टीम बनाकर उसकी रैंडमली चैकिंग करें । हमारा भाव यही है कि कहीं पर भी निश्चित की गई संख्या से ज्यादा गैदरिंग न हो । इसके अलावा मैंने यह भी बता दिया है कि 93 परसैंट लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 60 परसैंट लोगों को सैकेण्ड डोज लग चुकी है । मैं इस बारे में जिलावार परसैंटेज भी बताना चाहता हूं । इसका उद्देश्य यह है कि मैं इस कार्य में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग लेना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि यह एक मूवमैंट है, जन आन्दोलन है और इसमें हम सभी को अपना रोल प्ले करना है । वैक्सीनेशन के लिए सभी को अपने–अपने जिलों में कैम्प्स लगाने होंगे । माननीय सदस्य चाहे कहीं पर भी कैम्प अरेंज करें और इस बारे में एक बार सी.एम.ओ. को इंफॉर्म कर दें, हमारे विभाग की टीम वहां पर आकर वैक्सीन लगाएगी । ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सैकेण्ड डोज का 100 परसैंट का टार्गेट अचीव करना है । अगर हमें ओमीक्रोन वायरस के खतरे से बचना है तो हमें सैकेण्ड डोज के टार्गेट को भी अचीव करना होगा । इसके लिए सरकार जो कदम उठा रही है मैं उनके बारे में भी सदन को अवश्य बताऊँगा । मेरा कहना है कि जो कार्य जन आन्दोलन के रूप में होता है वह ज्यादा बेहतर होता है । फर्स्ट डोज के समय भी लोगों ने कैम्प्स लगवाये थे । इसके लिए उन्होंने कुर्सियां लगवाई, टैण्ट लगवाये, डॉक्ट्र्स को बुलवाया और फिर लोगों का वैक्सीनेशन करवाया था इसीलिए हमारा वैक्सीनेशन 93 प्रतिशत हो गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि गुरूग्राम जिले में 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है यानि फर्स्ट और सैकिण्ड डोज का 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है। अंबाला जिले में फर्स्ट डोज की

106 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 97 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। भिवानी जिले में फर्स्ट डोज की 92 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 69 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। चरखी दादरी में फर्स्ट डोज की 96 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 83 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। फरीदाबाद जिले में फर्स्ट डोज की 112 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 75 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। फरीदाबाद में 112 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। इस पर माननीय सदस्य क्वैश्चन उठा सकते हैं क्योंकि कुछ शहरों में माइग्रेटरी लोग बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अगर कोई बाहर से वैक्सीन लगवाने के लिए आता है तो उसको मना नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पास आधार कार्ड है तो वैक्सीन लगा देते हैं, इसलिए फर्स्ट डोज की 112 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुई है। फतेहाबाद जिले में फर्स्ट डोज की 81 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 41 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। गुरूग्राम में फर्स्ट डोज की 129 प्रतिशत वैक्सीनेशन और सैकिण्ड डोज की 101 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा सभी माननीय सदस्यों से कहना है कि गुरूग्राम जिले के अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए मेजें थपथपाई जानी चाहिए। (इस समय मेजें थपथपाई गयी।) हिसार जिले में फर्स्ट डोज की 79 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 42 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। झज्जर जिले में फर्स्ट डोज की 98 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 62 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। जीन्द जिले में फर्स्ट डोज की 78 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 44 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। मेरा जीन्द जिले के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि जीन्द जिले में वैक्सीनेशन की परसैंटेज लो है, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को मिलकर सहयोग करना चाहिए ताकि यह परसैंटेज जल्दी बढ़े। कैथल जिले में फर्स्ट डोज की 84 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 56 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। करनाल जिले में फर्स्ट डोज की 89 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 57 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। कुरूक्षेत्र जिले में फर्स्ट डोज की 85 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 53 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। महेन्द्रगढ़ जिले में फर्स्ट डोज की 87 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 57 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। इस संबंध में पहले मेवात जिले की स्थिति बड़ी चिंतनीय थी क्योंकि वहां पर 32 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 50 प्रतिशत वैक्सीनेशन से नीचे वाले सभी जिलों के डी.सीज. के साथ वीडियो कान्फ्रैंसिंग करके सुझाव/निर्देश दिये। उन्होंने हमारे

मेवात जिले के डी.सी. के साथ भी वीडियो कान्फ्रैंसिंग की थी और उस दौरान मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे। इसका असर यह हुआ कि वहां पर जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते थे, अब फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन बढ़कर 64 प्रतिशत हो चुकी है। मैं मेवात जिले के सभी माननीय विधायक साथियों से कहना चाहूंगा कि वे कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे कामों को छोड़कर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करके कैंप लगवाएं और दोनों डोज की 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन करवाने के लिए जागरूक करें। इसके अतिरिक्त पलवल जिले में फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन 80 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 45 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। पंचकूला जिले में फर्स्ट डोज की 107 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 83 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। पानीपत जिले में फर्स्ट डोज की 94 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 52 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। रेवाड़ी जिले में फर्स्ट डोज की 98 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 70 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। रोहतक जिले में फर्स्ट डोज की 92 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 58 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। सिरसा जिले में फर्स्ट डोज की 86 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 48 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। सोनीपत जिले में फर्स्ट डोज की 92 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 54 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। यमुनानगर में फर्स्ट डोज की 91 प्रतिशत और सैकिण्ड डोज की 54 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुकी है। सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सभी प्रदेशवासी वोलैंटरिली वैक्सीनेशन करवा लें तो अच्छी बात है। अन्यथा इसके लिए सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है और दिनांक 1.1.2022 के बाद जिसने दोनों वैक्सीनेशन नहीं लगवायी होंगी तो उसको किसी मैरिज हाल में, किसी रेस्टोरैंट में, किसी होटल में, किसी माल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक के अलावा दूसरी ऐसी जगहों जहां पर ज्यादा लोगों के इक्ट्ठे होने की संभावना हो सकती है, वहां पर जाने की परमीशन नहीं दी जाएगी। सभापति महोदय, अगर इसके बारे में आप कहेंगे तो मैं पूरी डिटेल भी पढकर सुना सकता हूं, लेकिन जनरली सभी समझ गये कि जिनको सैकिण्ड डोज नहीं लगी होगी, वे बस या गाड़ी में he will not be permitted to enter. आज सरकार दिनांक 1.1.2022 से आगे के लिए ऐसा ऑर्डर जारी कर रही है।

**श्री चिरंजीव रावः** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमने माननीय मंत्री जी की पिछले सैशन के दौरान भी सारी बातें मान ली थी। माननीय

मंत्री जी बहुत अच्छे मंत्री हैं और उनको अपनी सेहत के साथ–साथ प्रदेश की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से जवाब दिया और जिलेवार भी सभी बातें बताईं। जहां माननीय मंत्री जी ने इन सब चीजों का जिक्र किया वहीं मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज जिलेवार अस्पतालों में क्या स्थिति है? इनमें कितना स्टाफ है? इनमें कितने बैड हैं और जिलेवार क्या–क्या इंतजाम किए गए हैं? इस बारे में भी मंत्री जी को बता देना चाहिए था। सभापति महोदय, डब्ल्यू.एच.ओ. की गाइडलाईंज के मुताबिक अस्पतालों में 1 हजार की आबादी पर 3 बैड होने चाहिएं। मंत्री जी, आप इस बात को नोट कर लें। हमारी नैशनल हैल्थ पॉलिसी के अनुसार अस्पतालों में 1 हजार की आबादी पर 2 बैड का प्रावधान किया गया है। हरियाणा प्रदेश में 2 करोड़ 90 लाख की जनसंख्या है। इस बात के आधार पर हमारे प्रदेश के अस्पतालों में लगभग 58 हजार बैड होने चाहिएं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को बताया है कि हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों में 20 हजार 21 बैड की उपलब्धता है।

**श्री अनिल विज :** सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे प्रदेश के अस्पतालों में 59 हजार 932 आइसोलेशन बैड उपलब्ध हैं।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** सभापति महोदय, इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर में भी बहुत सारे मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गये थे। हरियाणा के बहुत सारे लोगों को प्रदेश के अस्पतालों में बैड नहीं मिले थे। सभापति महोदय, अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो श्री जगदीश नायर, विधायक जी आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके परिवार के दो सदस्यों को कोरोना की दूसरी लहर में किस कमी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी चाहे तो माननीय मंत्री जी इनसे पूछ सकते हैं। इन्होंने मुझे इस बारे में अप्रोच की थी क्योंकि इनको बैड नहीं मिल रहा था। इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है और आप मेरी मदद करो। आप मुझे अस्पताल में बैड दिलवायें तो मैंने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया था कि आप पहले कोशिश कर लें शायद आपको बैड मिल जाये। अगर आपको बैड नहीं मिलता है तो मैं अपनी तरफ से आपको अस्पताल में बैड दिलवाने बारे में पूरा प्रयास करूंगा।

**श्री जगदीश नायर :** सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी मदद कर दी थी लेकिन यह बात सच है कि प्रदेश में हालात बहुत ज्यादा खराब थे।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** नायर जी, ठीक है आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदद की, बहुत अच्छी बात है लेकिन आप इस बात का उदाहरण हैं या नहीं कि आपके सामने इस प्रकार की दिक्कत थी या नहीं। क्या आप इस बात को स्वीकार करोगे या नहीं। सभापति महोदय, जहां तक आम आदमी की बात है तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि दूसरी लहर में जो प्रदेश में हालात बने थे उसकी लोगों ने वीडियोग्राफी भी की थी। कैथल के अस्पताल में एक लड़के ने 4 वीडियो बनाई थी और जो चारों वीडियो बनाई गई थी उसके मुताबिक शौचालय में भी मरीज थे और शौचालय के बाहर भी मरीज थे। उस वक्त ऑक्सीजन की कमी थी और इस कमी के कारण लोग तड़प–तड़प करके अपनी जान गंवा रहे थे। इसकी बकायदा तौर पर वीडियो भी बनाई गई थी। जो चार वीडियो बनाई गई थी। उस वीडियो में दिखाया गया है कि एक मरीज का इलाज करने के बजाए उसके हाथ और पैर दोनों बांधकर जमीन पर लिटा रखा था। इसके अलावा एक महिला मरीज थी जो बैड के नीचे पड़ी हुई चिल्ला रही थी क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से चिल्ला–चिल्ला करके कह रही थी कि मुझे ऑक्सीजन दी जाये, मेरी जान निकल रही है, मैं परेशान हूं लेकिन उस सिविल अस्पताल में उसको कोई भी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से उस महिला को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि कोविड–19 के दौरान कोई भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। मैं तीन जिले बता देता हूं जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई। इन जिलों के बारे में अखबारों में भी खबर छपी, सोशल मीडिया पर भी खबरें आई तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें आई थी। इन जिलों में गुरूग्राम में 13 लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे थे, हिसार में 5 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवाई तथा रेवाड़ी जिले में 4 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। वर्ष 2014 में आपने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही थी तथा बार–बार विधान सभा में भी इस बात को दोहराया गया कि हम हरियाणा के हर जिले में एक–एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आपने वर्ष 2014 में कहा था कि हम इसी साल सभी जिलों में एक–एक मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं

लेकिन 7 साल आपकी सरकार को बने हुए हो गये हैं इसलिए आप यह बतायें कि सरकार की तरफ से प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं? इसके अलावा सरकार ने कोरोना के बारे में बहुत बड़े–बड़े दावे कर दिये हैं कि जैसे सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। आपने गिना दिया कि इतने बैड तैयार हैं तथा ऑक्सीजन के बारे में भी बता दिया है तथा क्या–क्या तैयारी कर रखी हैं आपने उसके बारे में भी विस्तार से बता दिया है। लेकिन आप यह भी बतायें कि प्रदेश में डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की कितनी कमी है? आज की तारीख में प्रदेश में 51 प्रतिशत डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। जिस राज्य में 51 प्रतिशत मेडिकल स्टाफ की कमी हो वहां पर कैसे कोरोना की तीसरी लहर का सामना किया जा सकता है? आपने दूसरी लहर में ही हाथ खड़े कर दिये थे। आपकी हालत ऐसी हो गई थी कि आप ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे, आप बैड उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे और लोग अपनी जान गवां रहे थे। सरकार कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी है लेकिन मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जून, 2021 में मुख्यमंत्री जी मुआना गांव में एक सी.एच.सी. का उद्घाटन करके आये थे। इस सी.एच.सी. में बैड सहित दूसरी सुविधाएं तो छोड़िए उसमें अभी तक न बिजली का कनैक्शन हुआ है न ही पानी का कनैक्शन हुआ है और न ही सीवरेज का कनैक्शन हुआ है। वहां पर केवल बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसका उद्घाटन हो गया है लेकिन वहां पर न तो बिजली है, न पानी है, न सीवरेज है, न डॉक्टर्स हैं और न ही बैड उपलब्ध हैं। अगर इस प्रकार की ही तैयारी हैं, सी.एच.सी. में स्टाफ और बैड ही नहीं हैं तो आप कोविड की तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे? इसी तरह से स्वयं आपने यह बात स्वीकार की है कि कोविड की दूसरी डोज अभी तक केवल 59 प्रतिशत लोगों को लगी है। जब आप जिलावार आंकड़े गिना रहे थे तब तो आप 100 प्रतिशत से भी ऊपर जा रहे थे लेकिन उससे पहले आपने स्वयं यह बात स्वीकार की थी कि दूसरी डोज केवल 59 प्रतिशत लोगों को ही लगी है। अगर तीसरी लहर आ गई और दूसरी डोज नहीं लगी है तो फिर आप कैसे लोगों को बचा पायेंगे। अखबारों में रोज खबर छपती है कि जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं उनको भी तीसरी लहर प्रभावित कर सकती है लेकिन आपके 41 प्रतिशत लोगों को दूसरी डोज ही नहीं लगी है। आपको यह भी जरूर बताना चाहिए कि यह दूसरी डोज कब तक लग जायेगी तथा आपने इसके लिए क्या तैयारी की हुई है? केन्द्र सरकार के द्वारा नवम्बर, 2021 में लगभग 8453

करोड़ रुपये कोविड हैल्थ की ग्रांट के तौर पर 19 राज्यों को दिये गये। हरियाणा दूसरी लहर में बहुत प्रभावित रहा था इसीलिए यह पैसा हमें भी मिलना चाहिए था। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि आप भी केन्द्र सरकार से इसकी मांग करते लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह की कोई प्रोपोजल नहीं भेजी गई इसलिए हरियाणा सरकार को केन्द्र की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। अगर आप भी केन्द्र सरकार को प्रोपोजल भेजते तो आपको भी यह पैसा मिलता। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के दौरान तीन बड़े घोटाले हुए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात स्वयं स्वीकार की थी कि घोटाले हुए। एक घोटाला शराब का हुआ था, एक घोटाला रजिस्ट्रियों में हुआ था तथा तीसरा घोटाला धान का हुआ था। उन तीनों की रिपोर्ट भी आप सदन के पटल पर रख दें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** अभय सिंह जी, आप ओमीक्रॉन पर बोलिये। इन बातों का ओमीक्रॉन से क्या सम्बन्ध है? आप ओमीक्रॉन पर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदय, ये सभी घोटाले कोरोनाकाल में ही हुए हैं मैं इसीलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूं। आप किसको बचाना चाहते हैं? जो गलत काम हुए हैं मैं उनके बारे में ही बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में हमारे माननीय सदस्य यह भी पूछेंगे कि कोरोना का टाईम पीरियड मार्च, 2020 से लेकर दिसम्बर, 2021 तक था और इन पौने दो साल में कितने बच्चे पैदा हुए उनके नाम भी बताओ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर हम पूछेंगे कि इस दौरान हरियाणा प्रदेश में कितने बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी तो वह भी आपको बताना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** अभय सिंह जी, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया जाये तो आपको दिक्कत होती है और आप अपनी सीट से तुरन्त खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने

स्वयं यहां हाउस में कहा था कि हम शराब घोटाले की जांच करवायेंगे और आपने तीन अलग–अलग ऐजेंसीज से जांच करवाई लेकिन आपकी रिपोर्ट कहां पर है? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** अभय सिंह जी, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उस शराब घोटाले की रिपोर्ट आप सदन के पटल पर रखें ताकि सभी को पता चल जाए कि उस दौरान क्या–क्या हुआ था? कितने लोग जहरीली शराब से मर गये उसकी जानकारी आज तक आपने सदन के पटल पर नहीं रखी। मैं उसी से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूं कि कोरोना काल में ही ये सारी बातें हुई थी। मैंने आपसे कोरोना से जुड़ी हुई बातें पूछी हैं कि जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसकी कमी आप कैसे दूर करेंगे? अगर पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी रहेगी तो आप कोरोना की तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे? इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का जुलाई, 2021 से देय महंगाई भत्ता बकाया है वह भी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं।

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः** उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में एम.एल.एज. के पीछे जो मार्शल खड़े हुए हैं ये किसलिए खड़े हुए हैं? ये 20 मार्शल खड़े हुए हैं क्या इनकी ड्यूटी हाउस में लगी हुई है। It is a shameful part.

**Smt. Kiran Choudhry:** Mr. Deputy Speaker Sir, we have no doubt about it that this year has been a dark chapter in the history of mankind. We have also no doubt about the sincerity of our Hon'ble Minister and we wish him very best of health.

Mr. Deputy Speaker Sir, I have a few questions which have not been answered by the Hon'ble Minister in this House. The Minister has said that the State has earmarked sufficient number of Covid health facilities in the entire passage and he gave a very detailed reply also which I think did not cover up all the aspects at all. During the last Covid wave, there was so much stress on capacity of testing. It is very imperative that we have to strengthen that testing infrastructure. So, I would like to ask what kind of medical facilities with X-ray machines,

laboratories with RT-PCR testing facilities, radiologists, medical and para-medical staff given in rural areas in a cluster approach. If this testing infrastructure covers up all villages in such a manner that the facilities are available to all villagers within a radius of 10 kilometres only then we will be able to bring forward and move forward in this direction. Otherwise 'we have done this' - 'we have done this', this type of statement given by the Hon'ble Minister doesn't matter. You should be very specific on this issue and you have to take this into account.

Mr. Deputy Speaker Sir, through you, I would like to ask another question. The question is that what is the Government's action plan on Genome Sequencing and Sero survey for better data on the pandemic? , If you have done such a survey, then when you are going to put it into public domain so that everyone know about it? I would like to ask the Hon'ble Minister that what steps you have taken to augment the Rapid Antigen Test and RT-PCR testing facilities and whether there a road map to fill up the vacancies of medical and para medical staff in the Health Department? I would also like to add in this that, for example, in London, LPD (Lateral Flow Device) kits are being provided which one can take it home and test oneself. Is there any kind of this policy under consideration of the Government to provide such kits to the people so that the entire burden is not put on the Government and the people can also have the testing done by themselves? Have you made any provision of this kind?

Mr. Deputy Speaker Sir, the schools have been opened now maintaining with strict social distancing norms. I would like to ask the Hon'ble Minister that is this any proposal under consideration of the Government that the schools will hold double shifts during this time so as to ensure that the children could maintain the proper norms because there are so many children in our educational institutions?

I would also like to ask the Hon'ble Minister that how the Government will reconcile the number of corona deaths with the records

of the Registrar, Death and Birth in the Health Ministry and how much compensation has been paid to the dependents of the deceased who died due to corona?

Mr. Deputy Speaker Sir, I would like to add that the compensation is being given to dependents of the deceased who have lost their loved ones due to this Covid pandemic. But the norms which have been made by the Government to claim such compensation are very stringent and very very difficult. You know, Sir, if the people, who lost their loved ones of their families, claim such compensation they are asked to bring forward the Covid positive test report of the deceased. Mr. Deputy Speaker Sir, through you, I would like to ask here who keeps this record to say that how many people died due to Corona during this pandemic, who were not even placed in the crematorium to cremate? When the dependents of the deceased claim the compensation which is providing by the Government, they are being asked to bring forward all these details before they get this compensation. I think this is shameful on this Government.

Mr. Deputy Speaker Sir, as like my colleague had asked here, I would also like to ask what is the hundred per cent road map for hundred per cent vaccination in this State? The Hon'ble Minister had said that from 1st January, 2022, they are making it mandatory. That is a good thing. I laud that action but at the same time I would like to ask that how are you going to achieve the target of hundred per cent vaccination in the State? That is very important point. I would also like to say that lot of countries abroad are giving/providing booster shots. The booster shots are not giving here but at the same time considering that this Omicron is fast spreading than other variants of Covid-19 and I really do not know whether it is as dangerous as Covid or not, one does not know about it then in that case how are you going to tackle it? That is very very important point. My learned colleague had asked from the Government that during every session in the Assembly especially during

the Budget Session, the Government has always been saying that we are increasing/making medical colleges. So, Mr. Deputy Speaker Sir, I would like to ask the Hon'ble Minister that during the time of Shruti Chaudhary when she was a Member of Parliament from Bhiwani, Mahendergarh, a medical college had been sanctioned for Bhiwani. But unfortunately nothing has taken place during the past 7 years.

Mr. Deputy Speaker Sir, I would also like to ask the Hon'ble Minister from his own reply that how many people have been provided this ex-gratia amount of Rs. 50,000/- as compensation to the families of the persons, whose loved ones have died due to Covid? How many people have been provided special ex-gratia grant of Rs.5 lakhs for employees (regular/contractual/adhoc/outsourcing/etc.) and how many people have been provided Rs.20 lakhs for frontline workers out of this Special Compassionate Financial Assistance?

Mr. Deputy Speaker Sir, this is a very important issue and we do not want to make any kind of political numbers on that or brownie points. These are important issues and it is important for the Government also to take cognizance of what has been asked and put into place all these things so that in case there is a surge in Covid-19 cases, as the experts are talking about all over that the third wave of Covid-19 is likely to peak sometimes in February, 2022, we should be well-prepared and the people of Haryana do not have to face the same thing what they went through the Covid pandemic during the second wave. I had myself written a big article in June, 2021 under the heading **"Avert Apocalypse, gear up for third Covid wave'** which was published in the 'The Hindustan Times' in this regard. Let us prepare for the third wave and we must prepare for it. If we don't do it, then we have not to blame anybody else but ourselves.

**गृह मंत्री (श्री अनिल विज):** उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों ने ओमिक्रोन को लेकर जो चिंता जताई है, ठीक उसी प्रकार की चिंता आज सारे विश्व में भी की जा रही है। डब्ल्यू.एच.ओ. भी इस वायरस के संदर्भ में बहुत चिंता कर रहा है और सही मायने

मे तो अभी तक एजेंसियां यह तक नहीं बता पा रही हैं कि यह वायरस कितना इंफेक्शियस है और कितना डेंजरेस है क्योंकि यह डेली वेरी कर रहा है, जैसाकि एजेंसिज द्वारा बताया गया है। जहां तक मैडम किरण चौधरी जी ने कोविड के दौरान मारे जाने वाले लोगों को कंपनसेशन देने की बात की है, के संदर्भ में मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने केवल कंपनसेशन ही नहीं दिया बल्कि जिन लोगों ने कोरोना वॉयरस से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए अपनी जान गवां दी, उनकी याद में हमने हैल्थ डॉयरैक्टोरेट में एक मैमोरी ऑफ वाल बनाने का काम किया है। यह लोग चाहे डॉक्टर्ज थे, चाहे पैरामैडीकल स्टॉफ के लोग थे, चाहे नर्सिज थी या चाहे एंबुलेंस के ड्राइवर थे, हमने इन सब लोगों के वहां चित्र लगाने का काम किया है और मैं खुद इस वाल का उद्घाटन करने गया था। यही नहीं हर अधिकारी/कर्मचारी, डॉक्टर्ज, नर्स या दूसरा कोई जोकि कोविड के समय में जिस जिले में भी उस वक्त सेवा दे रहा था, हर उस जिले में भी यह वाल बनाई है। स्वास्थ्य विभाग के 28 कर्मचारियों ने कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान खोई है। उपाध्यक्ष महोदय, 28 कर्मचारियों में से 27 कर्मचारियों को 50 लाख रुपये कम्पनसेशन राशि दी जा चुकी है। सिर्फ एक कर्मचारी के इस संबंध में कागज वगैरह में कोई अंतर है, जैसे ही वह रिकॉर्ड ठीक हो जायेगा उसे भी दे देंगे। इसी प्रकार से फ्रंट लाइन वर्कर्ज जो मुख्य रूप से पुलिस डिपार्टमैंट और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारी थे उनके लिये भी ऐसा करने के लिये कहा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हरियाणा का इतिहास लिखा जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को पढ़ेंगी कि कैसे कोविड–19 वैश्विक महामारी का संक्रमण हुआ था। वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या–क्या इंतजाम किये गये थे। मैंने तो बाकायदा इस संबंध में एक कमेटी बना रखी है। जिसमें इस महामारी का सारा का सारा इतिहास लिखवा रहा हूँ कि पहले दिन से ही इस संबंध में क्या–क्या इंतजाम किया और कैसे किया। एक–एक चीज को बड़ी बारीकी से उसमें रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ। इस महामारी के दौरान कौन–कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल हुआ, पी.पी. किट्स और मास्क किस प्रकार से अरेंज हुए आदि सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जिन लोगों ने इस महामारी के दौरान अपनी शहादत दी है, उनका वर्णन भी इसमें किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को बैड्स उपलब्ध नहीं हुए। मैं इस संबंध में सदन को बताना

चाहूँगा कि मैंने एक सर्वे करवाया था कि जो ये कोविड–19 के पैशन्ट्स एडमिट हैं, इनमें हरियाणा प्रदेश के कितने हैं और हरियाणा से बाहर के कितने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उस सर्वे के मुताबिक 30 प्रतिशत पेशेन्ट्स हरियाणा से बाहर के थे। हमने हरियाणा के लोगों का तो ट्रीटमैंट किया ही किया लेकिन हरियाणा से बाहर का भी अगर कोई मरीज आ गया तो हमने उसको भी मना नहीं किया। हमने अतिरिक्त बैड्स की भी व्यवस्था की और इस दौरान दो टैम्परेरी अस्पताल एक पानीपत और एक हिसार में 500 बेडिड की भी व्यवस्था कर डाली थी। इसके अलावा धर्मशालाओं, गुरूद्वारों आदि में बैड्स लगाकर कोरोना पेशेन्ट्स का इलाज किया था। अब कोरोना वायरस का ऑमिक्रोन स्वरूप आ रहा है लेकिन हमें कोरोना की प्रथम लहर व दूसरी लहर का अनुभव हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, नया स्ट्रेन इनफक्शियस है। यह ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यह मेरे लिये अभी चिंता का विषय भी है। क्योंकि जब कोरोना दूसरी लहर में पीक प्वायंट पर था तो कोरोना के डेली के मरीज 15 हजार के करीब आ रहे थे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यह तीसरी लहर न आये। क्योंकि हमारे देश और प्रदेश में रिकॉर्ड तौर पर इस महामारी से लड़न के लिए वैक्सीनेशन हो चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि हिन्दुस्तानियों की इम्युनिटी विदेशियों से कहीं ज्यादा मजबूत है, शायद इसी वजह से महामारी की तीसरी लहर भारत में न आये। परंतु यदि इस महामारी की तीसरी लहर आती है तो हम इस बात की चिंता कर रहे हैं और उन स्थानों को लोकेट कर रहे हैं, जिनको हम टैम्परेरी अस्पतालों के तौर पर यूज़ कर सकेंगे। प्राइवेट अस्पतालों का भी हमें पिछली बार पूरा सहयोग मिला था। एम.बी.बी.एस. के जो थर्ड और फोर्थ इयर कलाशिज के स्टूडेंट्स थे, उनकी भी हमने सर्विसिज ली थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चहाता हूँ कि 980 नये डॉक्टर्ज की मंजूरी मिल चुकी है और एक या दो दिन में उन डॉक्टर्ज के पदों की एडवरटाईजमैंट हो जायेगी उसके बाद 980 डॉक्टर्ज भी प्रदेश को अपनी सेवाएं देने लग जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ने पैरा मैडिकल स्टॉफ के संबंध में बात की है, वह मैंने तीन दिन पहले कैटेगरी वाईज बता दिया है कि विभाग में कितनी कैटगरी का टैस्ट हो चुका है। केवल उनके पेपर्ज वैरीफिकेशन करना बाकी है। मुझे लगता है कि विभाग में 10 या 15 दिन में सारे के सारे स्टॉफ की भर्ती हो जायेगी। मैडिकल कॉलेज की जहां तक बात है, हम प्रदेश में मैडिकल कॉलेज बना भी रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात बिल्कुल

भी नहीं है कि जो बात सरकार कहती है, उस बात से पीछे हटती है। जो मौजूदा मैडिकल कॉलेजिज हैं उनके अलावा गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज कोरियावास, गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज भिवानी, गवर्नमैंट कॉलेज जीन्द का वर्क अलॉट हो चुका है। इसके अलावा यमुनानगर, सिरसा और गुरूग्राम में भी एक–एक गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज के अलॉटमैंट का प्रोसैस चल रहा है । (विघ्न)

14:00 बजे

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से पिछले 7 सालों में बार–बार यह बात कही गई कि हम प्रदेश के सभी जिलों में एक–एक मैडिकल कॉलेज बनाएंगे । अभी तक जिला सिरसा में एक भी मैडिकल कॉलेज नहीं है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम मैडिकल कॉलेज बनाएंगे । (विघ्न)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सिरसा में एक गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज के अलॉटमैंट का प्रोसैस चल रहा है । क्या गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज एक ही दिन में बन जाएगा ? (विघ्न)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को यह बात कहते हुए 7 साल हो चुके हैं । अतः माननीय मंत्री जी मुझसे इस पर बहस न करें । (विघ्न)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज एक ही दिन में बन जाएगा ? (विघ्न) माननीय सदस्य ने भी प्रदेश पर कई सालों तक राज किया था । (शोर एवं व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने राज में कितने गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेजिज बना दिए थे ? हम कॉलेज बना तो रहे हैं । यह हमारी कमिटमैंट है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी फरीदाबाद की बात करते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं । मेरा कहना है कि गुड़गांव हरियाणा प्रदेश का एक अहम सिटी है । गुड़गांव की वजह से हरियाणा की बहुत बड़ी पहचान है । मैं कोविड–19 की वैक्सीन की फर्स्ट डोज गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल में लगवाकर आया था । जब मैंने उस हॉस्पिटल की हालत देखी तो मुझे बहुत हैरानी हुई । उस वक्त कोविड–19 के पेशैंट्स फर्श पर पड़े हुए थे । उनके इलाज के लिए डॉक्ट्र्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे । उन डॉक्ट्र्स ने स्वयं मुझे बताया कि यहां पर बहुत–से ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको हम अन्दर नहीं ला सकते और वे बाहर स्ट्रैचर पर पड़े–पड़े दम तोड़ रहे हैं । उन्होंने बताया कि हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास न तो बैड है, न ऑक्सीजन है, न सिलैण्डर है और न ही पर्याप्त स्टाफ है । ऐसे में हम क्या कर सकते हैं ? यह बात माननीय मंत्री जी को स्वीकार

करनी चाहिए । इस मामले में माननीय सदस्य श्री जगदीश नायर जी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता जिन्होंने स्वयं यह कहा है कि मुझे चीफ मिनिस्टर की सिफारिश से बैड मिला था । (विघ्न) माननीय मंत्री जी को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि उस समय लोगों की कितनी बुरी हालत थी । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि माननीय सदस्य को बैड तो मिल गया था । (शोर एवं व्यवधान) मुझे ऐसे एक आदमी का नाम बताया जाए जिसे बैड न दिया गया हो । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, क्या हर आदमी अपनी समस्या के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सिफारिश करवायेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** अभय सिंह जी, आप बैठ जाइये । इस समय माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, हमने हर आदमी के लिए अस्पताल में बैड की व्यवस्था की है । हमारे हिसार के अस्पताल में बहुत सारे व्यक्तियों को बैड देने की कैपेसिटी है । अतः मुझे ऐसे एक आदमी का नाम बताया जाए जिसे बैड न दिया गया हो । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगदीश नायर जी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता जिन्होंने स्वयं यह कहा है कि मुझे चीफ मिनिस्टर की सिफारिश से बैड मिला था । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि माननीय सदस्य को बैड मिल गया था । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, उनको तो सी.एम. साहब की सिफारिश से बैड मिला था । (विघ्न)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि माननीय सदस्य को चाहे जैसे भी मिला हो लेकिन उनको बैड मिल गया था । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** अभय सिंह जी, आप प्लीज बैठ जाइये ।

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उस समय मैं स्वयं ऑक्सीजन पर चल रहा था । मैं सारी–सारी रात ऑक्सीजन लगाकर लोगों के स्वास्थ्य और कोविड–19 से बचाव के लिए काम करता था । माननीय सदस्य तो वैसे ही शिकायत कर रहे हैं । इन्होंने तो कोई काम करना ही नहीं है । (विघ्न)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इससे संबंधित एक बात बताना चाहता हूं । कोरोना की पहली लहर के समय मेरे पास मेरे इंस्टीच्यूट में एक सौ बैड का हॉस्पिटल था । उसको मैंने सरकार को प्रयोग करने के लिए बिल्कुल मुफ्त में दे दिया था । जिस समय सरकार के पास पी.पी.ई. किट्स नहीं थी उस समय मैंने हिसार के डिप्टी कमिश्नर को बुलाकर उन्हें हजारों पी.पी.ई. किट्स सौंपने का काम किया था । मैंने कई ट्रक सैनेटाइजर के भरकर सरकार को सौंपने का काम किया था । (विघ्न)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं । माननीय सदस्य बड़े रईस आदमी हैं । ऐसे बहुत–से लोगों ने उस समय सरकार को इस तरह की चीजों का दान किया था । (शोर एवं व्यवधान) लोगों ने हमें कंसनट्रेटर दिए, वैंटीलेट्र्स आदि दिए । (विघ्न)

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, परमात्मा न करे अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो फिर भी मेरा हॉस्पिटल आम जनता के लिए खुला रहेगा । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि अगर माननीय सदस्य ने अच्छा काम किया है तो उसे सार्वजनिक रूप से कहने की क्या जरूरत है ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री चिरंजीव राव :** उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक माननीय मंत्री जी ने बूस्टर डोज लगाने के बारे में आंसर नहीं दिया है ।

**श्री अनिल विज :** उपाध्यक्ष महोदय, बूस्टर डोज लगाने के बारे में भारत सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

**श्रीमती किरण चौधरी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी कोविड–19 वायरस के स्वयं भुगतभोगी हैं क्योंकि इसके कारण उनकी सेहत बिगड़ गयी थी और वे मौत के पंजे से निकलकर आए हैं। उस दौरान उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था। सरकार को भविष्य में इन चीजों से बचने के लिए पूरे प्रदेश के हैल्थ सिस्टम को सुदृढ करना चाहिए ताकि गरीब परिवारों को भी सही इलाज मिल सके। चूंकि माननीय मंत्री और माननीय सदस्य तो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्ज में भी करवा लेते हैं।

**श्री अनिल विज:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हूं और मैं कोविड–19 पॉजिटिव हुआ था। उस दौरान मुझे अंबाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल

में भर्ती किया गया था। मुझे सभी ने कहा कि आप यहां पर क्यों भर्ती हो रहे हैं? इस पर मैंने यही कहा था कि मैंने जो सुविधाएं प्रदेश के अन्य लोगों के लिए उपलब्ध करवायी हैं, मैं भी उन्हीं से अपना इलाज करवाउंगा। इस दौरान मेरी हालत ज्यादा खराब हो गयी थी और मैं चाहता तो पहले दिन ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता था। लेकिन मैं जिद्द करके रोहतक मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। इसके बाद मेरी हालत उससे ज्यादा खराब हो गयी तो उसके बाद मुझे गुरूग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। माननीय सदस्या यह बताएं कि क्या मेरे सिवा कोई कोविड– 19 पॉजिटिव माननीय सदस्य सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था? उपाध्यक्ष महोदय, केवल मैं ही कोविड–19 पॉजिटिव होने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था।

**श्रीमती किरण चौधरी**: उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उन्हें इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्ज में अच्छी व्यवस्था करवानी चाहिए।

## (ii) मेरी फसल, मेरा ब्यौरा के अन्तर्गत किसानों द्वारा कृषि उपज के पंजीकरण से संबंधित

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, मुझे श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा श्री अमित सिहाग, विधायक द्वारा मेरी फसल, मेरा ब्यौरा के अन्तर्गत किसानों द्वारा कृषि उपज के पंजीकरण से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 43 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 48 जोकि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गयी है, समान विषय होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 43 के साथ जोड़ दी गयी है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री वरुण चौधरी, विधायक अपनी सूचना पढ़ें और इसके बाद माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

**Shri Varun Chaudhary:** Speaker Sir, I and Shri Amit Sihag, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that when the farmer registers the land for the agriculture produce, it is verified by the Agriculture department, Revenue department, satellite imagery etc. and in case of any discrepancy, the burden of proof is on the farmer who is not enlightened about the same, until he reaches the grain market at the time of selling

his produce. There is no provision for the farmer to know the status of quantum of registration under this portal.

The majority of land in Haryana is held in Mushtraka (held in common) therefore it becomes a task for farmers to get it registered when another farmer gets the same number registered in his name.

There is no provision for bonafide resident farmers of Haryana having agriculture land at the borders of the State boundary with part of agriculture land ownership in neighboring State (being adjacent or in vicinity) to get it registered.

The Honourable Chief Minister on the floor of the House made a statement that Parivar Pehchan Patr is not compulsory but for registration under Meri Fasal Mera Byora it has been made compulsory.

The farmers of the State are facing hardships and therefore this Calling Attention Motion.

**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48**

**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ सलंग्न**

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल की वजह से आम किसानों को बेहद परेशानी होने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल की वजह से आम किसानों को बेहद परेशानी हो रही है। अपनी फसल को बेचने के लिए किसान को पहले इस पोर्टल पर पूरी जानकारी देनी पड़ती है जिसमें फसल कुल एकड़ में बिजाई की गई है और उसका विवरण क्या है? इसके अलावा किसान को अन्य कागजात आदि जैसे– आधार कार्ड, जमीन की नकल वगैरह का विवरण देना पड़ता है। गांव में किसानों को न तो पोर्टल के नाम की जानकारी है और अनपढ़ होने की वजह से वह पुख्ता जानकारी न देने से मंडी में फसल बेचने से महरूम हो जाते हैं। इसलिए किसानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करे।

**वक्तव्य–**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी**

1. मेरी फसल मेरा ब्योरा (MFMB) राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना/कार्यक्रम है जिसमें किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचने और कृषि और अन्य संबंद्ध विभागो के अन्य

लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते है। अब यह पोर्टल एमपीएमवी (मेरा पानी मेरी विरासत), डायरैक्ट सीडेड राईस, बाजरा रिप्लेसमेंट और भावांतर भरपाई योजना, उत्तम बीज (बीज विकास) आदि सहित लगभग सभी लाभों के लिए एक अम्ब्रेला प्लेटफार्म बन गया है। पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उदेश्य लोगों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाना था जहां किसान और सरकार एक साथ आ सकते है और किसान अपनी फसल उगाने के लिए समय पर सब्सिडी/ वित्तीय सहायता या अन्य लाभ प्राप्त कर सकते है। इस पोर्टल द्वारा सीधे बैंक, कोषागार या ई–खरिद के माध्यम से सब्सिडी/वित्तीय सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते मे जमा की जाती है। हाल ही में हमने भावांतर भरपाइ योजना के तहत 2,38,245 लाख बाजरा उगाने वाले किसानों के खातों मे इस पोर्टल के माध्यम से लगभग विना किसी शिकायत के सफलतापूर्वक 428.07 करोड़ रूप्ये ट्रांसफर किए है। पिछले तीन वर्षों में (2019 से वर्ष 2021–22 तक) कुल 43,307 करोड़ रबी सीज़न के दौरान और 34,732 करोड़ खरीफ सीज़न के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की MSP पर खरीद बारे पेमेन्ट की गई।

2. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न प्रकार के किसान अर्थात भूमि मालिक, बौने वाला किसान, ठेका किसान, साझा किसान, पट्टा किसान, भूमि मालिकों के संबंध में किसान और मिश्रित किसान अपना व्यक्तिगत विवरण, भूमि रिकॉर्ड, फसल, बैंक खाता आदि देकर MFMB पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है। कृषि और किसान कल्याण विभाग खरीफ 2020 से मेरी फसल मेरा ब्योरा (MFMB पोर्टल) के लिए नोडल विभाग है और इससे पहले, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड इस पोर्टल पर सभी गतिविधियों को पकड़ने और संचालित करने के लिए नोडल एंजेसी था। इस योजना के लिए गाइडलाइन को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

3. पोर्टल को इस तरह से विकसित किया गया है कि इसने विशेष रूप से खरीद के क्षेत्र में किसानों की सभी मौजूदा समस्याओं का ध्यान रखा है। वह MSP पर खरीद के समय इस पोर्टल के माध्यम से अब निकटतम मंडियों का चयन कर सकता है और अपने आगमन का समय निर्धारित कर सकता है। चूंकि पोर्टल ई–खरीद से जुड़ा है, इसलिए उसे बिचौलियों की भागीदारी के बिना सीधे उसके बचत बैंक खाते में MSP पर अपनी उपज की बिक्री के लिए भुगतान किया जाता है। पोर्टल MSP पर खरीद के सपय किसान की पूरी उपज को प्रतिबिंबित करने में भी मदद करता है क्योंकि पोर्टल राजस्व विभाग के वेबहैलरिस से जुड़ा हुआ है जहां से उसकी भूमि/जोत का विवरण प्राप्त किया जाता है। पोर्टल किसान उपयोगकर्ता के अनुकूल है और पोर्टल की भाषा हिंदी है ताकि एक किसान पंजीकरण की प्रक्रिया को आसानी से और ठीक से समझ सके। किसान को पंजीकरण के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है और वह अपने घर पर या अपने गांव के सामान्य सेवा केंन्द्र में बैठकर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है। पिछले कुछ सीजन के पंजीकरण का विवरण यहां दिया गया है। 9,28,031 किसानों द्वारा 50,60,758 एकड़ भूमि खरीफ 2020 सीजन के दौरान व 8,61,672 किसानों के द्वारा 51,50,943 एकड़ भूमि

खरीफ 2021 सीजन के दौरान और 10,05,383 किसानों के द्वारा 61,51,992 एकड़ भूमि रबी 2020–21 के दौरान पंजीकृत की गई है। रबी 2021–22 के दौरान फसल का पंजीकरण चालू है अब तक 2,64,345 किसानों के द्वारा 17,63,721 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया जा चुका है।

4. यह सही है कि पंजीकृत फसलों और क्षेत्र को तीन डेटा सेट (कृषि विभाग द्वारा फसल सत्यापन, राजस्व विभाग द्वारा ई–गिरदावरी और HARSAC द्वारा सैटेलाइट इमेजरी) के साथ सत्यापित किया जाता है और तदनुसार उसकी उपज की गणना MSP पर खरीद के लिए की जाती है। किसी भी विसंगति के मामले में, सभी बेमेल डेटा को हल करने के लिए राजस्व अधिकारियों (सीआरओ–नायब तहसीलदार/तहसीलदार, एसडीएम, डीआरओ, सीटीएम, डीडीपीओ, एडीसी, एचसीएम अधिकारी, डीसी) को भेजा जाता है। ये सभी अधिकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर (युज़र आईडी के रूप में) के माध्यम से पोर्टल तक पहुंचते हैं और वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार बेमेल डेटा को ठीक करते है। किसान को यह अलर्ट जाता है कि श्आपके द्वारा भरी गई फसल (नाम) किला नंबर, मुरब्बा नंबर को बदलकर नई फसल (नाम) कर दिया गया है जानकारी के लिए रेवेन्यू अथॉरिटी (नाम/पद) से संपर्क कर सकते हैंश। यदि किसान संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी शिकायत निवारण के लिए संबंधित जिला उपायुक्त से संपंर्क कर सकता है। इस तरह किसान को बार–बार आपत्ति जताने और स्पष्टीकरण देने की छूट दी गई है।

5. यह सही नहीं है कि इस पोर्टल के तहत किसान को पंजीकरण की मात्रा की स्थिति जानने का कोई प्रावधा नहीं है। किसान फसल के पंजीकरण के दौरान उसके द्वारा भरे गए विवरण देख सकता है और वह प्रिंटआउट (कभी भी) प्राप्त कर सकता है। इस प्रिंटआउट के लिए उसे तीन विवरण नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत खाता संख्या के संयोजन का उपयोग करना होगा। किसान मंडियो मे अपनी फसल बेचते समय भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। MSP पर फसल की बिक्री के लिए संपर्क करते समय, किसान के पास पंजीकृत फसल और क्षेत्र का प्रिंटआउट हो सकता है जिसमें अधिकारी का नाम और पदनाम जिसने उसकी फसल और क्षेत्र का सत्यापन (बेमेल सत्यापन सहित) किया है, भी मुद्रित है। यदि कोई किसान या कोई अन्य पंजीकृत क्षेत्र का फसलवार जिलेवार, तहसीलवार या गांववार स्थिति जानना चाहता है, तो उसे डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है जिसे सार्वजनिक डोमेन (https://fasal.haryana.gov.in/mfmb/dashboard) पर उपलब्ध कराया गया है।

6. जहां भूमि जोत मुश्तरका (सामान्य रूप से धारित) कि रूप में मौजूद है, शेयरधारक अपने शेयरों के हिस्से का उल्लेख करके खुद को पंजीकरण के लिए पोर्टल में प्रावधान है। शेयरधारक आपस में तय कर सकते हैं कि कौन कितना शेयर पंजीकृत करने जा रहा है। यदि एक शेयरधारक दूसरे के हिस्से पर पंजीकरण करता है (उस किला संख्या में उसके वास्तविक हिस्से से अधिक), तो ऐसे मामलों में उस किसान को अलर्ट/ पॉप अप प्रदर्शित किया जाता है जो बाद में जान सकता है जो पहले ही पंजीकरण करा चुके है– स्क्रीन पर

पहले से पंजीकृत किसान का मोबाइल नंबर और नाम भी पॉप–अप हो जाएगा। बाद के किसान की आपत्ति को सिस्टम में दर्ज किया जाता है, वह पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है जिसे समाधान के लिए संबंधित सीआरओ को भेजा जाता है ताकि वास्तविक शेयरधारक की पहचान हो सके। बाद वाला किसान सीआरओ से संपर्क कर सकता है या वह पहले पंजीकृत किसान से संपर्क कर सकता है ताकि पहला पंजीकृत शेयरधारक अपने लॉगिन से अतिरिक्त साझा क्षेत्र को हटा सके। पिछले तीन सत्रों में प्राप्त ऐसी शिकायतों का विवरण यहां दिया गया है। उन्हें संबंधित सीआरओ द्वारा समयबद्ध तरीके से हल किया गया है। जिला उपायुक्त सीजन के दौरान नियमित आधार पर शिकायतों का निवारण करते हैं।

| सीज़न | शिकायतें प्राप्त | शिकायतें स्वीकृत | शिकायतें खारिज |
|---|---|---|---|
| खरीफ 2020 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| खरीफ 2021 | 1,56,018 | 1,32,282 | 20,752 |
| रबी 2021–22 | 87,729 | 70,164 | 13,991 |
| रबी 2021–22 (19.12.2021 तक) | 21,039 | 3,560 | 3,548 |

7. मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल भूमि के पंजीकरण की अनुमति देता है जो केवल हरियाणा राज्य में आता है और जो भूमि पास के राज्य (सीमा पर हो सकती है) में पड़ रही है, उसकी अब अनुमति नहीं है क्योंकि पोर्टल केवल हरियाणा राज्य के किसानों के राजस्व रिकॉर्ड के साथ एकीकृत है और तीन परतों के साथ सत्यापन केवल हरियाणा में आ रही भूमि के लिए ही संभव है।

8. इसके विपरित, हरियाणा में भूमि रखने वाले उन किसानों के लिए जो अपनी आजीविका या अन्य पारिवारिक कारणों से राज्य के बाहर रह रहे है और यदि उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नहीं है, तो उन्हे श्आधार नंबरश पर MFMB पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति है। जिन किसानों को पीपीपी नहीं मिली है, उनकी सुविधा के लिए वे गांव के कॉपन सर्विस सेंटर या तहसील (उपमंडल स्तर) के नजदीकी सरल केंद्र में पीपीपी बनवाने हेतु संपंर्क कर सकते है। हरियाणा सरकार का कर्मचारी HRMS के माध्यम से अपना परिवार पहचाप पत्र (पीपीपी) आईडी प्राप्त कर सकतें है।

9. शिकायत निवारण तंत्र जिला और राज्य स्तर पर मौजूद है। जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष जिला उपायुक्त होते हैं और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक होते हैं और संबधित विभागों के निदेशक इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा, एक अपीलीय प्राधिकारी का भी प्रावधान है जो सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा होगें। MFMB की गतिविधियों और अन्य मुद्दों की समय–सीमा तय करने के लिए सरकार के अतिरिक्त मुख्य

सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है।

10. MFMB पोर्टल एक नया उन्नत और लचीला पोर्टल है जिसमें उदेश्य को पूरा करने और किसानों के लिए इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए फीडबैक और सुझाओं को शामिल किया गया है। भविष्य में भी यदि सार्थक सुझाव प्राप्त होंते है तो उनहे पोर्टल में सम्मिलित किया जा सकता हैं।

**श्री वरूण चौधरी :** डिप्टी स्पीकर सर, जितनी शिकायतों की संख्या बताई गई है उसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के किसानों को कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे खेत में काम करें या फिर अपनी शिकायतों का निवारण करवाने के लिए दर–दर की ठोकरें खायें? मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने जिला स्तर पर सम्बंधित डी.सी. की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का गठन किया हुआ है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से पोर्टल से जुड़े हुए हैं। किसान अपनी शिकायत के निवारण के लिए डी.सी. साहब के पास जाता है। उसके बाद उसको वहां से तहसीलदार के पास भेजा जाता है। तहसीलदार उसको एग्रीकल्चर ऑफिस में भेज देता है। उनको तहसीलदार के पास वापिस आना पड़ता है उसके बाद जब वे तहसीलदार से पटवारी के पास जाते हैं तभी उन्हें कोई कागज मिल पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि इस उद्देश्य के लिए परिवार पहचान पत्र कम्पलसरी नहीं होगा। इस बारे में तो मंत्री जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। यह वे ही बता सकते हैं कि उन्होंने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। डिप्टी स्पीकर सर, जिस डैश बोर्ड की मंत्री जी बात कर रहे हैं उसके बारे में उनको यह भी बताना चाहिए था कि उस डैश बोर्ड को कहां पर डिसप्ले किया गया है और कहां पर उसकी एडवरटाईजमैंट की गई है? मैं यह बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में भी अरबों रूपये की एडवरटाईजमैंट्स नहीं रूकी। यहां पर ज्यादातर साथी किसान है लेकिन शायद किसी को भी मंत्री जी द्वारा बताये गये डैश बोर्ड की जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो सीमांत किसान हैं। जो किसान हरियाणा का वासी है और जिसके आधार कार्ड सहित समस्त कागजात हरियाणा के हैं उसका कसूर क्या है? मंत्री जी बतायें कि वह अपनी फसल को कहां पर जाकर बेचेगा। अम्बाला का क्षेत्र भी सीमांत क्षेत्र है जिसका क्षेत्र पंजाब के साथ लगता है। इसी प्रकार से हरियाणाा प्रदेश के सिरसा सहित और भी बहुत से जिले हैं जो सीमांत हैं। अगर किसी किसान ने जो हरियाणा में रहता हो और

उसने पड़ोस के राज्य में जमीन खरीद ली है तो इसमें उसका क्या कसूर है? करनाल में बहुत से ऐसे मामले सामने आये हैं जहां पर दूसरे राज्यों की फसल को खरीदा भी गया और बेचा भी गया। माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि वे परिवार पहचान पत्र, डैश बोर्ड और शिकायतों की संख्या बारे अपना जवाब सदन में देने की कृपा करें।

**श्री अमित सिहाग** : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से जब मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरूआत की गई थी तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि इसको किसानों को सुविधा देने और लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। इससे सम्बंधित आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि प्रदेश के किसानों को सुविधा और लाभ देने की जगह परेशानी देने का काम यह पोर्टल कर रहा है। यह पोर्टल एक प्रकार से प्रदेश के किसानों के लिए जी का जंजाल बनकर रह गया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी एक व्यक्ति की जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से रजिस्टर करवा लेता है। उसके बाद सरकार के स्तर पर यह कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सम्बंधित किसान की समस्या का निवारण करने के लिए उसके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर मैसेज भी आता है। उसके बाद उस किसान को सम्बंधित डी.सी. साहब के पास जाना होता है। इस बारे में मेरा कहना है कि हमारे प्रदेश का ज्यादातर किसान कोई बहुत ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं है। ऐसी स्थिति में वह अपनी फसल की देखभाल कैसे करेगा? अपनी फसल को एम. एस.पी. पर बेचने का काम करेगा या फिर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दर–दर की ठोकरें खायेगा? जहां तक सीमांत किसानों की समस्या का सम्बन्ध है वह भी बहुत ही ज्यादा गम्भीर है। मेरे हल्के के साथ पंजाब और राजस्थान दोनों प्रदेशों की सीमायें लगती हैं। मेरे हल्के के बहुत से किसानों की जमीनें इन दोनों राज्यों में हैं। मेरे हल्के में पिछले दो वर्षों से किसानों की फसलों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है। इसके अलावा जब मेरे हल्के के किसान अपनी फसल को रजिस्टर करवाने के बाद बेचने के लिए मण्डी में गये तो उनको यह कहा गया कि आपकी जमीन तो दूसरी स्टेट में है इसलिए हरियाणा में आपकी फसल की खरीद नहीं हो सकती। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी मेरे हल्के के बहुत से किसानों की फसल को नहीं खरीदा गया। इतना ही नहीं जब वे अपनी फसल को बेचने के लिए पंजाब में जाते हैं तो पंजाब वाले कहते हैं कि आपका आधार कार्ड तो हरियाणा का है इसलिए हम आपकी फसल को नहीं खरीदेंगे।

मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इस प्रकार की परिस्थितियों में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए कहां पर जायें? इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि आज की तारीख में जो किसान पंचायती जमीन पर खेती कर रहे हैं जब वे अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ओ.टी.पी. सम्बंधित सरपंच के पास जाता है। अगर किसी सरपंच का मोबाईल नम्बर बदल जाता है तो उस बदले हुए नम्बर पर तो ओ.टी.पी. आता नहीं इसलिए उसकी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के बारे में भी माननीय मंत्री जी जवाब दें। अब मैं मुख्य मुद्दे की बात करता हूं। सरकार ने यह जो सिस्टम बनाया गया था सही मायने में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और सुविधा देने के लिए बनाया था लेकिन वास्तव में यह प्रदेश के किसानों के लिए एक परेशानी बनकर रह गया है। यह पोर्टल किसानों को सुविधा देने के लिए बनाया गया था पर सुविधा से ज्यादा ये एक तरीके से परेशानी का कारण बनकर रह गया है। वहीं सांझे खाते वाली जमीन वालों के परिवारों में भी यह विवाद का केन्द्र बनकर रह गया है क्योंकि अगर कोई भाई जमीन को रजिस्टर्ड करता है तो उसके दूसरे भाई के पास भी उसका मैसेज चला जाएगा। इस नाते से भी यह एक विवाद का केन्द्र सरकार ने बनाने का काम किया है। मैं कुछ सुझाव के साथ एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर आप सही मायने में कष्ट निवारण की बात कहते हैं और जिसके लिए आप डी.सी. के पास भेजते हैं या किसी और के पास भेजते हैं तो उसमें मेरा सुझाव है कि हर मण्डी के अन्दर कष्ट निवारण केन्द्र होना अति आवश्यक है। जब भी सीजन शुरू हो तो सरकार उसी मण्डी के अन्दर किसान कष्ट या ग्रीवैंस दूर करने के लिए एक केन्द्र बनाने का काम करे। इसके साथ–साथ कब ये पोर्टल खुलता है और कब ये पोर्टल बन्द होता है इसकी भी किसान को अधिकतम जानकारी नहीं है। यह पोर्टल पता नहीं किस सिस्टम के हिसाब से कभी खोल दिया जाता है और कभी बन्द कर दिया जाता है। यह भी पूर्व निर्धारित तरीके से अर्थात् जब सीजन शुरू होता है उससे पहले–पहले निर्धारित किया जाए और इस पोर्टल को हमेशा एक फिक्स शिड्यूल के हिसाब से खोला जाए और बन्द किया जाए। इसके साथ–साथ जो कोटा डिफाईन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम धान की बात करें तो इसकी खरीद के लिए 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का कोटा सरकार द्वारा डिफाईन किया गया है लेकिन अगर एक एकड़ में तकरीबन 40 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है तो जो 10 क्विंटल ज्यादा होती है उसकी

रजिस्ट्रेशन सरकार करती नहीं है। मंत्री जी ने किसान को सुविधा देने की बात कही है इसमें मुझे किसान के लिए सुविधा दिखाई नहीं देती है। यह तो सरकार किसान को परेशानी देने का काम कर रही है। सही मायने में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार की मन्शा है कि किसान को परेशान करके आने वाले समय में किसान को एम.एस.पी. का लाभ धीरे–धीरे करके न दिया जाए अर्थात् किसान को उससे दूर किया जाए, उससे वंचित किया जाए। सरकार ने खुद ही माइक्रो ईरीगेशन का सिस्टम बनाया है ताकि हर खेत तक पानी का लाभ मिले लेकिन हर टेल तक पानी पहुंचाने में सरकार किसान को वंचित कर रही है। सरकार किसानों का यूरिया खाद के लाभ से भी वंचित कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही एक प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर आप सही मायने में किसानों के प्रति गंभीर हैं तो क्या सरकार आने वाले समय में इस सिस्टम को दुरूस्त करने या इसको खत्म करने के बारे में भी सोच विचार कर सकती है, क्योंकि यह अधिकतम किसानों की मांग है। धन्यवाद।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस पर जो पैरा नं. 4 है उसमें सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जो पोर्टल बनाया गया है वह केवल किसान को परेशान करने के लिए बनाया गया है। यह इस तरह का पोर्टल बनाया गया है जैसे कृषि के तीन काले कानून बनाए गये थे। जिसमें न तो किसी किसान यूनियन से पूछा गया, न उस पर लोक सभा और राज्य सभा में चर्चा करवाई गई और न लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई कि इसके क्या लाभ हैं और क्या नुकसान हैं। उसी तरीके से इस प्रदेश सरकार ने भी बिना किसान से पूछे, बिना व्यापारी से बात किये इस तरह का पोर्टल बना दिया जिससे आज किसान परेशान हो रहा है। मंत्री जी ने जवाब में स्वयं यह लिखा है कि जब किसान अपनी फसल का 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' में पंजीकरण करवाने जाएगा तो वे उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं। मंत्री जी ने उसमें तीन एजेंसियों के नाम दे रखे हैं जिसमें पहली कृषि विभाग की एजेंसी है कि उससे भी रिपोर्ट लेंगे। दूसरा इसमें राजस्व विभाग है जिससे गिरदावरी की बात करते हैं। तीसरा मंत्री जी कहते हैं कि हम उसकी सैटेलाईट्स से जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें कौन सी फसल है। उसके बाद मंत्री जी यह भी लिख रहे हैं कि जब ये तीनों विभाग लिख कर देंगे तभी वह किसान अपनी फसल को पंजीकृत करवाएगा तब उस पोर्टल पर किसान की फसल का विवरण आएगा। अगर वे तीनों विभाग उस पर कहीं कुछ

नहीं लिखेंगे तो उस किसान की फसल के पंजीकरण का कोई फायदा नहीं है। अगर किसान अकेला जाकर अपनी फसल का पंजीकरण करवाकर आता है तो उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलना। इस तरह से इस पोर्टल के माध्यम से सरकार ने किसान को परेशान करने का काम किया है। जहां एक तरफ इसमें किसान की परेशानी की बात आई है वही पर यह जो पोर्टल बनाया गया है, उसके संदर्भ में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इससे किसान को क्या लाभ मिलेगा ? मेरे से पहले वरूण जी ने और अमित सिहाग ने सदन में बात बताई कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर पद्रेश और हिमाचल प्रदेश से हमारे प्रदेश की सीमायें लगती हैं तो ऐसी हालत में हमारे प्रदेश के लोगों ने इन प्रदेशों में जहां कहीं भी उनको जमीन ठीक मिली, जमीनें खरीदने का काम किया लेकिन सरकार की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई कि दूसरी स्टेट से फसल लेकर नहीं आ सकते और दूसरी स्टेट की सरकार ने भी पाबंदी लगा दी कि यदि आधार कार्ड उस स्टेट का नहीं होगा तो फसल नहीं लेंगे तो ऐसी हालत में प्रश्न यह उठता है कि जब प्रधनमंत्री तक यह कहते हैं कि किसान कहीं भी जाकर फसल बेच सकता है तो फिर फसल की रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत आ पड़ी  है ? असल प्रश्न तो यह उठता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया तो क्या सरकार प्रधानमंत्री के उस फैसले को नहीं मानेगी ? (शोर एवं व्यवधान)

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल):** उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो प्रधानमंत्री जी की बात मानी है लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला:** उपाध्यक्ष महोदय, यही वहम तो इनको तंग कर रहा है लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये कहते थे कि हम कानून वापिस नहीं लेंगे, क्या कानून वापिस करवाने का काम नहीं किया गया जो ऐसी बातें करते है। सरकार का वहम काड्या के नहीं काड्या ? मंत्री जी ने और सरकार ने सदन में यह बात कही थी कि कृषि कानून वापिस नहीं होंगे लेकिन वापिस करवाये के नहीं करवाये ? इनका तो वो हाल है कि सौ प्याज भी खाये और सौ जूते भी खाये। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान अपनी फसल किसी भी प्रदेश और कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं तो फिर फसल का रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या जरूरत आ पड़ी है? फसल रजिस्ट्रेशन प्रणाली खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, "मेरी फसल–मेरा

ब्यौरा" में सांझे खाते की जमीन की जगह अलग–अलग जमीन के प्रावधान की बात कही गई है, के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आज भी मेरे ख्याल से हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें किसी परिवार के जमीन के खाते अलग अलग हो गए हों। अध्यक्ष महोदय, 95 परसैंट लोगों के जमीन के खाते आज भी सांझे हैं। दूर क्यूं जाऊं हमारी जमीन भी सांझे खाते की है और उस सांझे खाते की जमीन के अंदर अगर मैं अकेला उसमें पैदा होने वाली फसल की रजिस्ट्रेशन करा दूं तो रणजीत अंकल के खेत में पैदा होने वाली फसल वह नहीं बेच सकेंगे क्योंकि ओ.टी. पी. मेरे पास आयेगा । अगर रणजीत अंकल फसल को बेचने के लिए ट्राली भिजवायेंगे तो इनको तो गेट पास भी नहीं मिलेगा तो बताओ ये अपनी फसल कहां बेचेंगे और ऐसी स्थिति के लिए सरकार ने कह दिया कि यह फैसला स्वयं किसान करें। अध्यक्ष महोदय, जब किसानों के आपस के रिश्ते ठीक नहीं होंगे तो फिर वे बैठकर इस तरह की बातों को कैसे तय करेंगे। सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास किए हैं ? जिस तरह का फरमान सरकार द्वारा दिया गया है इसने तो परिवारों में विवाद खड़े करवा दिए हैं। इस तरह के विवादों को खत्म करने का यही रास्ता बचता है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को वापिस लेने का काम किया गया है ठीक उसी प्रकार मेरी फसल–मेरा बयौरा का जो पोर्टल बनाया गया है, इसको भी वापिस लेने का काम किया जाये ताकि लोगों के सामने किसी प्रकार की कोई असुविधा न रहे। पहले भी मंडियां लगती थी, पहले भी किसान फसल बेचकर आते थे और कोई शिकायत नहीं थी। सरकार द्वारा फसल खरीद की अनेक प्रकार की शिकयतों के बारे में कहा गया है। सरकार कहती है कि वर्ष 2000 में फसल खरीद की 1 लाख 58 हजार 18 शिकायतें सामने आई जिनमें से 1 लाख 32 हजार 262 शिकायतों को स्वीकृत करने का काम किया गया लेकिन जो 25 हजार 756 शिकायतें खारिज की गई, उन शिकायतों को खारिज करने का विवरण सरकार ने नहीं बताया। यही नहीं किस–किस जिले से कितनी–कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा कहां कहां के किसान परेशान रहे। इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये जो शिकायतें आ रही हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि किसानों के सामने परेशानी आती है। आपस में जब विवाद बढ़ता है तब वह शिकायत करता है। शिकायत यदि स्थानीय डी.सी. महोदय के पास करते हैं तो, मेरे ख्याल से डी. सी. तो किसी एम.एल.ए. का टेलीफोन भी नहीं सुनता है। इस प्रकार की शिकायत तो माननीस सदस्य श्री बलराज कुंडू भी कर रहे थे। रोहतक का डी.सी. महोदय

एम.एल.ए. की बात सुनने की बजाय दूसरे कामों में लगा हुआ है। इस प्रकार से आम किसान किसके पास अपनी शिकायत करेगा और किसको जाकर कहेगा। कैसे आम किसान की बात की सुनवाई होगी? जिस तरह से कृषि के तीनों काले कानून वापिस हुए हैं, उसी तरह सरकार इस 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल में भी अपनी गलती का एहसास करे, अपनी गलती के लिये सदन से माफी मांगे और इसको वापिस लिया जाए। धन्यवाद।

**श्री शमशेर सिंह गोगीः** अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस संबंध में यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने सारी बातों का जिक्र तो कर दिया लेकिन यह नहीं बताया कि जो इस संबंध में शिकायतें आई हैं उनमें से कितनी करैक्ट हुई हैं? मेरी जमीन किसी और के नाम चढ़ी हुई है और किसी दूसरे की जमीन किसी और के नाम चढ़ी हुई है। यह सारा का सारा मामला काल्पनिक चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ी हुई है और मेरे चाचा की जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ी हुई है। मैंने इस संबंध में स्वयं तहसीलदार से कहा कि इस रिकॉर्ड को ठीक कर दें क्योंकि कल को कोई कब्जा कर लेगा तो कहेगा कि यह जमीन तो मेरी है। इस सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार को किसानों के फायदे की बातें करनी चाहिए। किसान बेचारा तो अपने कागजों को लेकर पोर्टल के पीछे–पीछे दौड़ता रहता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इस सिस्टम को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। मण्डियों में किसान को गेट पास बनवाने के लिये एक किलोमीटर तक लाइन लगानी पड़ती है और उनमें से किसी–किसी को तो कहा जाता है कि तुम्हारा गेट पास नहीं बन सकता। जिसका ट्रैक्टर–ट्राली लाइन के बीच में लग गया वह तो वहां से हटाता नहीं है और गेट पास इसलिए नहीं बनता क्योंकि पोर्टल में गलती है। सरकार को रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद नये–नये ड्रामे करने की क्या जरूरत है। गिरदावरी का सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है, उसके हिसाब से प्रदेश में बढ़िया काम चल रहा था लेकिन सरकार ने जानबूझ कर छेड़खानी कर ली। अध्यक्ष महोदय, यही दिक्कत फसल बीमा कंपनियों के साथ हो रही है। किसान की फसल कोई होती है और बीमा कंपनी वालों की लिस्ट में दूसरी फसल होती है, क्योंकि वे मौके पर आते ही नहीं। इस बारे में कहते हैं कि सब कुछ सैटेलाइट से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जैसे

करनाल में ऐसी हजारों फैमिलीज हैं, जिन्होंने यू.पी. में जमीन खरीद रखी है तो वे अपनी फसल कहां बेचेंगे? करनाल में वोट तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को डालते हैं और अपनी फसल बेचने के लिये पाकिस्तान जायें। सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि किसान कभी भी घपला नहीं करता है, वह तो अपनी मेहनत का ही खाता है अर्थात् वह अपने खून–पसीने की कमाई का वाजिब पैसे ही चाहता है। सरकार को उनसे उलझने की बजाये जो प्रदेश में बड़े–बड़े मगरमच्छ बने बैठे हैं उनको पकड़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में आज तक किसी भी घपले की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। धन्यवाद।

**श्री जय प्रकाश दलालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे के सारे जवाब डिटेल्ड में सदन के पटल पर रखे थे और एक–एक मुद्दे को बड़े ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। माननीय सदस्यों ने उस समय तो ध्यान नहीं दिया और अब वही मुद्दे दोबारा से उठा लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, 'मेरी फसल–मेरा ब्योरा' पोर्टल किसान हित में है। मैंने सदन में यह भी बताया है कि इस पोर्टल के साथ जुड़ने से किसान को 70–80 हजार करोड़ रुपये की सीधी पैमैंट की गई है। हमारा मकसद यह है कि इससे सारे हरियाणा के फसल की मैपिंग हो जाये और कौन सी मण्डी के क्षेत्र में कौन सी फसल है, उसी हिसाब से वहां सुविधा मुहैया करवाई जाए। इस पोर्टल से किसान को यह सुविधा भी है कि वह किसी मण्डी में एम.एस.पी. पर चल रही फसल की खरीद के लिए डेट लेकर और फसल की क्वांटिटी बताकर वहां पर जा सकता है । जिस समय फसल बोई जाती है उस समय रजिस्ट्रेशन होती है और उसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है । मैंने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति गलत रजिस्ट्रेशन करता है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन करने के समय वह भी जानकारी में आ जाता है । यह भी पता चल जाता है कि फसल की गलत रजिस्ट्रेशन किस व्यक्ति ने की है और उसे ठीक भी करवाया जा सकता है । अगर किसान अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन को सही नहीं कर पाता है तो वह नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पटवारी आदि से संपर्क करके अपने हक के अनुसार उसे ठीक करवा सकता है । हमारे पास आई शिकायतों में ज्यादातर इशू गलत फसल की रजिस्ट्रेशन के आये हैं । शुरूआत में किसान को इसकी जानकारी नहीं थी । मान लीजिए किसी के पास 4 किल्ले जमीन है और वह हर किल्ले में अलग–अलग फसल ले रहा है तो वह किल्ले नं. की जानकारी न होने की वजह से जो फसल दूसरे किल्ले में बोई हुई हो उसे किसी और ही किल्ले

में चढ़ा देता था । जब इसको वैरीफाई किया गया तो किल्ले नं. मिसमैच हो गए । अतः ये शिकायतें इसके संबंध में आई हैं । जब ऐसा हुआ तो किसान को बताया गया कि आपकी फसल किल्ले नं. से मैच नहीं कर रही है, इसलिए आप इसे ठीक करवा लीजिए । हमारे अधिकारियों को उसने बताया कि हमने इसे ठीक करवा दिया है । हमने इसकी तीन स्तर पर वैरीफिकेशन की थी । इसके बाद विभाग द्वारा किसान को मैसेज दिया गया कि आपके अनुसार आपकी जमीन में फ्लां फसल लगी हुई है और हमारी तीन स्तरीय वैरीफिकेशन के रिकॉर्ड के अनुसार आपकी जमीन में फ्लां फसल लगी हुई है । इसके बाद भी अगर किसी को कोई एतराज है तो फिर किसान को डी.सी. के पास जाना पड़ेगा । अतः सामान्य स्थिति में किसान को कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है । किसान को वैरीफिकेशन के समय ही अपना एतराज दर्ज करवा देना चाहिए । मण्डी में जाने के बाद दिक्कत की बात तो बहुत बाद में आती है । ऐसी स्थिति के लिए भी हमने मण्डी में हैल्प डैस्क लगाये हुए हैं ताकि किसी भी किसान को कोई दिक्कत न आये । यह बात हमने पहले भी कही है कि हम इस पोर्टल को इम्प्रूव भी कर रहे हैं और अगर हमें कोई सुझाव देता है तो उसका भी स्वागत है । हमारा उद्देश्य किसानों को सुविधा और फायदा देने का है । अगर किसी किसान की भूमि हरियाणा में है और उसका आधार कार्ड किसी अन्य स्टेट का है तो हम उसकी फसल भी खरीदते हैं । अतः हरियाणा सरकार का मकसद हरियाणा के किसान की फसल को खरीदने का है । अगर हम इस सिस्टम को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो इससे कालाबाजारी होगी । ऐसे में लोग अपनी फसल को कर्नाटक में रजिस्टर करवायेंगे और हरियाणा में बेचेंगे । हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार का खजाना हरियाणा के किसान के लिए उपयोग हो और हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के किसानों की ही मदद करे । अगर कोई विधायक या कोई अधिकारी या कोई किसान हमें अच्छा सुझाव देना चाहेगा तो हम उसको मानने के लिए भी तैयार हैं । (शोर एवं व्यवधान) हम 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल की लगातार ऐड भी निकलवाते हैं, इस संबंध में किसानों को डायरैक्ट एस.एम.एस. भी भेजते हैं । पिछली फसल के समय भी हमने किसानों को 2–3 बार मैसेजिज भेजे थे । इसके अलावा हमने पंचायती जमीन के संबंध में सरपंच के स्थान पर ग्राम सचिव को भी इसकी पावर दे दी है । हम मण्डियों में हैल्प डैस्क्स भी लगा रहे हैं और इसकी पब्लिसिटी भी पूरी कर रहे हैं । अतः इस पोर्टल के आने के बाद किसान को बहुत

सुविधा हुई है । पहले जो घपले और कालाबाजारी होती थी इससे वह भी रूक गई है । मैं विपक्ष के साथियों को इस बात पर भी जवाब देना चाहता हूं कि धान की इतनी फसल खरीदनी चाहिए । जब क्रॉप कटिंग होती है तो किसान उसका बीमा करवाता है । इससे हमारे पास हर ब्लॉक का फसल का डाटा आ जाता है कि इस बार ऐवरेज फसल कितनी हुई है । हम उस प्राप्त डाटा से किसान की ज्यादा ही फसल खरीदते हैं कम नहीं खरीदते । हमारे विपक्ष के साथी चाहते हैं कि हरियाणा में पहले की तरह खुला काम चलता रहे लेकिन उससे हरियाणा के किसान को लाभ नहीं होगा । (शोर एवं व्यवधान) इससे सिर्फ कालाबाजारी करने वालो को लाभ होगा । अगर विपक्ष का कोई अच्छा सुझाव होगा तो हम उसको मानने के लिए भी तैयार हैं । धन्यवाद ।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अभय सिंह जी, आप प्लीज बैठ जाइये । इस सी.ए. मोशन के लिए जितना समय दिया गया था वह पूरा हो गया है । अतः अब इस पर बहस मत कीजिए । (शोर एवं व्यवधान) अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए है तो आप लिखकर दे दीजिए । आपको उसका लिखित उत्तर मिल जाएगा । अब इस पर और चर्चा नहीं हो सकती । (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है । इस कॉलिंग अटैंशन मोशन के लिए आधे घण्टे का समय निश्चित किया गया था जबकि अब इस पर चर्चा होते हुए एक घण्टा से भी ज्यादा समय हो चुका है । (शोर एवं व्यवधान) अब इस पर चर्चा नहीं होगी । अब इस पर डिबेट नहीं होगी । (शोर एवं व्यवधान)

———

## सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे ।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) :** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं ।

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या पीएफ–69/2021/22174, दिनांकित 06 सितम्बर, 2021.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 67/एच. ए. 12/1999/एस. 24/2004, दिनांकित 1 मार्च, 2021.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 8/134–2019/पीएस(1), दिनांकित 16 अप्रैल, 2021.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 7/24–2020/पीएस(4), दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021.

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–18 के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट ।

---

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. की मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि अगर 22 दिसम्बर, 2021 को काम बाकी रह गया तो हम हाउस का समय और एक्सटैंड कर देंगे ।

**श्री अध्यक्ष :** हुड्डा साहब, आप बैठें ।

---

## विभिन्न मुद्दे उठाना

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के मैम्बर्ज की तरफ से टोटल मिलाकर 17 कालिंग अटैंशन मोशंज, एडजर्नमैंट मोशंज और एक एम.एस.पी. पर नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन दिया गया था जिनमें से आपने 5 मोशंज ही मंजूर किये हैं।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, पहले आप मेरी बात सुन लें। आपकी पार्टी की तरफ से दिये गये सभी कॉलिंग अटैंशन मोंशज पर मैरिट के आधार पर विचार किया गया है। जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज एडमिट हो सकते हैं, उनको ही एडमिट किया गया है। आपकी पार्टी की तरफ से टोटल मिलाकर 29 कॉलिंग अटैंशन मोशंज, 2 एडजर्नमैंट मोशंज और एक एम.एस.पी. पर नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन दिया गया था तो ऐसा नहीं है कि उन सभी को ही स्वीकार कर लिया जाए। इसी प्रकार से दूसरे माननीय सदस्यों की तरफ से भी कॉलिंग अटैंशन मोशंज और एडजर्नमैंट मोशंज को मिलाकर टोटल 22 मोशंज आये हैं। इन सभी को मिलाकर टोटल 54 मोशंज बनते हैं, लेकिन इन सभी पर डिस्कशन करवाना संभव नहीं है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं यही कह रहा हूं कि अभी हाऊस का बहुत काम बाकी है क्योंकि बहुत

से माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए थे, उनके संतोषजनक जवाब नहीं दिये गये हैं, इसलिए आप हाऊस का समय बढ़ा दें।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, इस संबंध में आज सुबह हाऊस में नियम– 15 और 16 के अधीन प्रस्ताव आये थे और वे पास भी हो गए। लेकिन आपने उस समय कुछ नहीं कहा।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था। आप मेरी बात सुन लें। बी.ए.सी. की मीटिंग में भी तय हुआ था कि काम के हिसाब से हाऊस का समय बढ़ा दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, हमने यह तय किया था कि अगर काम होगा तो ही हाऊस का समय बढ़ाएंगे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, अभी हाऊस का बहुत काम बचा हुआ है।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, अगर हाऊस का काम बचा हुआ होता तो मैं जरूर समय बढ़ा देता।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, क्या आप हाऊस का समय नहीं बढ़ाएंगे ?

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, आज सुबह जब इस बारे में प्रस्ताव पास हो रहे थे तो उस समय आपने कुछ नहीं कहा। आप आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस पढ़ लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें। मेरा कहना यह है कि हाऊस को स्थगित करने से पहले आज जो कार्यवाही हुई है उस पर मुझे चर्चा करने के लिए 5–10 मिनट का समय दे दें। यह मेरा अधिकार है।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, आप 5 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, आपकी बात पूरी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब भी देंगे। इसलिए आप उस जवाब को सुनकर ही जाएं।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संतोषजनक जवाब देंगे तो उनका जवाब सुन लेंगे। जब यह शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो हमें सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार से हाऊस को चलाया है, उसमें सभी माननीय सदस्यों को अपनी– अपनी समस्या रखने का मौका मिला है। फिर उसमें चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय

सदस्य हों। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि उन सभी बातों पर सरकार भी रिएक्ट करेगी और उन पर कुछ न कुछ कदम उठाएगी। लेकिन नटशैल में आज मैं देखता हूं तो उसका नतीजा खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला निकलता है। हमें उन बातों पर सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हमने सबसे पहली मांग रखी थी कि एच.पी.एस.सी. का घोटाला पूरे देश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और उसकी सभी जगहों पर चर्चा है।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, इस विषय पर 3 घंटे चर्चा हुई थी और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1:15 घंटे तक जवाब दिया है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 3 घंटों से सदन में बैठा हुआ हूं और मैंने किसी को बोलते समय 1 मिनट भी इन्ट्रप्ट नहीं किया, परन्तु जब मैं बोल रहा हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्य बीच में बोलने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि हमने जो मांग रखी थी, उसको सरकार ने नहीं माना। हमने कहा था कि इस मामले की हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में सी.बी.आई. द्वारा जांच करवायी जाए। सरकार ने हमारी इस बात को नहीं माना तो हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात को स्वीकार नहीं किया गया है।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, सरकार ने आपकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार का अधिकार है कि हमारी इस मांग को माने या न माने। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त कई माननीय सदस्यों ने ओल्ड एज पैंशन का सवाल उठाया था। सरकार ने इसमें भी शर्तें रख दी हैं कि संबंधित परिवार की फ्लां आमदनी होनी चाहिए। इसमें आमदनी की शर्त का क्या मतलब है ? यह ओल्ड एज पैंशन बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर दी गयी थी। यह ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इनकी पार्टी की सरकार के समय का वर्ष 2012 का नोटिफिकेशन है और चाहें तो उसको सदन के पटल पर रखवाया जा सकता है। उसमें सभी बातों के बारे में लिखा हुआ है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से बीच में ही जवाब देंगे तो मेरी बातें पूरी नहीं होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है मैं तो केवल उसका जवाब दे रहा हूं। अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ? अगर कोई विषय उठाएंगे तो उसका जवाब देना मेरा कर्त्तव्य बनता है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी बातों का इकट्ठा ही जवाब दे दें।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, अगर यह विषय पहले डिस्कस न हुआ होता तो ये इस विषय को उठा सकते थे। चूंकि यह विषय पहले ही आ चुका है और मैंने इनकी ओल्ड एज पैंशन वाली बात का जवाब दिया है। इसलिए जो विषय पहले रखे जा चुके हैं उन पर दोबारा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से तो ये पिछले 3 दिन के सैशन में जो मुद्दे उठाए गये थे, उन्हीं को दोबारा से पढ़ने लग जाएंगे इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष को जिन विषयों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, उनको नहीं उठाना चाहिए।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं वॉक आऊट कर जाउंगा।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, आप अपनी बात रखें। लेकिन आप जो बातें रखेंगे, सरकार से उन बातों का जवाब भी लिया जाएगा।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी बात सुनने का पेशैंस रखना चाहिए। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इशूज पर ही बात करूंगा। अगर सरकार को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हाऊस से चला जाता हूं। सरकार मैजोरिटी में है और जो चाहे वह कर सकती है। मुझे अपनी बात कहने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाए। सरकार की तरफ से जो बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, उसे सम्मान पेंशन कहते हैं। किसी का लड़का किसी बुजुर्ग को किस स्थिति में अपने पास रखता है। मान लो कोई आई.ए.एस. लगा हुआ है, उसके साथ उसके बुजुर्ग माता–पिता रहते हैं और इसमें सरकार यह बात कह रही है कि उन बुजुर्ग माता–पिता को बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का क्या पता है कि उस

बुजुर्ग माता–पिता का लड़का उनको घर पर ही नहीं रखता बल्कि उनको घर के बाहर बैठने पर मजबूर करता है। एक बार सरकार उस बुजुर्ग माता–पिता की मर्जी जान लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। सदन में एक सवाल यह भी आया था कि एस. सी./एस.टी. बच्चों के स्कॉलरशिप को लेकर वर्ष 2018–19 में घोटाला हुआ था। उसके बाद एस.सी./एस.टी. के जो बच्चे नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको कई सालों से स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया गया है। सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है। उनका स्कॉलरशिप का 100 करोड़ रुपये बकाया है। क्या सरकार उनको स्कॉलरशिप का पैसा देगी या नहीं। इस बारे में हमें बताया जाये। इसके बाद सदन में कोरोना पीरियड के बारे में बहुत ही तफशीश से चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर सदन में काफी जवाब दिये। अब कोरोना का एक नया वेरियंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है, वह देश में और प्रदेश में फैल रहा है। देश के बहुत से लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा रखी थी, उनको भी कोरोना हो गया लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक बूस्टर डोज की कोई बात नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार की कितनी तैयारी है? इस बारे में बताया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे हैल्थ विभाग में 10 हजार पद खाली पड़े हैं। अगर सरकार वेंटिलेटर लेकर आयेगी तो उनको चलाने वाला कौन होगा? कोरोना इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि वेंटिलेटर चलाने वाला आयेगा तभी मैं किसी मरीज को कोरोना करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह बात याद आ रही है कि जब देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब प्रदेश में कई घोटाले हुऐ थे जैसे शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फूड एंड सप्लाई विभाग का घोटाला, पेपर लीकिंग और धान घोटाला आदि। हमें इन घोटालों के बारे में आज तक नहीं बताया गया कि इनकी जांच चल रही है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक और नया घोटाला फोर्टिफाइड राइस का भी उजागर हुआ है जो कि केन्द्र सरकार का मसला है। वहां से डायरैक्शन आई है कि जितने भी शैलर्ज हैं, उनमें से केवल 5 पार्टीज को ही सूची में रखा गया है। सरकार ने राइस के रेट क्या फिक्स किये हैं। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि राइस का रेट 73 रुपये प्रति किलोग्राम फिक्स किया गया है जबकि यह राइस 55 रुपये प्रति किलोग्राम विद जी. एस.टी. के हिसाब से मिल रहा है। यह इतना बड़ा घोटाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 पार्टीज को इम्पैनल्ड करने का क्या मतलब बनता है। मेरी जानकारी में यह बात नहीं थी। मेरे से कुछ लोगों का समूह मिलने आया था जिन्होंने मुझे इस बारे

में जानकारी दी। जबकि everybody is to be empanelled. अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में सदन में कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था लेकिन आपने उसे नामंजूर कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि फोर्टिफाइड राइस में मौजूद आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन–ए, विटामिन–बी वगैरह शरीर में न्यूट्रीशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं। इसका सेवन करने से खासकर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में काफी सुधार होता है। अध्यक्ष महोदय, सदन में अगला मामला ओ.बी. सीज. की क्रीमीलेयर को लेकर आया था। यह भी बहुत ही गंभीर मामला है। जिस प्रकार से सरकार ने ओ.बी.सीज. की क्रीमीलेयर के लिए 6 लाख रुपये सालाना इन्कम कर दी। मैं चाहता हूं कि ओ.बी.सीज. कैटेगरी की क्रीमीलेयर सेंट्रल गवर्नमैंट के अनुसार करें ताकि उनको फायदा मिल सके। सरकार ने इसमें एग्रीकल्चर की इन्कम को भी जोड़ दिया है इसलिए मेरा इस संबंध में यही कहना है कि सरकार इस चीज पर दोबारा विचार करे। जो हमारे स्टैक होल्डर्ज हैं, उनसे इस बारे में डिस्कशन किया जाये। सुप्रीम कोर्ट का साहनी रिपोर्ट में क्या डिसीजन था। सरकार को इस रिपोर्ट को भी देखना चाहिए था अर्थात् सभी चीजों को देखकर ही फैसला किया जाये। इस संबंध में सरकार स्टैक होल्डर्ज से बात करें। इसी प्रकार से सदन में कल डी.ए.पी./यूरिया के विषय में भी काफी चर्चा हुई और इस पर माननीय मंत्री जी ने भी जवाब दिया। किसी माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था कि किसानों को थाने में खाद बांटी गई थी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी यह बात कही कि हमारी सरकार के कार्यकाल में भी वर्ष 2011 में थाने में खाद बांटी गई थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे उस थाने का नाम बता दीजिए, जहां पर हमारी सरकार के समय में खाद बांटी गई थी। अगर इनके पास ये रिपोर्ट है तो बता दीजिए। मैं यह बात सदन में कहता हूं कि हमारी सरकार के समय में कभी भी थाने में खाद नहीं बांटी गई। हां यह बात ठीक है कि प्रदेश में कहीं पर भी खाद की शॉर्टेज हो सकती है, हम भी इस बात को मानते हैं। हमने खाद बंटवाने के लिए पुलिस का इंतजाम किया हो या कहीं पर पुलिस भेजी हो। यह बात अलग है लेकिन हमने किसी भी थाने में खाद की बोरियां नहीं रखी। हैल्थ विभाग के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हैल्थ विभाग में 10 हजार के करीब पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन विभाग से संबंधित विषय पर अपनी बात रखूंगा। आम आदमी के लिए रोडवेज ही एक मात्र साधन है, जिसकी वजह से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। हमारी सरकार के समय में वर्ष

2013–14 में 4500 बसिज थी, आज यह संख्या घटकर के 3000 रह गईं है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं नई बसिज खरीद रही? जहां तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा विभाग में लगभग 40 हजार पद खाली पड़े हुए हैं, उसका जवाब सदन में नहीं दिया गया कि ये पद कब तक भर लिए जायेंगे? इसी तरह से क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी चर्चा सरकार ने स्वयं हाउस में की है तथा बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नम्बर 1 पर पहुंच गया है। जहां तक जल भराव की बात है तो पीड़ित किसानों को जल भराव से हुए नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दिया गया है। कितने लोगों को जल भराव के कारण खराब हुई फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया है इसके बारे में सदन में कोई जानकारी नहीं दी गई, मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी बताया जाये? इसी तरह से एम.एस.पी. के बारे में सरकार किसानों के साथ नहीं है। 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' स्कीम भी किसानों के हित में नहीं है बल्कि यह किसान के लिए समस्या पैदा करने की स्कीम है। इस स्कीम के तहत अगर किसी किसान की 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार है तो उसके लिए 25 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीद की सीमा बांध दी गई है, बकाया पैदावार को किसान कहां लेकर जायेगा? क्रॉप वैरीफिकेशन का सिस्टम बहुत पेचीदा बना दिया गया है। कृषि विभाग, रेवेन्यू विभाग तथा हरसेक(Haryana Space Applications Centre) उसको वैरीफाई करेंगे तब जा कर 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' की स्कीम में फसल की वैरीफिकेशन होती है। इससे किसानों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ गई हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस स्कीम को तुरन्त वापिस लिया जाये। इसी तरह से कोरोना से होने वाली मृत्यु पर कम्पनसेशन के बारे में बहुत से सदस्यों ने पूछा है कि सरकार ने कितने लोगों को कम्पनसेशन दिया है? इस बारे में 50 हजार रुपये देने बारे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, केन्द्र सरकार भी दे रही है लेकिन राज्य सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है तथा कितना मुआवजा सरकार देना चाहती है? सरकार ने सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। मेडिकल ऐसोसिएशन तथा नम्बरदारों का डेलीगेशन मुझसे मिला है तथा उन्होंने अपनी समस्या बताई है। इसी तरह से कर्मचारियों का जुलाई, 2021 से देय महंगाई भत्ता अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। जहां तक एम.एस.पी. की बात है तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250/– रुपये प्रति क्विंटल था तथा इस भाव पर किसानों का बाजरा सरकार को खरीदना था।

सरकार ने स्वयं उस बाजरे को 1450/– रुपये प्रति क्विंटल के भाव खरीदा तथा यह कहा कि यह भाव कम है इसलिए 600/– रुपये प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई के रूप में दिया जायेगा। इस बारे में हैफेड का एक पत्र है जिसमें लिखा हुआ है–

> "Hafed has commercially procured Bajra during 2020-21 in Bhiwani, Charkhi Dadri, Gurugram, Mewat, Mahendergarh and Rewari Districts at valuable rates ranging from 1450/- to 1650/- per quintal."

यह तो हैफेड की तरफ से लिखे हुए पत्र में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि बाजरा 1450/– रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव में बिका है। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि विधायकों की एक टीम गठित कीजिए जो मेरे साथ मंडी में चल कर देखे क्योंकि बाजरा 800/– रुपये प्रति क्विंटल और 900/– रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिका है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया है कि रोहतक में बाजरा 850/– रुपये प्रति क्विंटल तथा झज्जर में 900/– रुपये प्रति क्विंटल के भाव खरीदा गया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं या सरकार मुख्यमंत्री जी को चला रही है। तीन–तीन बार हाउस में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि नम्बरदार नहीं हटेंगे लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि नम्बरदारों की नई नियुक्ति नहीं की जायेगी। इसका मतलब तो यही है कि सरकार नम्बरदारों को हटाना चाहती है। जिस नम्बरदार की मृत्यु हो जाती है या कोई नम्बरदार रिटायर हो जाता है तो वह एक तरह से हट ही गया। मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिनांक 14.03.2018 को विधान सभा में जवाब दिया गया था वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा–

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमने नम्बरदारों की उम्र संबंधी डाटा कलैक्ट करके कैटेगराईजेशन करने की चिट्ठी सर्कुलेट की है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उनको हटाया जा रहा है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि किसी भी नम्बरदार को हटाया नहीं जायेगा।" एक प्रकार से उनको हटा ही दिया जब नई नियुक्ति नहीं की जा रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** अध्यक्ष महोदय, हमने किसी भी नम्बरदार को नहीं हटाया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछले सत्र में सदन के नेता ने हाउस में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से हरियाणा में एक भी मौत नहीं हुई है। अगले दिन इन्होंने हाउस में कहा कि मैं एक हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा जो हर डिस्ट्रिक्ट में जा कर जांच करेगी कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु हुई है या नहीं हुई है।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कहा था बल्कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए यह कमेटी बनाई गई थी।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, आप हाउस की कार्यवाही निकलवा कर देख सकते हैं, मैं तो हाउस की कार्यवाही के हिसाब से ही कह रहा हूं। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा था कि हम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. के माध्यम से नहीं करवायेंगे लेकिन अब आप एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. को यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए अथॉराइज कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री जी का खुद का कहा हुआ है। मैंने पूछा था कि मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. नहीं करेगा उसके जवाब में आपने कहा था कि नहीं करेगा। अब जब आप यूनिवर्सिटीज की नौकरी लगा रहे हैं तो उनका एग्जाम कौन लेगा?

15:00 बजे

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि वह जो एक्ट हम लेकर आये थे वह तो एग्जामिनेशन वाले अभ्यर्थियों के लिए लेकर आये थे, नकल रोकने के लिए लेकर आये थे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को कहना चाहता हूं कि आपने यूनिवर्सिटीज को उसके साथ एग्जाम के नाते से जोड़ा था लेकिन अब तो आपने नियुक्तियां ही एच.पी.एस.सी. को दे दी हैं जो ठीक नहीं है। जब एच.पी.एस.सी. में भर्तियों के मामले में इतना भारी स्कैंडल हो रहा है तो आप इसको वापिस लीजिए और यूनिवर्सिटीज की ऑटोनोमी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आज सदन में सत्ता पक्ष के विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बता रहे थे कि 5 साल या 6 साल पहले कार्य शुरू हुए थे और अभी तक वे पूरे नहीं हुए हैं। विपक्ष के विधायक तो कहते ही हैं लेकिन मैं सुन रहा था कि सत्ता पक्ष के विधायक भी इसी तरह की बातें कह

रहे थे। इससे तो यही लगता है जो हरियाणा प्रगति के पथ पर था वह प्रगति आज रुक गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मजाक की बात बताना चाहता हूं। एक जुमलेबाज विद्यार्थी था उससे मास्टर ने पूछा कि बेटा तेरे को पढ़ना आता है तो उसने कहा नहीं सर, फिर मास्टर ने पूछा कि लिखना आता है तो उसने कहा नहीं सर। फिर मास्टर ने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करके कहा कि मिटाना आता है तो उसने कहां हां सर, मिटाना तो दोनों हाथों से आता है। यही हाल इस सरकार का भी है काम तो कुछ किया नहीं लेकिन जो पहले काम हुए थे उनको भी दोनों हाथों से मिटाने में लगे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि हम एक नॉन परफॉर्मिंग सरकार देख रहे हैं। मैं एक शेर के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं:–

**वही क़ातिल वही शाहिद वही मुंसिफ़ ठहरे,**
**अक़रबा मेरे करें क़त्ल का दावा किस पर।**

मैं हरियाणा की जनता की आवाज के हिसाब से कह रहा हूं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम को वापिस किया जाये क्योंकि यह किसानों के लिए बहुत परेशानियां पैदा कर रही है। इसके अतिरिक्त एच.पी.एस.सी. भर्ती घोटाले की सी.बी. आई. या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाये ताकि हरियाणा के लोग संतुष्ट हों और हमारी विपक्ष की भी संतुष्टि हो। बहुत–बहुत, धन्यवाद।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ई–मेल के माध्यम से आपको भेजे थे, आप मुझे उनका फेट बता दें।

**श्री अध्यक्षः** मलिक साहब, यह समय ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के फेट बताने का नहीं है, आप कृपया बैठ जायें।

## सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों/मांगों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** अध्यक्ष महोदय, विधान सभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और एक परम्परा भी रही है कि सरकार में दोनों पक्षों (सत्ता पक्ष और विपक्ष) का महत्व होता है और दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप होता रहता है। सरकार कुछ काम करती है और उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो विपक्ष उसकी तरफ सरकार का ध्यान कराता है। यह आज से नहीं बल्कि जबसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरूआत हुई थी तभी से चला आ रहा है। हम यह कतई नहीं कहते कि किसी

प्रकार का आरोप–प्रत्यारोप न हो लेकिन उसकी एक सीमा अवश्य रहनी चाहिए। सीमा में खास करके जैसे आज सुबह भी हमारी एक माननीय सदस्या ने पढ़ा था कि सभा में प्रवेश न किया जाये और प्रवेश किया जाये तो स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि वहां न बोलने और गलत बात बोलने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। इसलिए जो बोला जाए सत्य बोला जाए। सरकार के सामने भी कठिनाई आ सकती है कल जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो उनके सामने भी कठिनाइयां थी। जैसा आज सी.एम. अनाउंसमैंट्स के बारे में कहा गया।

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा हूं कि सी.एम. अनाउंसमैंट सी. एम. अपने मन से तो करता नहीं है। सभी सदस्य और बाकी लोग भी उसके सामने चार्टर ऑफ डिमांड्स रखते हैं। यह ठीक है कि समय से पहले वह अनाउंसमैंट्स पूरी करवाई जाती है लेकिन कभी–कभी इनको पूरा करने में कठिनाई भी होती है। मैने स्वयं देखा है कि हुड्डा साहब के समय के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो अनाउंसमैंट्स हुई थी उसमें भी सैंकड़ों अनाउंसमैंट्स ऐसी हैं जिनको नॉन फिजिबल करके दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, कई बार अनाउंसमैंट्स नॉन फिजिबल हो जाती हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि हम लोग पिछले सात–साढ़े सात साल से एक निश्चित दिशा में काम कर रहे हैं। यह ठीक है कि विकास के कामों में एक फिजिकल तौर पर दिखने वाला विकास होता है जिनमें गलियां, नालियां, स्कूल्ज, कॉलेज, सड़कें, नहरें और एयरपोर्ट सभी शामिल हैं लेकिन इसके साथ–साथ एक विषय मनुष्य निर्माण का भी है। यह विषय व्यवस्था परिवर्तन का है। जैसे हम ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की बात करते हैं, ऐसे ही हम ईज ऑफ लिविंग की बात भी करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली जो कठिनाईयां हैं उनमें कैसे सुधार किया जाए। खासकर जो सरकारी तंत्र हैं जिसके द्वारा बनाये गये नियम–नियमावली, कायदे–कानून और नीति–निर्देश के अन्दर ही मनुष्य फंसा रहता है। बहुत से हमारे कानून ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। कुछ समय पहले प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी उसमें उन्होंने बताया था कि हमने केन्द्र में लगभग 1500 कानून रद्द कर दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने भी अपना हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है उसमें जितने भी आजादी के बाद के या उससे पहले के कानून हैं उनके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। उनमें से जो आउट डेटिड कानून हैं उनको एक प्रकार से डिलीट किया जाएगा या उनको मोडिफाई किया जाएगा। अगर ऐसे कानूनों का

कोई परपज हल नहीं होता है तो आज भी हमें उनका परपज हल करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कई बार तो विधान सभा के अलावा हमें ये लड़ाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी लड़नी पड़ती है। कई ऐसे विषय हैं। मैं एक विषय के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जो हमारी बहन किरण चौधरी जी ने भी उठाया है। वह पी.एल.पी.ए. फोरेस्ट का विषय है। अभी पी.एल.पी.ए. फोरेस्ट की सारी लड़ाई हमने आकर लड़ी है। पी.एल.पी.ए. वर्ष 1900 में बना था अर्थात आज से 120–121 साल पहले बना था। उस समय यह एक्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले आज की खेती, आज का विकास, डिवैल्पमैंट कुछ नहीं होता था। सारा जंगल ही जंगल होता था। जब वर्षा आती थी तो वर्षा के पानी के बहाव के कारण से, नदियों व नालों के बहाव के कारण से मिट्टी का कटाव होता था। उसके बाद एक (प्रिजर्वेशन ऑफ पंजाब लैंड एक्ट) पी.एल.पी.ए. बनाया गया । अगर लैंड को प्रिजर्व करना है तो कहीं से भी अगर पानी का कटाव होता है तो उसको रोकने का सरकार प्रबंध करे। वहां पेड़ लगाएं क्योंकि उस समय विकास का ऐसा विषय नहीं था। लैंड को प्रिजर्व करना ही उसका परपज था। बाद में फोरेस्ट एक्ट बना उसमें यह है कि जो पेड़ लग गया है वह फोरेस्ट लैंड है, नोटिफाईड लैंड है। अध्यक्ष महोदय, उसका एक्ट बना। यदि एक्ट एक बार नोटिफाईड हो गया तो उस लैंड के अन्दर आप पेड़ लगाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। संयोग ऐसा बना कि पहले यह पी.एल.पी. एक्ट बना तो था एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट से क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड भी कटती थी। पेड़ लगाने के कारण से लैंड को रोका जाता था। बाद में इस पी.एल.पी. एक्ट को बनाने के पीछे कुछ भी सोच रही होगी। उसके बाद इस एक्ट को फोरेस्ट डिपार्टमैंट को दे दिया। जब यह एक्ट फोरेस्ट डिपार्टमैंट को दिया गया तो वहां एक गलती यह हुई कि जितना पी.एल.पी.ए. अण्डर सैक्शन–345 का नोटिफाईड एरिया था वह सारे का सारा फोरेस्ट एरिया मान लिया गया। इस कारण से जब चीजें आगे चली तो वह बढ़ते–बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गयी और डिपार्टमैंट ने एक ऐफिडेविट भी दे दिया कि हां, पी.एल.पी.ए. नोटिफाईड एरिया फोरेस्ट लैंड है। यह आज नहीं शायद कभी 20 वर्ष पहले दिया गया होगा।

**श्रीमती किरण चौधरी** : मुख्यमंत्री जी, तभी तो वह एरिया थोड़ा बच गया है।

**श्री मनोहर लाल :** किरण जी, आप एक बार सारा विषय सुन लीजिए क्योंकि इसमें उदाहरण के लिए एक कानून का विषय आ गया है। हमें जो काम करने पड़ते हैं

उसके बारे में मैं बताता हूं क्योंकि यह आपके विषय का भी उत्तर है। जब यह ध्यान में आया कि पी.एल.पी.ए. में जितना नोटिफाईड एरिया है वह फोरेस्ट लैंड है और वह लगभग 40 प्रतिशत है। जिसका किरण जी ने भी उल्लेख किया है। यह पूरे प्रदेश का 40 प्रतिशत बनता है। उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी आती है। उसमें आज के जितने भी प्रदेश व केन्द्र के और इवन इंटरनेशनल लैवल के सरकारी ऑफिस बने हुए हैं वे भी उसमें आते हैं। संयोग से हमारे यहां हरियाणा में एक ही इंटरनेशनल ऑफिस है। आई.ए.एस.ए. की सारी जमीन भी पी.एल.पी.ए. के नोटिफाईड एरिया में है। जब इसको फोरेस्ट मान लेंगे तो वहां पर आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे एच.एस.वी.पी. के कितने ही सैक्टर्ज हैं जोकि इस तरह के एरियाज में आ गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय में असेंबली की एक कमेटी बनाई जाये। उसमें डिसकस करेंगे कि फ्लां कानून ठीक नहीं हैं या फ्लां कानून पुराना हो गया हैं और डिसकस करने के बाद कोई निर्णय ले लिया जायेगा।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसका लॉ कमीशन बनाया हुआ है। एक बार जब उसकी रिकमंडेशंज आ जायेंगी तो फिर उसके बाद कमेटी के प्रावधान के विषय पर विचार किया जायेगा । ला कमीशन की रिकमंडेशंज को देखने के लिए विधान सभा की एक कमेटी बनेगी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष जी, यह पर्यावरण से जुड़ा बहुत ही अहम मसला है अतः सरकार को इस दिशा में गम्भीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। (विघ्न)

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने कब इस बात से मना किया है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष जी, अगर फारेस्ट लैंड कवर को इग्नोर करने का काम किया गया तो आगे चलकर इसके बहुत ही घातक परिणाम साबित होंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि कई इंटरनैशनल कंपनियां, रिस्ट्रिक्ड एरिया या पी.एल.पी.ए. की नोटिफिकेशन में आ रही है तो Government should make sure कि जो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं उनको बने रहने दिया जाये।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यही तो कानून बनाया है। अभी पीछे जो पी.एल.पी.ए. में अमेंडमेंट किया गया था, यह इसी के लिए ही तो था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लिखित में भेजा जा रहा है that is a back door way of getting into the things and doing away with all these sections of the forest Act.

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, सारी बहस के विषय के निष्कर्ष में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हम सभी ए.जी. ऑफिस से 2–4 वकीलों की एक टीम बना लें और किरण जी, आप भी एक वकील हैं, आपके साथ–साथ सदन के दूसरे वकील सदस्यों के साथ एक बार हम सब बैठकर विषय का अद्ययन कर लें और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सरकार आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर चल सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, सरकार सिलैक्ट कमेटी क्यों नहीं बना देती है।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, अब विषय सिलैक्ट कमेटी नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, वह विषय है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, यह विषय केवल हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आने वाली सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आज आपकी सरकार है कल हमारी होगी यह तो प्रोसैस चलता रहेगा लेकिन हमें इन बातों की तरफ ध्यान न देकर इस बहुत ही अहम मसले पर ध्यान देने की जरूरत है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को फोरेस्ट के विषय के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, इस समय यह विषय सुप्रीम कोर्ट में है और जो चीज लिटिगेशन में होती है उस पर हम अभी कोई कमेटी बना दें ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जल्द ही इस केस की तारीख लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस विषय में स्टेंड चेंज किया है और इसका कारण यह है कि जब कांत एन्कलेव जो पी.एल.पी.ए. के एरिया में थी, को तोड़ा गया तो उसकी वजह से कई करोड़ रूपये का हर्जाना हरियाणा के उपर भी लगाया गया। उस एक केस को देखकर हमने विचार किया कि यहां ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जहां पर एच.एस.वी.पी. के सैक्टर्ज हैं, कई आफिसिज हैं और गुरूग्राम में तो जो पुलिस और सी.आर.पी.एफ. के कितने ही बड़े–बड़े प्लाटून सैंकड़ों एकड़ में फैले हुई हैं, इस प्रकरण के बाद वह भी धराशाही होने वाले थे तो

ऐसी सूरत में सरकार ने तर्क दिया कि total P.L.P.A. land is not forest land और अब इस विषय पर बहस चल रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनका एक ब्यूरो बना दिया जाये और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको एग्जैम्पट कर दिया जाये।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, यह तो बना हुआ है। शायद माननीय सदस्या को सदन में हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्या को पता होना चाहिए कि पी.एल.पी.ए. में एक अमेंडमेंट लाकर सदन में पास कराने का काम किया गय था और उस अमेंडमेंट को पास कराने के बाद गवर्नर जी के माध्यम से उसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। विधान सभा में यह गलत अमेंडमेंट किया गया है इसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में नोटिस दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसका अद्ययन हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, पूर्व के बने हुए स्ट्रक्चर को एग्जैम्पट किया जाना चाहिए। सरकार को फोरेस्ट वाले विषय के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की कार्रवाई कोलोनाइजर्स को और स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, एग्जैम्पशन के लिए एक्ट बनाया गया था जिसको माना नहीं गया। अतः मेरा माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उन्हें पहले पी.एल.पी.ए. की अमेंडमेंट को पढ़कर आना चाहिए और फिर मेरे से बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पढ़कर आई हूँ तभी तो इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री जी ने भी देखा होगा कि यह चिट्ठी कितनी डिटेल में लिखी गई है।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, उस चिट्ठी को देखकर ही तो मुझे पता लगा है कि माननीय सदस्या पी.एल.पी.ए. और फोरेस्ट लैंड को एक मानकर चल रही हैं जिसका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने पी.एल.पी.ए. की अमेंडमेंट को ठीक तरह से नहीं पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस चिट्ठी को ही पढ़कर अपना जवाब सदन में दे रहा हूँ। इनकी चिट्ठी अब भी मेरे पास है इसी वजह से मैं माननीय सदस्या को कह रहा हूँ कि उन्हें पी.एल.पी.ए. की अमेंडमेंट को दोबारा से अद्ययन करने के पश्चात मुझ से चर्चा करनी चाहिए। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन में है

अर्थात मैटर सब–ज्युडिश है इसलिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने जो करना था वह कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से हम एफिडेविट दर्ज कर रहे हैं आखिरकार उसका क्या मायना निकलता है ? यह जो स्ट्रक्चर डिमोलिशन किया गया है यह तो अच्छा किया गया है क्योंकि यह सारा अरावली के फोरेस्ट लैंड पर था और अगर इस तरह होता रहा तो मानकर चलिए कि हमारा फोरेस्ट लैंड खत्म होता चला जायेगा।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को याद रखना चाहिए कि वह फारेस्ट लैंड पर नहीं था बल्कि वह पी.एल.पी.ए. एरिया में था। अब इस बात को यह नहीं माने तो मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैं इनको मना सकूं क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है अगर माने तो ठीक और न माने तो इनकी मर्जी।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि सारी की सारी बातें सदन के पटल पर आयें।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में भी कोविड–19 के संबंध में हमारी खूब चर्चा हुई है। सदन में उन्हीं विषयों को बार–बार उठाया गया है। आज का विषय तो कोरोना वायरस का जो ऑमिक्रोन स्वरूप आया है, इसकी चर्चा तक ही सीमित था। सदन में इस विषय पर चर्चा काफी हो चुकी है अच्छी बात है। कुछ विषय नेता प्रतिपक्ष ने भी रिपीट किए हैं, मैं उनके बारे में भी बता रहा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सभी विषयों के उत्तर देना इस समय संभव नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक नया विषय सदन में रखना चाहता हूँ। जो शून्यकाल के दौरान विषय आते हैं क्या सरकार के द्वारा हम ऐसी परम्परा शुरू कर सकते हैं कि एक महीने के अन्दर जितने भी प्रश्न आते हैं उनका लिखित जवाब संबंधित विधायक को दें, शायद यह प्रोसैस पार्लियामैंट में भी शुरू हो चुका है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं)

**आवाजेंः** यह तो बहुत ही अच्छी बात है।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, सरकार इस काम के लिये तैयार है। सत्र के आखिरी दिन भी बहुत सारे विषय आते हैं। ऐसी बात हर बार नहीं होती है कि आज ही विषय आया है और आज ही उसका उत्तर मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जवाब आ जाते हैं लेकिन शून्यकाल के दौरान

पूछे गये सवालों के जवाब नहीं आते हैं। इस सत्र से हम इसकी शुरूआत करते हैं कि संबंधित डिपार्टमैंट के माध्यम से शून्यकाल के दौरान पूछे गये जायज सवालों के वाजिब उत्तर एक महीने में संबंधित विधायक को दिये जायेंगे उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के काम किये हैं। (विघ्न)

**श्री मेवा सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी अनुमति से यह भी कहना है कि सदन एक मन्दिर होता है और इसमें कोई भी माननीय मंत्री जी किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर न दे।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। माननीय मंत्री जी वह प्रश्न छोड़ सकता है, आधा उत्तर दे सकता है लेकिन माननीय मंत्री सदन के पटल पर गलत उत्तर कभी नहीं देंगे। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्य श्री मेवा सिंह जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है तो वह मैटर हरियाणा विधान सभा की 'सरकारी आश्वासनों' संबंधी समिति में चला जाता है। आप उस सवाल को वहां पर उठा सकते हैं। संबंधित कमेटी उस प्रश्न से संबंधित विभाग से जवाब तलब करेगी। आज तक मेरे पास कोई भी माननीय सदस्य ऐसा विषय लेकर नहीं आया कि सदन में उसको आश्वासन मिला हो और उसका पालन नहीं हुआ हो।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, सदन में हम लोग कई बार कही गई बातों को इग्नोर इसलिए करते हैं कि विपक्ष ने आलोचना करने के लिये कह दिया होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में आपकी अनुमति से सदन में एक उदाहरण देता हूँ। विपक्ष ने यह कहा कि 28 पेपर रद्द हुए हैं। पेपर रद्द होने का मतलब यह होता है कि पेपर रद्द हो गया और वह पेपर दोबारा से फिर लिया जायेगा।

**आवाजेंः** अध्यक्ष महोदय, पेपर्ज लीक हुए हैं।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि पेपर्ज लीक भी नहीं हुए हैं। इस नाते से चार पेपर्ज ऐसे हैं जो लीक हुए, आउट हुए या फिर रद्द हुए। पेपर लीक उसे कहते हैं जो पेपर शुरू नहीं हुआ और उससे पहले उसका जो उत्तर है वह चला गया कहीं। अगर पेपर चलते हुए पियन चला गया और उस पियन ने किसी प्रश्न पत्र का अपने मोबाईल से फोटो खींच ली और बाहर निकाल दिया तो वह पेपर लीकेज की श्रेणी में नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, कल भी सदन में इस संबंध में चर्चा हुई थी। पेपर आउट को तो हम मान सकते हैं कि वह पेपर आउट हो

गया। पेपर के चलते हुए तीन घंटे में पेपर आउट हो गया सॉल्व हुआ और अंदर आकर अपना काम कर गया। उसको तो हम आउट कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, पेपर्ज लीक नहीं हुए हैं। विपक्ष अपनी गलती को सुधार ले। अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष अपनी गलती नहीं सुधारता है तो इस बात की इन्वैस्टीगेशन के लिये कि 28 पेपर्ज लीक हुए हैं, इस संबंध में कोई कमेटी बनाकर सत्यापन करवाना चाहिए।

**श्री अध्यक्षः** सरकार यदि इस संबंध में मेरे पास कोई लिखित में शिकायत भेजेगी तो जरूर कार्रवाई होगी। हाउस को मिस गाइड करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी निवेदन किया था और आज फिर सदन में दोहरा रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो व्हाट्सएप चैट पढ़कर सदन में सुनाया था, सदन को उसकी भी कॉपी लेकर संज्ञान लेना चाहिए।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, क्या वह व्हाट्सएप चैट की कॉपी सदन को देंगे?

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं व्हाट्सएप चैट की कॉपी क्यों दूं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, यह व्हाट्सएप चैट कहां से आई और किसने भेजी, इस बात की जांच करवानी है तो व्हाट्सएप चैट कॉपी से ही पता चल सकता है। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के पटल पर मोबाईल नम्बर तक बता दिया है। सरकार अपने लेवल पर जांच करवाएं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, जब आपने अपनी बात सदन में कही है तो आपको व्हाट्सएप चैट की कॉपी देने में क्या दिक्कत हो रही है। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में कहा था कि इस तरह का मामला हुआ है और यह बहुत गलत हुआ है । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** भूपेन्द्र सिंह जी, आप ऐसा मत कहिये क्योंकि आपने सदन में दो व्यक्तियों की बातों को पढ़कर सुनाया है । (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में उनका मोबाइल नंबर बता दिया है और व्हाट्सऐप की चैट के बारे में भी बता दिया है । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** भूपेन्द्र सिंह जी, आपको उस चैट की एक कॉपी हाउस को देने में क्या दिक्कत है ? (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने उनका टेलीफोन नंबर भी दिया है । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : भूपेन्द्र सिंह जी, वे बातें तो ऑन रिकॉर्ड हैं । वह सारा मामला पेपर में भी आया हुआ है और प्रोसीडिंग्ज में भी आया हुआ है । (विघ्न)

**Shri Bhupinder Singh Hooda:** I am not source. I am not source of the information.

**श्री अध्यक्ष** : भूपेन्द्र सिंह जी, जब आपने सदन में बोला है तो फिर आपके पास सोर्स क्यों नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान) जब आप हाउस में बोल रहे हैं तो सोर्स तो आपके पास अपने आप ही है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वह सारा कुछ प्रोसीडिंग्ज में भी आया हुआ है । (विघ्न)

**श्री मनोहर लाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि कांच पर पारा चढ़ा दिया जाए तो वह दर्पण बन जाता है और वही दर्पण किसी को दिखा दिया जाए तो उसका पारा चढ़ जाता है । अतः जब हमने विपक्ष के साथियों को दर्पण दिखाया तो इनका पारा चढ़ना स्वाभाविक है । इनको ध्यान में आएगा । (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य पहले हमें लिखकर दें । हमको उसकी आवश्यकता है । (विघ्न) हमने व्यवस्था परिवर्तन की बातें की हैं और हमने बहुत–सी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया भी है । मैं समझता हूं कि अगर पिछले 7 साल में हमारी कोई अचीवमैंट है तो वह व्यवस्था परिवर्तन की है । उस व्यवस्था परिवर्तन में हमने आम आदमी को आने वाली कठिनाइयों और किसी भी वर्ग विशेष को आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया है । इसके लिए हमने टैकनोलॉजी का खूब उपयोग किया है । टैक्नोलॉजी का पिछली सरकारें भी उपयोग कर सकती थी लेकिन अफसोसजनक बात है कि उन्होंने वर्ष 2014 तक उसका उपयोग नहीं किया । हमने सत्ता में आने के बाद जनता को गुड गवर्नैंस दी और हमने 25 दिसम्बर, 2014 को यह तय किया था कि हम गुड गवर्नैंस का कार्यक्रम चलाएंगे । 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' उसी गुड गवर्नैंस का एक परिणाम है । मेरा कहना है कि इसके कारण से सारा सिस्टम व्यवस्थित होने लग गया है । किसान इस सिस्टम से प्रसन्न है । मैं मानता हूं कि शुरू–शुरू में किसान को कठिनाई जरूर आई थी । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** जब भी कोई नया कानून आता है तो शुरू–शुरू में उससे कठिनाइयां आती हैं । जी.एस.टी. के आने के बाद भी ऐसा ही हुआ था ।

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि कठिनाइयों को दूर करने का काम भी सरकार का ही है । इस सिस्टम को शुरू हुए अभी केवल 2 साल ही हुए हैं । मैं इसके लाभ बताना चाहता हूं । विपक्ष के साथियों ने कहा कि यहां पर एक कानून आया था जिसके तहत फसल कहीं भी बेची जा सकती है । उस कानून को तो विपक्ष के साथियों ने वापिस करवा दिया है । (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, वह कोई नया कानून नहीं था । मैं इस बारे में सदन को एक बात बताना चाहता हूं । अतः माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मेरी बात सुननी चाहिए । Mr. Gill was the Secreary Agriculture, Shri Narsimha Rao was the Prime Minister, I was Member of Parliament & Secretary of Parliamentry Farmers' Forum. अध्यक्ष महोदय, किसान हरियाणा की फसल को नजफगढ़ (दिल्ली) ले जाते थे । वहां पर फसल का भाव अच्छा मिलता था तो उस टाइम यह कह दिया गया था कि फ्री मूवमैंट होगी । उस समय कह दिया गया था कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी ले जा सकता है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि फसल को कहीं पर लेकर जाने का विषय नहीं है बल्कि फसल को बेचने का विषय है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, इस पर कभी भी कानूनी तौर पर रोक नहीं लगी है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि फसल को कहीं पर लेकर जाने और बेचने में काफी अंतर है । (शोर एवं व्यवधान) मेरा कहना है कि फसल को कहीं पर लेकर जाना पहले भी फ्री था और आज भी फ्री है लेकिन नये कानून के हिसाब से उसे बेचना अनिवार्य है। (शोर एवं व्यवधान) नया कानून बनाया गया है । अब वह मण्डी से बाहर भी बेच सकता है । विपक्ष ने नये कानूनों को वापिस करने के लिए वकालत की थी। (शोर एवं व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि अगर फसल को कहीं पर बेचा जाएगा तो मण्डी की फीस भरना और फसल की जानकारी देना अनिवार्य है । यह व्यवस्था पिछले कानून में थी । हमने नये कानून में इसी व्यवस्था को तो हटाया था । नये कानून में इस व्यवस्था को हटाने के बाद हमने तो मार्केट फीस के 4 परसैंट खर्च को घटाकर 1 परसैंट कर दिया था । हमने यह घटौतरी नये कानून के मद्देनजर होने वाले प्रभाव को देखते हुए एक पहल के रूप में की

थी । जब नये कानून समाप्त हो गए हैं तो फिर आज किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मण्डी में ही जाना पड़ेगा । मण्डी का सारा पैसा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जाता है और उससे मण्डियों का विस्तार भी होता है । इस प्रकार यह 4 प्रतिशत पैसा मंडियों के विकास पर ही लगना है। विपक्ष के माननीय सदस्यों का यह तर्क था कि नये कृषि कानून आने से मंडियों का 700–800 करोड़ रुपये का रिवैन्यू खत्म हो जाएगा। इसके पीछे इनका यह तर्क था कि इससे 700–800 करोड़ रुपये कम हो जाएंगे। आखिर यह पैसा इनके विकास के लिए है और इससे मंडियों का विस्तार होगा। इसके अतिरिक्त फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नयी व्यवस्था बनायी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हरेक स्टेट का तय कर दिया है कि वे लिमिट से ज्यादा फसलों की परचेज नहीं करेंगे। इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि पहले हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसलें परचेज करे। इसके बाद हरियाणा प्रदेश के जिस किसान ने बाहर फसलों की बिजाई की हुई है, उनकी फसलें परचेज करेंगे। फिर भी अगर हरियाणा प्रदेश का कोटा पूरा नहीं होगा तो दूसरे प्रदेशों के किसानों की फसलें परचेज करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के किसान भी आते हैं, पंजाब के किसान भी आते हैं और राजस्थान के किसान भी आते हैं। इन राज्यों के किसान भी हरियाणा प्रदेश में आकर अपनी फसलें बेच जाते हैं। यह पहला कारण है। दूसरे कारण के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की ओर से धान और गेहूं की फसलों की प्रॉक्योरमैंट की जाती हैं, परन्तु हरियाणा सरकार ने 10–11 फसलों की प्रॉक्योरमैंट करने की बात कही है। इससे भी स्टेट का नुकसान होता है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की सरकार के समय में बाजरे के एक– एक दाने की प्रॉक्योरमैंट होती थी।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि वे बाजरे की फसल की प्रॉक्योरमैंट का रिकार्ड मंगवाकर देख लें कि इनकी पार्टी की सरकार में कितने साल बाजरे की प्रॉक्योरमैंट की गयी थी और कितने बाजरे की प्रॉक्योरमैंट की गयी थी ?

**श्री दुष्यंत चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी की सरकार के समय में साढे 9 साल तक बाजरे का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष गलत ब्यान दे रहे हैं।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष गलत ब्यानी कर रहे हैं। इनको अपनी पार्टी की सरकार के समय का रिकार्ड देख लेना चाहिए। मैं इस जीरो ऑवर के संदर्भ में चीफ सैक्रेटरी साहब को कहना चाहूंगा कि उनको सरकार की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की पार्टी की सरकार के समय में की गयी बाजरे की प्रॉक्योरमैंट का रिकार्ड उनके पास भेजना चाहिए कि इनकी पार्टी की सरकार में कब– कब और कितनी बाजरे की प्रॉक्योरमैंट हुई थी।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसा मेरे ध्यान में है। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो उसके बारे में मुझे बता देंगे। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020 में जब हमने बाजरे को 2150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पचरेज किया तो उस समय एग्रीक्लचर डिपार्टमैंट के 5 लाख मीट्रिक टन बाजरे के एस्टिमेट्स थे। लेकिन जब बाजरा खरीदा जाने लगा तो उस समय कोई सावधानी नहीं बरती गई। जिसके कारण बढ़ते– बढ़ते साढे 7 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदना पड़ा। इस प्रकार राजस्थान से आकर लगभग 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बाजरा यहां पर बिक गया क्योंकि राजस्थान में बाजरे का भाव 1300–1400 रुपये प्रति क्विटल था। हमारे प्रदेश में बाजरे का भाव 2150 रुपये प्रति क्विंटल था। इस प्रकार प्रदेश को प्रति क्विंटल 700 रुपये प्रति क्विंटल के घाटे के हिसाब से कुल 550 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अगर केवल हरियाणा प्रदेश का ही बाजरा होता तो हम कुछ बाजरा पी.डी.एस. सिस्टम में डाल देते और उसके बाद कुछ बाजरा बचता तो वह दूसरे बिक्री के सोर्सिज से बिक जाता। इस प्रकार प्रदेश को केवल 50–100 करोड़ रुपये का ही नुकसान होता, लेकिन हरियाणा प्रदेश में राजस्थान का बाजरा बिकने से 550 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस बार बाजरा परचेज न करने के दो कारण थे। एक कारण तो जैसा मैंने राजस्थान के बारे में बताया। दूसरा कारण यह था कि प्रदेश में वर्षा के कारण बाजरा खराब हुआ है। बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर्ज हैं और उन पैरामीटर्ज के आधार पर खरीदने से बहुत कम खरीद होती। हम 2250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीद लेते, परन्तु एक–दो लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद नहीं होती और बाकी साढे 3 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्वॉलिटी डाउन होने के कारण खरीदा नहीं जाता। इस प्रकार ठीक बाजरा तो 2250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता लेकिन डाउन क्वॉलिटी वाला बाजरा 1100–

1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ऊपर नहीं बिकता। हमने आखिर में यह निर्णय लिया कि चाहे किसी का खराब बाजरा हो या अच्छा बाजरा हो, हरेक को उनके खाते में 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे दे दें। इस कारण से जिनका खराब बाजरा था, वे भी इस बात से प्रसन्न हैं कि उनका खराब बाजरा भी 1200 रुपये प्रति क्विंटल की बजाए 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक गया। जिनका ठीक बाजरा था उन्होंने भी अपने घरों में ही बाजरा रोक लिया। यह रिकार्ड भी प्रदेश की सभी मंडियों से दिलवा देंगे कि इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा डेढ लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा। चूंकि बाकी लोगों ने अपने घरों में ही बाजरे की फसल को रोक लिया। हमने भी यही कहा कि यह अच्छी बात है क्योंकि बाद में मंहगा होने पर बेच लेंगे। आज बाजरा 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है और 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार की तरफ से दिये गये थे। इस प्रकार इनको मिलाकर किसानों को उनके बजारे का भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है। विपक्ष के माननीय सदस्य इस बारे में पता करवा सकते हैं कि अब मंडियों में कितना बाजरा आ रहा है ?

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, किसानों ने अपना बाजरा पहले ही सस्ते भाव पर बेच दिया है।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया था कि शुरू में डाउन क्वॉलिटी का बाजरा 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका था और अच्छी क्वॉलिटी का बाजरा 1400 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका था। इसमें 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकने का मतलब यह है कि उसमें सरकार की तरफ से दिये गये 600 रुपये प्रति क्विंटल के मिलाने पर 2200 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। हमने पहले ही 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सभी किसानों के खातों में पैसे भेज दिए थे। इस प्रकार 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा बेचने वालों को 600 रुपये प्रति क्विंटल मिलाने पर 2000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि बाजरे की क्वॉलिटी पर निर्भर होने के कारण कुछ किसानों को 100–200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कम भाव मिला। ऐसे किसान बड़ी मैजोरिटी में हैं जिनका डाउन क्वॉलिटी का बाजरा 1200–1300 रुपये प्रति क्विंटल बिका और उसमें 600 रुपये प्रति क्विटल बाजरे के हिसाब से मिलने पर उनका बाजरा 1800–1900 रुपये प्रति क्विटंल के हिसाब से बिक गया। इस डाउन क्वॉलिटी के

बाजरे को न तो हैफेड लेता, न कॉन्फैड लेता और न कोई दूसरी एजेंसी लेती क्योंकि जिस क्वॉलिटी के मापदंड तय किये हुए हैं, उसके अनुसार ही बाजरे की परचेज होती है। उन मापदंडों से लो क्वॉलिटी के बाजरे की प्रॉक्योरमैंट नहीं की जाएगी।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, किसानों की धान की फसल कम रेट्स पर बिकी हैं।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जिस धान की अच्छी क्वॉलिटी थी, वह पूरे भाव पर बिका है। जिसकी डाउन क्वॉलिटी थी या मोश्चर ज्यादा थी, वह धान कम रेट पर बिका है। हमको खरीद के पैरामीटर्ज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अगर हमने पैरामीटर्ज का ध्यान रखना छोड़ दिया तो यही धान एफ.सी.आई. के गोदामों में गलता है और सड़ता है। जो धान खराब हो जाता है उसे डिस्टलरी वाले बाद में सस्ते रेट पर खरीद लेते हैं। सरकार को इस प्रकार से करोड़ों रुपये का घाटा होता है। हमें एफ.सी.आई. के लोग इन बातों की जानकारी देते हैं। यह बात ठीक है कि सरकार की इस बात की जिम्मेवारी नहीं होती है बल्कि इस बारे में उनकी जिम्मेवारी होती है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, एम.एस.पी. का मतलब मिनीमम स्पोर्ट प्राइज होता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** हुड्डा जी, इसके पैरामीटर्ज साथ में लिखे हुए होते हैं कि इसमें इतना मॉश्चराइजर होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप सदन को मिसगाइड कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था में सुधार का बीड़ा उठाया है और बीड़े में जो सबसे पहली बात हमने ध्यान में रखी है वो है गरीब, किसान, मजदूर जिसकी आय बहुत ही कम है। उसमें स्वाभाविक सी बात है कि एस.सी./बी.सी. कैटेगरी का एक बड़ा रोल होता है क्योंकि उनकी कैटेगरी के हिसाब से संख्या बड़ी है। ऐसे में सरकार इन लोगों को लाभ कैसे पहुंचा सकती है? हमारी सरकार प्रदेश में ऐसी कई योजनाएं लेकर आई है जो गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। जैसे सरकार ने ''मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना'' की घोषणा की है। ''परिवार पहचान पत्र'' एक अलग विषय है जो पहले सदन में आ चुका है। यह बात सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि सरकार एक परिवार का पूरा डाटा इक्ट्ठा कर रही है और सरकार उस डाटा को

वैरीफाई भी करवा रही है। जब वैरीफाइड डाटा में इन्कम एक लिमिट से नीचे हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे इन परिवारों को सहायता पहुंचाई जाये। हमारे ध्यान में डेढ़ लाख परिवारों का डाटा आ गया जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है अर्थात् जिनकी लगभग 7–8 हजार रुपये प्रति माह कमाई बनती है। इसमें नई बात यह है कि हमारी सरकार ''मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना'' के तहत अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाने का काम कर रही है। मेरे ख्याल से आज दिनांक 22.12.2021 को इन मेलों का आयोजन समाप्त होने वाला है। अगर एक आधा मेला रह गया होगा तो एक दो दिन में समाप्त हो जायेगा। हमारी सरकार ने 180 से ज्यादा मेले लगाये हैं। एक जगह पर तो दो–दो, तीन–तीन मेले भी लगाये हैं इस प्रकार से लगभग 250 मेले लगाये गये हैं। जिसमें इन डेढ़ लाख परिवारों को बुलाया गया था। इन परिवारों की आय 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये सालाना कैसे करें? इस प्रकार का सरकार ने एक टारगैट बनाकर रखा है। (शोर एवं व्यवधान) इन परिवारों को सरकार की तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार इन परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जहां तक क्रीमीलेयर की बात है तो एक विषय क्रीमीलेयर का भी आ गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कल** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एस.सी.कमीशन भंग कर दिया गया। (शोर एवं व्यवधान) मैं चाहती हूं कि संवैधानिक तौर पर एस.सी. कमीशन होना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल** : गीता जी, सदन में अब सभी विषयों पर एक साथ तो जवाब नहीं दिये जा सकते हैं। अभी मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूं और गरीब एस. सी. कैटेगरी में भी हैं, गरीब बी.सी. कैटेगरी में भी हैं और गरीब जनरल कैटेगरी में भी हैं। हमारी सरकार एक आय को आधार मानकर चल रही है। (विघ्न) गीता जी, मैं सदन में संविधान की चर्चा नहीं कर रहा हूं। हां ''हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना'' और ''परिवार पहचान पत्र'' इन दो विषयों पर अगर कोई माननीय सदस्य जानकारी लेना चाहता है तो मैं बताने के लिए तैयार हूं।

**श्री वरुण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सदन में ''हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना'' की बात

हो रही है। सुनने में बड़ा हर्ष होता है कि इस योजना से गरीब से गरीब व्यक्ति की आय बढ़ जायेगी। मैं इस योजना का हिमायती हूं क्योंकि मुझे इस बात का पता चला है कि ये जीरो बजट स्कीम है। एक रूपया भी सरकार के द्वारा उस गरीब व्यक्ति को न लाभ दिया जायेगा और न ही सरकार अपनी तरफ से कुछ और सहायता देगी। सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की चण्डीगढ़ एयरपोर्ट पर और यहां तक इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर एडवर्टाइजमैंट की जा रही है। जिस स्कीम का कोई बजट नहीं है। अगर उस स्कीम की एडवर्टाइजमैंट का बजट है तो बहुत ही दुख की बात है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेलों की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 250 से अधिक मेले लगाये जा चुके हैं। उसमें क्या होना है, उसमें सिर्फ गरीब व्यक्ति को लोन दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से श्री वरूण चौधरी और पूरे हाउस की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि इस लोन का जो इंट्रैस्ट है वह सरकार भरेगी। दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि ये केवल लोन की स्कीमें नहीं हैं इसके अलावा और बहुत सारी स्कीमें सबसिडी की भी हैं। किसी भी विभाग से सम्बंधित स्कीमों का एक निर्धारित बजट होता है। इसमें हमने यह भी छूट दी है कि अगर इन स्कीमों में ज्यादा लोग आयेंगे और अगर यह वर्तमान बजट में पूरा हो जायेगा तो वर्तमान के बजट में उनकी मांग को पूरा किया जायेगा और अगर कोई कमी रह जायेगी तो जो आज से अढाई महीने बाद जो बजट आयेगा उसमें उस राशि को और बढ़ा दिया जायेगा ताकि अगर सबसिडी की स्कीमों में ज्यादा लोग आ जाते हैं तो उनको भी छोड़ा नहीं जायेगा, उन सभी को भी सबसिडी दी जायेगी। इस प्रकार से यह एक लम्बा प्रोसैस है। यह कोई एक दिन का प्रोसैस नहीं है। अभी तो हाथों–हाथ जितने लोगों का सॉल्यूशन हो रहा है वे 10, 15 या 20 परसैंट ही होंगे इससे ज्यादा नहीं है। 20 परसैंट के बाद वालों के केसिज को बैंक वाले रख रहे हैं। वे अपना एनेलाईसिज करेंगे और बाद में उनको सबसिडी देंगे। अगर डिपार्टमैंट के पास बजट नहीं है तो उसका प्रॉविजन करेंगे। कुछ लोग स्किलिंग ले रहे हैं और स्किलिंग के लिए भी तीन महीने का समय लगेगा उसके बाद ही वे काम करेंगें। इस स्कीम में ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर युवक पशुपालन में आ रहे हैं। पशुपालन में भी हम स्किलिंग का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। उसमें उन सभी को बुलाकर पशुओं

की देखभाल, पशुओं का दूध और पशुओं के दूध की बिक्री और उससे इनकम इस प्रकार से इन सारे के सारे विषयों को लेकर हम उनकी भी स्किलिंग करवाने का काम करेंगे। इस प्रकार से "अंत्योदय परिवार उत्थान योजना" एक बहुत लम्बा प्रोग्राम है। अध्यक्ष जी, मैं क्रीमीलेयर के बारे में बात कर रहा था। क्रीमीलेयर के विषय पर बात करने से पहले इनकम की डैफीनेशन को देखा जाता है। मैं यह अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि इस सम्बन्ध में यह क्यों लिखा गया है कि–Salary would not be part of the income. यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर सैलरी इनकम का पार्ट नहीं है तो फिर क्या है? अगर सैलरी ही इंकम नहीं है तो फिर इंकम क्या होगी? इसका सीधा–सीधा मतलब तो यही है कि salaried class जिन्होंने यह कानून बनाया होगा उन्होंने यही सोचा होगा कि सैलरी को इंकम से बाहर कर दो तो उसके बाद उनका रास्ता खुल जायेगा यानि अगर कोई व्यक्ति 50 हजार रूपये या फिर एक लाख रूपये सैलरी लेता है अगर वह उसकी इंकम का पार्ट नहीं है फिर और कुछ इंकम दूसरे सोर्जिज से आयेगी तो उसको तो वह वैसे भी नहीं दिखायेगा। (विघ्न) स्पीकर सर, कुछ माननीय सदस्यों ने सैंट्रल पैटर्न का जिक्र किया है। मेरा यही कहना है कि सैंट्रल पैटर्न सारे के सारे ही ठीक होंगे ऐसी बात नहीं है। हमें तो अपने प्रदेश के लोगों के हित में जो भी अच्छा लगेगा वह करेंगे। अगर किसी मामले में सैंट्रल पैटर्न अच्छा है तो उसको अडॉप्ट किया जायेगा। अगर किसी स्कीम के मामले में सैंट्रल पैटर्न से नीचे जाना पड़ेगा तो वह भी हम करेंगे और अगर कहीं उससे ऊपर जाना पड़ेगा तो उससे ऊपर भी जायेंगे। मेरा यह भी कहना है कि अपने प्रदेश में बहुत सी ऐसी स्कीमें हमने चलाई हैं जो सैंटर में नहीं हैं। देश के दूसरे बहुत से प्रदेश हमारी स्कीमों का उल्लेख करके उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी हमारी भूरि–भूरि प्रशंसा करते हैं कि हरियाणा इस मामले में सबसे आगे निकल गया इसलिए नई चीजें हम हरियाणा से सीख रहे हैं। हमारी ऑन लाईन ट्रांसफर पॉलिसी को देश के बहुत से राज्य अपने यहां भी लागू करने जा रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष जी, इसका आरक्षण से कोई लेना–देना नहीं है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि हम सभी यह चाहते हैं कि किसी भी स्कीम का लाभ देने के लिए आधार केवल इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए बल्कि सोशल भी होना चाहिए। (विघ्न) स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी हमारी एक भी बात नहीं मान रहे हैं। न तो

इन्होंने हमारी ओ.बी.सी. से सम्बंधित मांग को ही माना है और न ही ये हमारे ओल्ड एज पैंशन से सम्बंधित बात को ही मान रहे हैं। इनको हमारी कोई न कोई बात तो माननी ही चाहिए। हम जो यह विषय उठा रहे हैं इसको हम जनहित के लिए उठा रहे हैं। हम इस विषय को स्वार्थ के लिए नहीं उठा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी इसको भी न माने फिर इसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है।

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में तो मेरा यही कहना है कि हम विपक्ष के साथियों की जो बात मानने वाली होगी उसको जरूर मानेंगे। अगर विपक्ष के साथी किसी विषय को महज राजनीति करने के लिए उठायेंगे तो इनकी उस बात को नहीं माना जायेगा। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को यही कहना है कि–तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, उस पर कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। (विघ्न) यह तय हो चुका है कि हम इसको एस. सीज. में तो नहीं ला सकते। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट या सैंटर की ओर से कोई विषय चलेगा। उसके बाद इस सम्बन्ध में विचार कर लिया जायेगा। इस मामले में पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.सीज. में भी यह अंतर बहुत बड़ा है अर्थात् एस.सीज. में भी यह अंतर कम नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के साथियों को यही कहना है कि हम प्रदेश के गरीब के भले के नाते से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम तो अपनी नीति–रीति की बात करते हैं कि हमारी नीति–रीति ये है। अध्यक्ष जी, अगर हमारी नीति–रीति पर विपक्ष के माननीय साथी चलेंगे और हमारा साथ देंगे तो इससे उनका भी भला होगा। (विघ्न) अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की इस स्कीम से ओ.बी.सी. का क्या भला होगा उस बारे में जानकारी चाही है। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 के हमारी सरकार के एक ऑर्डर को निरस्त किया है। हमारी उस ऑर्डर में यह लिखा था कि 6 लाख रुपये की क्रीमीलेयर होगी उसमें पहले उस रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा तीन लाख रूपये तक, अगर तीन के बाद बचेगा तो फिर तीन से 6 लाख रुपये यह बात उन्होंने नहीं मानी कि एक कैटेगरी के अंदर दूसरी कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। हमने कहा कि ठीक है हम 6 लाख रुपये की लिमिट रख देंगे। हमने अभी तक 6 लाख रुपये की सीमा को ही माना है और उसको बढ़ाकर कभी 8 लाख रुपये करने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी हमारी इस सीमा को आठ लाख रुपये करने की कोई योजना नहीं है। (विघ्न)

अध्यक्ष जी, विपक्ष के माननीय साथी अपनी संतुष्टि के लिए इस योजना से सम्बंधित अब तक के आंकड़ें निकलवाकर देख सकते हैं। मेरा भी इनको यही कहना है कि 6 लाख रूपये की सीमा के अंदर सभी बी.सीज. को रिजर्वेशन का लाभ मिल जाता है। अगर किसी योजना का 6 लाख रूपये की सीमा के अंदर लाभ नहीं मिलेगा उसकी सूचना विपक्ष के साथी हमारे पास भिजवा दें हम उसी दिन क्रीमीलेयर की सीमा को बढ़ा देंगे। (विघ्न) सैंटर ने जो 8 लाख किया है, उसका हमें नुक्सान है।

**श्री राम कुमार गौतम** : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना है कि उन्होंने क्रीमीलेयर की सीमा को 8 लाख रुपये से घटाकर 6 लाख रुपये किया है मेरा उनसे यह अनुरोध है कि इस सीमा को 6 लाख रुपये से भी घटाकर 4 लाख रुपये कर दिया जाये ताकि रिजर्वेशन की सारी की सारी योजनाओं का लाभ वास्वविक हकदार को मिल सके। (विघ्न)

**श्री मनोहर लाल** : अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के माननीय साथियों को इंकम के कुछ आंकड़ों की जानकारी दे रहा हूं जोकि सैल्फ डिक्लेयर्ड हैं। जब वैरीफिकेशन होगी तो उनमें थोड़ा सा और अंतर पड़ सकता है लेकिन सैल्फ डिक्लेयर्ड इंकम के आंकड़ें बी.सी. (ए) और बी.सी. (बी) दोनों को मिलाकर जो हैं वे इस प्रकार हैं 6 लाख रुपये सालाना इंकम तक के जो आंकड़े हैं ये 12 लाख और 8 लाख यानि टोटल 20 लाख परिवार हैं। इसी प्रकार से 6 से 8 लाख रुपये तक की इनकम वाले 48 हजार परिवार हैं। अगर विपक्ष के माननीय साथियों को 20 लाख परिवारों की चिंता नहीं है तो क्या इनको 48 हजार परिवारों की चिंता होगी? सालाना 8 लाख रुपये इंकम का मतलब यह है कि जिसकी 67 हजार प्रति मास इंकम हो। अगर महीने का 67 हजार रूपये कमाने वाला व्यक्ति भी यह कहे कि उसका नाम भी गरीब में लिख लें और मुझे भी गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, यह किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि ये जो बी.सी. कैटेगरी की रिजर्वेशन है वह बी.सी. को ही मिलनी है। ऐसी बात नहीं है कि यह किसी दूसरी कैटेगरी को मिल जायेगी। जिस दिन किसी भी एक नियुक्ति में 6 लाख रुपये तक सालाना इंकम वाले कैंडीडेट्स से रिजर्वेशन पूरी नहीं होती उस दिन विपक्ष के साथी हमें बता दें उस दिन हम इस सीमा को खोल देंगे। विपक्ष के माननीय साथी इसके आंकड़े मेरे पास लेकर आ जायें। (विघ्न) हम यह काम बैकवर्ड क्लास के लिए भी करेंगे और एस.सी. कैटेगरी के लिए भी करेंगे। किसी भी वर्ग को

इससे वंचित नहीं रखा जायेगा। (विघ्न) अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से कुछ सदस्य यह कह रहे हैं कि हमने इसमें प्रॉपर्टी को भी जोड़ दिया है उनको मेरा यही कहना है कि प्रॉपर्टी कोई इंकम नहीं है। हम तो इंकम की बात कर रहे हैं। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी यह भी बता दें कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के किसी व्यक्ति के पास एक करोड़ रूपये की प्रॉपर्टी है तो क्या उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा?

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष जी, मैं इसका पता करवा लूंगा। हमने शायद इसको अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में जोड़ा होगा।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष जी, यह मुख्यमंत्री जी ने क्रीमीलेयर में कहा है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि आज के समय में एक एकड़ जमीन की कीमत भी एक करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार से अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के किसी व्यक्ति के पास एक एकड़ भी जमीन है तो वह रिजर्व्ड कैटेगरी से बाहर हो गया।

**श्री मनोहर लाल :** अगर एक करोड़ रुपये की प्रोपर्टी है तो उसकी कुछ तो इंकम होगी।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री आफताब अहमद :** अध्यक्ष महोदय, अगर गुरूग्राम में कोई मकान एक एकड़ में बना हुआ है तो उसकी कीमत एक करोड़ रुपये तो हो ही जाती है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आफताब जी, यहां गुरूग्राम की बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** हुड्डा साहब, आप भी एक बार पिछले कुछ सालों के आंकड़े निकलवा कर देखिये, मैं भी दिखवाता हूं कि 6 लाख रुपये से नीचे की इन्कम वाले लोगों को इसका लाभ मिला है या नहीं।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वे इस क्रीमीलेयर के मामले को एक बार रि–लुक कर लें और स्टेक होल्डर्ज से बात करके फिर कोई फैसला कीजिए।

**श्री मनोहर लाल :** हुड्डा साहब, हम इसको रि–लुक करेंगे लेकिन स्टेक होल्डर्ज में तो हाई इंकम ग्रुप के लोग आते हैं। स्टेक होल्डर्ज से तो मैं बात कर चुका हूं। मैंने गुरूग्राम में जाकर बैक्वर्ड क्लास का एक सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में मैंने उनको समझाया। उनमें सभी ने यह कहा कि जिनकी इंकम तीन साढे तीन लाख रुपये है उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए। उस समय तीन लाख रुपये

वाला प्रोविजन था। बाद में बचे तो तीन से छः लाख रुपये इंकम वालों को नौकरी दी जाए।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** मुख्यमंत्री जी, इस बात को ज्यादा लम्बा खींचने की जरूरत नहीं है आपने रि–लुक करने के लिए कह दिया है तो बात खत्म हुई। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, जो ये बेसहारा और गरीब लोग हैं और जिनको दिक्कत है उन बेचारों के तो मुंह में जुबान ही नहीं होती है। वे मांग भी नहीं सकते हैं। हमने गरीब परिवारों को देखा है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जो लोहार होता है वह लोहे को घड़ता है और उसका एक औजार बनाता है। इसमें एक कहावत है कि– 'लोहे का स्वाद, लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो, जिसके मुंह में लगाम है।' आप यह उन नौजवानों से पूछो जिनको नौकरियां मिल रही हैं। यह उन गरीब परिवारों से पूछो जिनको लाभ मिल रहा है। (विघ्न) आप लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** अध्यक्ष महोदय, वह लोहा तो घोड़े को और तंग करता है क्योंकि उसको लगाम लगा दी गई।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** मैं तो यह कहता हूं कि लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछिये जिसके मुंह में लगाम है इसलिए एक गरीब से पूछिये कि क्रीमीलेयर का क्या लाभ है? एक गांव के गरीब सब्जी बेचने वाले के नौजवान बेटे से या एक मजदूर के बेटे से पूछिये जो एच.सी.एस. लग जाता है। उससे पूछिये कि पारदर्शी नौकरियां क्या होती हैं? विपक्ष के लोगों के ध्यान में यह बात नहीं आएगी।(शोर एवं व्यवधान) अब हम अपने विषय पर आते हैं जिनको मैं एक–एक लाईन में बोल देता हूं। सबसे पहले हमारे पास नम्बरदार का विषय आया है। इसके बारे में मैं इतना बता देता हूं कि हमने इनके साथ तीन वायदे किये थे। इनकी मासिक आय को हमने 3 हजार रुपये कर दिया। स्मार्ट फोन के लिए विभाग ने 7 हजार रुपये प्रति फोन सैंक्शन कर दिया है।(शोर एवं व्यवधान) आप सुन तो लो। हमने जो कर दिया मैं वह बता रहा हूं। हमने उनको 7 हजार रुपये फोन का सैंक्शन कर दिया है। उन्होंने हमें आकर कहा कि हमारे पास मोबाईल फोन तो है क्योंकि आज मोबाईल के बिना कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हमें 7 हजार रुपये नकद दे दीजिए। अगर हमारे पास मोबाईल है तो भी ठीक और अगर नहीं है तब भी ठीक। हमने उनका केवल नम्बर लेना है और वह अपना नम्बर कोई न कोई तो जरूर दे देंगे।

इसी प्रकार उनको आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने की बात थी। उनको आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने की फाईल कलीयर हो गई है और बहुत जल्द ही यह भी हो जाएगा क्योंकि यह आयुष्मान भारत योजना सैंटर की योजना है इसलिए उसमें एड करवाने के लिए थोड़ी सी फॉरमैलिटीज चल रही हैं।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** मुख्यमंत्री जी, सरकार और लोगों के बीच में थोड़ा गैप है। आपने नई एप्वायंटमैंट बन्द कर दी हैं। आप नई एप्वायंटमैंट बन्द मत करो। इसको कन्टीन्यू कर दीजिए।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में लगभग 20 से 24 हजार के करीब नम्बरदार हैं। इनमें से किसी को भी हटाने का काम नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इनकी एप्वॉयंटमैंट तक तो बंद कर दी है। क्या इसको हटाने से कम बात माना जायेगा। (विघ्न)

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एप्वॉयंटमैंट को बंद नहीं किया है बल्कि हमने नए नम्बरदार लगाने का कोई निर्णय नहीं किया है। यह निर्णय बाद में किया जायेगा इसलिए माननीय सदस्य का यह आरोप ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंहः** अध्यक्ष महोदय, सरकार को नम्बरदार के विषय को फिर से रिलुक करने का काम करना चाहिए। (विघ्न)

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, आगे भी इस विषय पर चर्चा होगी तो योग्यता वगैरह को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जायेगा। वैसे सदन की जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत से प्रांत ऐसे हैं जहां नम्बरदार नाम की कोई संस्था नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिहः** अध्यक्ष महोदय, सरकार को नम्बरदार की नई एप्वॉयंटमैंट बंद करने का काम नहीं करना चाहिए बल्कि इस मैटर को रिलुक करने का काम करना चाहिए।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, बार बार ऐसी बातें करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए। मैंने नम्बरदार के विषय पर अपना जवाब दे दिया है, अब मैं किसानों के विषय पर सदन में जानकारी देना चाहूंगा। सदन में किसानों पर रजिस्टर्ड केस वापसी का भी एक विषय आया था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, कल तक भी किसानों को कोर्ट से सम्मन दिए गए हैं। मुझे मालूम है कि यह कोर्ट का मैटर है लेकिन अगर सरकार इस बारे में सदन में अपनी बात स्पष्ट कर दे या कैबिनेट में फैसला लेकर किसानों पर दर्ज केस वापिस लेने का निर्णय सुना दे तो इस विषय का तुरंत समाधान हो जायेगा।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अब सम्मन देने की प्रक्रिया बंद हो गई है इसलिए इस विषय पर गलत जानकारी देकर सदन को बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकारी विश्वविद्यालय में नियुक्ति का मामला है, हम एक बार सभी विश्वविद्यालयों के उप–कुलपतियों के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और इस चर्चा के उपरांत हमने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए हम पांच लोगों की एक कमेटी बनायेंगे जिसमें एक चांसलर का नोमिनी होगा, एक प्रिसिंपल सैक्रेटरी हॉयर एजूकेशन से होगा और तीन यूनिवर्सिटीज अर्थात कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी तथा मीरपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसमें शामिल होंगे। यह कमेटी 15 से 20 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी और इस विषय को फिर से रिलुक करने का काम किया जायेगा इस कमेटी की रिपोर्ट जनवरी माह तक आ जायेगी फिर उसके हिसाब से आगे के लिए निर्णय लिए जायेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, क्या यूनिवर्सिटीज की आटोनोमी पहले की तरह बरकरार रहेगी ?

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष जी, आखिरकार ऑटोनोमी की डैफीनेशन क्या होती है, यह हमारे माननीय सदस्यों को समझना चाहिए। ऑटोनोमी होती है एजूकेशन की, आटोनोमी होती है पैसों की और आटोनोमी होती है बिल्डिंग बनाने की। क्या केवल गलत तरीके से भर्तियां करने को ही आटानोमी कहा जाता है ? अध्यक्ष महोदय, आटोनोमी की जो वास्तविक परिभाषा होती है वह आटोनोमी पूरी तरह से बरकार रहेगी, यह बात हमारे माननीय सदस्यों को ध्यान में रख लेनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नियुक्तियों के संबंध में आटोनोमी का जिस तरह से गलत फायदा उठाया गया, मैं उसकी जानकारी सदन को जरूर देना चाहूंगा। यूनिवर्सिटीज में नियुक्तियों के संबंध में अभी भी तीन वाइस चांसलर्ज की इंक्वॉयरी चल रही है। एक वाइस चांसलर का तो मैं नाम लेकर भी बता सकता हूँ जिनको नियुक्तियों संबंधी मामले में डिसमिस करने का काम किया गया है। इस वाइस चांसलर का नाम है कर्नल संधू जो कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इनके बारे में कुरूक्षेत्र के

विधायक श्री सुभाष सुधा जी अच्छी तरह से जानते हैं। इस वाइस चांसलर ने 1200 पोस्ट्स के अगेनस्ट 1350–1400 के करीब पोस्ट्स रिक्रूट करने का काम कर दिया लेकिन मामले में पेचीदगी तब उत्पन्न हुई जब सेलरी देने की समस्या उत्पन्न हो गई। अतः अध्यक्ष महोदय, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि यूनिवर्सिटीज में सभी नियुक्तियां पारदर्शी हों, मैरिट पर हों और सभी यूनिवर्सिटीज में पारदर्शिता का एक समान लैवल दिखाई देना चाहिए, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यही नहीं यदि कुछ और भी जरूरी हुआ तो सरकार पारदर्शिता को कायम रखने के लिए, वह सब कुछ करने से भी पीछे नहीं हटेगी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मेरी एक राय है, यदि सरकार पारदर्शिता ही चाहती है तो क्यों नही यू.जी.सी. की गाइडलाइन्ज तथा नैशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइन्ज को एडॉप्ट करने की कोशिश करती है। सरकार को भलीभांति रूप से देखना चाहिए कि यू.जी.सी. की गाइडलाइन्ज क्या कह रही हैं और नैशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइन्ज इस बारे में क्या कहती है और उन गाइडलाइन्ज को एडाप्ट कर ले। इसमें क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार सारी बातें ट्रांसपेरेंट करना चाहती है तो सरकार को यू.जी.सी. के साथ साथ नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिप्रेजेंटेटिव को भी साथ लेने का काम करना चाहिए नही ंतो जिस तरह से वाइस चांसलर की कमेटी बनाई गई है, यह तो सरकार के मनमुताबिक ही रिपोर्ट देगी और ऐसी स्थिति में कमेटी का औचित्य कुछ नहीं रह जायेगा। अतः यू.जी.सी. व नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक रिप्रेजेंटेटिव को भी कमेटी का सदस्य बनाया जाना चाहिए।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. ने पहले से ही यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडलाइन्ज बनाकर भेज रखी हैं और उन गाइडलाइन्ज से कोई बाहर नहीं जा सकता है। फिर भी माननीय सदस्य की भावना के मद्देनजर, यदि आवश्यक लगेगा कि इस कमेटी में किसी और सदस्य को मैम्बर बनाना जरूरी है तो ऐसा भी जरूर किया जा सकता है परन्तु यह बात साफ है कि यू.जी.सी. की गाइडलाइन्ज के बाहर कोई नहीं जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः** अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटीज को यू.जी.सी. के माध्यम से ग्रांट्स आती हैं, अतः यू.जी.सी. की गाइडलाइन्ज का तो पालन करना ही चाहिए।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, हां ग्रांट्स आती हैं और जहां तक यू.जी.सी. की गाइडलाइन्ज मानने की बात है, वह तो अब भी मानी जा रही है और आगे भी मानी जायेगी। (शोर एवंय व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, इस विषय से संबंधित जो पहले पत्र लिखा गया था उसका क्या हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, इस विषय से संबंधित पहले जो पत्र लिखा गया था उसको विद्ड्रा कर लिया गया है। अब एक नई कमेटी को बनाकर सारा प्रोसैस शुरू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं। अभी तक पुलिस एक्शन एंगेस्ट फार्मर्ज के टोटल 276 केसिज रजिस्टर्ड हुए थे। उनमें से चार केसिज सीरियस नेचर यानि मर्डर/रेप आदि के हैं। उनका पता नहीं वे विदड्रा होंगे या नहीं होंगे लेकिन बाकी 272 केसिज में से 178 केसिज में चार्जशीट तैयार की गई है। अध्यक्ष महोदय, 57 केसिज ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल हैं। इस तरह से ये केसिज तो वैसे ही वापिस हो जायेंगे। 8 केसिज ऐसे हैं जिनकी कैंसलेशन रिपोर्ट पुलिस विभाग ने अलग से तैयार कर ली है। इन आठ केसिज में से चार केसिज की रिपोर्ट माननीय कोर्ट में फाइल कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ। जो 4 केसिज बाकी हैं, वे साथ–साथ जैसे–जैसे तैयार होते जायेंगे वैसे–वैसे सामने आते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, 29 केसिज ऐसे हैं जो कैंसलेशन प्रोसैस में डाल दिये गये हैं। स्थानीय डिप्टी कमिश्नर और एस.पी. साहब मिलकर इन केसिज की पैरवी कर रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर सभी केसिज माननीय न्यायालय वाले माननीय न्यायालय से और जो केसिज माननीय न्यायालय में नहीं है उनको पुलिस विभाग प्रोसैस कर रहा है। (विघ्न)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, किसान आंदोलन के दौरान जो किसान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं और उनका नजदीक के अस्पतालों में पोस्टमार्टम हुआ है उनके परिवार के सदस्य को तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि जो घर में मरा है उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दो। अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार किसानों को कम्पनसेशन दे सकती है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं दे सकती?

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, इस विषय में हमारी बातचीत चल रही है। पहली बात तो यह है कि मृत किसानों की जो फीगर्ज हैं वह टैली नहीं हो पा रही हैं। मेरे ख्याल से तो पोस्टमार्टम के हिसाब से हमारे प्रदेश के 10–15 ही किसान होंगे,

इससे ज्यादा किसान नहीं होंगे लेकिन सी.आई.डी. की रिपोर्ट 46 किसानों की आई है। जब इस संबंध में किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों से बात की तो उन्होंने 700 किसानों की संख्या बताई है और उसमें से 73 किसान हरियाणा के बताए गये हैं। वैरीफिकेशन के बाद जब यह लिस्ट उनसे फाईनल हो जायेगी, उसके बाद निर्णय लिया जायेगा, अन्यथा कई बार यह होता है कि एक बार इस संबंध में घोषणा करने के बाद तरह–तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं कि यह भी था, वह भी था आदि। अध्यक्ष महोदय, एक प्रोसैस में जो छानबीन होगी उसके बाद निर्णय किया जायेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कोविड–19 के समय 6 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 10–10 लाख रुपये दिये गये हैं। (विघ्न) इस प्रकार से टोटल कोरोना काल में एक्सचैकर से जो धन राशि खर्च की गई है वह 590 करोड़ रुपये है, इस 590 करोड़ रुपये में ज्यादातर अमाउण्ट्स वह है जो बी.पी.एल. परिवारों को हमने चार हजार रुपये मासिक भेजा था। कुछ परिवारों को साप्ताहिक 1000–1000 रुपये भेजा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में जरूरतमंदों को पैसा आदि देने में कोई कमी नहीं आने दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इस संबंध में 50 हजार रुपये का निर्णय किया था वह भी 1025 लोगों को दे चुके हैं।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, सरकार जो कोविड के मृतक परिवार को कम्पनसेशन दे रही है, उनको यह कहा जा रहा है कि वे अपने कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट लेकर आयें। वह रिपोर्ट तो उनके पास नहीं होती है। वह तो कोई मापदंड का आधार नहीं है। (विघ्न) Let the Government collect the data from crematorium क्योंकि वहां से कोरोना पेशेंट्स का डाटा मिल सकता है। कोरोना मृतकों के लिये वहां अलग से व्यवस्था होती थी। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** बहन किरण जी, उनको कैसे पता कि कोविड के कारण डैथ हुई है या फिर दूसरी बीमारी की वजह से डैथ हुई है। (विघ्न)

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, एक विषय माइक्रो इरीगेशन के संबंध में आया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय के संबंध में यह कहना है कि पानी की आगे आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमने यह निश्चय किया है कि माइक्रो इरीगेशन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ायेंगे। इसमें आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करेंगे और इसमें जो भी स्कीम्ज बनानी पड़ेगी वे सब स्कीम्ज बनायेंगे। खुले पानी में सिंचाई का जो मामला है इसको हम माइक्रो इरीगेशन में लेकर

आयेंगे। हम फसल की पैदावार को भी कम नहीं होने देंगे। हम फसल का डाइवर्सिफिकेशन तो करवा सकते हैं। किसानों को धान की फसल की बिजाई के बजाए दूसरी फसल की बिजाई के लिये हमने 7 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी दिये हैं। हमने यह अमाउंट एक लाख एकड़ से ज्यादा पर दिया है । डायवर्सिफिकेशन के लिए अभी हम और भी आगे बढ़ेंगे । भविष्य में हम इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे और किसानों को उसके लिए भी राशि देंगे । अतः डायवर्सिफिकेशन हो सकता है । (विघ्न) वह आंकड़ा मैंने पिछले साल का दिया था। मेरे पास इस साल का आंकड़ा तो अभी आया ही नहीं है । मैं कह रहा हूं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । माइक्रो इरीगेशन की स्कीम्ज को प्रभावी बनाने के लिए हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है । (विघ्न)

**श्री मामन खान :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं । मेवात में इरीगेशन के लिए जो पानी जाता है वह दिल्ली, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ का वेस्ट पानी होता है । वह पानी बहुत गन्दा और कैमीकलयुक्त होता है । उस पानी में कैंसर फैलाने वाले कीटाणु होते हैं । प्रदूषण नियन्त्रण के संबंध में एक कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन पंडित मूल चन्द शर्मा जी हैं । यह डिसाइड किया गया था कि वहां पर वाटर की प्यूरीफिकेशन के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा ताकि वहां के किसानों को प्यूरीफाइड वाटर मिल सके । अतः मेरा निवेदन है कि वहां की इस समस्या का समाधान किया जाए ।

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, हमें यह मानने में कोई एतराज नहीं है कि पिछले दो वर्षों में हम कोविड–19 की वजह से उस गति से विकास के काम नहीं कर पाये जिस गति से काम करने की हमारी सोच थी । यह स्वाभाविक है कि जब सारे देश में स्लम्प आया था तो हमारे प्रदेश में भी स्लम्प आया लेकिन राष्ट्रीय स्तर से हमारा स्लम्प कम था । हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार का अगला वर्ष ठीक–ठाक निकलेगा और हम अपने कामों की गति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे । जो डिमांड्ज इस वर्ष के अंतर्गत दे दी गई हैं हम उनको तो अवश्य पूरा करेंगे । हम एक बार तो बजट सत्र से पहले सामूहिक विचार–विमर्श कर चुके हैं और हमने उसमें माननीय सदस्यों की काफी डिमांड्ज को स्वीकार भी किया था । जब बजट सत्र आयेगा तो हम चाहेंगे कि जनवरी के महीने में सभी माननीय सदस्य अगले बजट के लिए अपने–अपने क्षेत्र की अप्रैल ओनवड्र्स बड़े कामों को लिख लें परन्तु गली वगैरह के छोटे काम न लिखें । (विघ्न) प्रत्येक माननीय सदस्य को एक बार

5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं । जिस माननीय सदस्य को यह राशि नहीं मिली होगी उनको भी मिल जाएगी । (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कल :** अध्यक्ष महोदय, हमें यह राशि नहीं मिली है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक :** अध्यक्ष महोदय, हमें भी यह राशि नहीं मिली है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री दुष्यन्त चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक के पास यह राशि जा चुकी है । अगर माननीय सदस्य सदन में रुपये प्राप्त होने की बात से मना करेंगे तो मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव कर दूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की गलतफहमी दूर कर देता हूं । 5 करोड़ रुपये की यह राशि हर साल के लिए न मानें । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** जगबीर सिंह जी, आप हाउस को मिसगाइड क्यों करते हो ?

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2020 के बजट में 5 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी । हर वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपये मिलेंगे ऐसा नहीं मानना है । यह राशि 5 साल के लिए एक बार मिलेगी । (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये । इस विषय को मेरे ओ.एस.डी. श्री सतीश सैनी देखते हैं । वे ही मुझे आकर बताते हैं कि किसके रुपये चले गए हैं और किसके रह गये हैं । अतः एक बार माननीय सदस्य उनसे मिल लें । (विघ्न) 5 करोड़ रुपये सबको मिलेंगे । (विघ्न)

**श्रीमती गीता भुक्कल :** अध्यक्ष महोदय, इसमें पिक एंड चूज होता है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है । अगर किसी को 5 करोड़ रुपये नहीं भी मिले होंगे तो भी 31 मार्च से पहले–पहले सभी माननीय सदस्यों को रुपये मिल जाएंगे । इस वर्ष के बजट में सभी को रुपये मिल जाएंगे । (शोर एवं व्यवधान) जब मैंने कह दिया है तो सभी माननीय सदस्यों को रूपये अवश्य मिल जाएंगे । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** जगबीर सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये । यह डिमांड रखने का समय नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) गीता जी, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ

जाइये । आप दोबारा से डिमांड रख रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी माननीय सदस्यों को 5 करोड़ रूपये हल्कों में विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा कर दी है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में अपने ओ.एस.डी. से संपर्क करने की बात भी बता दी है । मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर माननीय सदस्यों को भी जाने की जरूरत नहीं है । इस कार्य को मैं स्वयं देखूंगा । अगर यह पैसा विभाग में कहीं अटका हुआ होगा तो मैं वहां भी देख लूंगा । इसके अलावा अगर डी.सी. के पास गया होगा तो माननीय सदस्य स्वयं देख लें । मेरा कहना है कि हर किसी को 31 मार्च से पहले यह राशि मिल जाएगी । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** जगबीर सिंह जी, आप तो हर 2 मिनट में बोलने के लिए खड़े हो जाते हो । यह कोई तरीका नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक को इसी बात पर एक बात कहना चाहता हूं कि–

सलीका अदब का इतना तो बरकरार रहे,
रंजिशें अपनी जगह हों,
पर दुआ–सलाम भी तो बरकरार रहे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनकर जाएं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब सुन लिया है। इसका नतीजा यह निकला कि– 'बात थारी सब ठीक हैं, लेकिन पतनाला वही पड़ेगा।' अध्यक्ष महोदय, अब मैं जा रहा हूं।

**श्री राम कुमार गौतमः** अध्यक्ष महोदय, मेरे नारनौंद हल्के के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 80 लाख रुपये नगरपालिका अपने ऑन सोर्स से देगी। इसके अतिरिक्त नगरपालिका ने 72 लाख रुपये दूसरे अकाउंट में भेज रखे हैं और वह पैसा उनके पास वापिस नहीं आ सकता। इस प्रकार यह पैसा नगरपालिका अपने ऑन सोर्स से कैसे देगी क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है ? मेरा कहना यह है कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत सरकार ही 5 करोड़ रुपये की ग्रान्ट्स उपलब्ध करवाए।

**श्री अध्यक्षः** गौतम जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वे इस विषय पर बाद में बात कर लें।

**विधायी कार्य–**

**(i) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)**

**1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (संख्या 4) बिल, 2021**

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2021 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)**: अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2021 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

**श्री आफताब अहमद (नूंह)**: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ विषयों पर अपनी बात रखनी है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** आफताब जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब बिल शुरू हो गया है।

**डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान (बेरी)**: स्पीकर सर, आपने कहा था कि 'when the Bill will be taken into consideration' तब आप अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए मैं इस बिल पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। It is my right.

**श्री अध्यक्षः** कादियान साहब, आप इस बिल पर अपनी बात रखें।

**डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः** स्पीकर सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे तो इसमें जो पैसों की डिमांड की गयी है, उसको देने से कोई रोक नहीं सकता। यह पैसा तो देना पड़ेगा। यह एप्रोप्रिएशन बिल है और इसको पास करना पड़ेगा। लेकिन मैं 2–3 बातें आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें किसी भी डिपार्टमैंट की कोई भी डिमांड देखें तो उसमें पोस्ट बजट डिवैल्पमैंट लिखा हुआ मिलेगा। इस पोस्ट बजट डिवैल्पमैंट में पीछे के एरियर्ज, कंस्ट्रक्शंज के बिल्ज, टी.ए. बिल्ज और मेडिकल

रिमबर्समैंट के बिल्ज हैं। यह कोई पोस्ट बजट डिवैल्पमैंट नहीं है। इसमें आप एक कमेटी बनाकर एग्जॉमिन करवाएंगे तो केवल ऑफिसर्ज की लापरवाही ही नजर आएगी। यह 7,312 करोड़ रुपये का एप्रोप्रिएशन बिल है। इस प्रकार से तो यह पैरेलल बजट हो गया है। यह इन्टरिम बजट हो गया है, इसलिए आप इसको इन्टरिम बजट कहें। यह ऑफिसर्ज की लापरवाही की वजह से हुआ है। इसमें एप्रोप्रिएशन बिल में 2 नम्बर पर 9 करोड़ रुपये और 3 नम्बर पर 77 करोड़ रुपये की डिमांड की गयी है।

**श्री अध्यक्षः** कादियान जी, आप पहले मेरी बात सुन लें। मैंने कहा है कि अगली बार सप्लीमैंट्री एस्टिमेट्स 15 दिन पहले विधान सभा के पास आएंगे। उसके ऊपर अगर कहीं पार्टिकुलर जगह पर लगे तो उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं।

**डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः** स्पीकर सर, मैं डिमांड पर नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं तो बिल पर बोल रहा हूं। इस एप्रोप्रिएशन बिल में एक जगह पर 376 करोड़ रुपये, एक जगह पर 1100 करोड़ रुपये, एक जगह पर 113 करोड़ रुपये, एक जगह पर 479 करोड़ रुपये और एक जगह पर 2740 करोड़ रुपये की डिमांड की गयी है। आप इसको एप्रोप्रिएशन बिल कैसे कहेंगे ? एप्रोप्रिएशन बिल में तो 5– 7 करोड़ रुपये की ही डिमांड हो सकती है।

**श्री अध्यक्षः** कादियान साहब, ये डिमांड्स पहले ही हाऊस द्वारा पास हो चुकी हैं।

**डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान :** स्पीकर सर, इसमें ऑफिसर्ज की लापरवाही है। आपने परसों रिवैन्यू पर कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखवायी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 2800 केसिज में 1422 करोड़ रुपये की उगाही नहीं की गयी। यह किसकी जिम्मेवारी बनती है ? आज किस दिशा में प्रदेश जा रहा है। क्यों यह सरकार प्रदेश की दशा और दिशा बिगाड़ रही है? प्रदेश की दशा और दिशा का कौन जिम्मेवार होगा? अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री और उप–मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। अकेले एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में 1388 करोड़ रुपये का वैट है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह लैप्स क्यों हुआ और किस लिए हुआ? यह एक सवाल है जिसको हरियाणा की जनता इस बात को देख रही है। यह कैग की रिपोर्ट पेश हुई है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि dedicated to the truth in public interest, इसमें जो भी सच्चाइयां हैं वह सबके सामने हैं। Face the facts squarely otherwise, facts will stab the people in the back. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि

इसमें सरकार को नोटिस लेना चाहिए कि इसके जिम्मेवार कौन हैं? इसमें संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए।

**श्री मनोहर लाल :** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह वर्ष भी कोविड से प्रभावित रहा है। इस कोविड महामारी के कारण से जो हमारी स्थानीय निकाय हैं चाहे वह शहरी हैं, चाहे वह गांव के हैं। मैं शहरी निकायों की बात करूंगा। कोविड महामारी के समय में इनकी आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है क्योंकि हमारी सरकार डिवैल्पमैंट चार्जिज का कलैक्शन नहीं कर पाई और न ही हाउस टैक्स का कलैक्शन कर पाई थी इसलिए इसका काफी असर पड़ा है।

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :** अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि खेती की जमीन है, उसको आवासीय जमीन में रजिस्ट्री कर दी और आवासीय जमीन की खेती में रजिस्ट्री कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़े लैप्सिज हैं।

**श्री मनोहर लाल :** कादियान जी, सरकार स्थानीय निकाय को बजट देती है। हम सब लोग स्थानीय निकाय के प्रति प्रतिबद्ध हैं। चाहे वह गांवों में ग्राम पंचायत हो, चाहे वह जिला परिषद् हो, चाहे शहरों में नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम और नगर परिषद् हो। सरकार इनके रखरखाव का ध्यान नहीं रखेगी तो काम नहीं चलेगा। यहां बार–बार यही बात आती है कि सी.एम. अनाउंसमैंट्स के काम में देरी क्यों हो रही है। 700 करोड़ रुपये की सी.एम. अनाउंसमैंट्स तो हुई हैं लेकिन बजट की कमी के कारण वह पूरी नहीं हो पा रही हैं इसलिए सरकार ने स्थानीय शासन के तहत 2740 करोड़ रुपये की मांग का प्रस्ताव मांग संख्या–15 के अंतर्गत किया है।

**उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :** अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरिफिकेशन के तौर पर कहना चाहूंगा कि इस एप्रोप्रिएशन बिल में एक्साइज के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया था। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :** अध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारियों की लापरवाही की बात कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कादियान जी, आप दोनों बातें मिक्स कर गये क्योंकि आपके हाथ में वर्ष 2021 की कैग की रिपोर्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के इन्ट्रेस्ट में बोल रहा हूं। अगर अधिकारियों की लापरवाही एक फ्रंट पर है तो हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे फ्रंट पर भी लापरवाही उजागर करें।

**श्री अध्यक्ष :** कादियान जी, आपके हाथ में जो दोनों रिपोर्ट्स हैं, इनको मिक्स मत कीजिए।

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :** अध्यक्ष महोदय, जैसे पहली डिमांड विधान सभा की है। इसमें तकरीबन वर्ष 2012 में एक बिल पास हुआ था कि जो मंत्रियों की सैलरी और उनके अलाउंसिज है, दोनों इन्कम टैक्स से फ्री हों। पूरे हिन्दुस्तान की असैम्बलीज में ऐसा है। वर्ष 1966 में हरियाणा बना था तब से यह कानून बनाया गया था। मेरा कहना यह है कि एम.एल.एज. की सैलरीज और अलाउंसिज इन्कम टैक्स फ्री होने चाहिएं क्योंकि इसमें बहुत सी परेशानियां होती हैं । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** कादियान जी, आप अपनी स्पीच लिखकर सदन के पटल पर रख दीजिए।

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :** अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताना चाहूंगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बारे में बात की थी। किसान के नाम पर कुछ लोगों को तो एलर्जी भी होने लगी है। किसान शब्द तो बहुत महान शब्द है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन फ्रांस की क्रांति के सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने या चाहे सिकन्दर ने किया हो लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन किसानों ने किया और उन्होंने तकलीफें भी उठाई ।

**श्री अध्यक्षः** डॉ. कादियान, आप बिल पर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः** अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ही बोल रहा हूं, यह इस बिल का ही हिस्सा है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पता है। इसमें ह्यूमन कॉस्ट की बात की जाए तो 726 लोगों ने किसान आन्दोलन के दौरान अपनी शहादत दी है। इनमें से 72 किसान हरियाणा के हैं। इस बारे में मेरी गुजारिश यह है कि यह पोस्ट बजट डिवैल्पमैंट है, इसमें इन 72 किसानों को शहीदों का दर्जा देकर उनको 50—50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये। इस बिल में जो 7 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उसकी जगह अगर आप 35 करोड़ रुपये और भी जोड़ देंगे तो स्टेट पर कोई बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** डॉ. कादियान, यह कोई तरीका नहीं है। आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिए। आप बिल पर बोलने के बजाय किसान आंदोलन पर बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आप बोलना चाह रहे हैं एप्रोप्रिएशन बिल पर और बोल रहे हैं किसान आंदोलन पर। आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, आप हमारे राईट्स के कस्टोडियन हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** गीता जी, यह बात सही है। मैं आपके राईट्स का बिल्कुल कस्टोडियन हूं लेकिन आप विषय पर ही बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कल(झज्जर)(अ.जा.):** अध्यक्ष महोदय, हम विषय पर ही बोलेंगे। अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और जो इसके बिल पास हुए हैं उनके बारे में मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं, उनके रख–रखाव के लिए इस तरह का प्रावधान हमें करना चाहिए। मैं इस बिल पर बोलते हुए यह जानना चाह रही हूं कि 21 जून, 2021 को एस.डी.एमस. को पॉवर दे दी गई थी और म्युनिसिपल बॉडीज को भंग कर दिया गया था। 22 जून, 2021 को हमारे ड्रॉ हो गये थे। हमारी 55 म्युनिसिपल बॉडीज में चुनाव होने थे जिनका चुनाव आज तक नहीं हुआ है। जो हमारे चेयरमैन वगैरह थे उनके मानदेय तथा स्वायत्तता का भी एक विषय है। दूसरी बात यह है कि 23 फरवरी, 2021 को सरपंचों से चार्ज लेकर बी.डी.पी.ओज. को चार्ज दे दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** गीता जी, ये मामले कोर्ट में लम्बित हैं, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कलः** सर, ये सारे मामले भी इसी बिल से संबंधित हैं। 22 जिलों के जिला परिषद् के चेयरमैन तथा 6275 गांवों के सरपंचों को मानदेय दिया जाना चाहिए था लेकिन आपने बी.डी.पी.ओज. को पॉवर दे दी। मैं यह जानना चाहती हूं कि जो बी.डी.पी.ओज. हैं क्या वे इससे जस्टिस कर रहे हैं जो मानदेय जिला परिषद् के चेयरमैन तथा म्युनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन को और सरपंचों को दिया जाना था उसके फंड्स का या जो एच.आर.डी.एफ. का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, जो फंड जिला परिषद् या ब्लॉक समिति के होने चाहिएं थे उनका क्या रहा? थ्री टायर सिस्टम के तहत 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जिन 85 हजार जन प्रतिनिधियों का चुनाव होना था वह क्यों नहीं हुआ? जिस प्रकार से पार्लियामैंट

और हमारी हरियाणा की असैम्बली है ऐसे ही पंचायती राज का थ्री टायर सिस्टम है। इन जन–प्रतिनिधियों का चुनाव क्यों नहीं हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** गीता जी, यह केस कोर्ट में है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, कोर्ट ने तो यही कहा है कि आप चुनाव करवा दें। एक–एक साल हो गया है लेकिन चुनाव नही हुए हैं जिसकी वह से पंचायतों के साथ अन्याय हो रहा है। न तो डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम के फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और न ही एच.आर.डी.एफ. के फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पर पैसा कहां पर खर्च होगा यह तो हमारा कोई भी माननीय सदस्य पूछ सकता है लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल पर यह क्यों नहीं हुआ, वह क्यों नहीं हुआ ऐसा पूछने से इस बिल का कोई संबंध नहीं है। एप्रोप्रिएशन बिल का जो उत्तर था वह मैंने बता दिया है कि हमारे विकास के काम आगे बढ़ने हैं।

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, जो भी सदस्य बोले वह एप्रोप्रिएशन बिल से ही संबंधित बोले, कोई इधर–उधर की बात न करे।

**श्री आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ऐस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य के तौर पर मैं आपकी तारीफ करूंगा कि इस विधान सभा के इतिहास में आपने पहली बार ऐस्टीमेट्स कमेटी की मीटिंग सत्र से एक दिन पहले रखी है अन्यथा जिस दिन सैशन शुरू होता था उसी दिन ऐस्टीमेट्स कमेटी की मीटिंग होती थी और उसी दिन बिल पेश किया जाता था जिसकेकारण उसमें पूरा समय नहीं मिल पाता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें एक सप्ताह पहले एप्रोप्रिएशन बिल दिया गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने एप्रोप्रिएशन बिल पर जो चर्चा करवाई है हमने इस एप्रोप्रिएशन बिल पर जो सुझाव दिये वे कहां पर लिए जायेंगे तथा उनको कहां पर इन्कल्यूड किया जायेगा? पिछली बार आपने एप्रोप्रिएशन बिल 12 हजार करोड़ रुपये का पेश किया था और आज आप 7300 करोड़ रुपये का पास कर देंगे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि जो स्टेट को जरूरत है वह कीजिए लेकिन who will redress demands that we have raised? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** आफताब जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि 12 हजार करोड़ रुपये का एप्रोप्रिएशन बिल पिछली बार पास कर दिया और 7300

करोड़ रुपये का एप्रोप्रिएशन बिल इस बार ले आये लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी विधान सभा में आई ही कहां है? जब वह रिपोर्ट विधान सभा में आयेगी तो उस पर चर्चा करेंगे।

**श्री आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, डिमांड्ज तो विधान सभा में पास हो गई हैं। आपने हमसे कहा कि डिमांड पर चर्चा कीजिए। सभी विधायकों ने उन पर अपने विचार भी रखे थे। इस बारे में हमारी एप्रिहैंशन्ज हैं और मेरा सवाल आपसे यह है कि उनको रिड्रैस कौन करेगा? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** आफताब जी, डिमांड पर चर्चा तो 3 दिन पहले हो चुकी है तथा हाउस में पास हो चुकी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आफताब अहमदः** सर, चर्चा तो हो गई लेकिन उसका जवाब तो आयेगा? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** आफताब जी, जो डिमांड पास हो गई हैं उस पर दोबारा से चर्चा नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री आफताद अहमदः** अध्यक्ष महोदय, मेरा तो व्यवस्था का प्रश्न है। जो डिमांड हमने रखी हैं उनका समाधान तो निकालिए?

**श्री अध्यक्षः** आफताब जी, हाउस में ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट लेकर आइये तब उनका समाधान निकालेंगे। आपने कमेटी की रिपोर्ट अपने पास रखी है, उसके बारे में हमें क्या पता? आपने जो सुझाव दिये हैं और आगे जो बजट आयेगा उसमें उन बातों का ध्यान रख कर तैयार किया जायेगा।

**श्री आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, ठीक है, यही बात तो मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि हरियाणा विनियोग(संख्या 4) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अध्यक्षः** अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

**क्लॉज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**क्लॉज 3**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**शिड्यूल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**क्लॉज–1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

**महंगाई भत्ता/महंगाई राहत एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए अंशदान की घोषणा**

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पारित करने का निवेदन करने से पहले मुझे एक–दो सूचनाएं देनी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे डी.ए. तथा डी.आर. की दरें 01.07.2019 से 17 प्रतिशत मिल रही थी। बाद में केन्द्र सरकार ने इसको 1 जनवरी, 2021 से बढ़ा कर 28 प्रतिशत कर दिया था। अब 01.07.2021 के बाद इन दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि केन्द्र सरकार ने की है लेकिन अभी तक प्रदेश ने वृद्धि नहीं की थी। मैं बताना चाहता हूं कि अब 1 जुलाई, 2021 से डी.ए. की दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हरियाणा प्रदेश में भी कर दी गई है। इसी प्रकार न्यू

पैंशन स्कीम (एन.पी.एस.) के तहत कर्मचारी का उसकी सैलरी का 10 प्रतिशत जमा होता है जिसमें सरकार का भी 10 प्रतिशत योगदान होता था। अब केन्द्र सरकार ने कर्मचारी का उसकी सैलरी की 10 प्रतिशत जमा राशि के साथ अपने योगदान को 10 प्रतिशत की बजाए 14 प्रतिशत कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के इसी पैटर्न पर हरियाणा सरकार ने भी एन.पी.एस. से संबंधित कर्मचारी की सैलरी की 10 प्रतिशत जमा राशि के साथ 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत अपना योगदान देने का निर्णय लिया है।

———————————

## विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

## 2. दि हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट्स (अमेंडमैंट) बिल, 2021

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तुत करेंगे, तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश)** : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, पर तुरंत विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, पर तुरंत विचार किया जाए।

**श्री वरूण चोधरी (मुलाना) (अ.जा.):** अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में यह कहा गया था कि हर विधेयक विधायकों को 5 दिन पहले मिलेगा लेकिन यह विधेयक आज ही सर्कुलेट हो रहा है। इस विधेयक पर कैसे चर्चा होगी जब हम इस विधेयक को पढ़ ही नहीं पाते हैं तो फिर 'हां' पक्ष की जीत हुई, 'हां' पक्ष की जीत हुई का क्या मतलब रह जाता है? सर, 'हां' पक्ष की जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे तो फिर सदन बुलाने का औचित्य ही क्या है?

**श्री अध्यक्ष :** वरूण जी, यह आप नहीं कह सकते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप जो पहले की प्रथा रही है उसी के तहत हमें कार्य करना होता है लेकिन मैंने इसको सही करने का प्रयास किया है। अगर कोई एमरजेंसी होती है तो बिल आ सकता है। आपको सुबह से यह बिल दिया हुआ है। इसमें बोलना ही कितना है यह सारा दो लाईन का तो बिल है।

**श्री वरूण चौधरी :** सर, मैं इस बिल पर बोलूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है, आप बोलिये।

**श्री वरूण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि विधेयक आने की जो पांच दिन पहले की नियमावली रखी हुई है उसको रखा जाए अन्यथा नियमावली में भी बदलाव कर दिया जाए।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री सही टाईम पर काम नहीं करते हैं और आखिरी टाईम पर आपके सिर पर थोप देते हैं तो उन पर कार्यवाही करवाईये।

**श्री अध्यक्ष :** किरण जी, कार्यवाही कहां करनी है और किस पर करनी है वह हम बाद में विचार करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) ये बिल पांच दिन पहले आए इस बात को हम इंश्योर करेंगे। सरकार भी करेगी और जो अधिकारी हैं वे भी इंश्योर करेंगे। अगर कहीं पर कुछ लैप्स होता है तो उस पर भी हम कार्यवाही करेंगे।

**श्री वरूण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऑब्जैक्ट में लिखा गया है कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए यह बिल लाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मांग इंडस्ट्रीज से आई है? क्या यह मांग प्रोसैसिंग यूनिट से आई है कि हां एक मुश्त लम्पसम फीस लैवी की जाए? दूसरा इसके अन्दर कमेटी की बात लिखी गई है कि कमेटी फैसला करेगी। वह कमेटी किसकी बनेगी और कौन उसका मैंबर होगा। इसमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। हमें इसकी जानकारी दी

जाए। इसमें दो बातें आ गई जिसमें मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह इंडस्ट्री से मांग आई है जिसके कारण यह बिल आया है?

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) :** अध्यक्ष महोदय, यह मांग इंडस्ट्रीज से ही आई थी। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने लिखित में कहा भी है और हमारे अधिकारियों से मीटिंग में चर्चा भी की है। उन्होंने हमें कहा कि यह टैक्स हमें बहुत तंग करता है। हम बिनौले साउथ से लेकर आते हैं जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हमें वहां का सबूत दिखाना पड़ता है। इस सारे संकट से बचने के लिए एकमुश्त टैक्स हमारे से शुरू में ले लिया जाए। उनकी मांग को स्वीकार करके ही हम यह बिल लेकर आए हैं।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, कमेटी का कॉन्स्टीच्यूशन क्या है?

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी, कमेटी का कॉन्स्टीच्यूशन क्या है?

**श्री जय प्रकाश दलाल :** अध्यक्ष महोदय, जब हम यह बिल पास कर देंगे फिर उनसे विचार करके बाद में कमेटी बनाएंगे।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी, कमेटी का कॉन्स्टीच्यूशन तो इस बिल में आना चाहिए था।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कमेटी तो बेशक बाद में बना लेंगे लेकिन बिल में उसका थोड़ा सा खाका तो देना चाहिए था।

**श्री जय प्रकाशः** अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने लिखित में हमारे अधिकारियों से कहा भी है और साथ में चर्चा भी कि है कि जब वे एग्रीकल्चर प्रोड्यूज को साउथ से यहां लेकर आते हैं तो उन्हें तमाम प्रकार की औपचारिकतायें पूरी करने के साथ–साथ भिन्न भिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट/सबूत दिखाने पड़ते हैं और उनको इस संकट से बचाने के लिए ही इस बिल में एक मुश्त फीस का प्रावधान किया गया है।

**श्री अध्यक्षः** मंत्री जी, बिल में कमेटी के गठन की बात तो कही गई है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कमेटी किस प्रकार कंस्टीट्यूट होगी और इसके कौन कौन मैम्बर होंगे ?

**श्री जय प्रकाश दलालः** अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल पास हो जायेगा तो चर्चा के बाद कमेटी भी बना दी जायेगी।

**श्री अध्यक्षः** मंत्री जी वैसे कमेटी के बारे में सब कुछ बातें बिल में आ जानी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरी**:अध्यक्ष महोदय, ठीक है कमेटी बाद में बन जायेगी लेकिन कमेटी का एक खाका तो बिल में दिया ही जाना चाहिए था।

**श्री जय प्रकाश दलालः** अध्यक्ष महोदय, हम जो एकमुश्त फीस उद्गृहित करने का काम कर रहे हैं, इस पर सभी एसोशिएशंज सहमत हैं और उन्होंने यह बात भी कही है कि इससे उनको लालफीताशाही से मुक्ति मिलेगी।

**श्री अध्यक्षः** मंत्री जी, आपकी बात ठीक है लेकिन जिस तरह से मैंने प्रश्न किया और किरण जी ने भी सुझाव दिया है, उससे यह बात बिल्कुल साफ निकलकर सामने आती है कि अगर बिल के अंदर कमेटी की फोरमेशन भी आ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। अतः आप रूल्ज प्रोविजन के प्रोसैस के समय इसका जरूर ध्यान रखें। वैसे रूल्ज तो डिपार्टमैंट ही तैयार करता है लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें।

**श्री जय प्रकाश दलालः** ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

**(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। )**

**श्री अध्यक्षः** अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

**क्लॉज 2**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 3**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## इनैक्टिंग फॉर्मूला

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## टाईटल

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्गण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

**श्री अध्यक्षः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

## (iii) (विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

## दि हरियाणा शिड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटेड डिवेल्पमैंट (अमेडमैंट एंड वेलिडेशन) बिल, 2021

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

**उप मुख्यमंत्री (दुष्यंत चौटाला)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉज विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

**2. दि पंचकूला मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2021**

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब माननीय उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरन्त विचार किया जाये।

**उपमुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (अ.ज.):** अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बिल के संबंध में यह कहना है कि किसी भी जिम्मेदारी का निर्धारण जरूर होना चाहिए। सदन में जिसके कारण हम इस तरह की अमैंडमैंट लेकर आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी का निर्धारण होना चाहिए। इस बिल में लिखा गया है 'मण्डल आयुक्त, पंचकूला' की जगह 'मण्डल आयुक्त, अम्बाला' लिखा जाना चाहिए था। इस तरह की अमैंडमैंट से सदन का कीमती समय बर्बाद होता है। मैं यह भी नहीं जानता कि इस अथॉरिटी ने अभी तक काम करना शुरू कर दिया है या नहीं किया है। इस तरह की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप आगे बाल संसद करवाने जा रहे हैं, हमें उनसे सीखना है या उनको सिखाना है? इसके ऊपर तो जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्षः** वरूण चौधरी जी, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल भविष्य में अवश्य रखा जाना चाहिए। सरकार को इस प्रकार की त्रुटियों को संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती हुई है। सरकार को भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटियां न हो, इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए।

**श्री दुष्यंत चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां न हो, इस बात का जरूर ध्यान रखा जायेगा।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है –

कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्षः** अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉज 2**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब माननीय उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**उपमुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

---

**3. दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमैनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशियंट एरियाज आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रौविजंस) बिल, 2021**

**श्री अध्यक्ष** : अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाए ।

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद, एन.आई.टी.)** : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि सरकार आउट ऑफ एम.सी. एरिया के लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए बिल ला रही है । मैं इसके प्वायंट नं. 13 के 'ग' और 'घ' का जिक्र करना चाहूंगा । इसके प्वायंट नं. 13 के (ग) में लिखा है कि – "जहां पर औद्योगिक इकाई अवस्थित है ।" मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि हमारे फरीदाबाद में सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है । वहां पर कम–से–कम 5000 से ज्यादा वर्कशॉप्स और छोटी–मोटी फैक्ट्रियां हैं । इसी तरह से कृष्णा कॉलोनी की बात करूं तो वहां पर एक रिहायशी एरिया भी है । वहां पर फैक्ट्रियां, वाणिज्यिक एरिया, मॉल, मल्टीप्लैक्स भी है । अध्यक्ष महोदय, जिसकी प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है उससे उसके दिल को बड़ी तकलीफ होती है । मेरा कहना है सरकार इसमें उनको भी इन्कलूड कर ले । ये भी सरकार को ई.डी.सी. और आई.डी.सी. देंगे । वहां से

सरकार को रिवैन्यू मिलेगा । इसके अलावा सरकार की 'one block one product' स्कीम भी आ रही है । इसके तहत सरकार छोटे–छोटे हब बनाएगी । अतः उनको भी इससे सहूलियत होगी । केन्द्र सरकार का फूड प्रोसैसिंग युनिट्स लगाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का बजट है जिसके तहत गांव में जो लोग खेतों में छोटी–छोटी युनिट्स लगाना चाहते हैं सरकार उनको सब्सिडी देगी । मेरा कहना है कि अगर सरकार इंडस्ट्रीज को इससे बाहर कर देगी तो इससे उनके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचेगी ।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : अध्यक्ष महोदय, इसमें रैजीडैंशियल कॉलोनीज जहां पर अनप्लैन्ड ग्रोथ हुई है, उनको नियमित करने का विषय है । जहां तक इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल एरिया की बात है तो उनमें बाकायदा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट द्वारा लाइसैंस देने की पहले से ही एक पोलिसी है । अगर उस लाइसैंस के अंतर्गत कोई पोलिसी बनेगी तो वे युनिट्स उसमें कवर होंगी । माननीय सदस्य जिनका जिक्र कर रहे हैं वे इसमें कवर नहीं होंगी ।

**श्री नीरज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर से निवेदन है कि वहां पर छोटे–छोटे उद्योग–धंधे हैं । उन सब पर तलवार लटक रही है । लगे हाथों इंडस्ट्री और इन युनिट्स को कवर करके अगर सरकार सहूलियत दे देगी तो यह बहुत अच्छी बात होगी । मेरा कहना है कि फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, अम्बाला आदि सभी जिलों की यह एक सामुहिक बात है । इससे इन सब जिलों को काफी राहत मिलेगी ।

**श्री मनोहर लाल** : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पहले से ही एक पोलिसी बनी हुई है ।

**श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (अ.जा.)** : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सैक्शन–4 के अनुसार एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रुटनी कमेटी बनेगी । इसमें जितने मैम्बर्स होंगे उनके बारे में सरकार फैसला करेगी लेकिन उन मैम्बर्ज की क्वालीफिकेशन क्या होगी उसके बारे में भी तो सरकार को जानकारी देनी चाहिए थी । इस बिल की सैक्शन 4 में लिखा गया है कि

'. . . such number of members as the Government may deem fit. . .'

स्पीकर सर, इसमें number of members की बात तो हो गई लेकिन उन मैम्बर्स की योग्यता क्या होगी उसके बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है । अब मैं सैक्शन–10, 11 और 12 का जिक्र करना चाहूंगा । सैक्शन–10 में मैंशन है कि –

If the Government is of the opinion * * * * * * * * * relaxation can be given from all or any of provisions of the Act.

दूसरी ओर सैक्शन–11 और 12 में लिखा गया है कि कोई suit नहीं हो सकता, कोई prosecution नहीं हो सकती और कोई लीगल प्रोसीडिंग्ज भी नहीं हो सकती आदि । अध्यक्ष महोदय, शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है । There is a division of powers between Legislature, Executive and Judiciary. एक तरफ तो सरकार कहती है हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेंगे लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट्स को बाहर निकाल रहे हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति के पास क्या उपाय रहेंगे ? What will be the remedy for aggrieved persons? इसमें मेरा सवाल यह है।

**श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम)**: अध्यक्ष महोदय, यह बिल पूरी तरह से कन्ट्राडिक्टरी है। माननीय सदस्य ने बहुत ही रैलिवैंट प्वायट आउट किया है।

**श्री आफताब अहमद (नूंह)**: अध्यक्ष महोदय, इसमें सैक्शन– 3 डिक्लेयर्ड एरिया में क्लीयर लिखा हुआ है कि–

> ".....recommendation made by the Director as per the criteria specified....."

जब इसमें डायरेक्टर ने ही फैसला करना है तो फिर डिप्टी कमिशनर और स्क्रुटनी कमेटी का औचित्य क्या रह जाएगा ? एट लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस चीज का फैसला हो कि डिक्लेयर्ड एरिया कौन सा रहेगा ? इस चीज का मतलब यह है कि लोगों को सुविधा देने की बजाए मैटर लम्बा खिचतें चले जाएंगे। इसका फैसला जितने दिनों में होगा, उतने समय में कॉलोनी और डिवलैप हो जाएगी। इसमें कुछ स्पष्टता आनी चाहिए। इसमें डायरेक्टर से तो रिकमेंडेशन आनी नहीं है, इसलिए कम से कम इन चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। जैसा अभी माननीय सदस्य श्री वरुण चौधरी जी ने कहा है– this Act is contradictory to its own course.

**श्रीमती किरण चौधरी**: अध्यक्ष महोदय, इससे तो खर्ची और पर्ची को और बढ़ावा मिलेगा।

**श्री मनोहर लाल**: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ये क्लॉज एकदम स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि यह बिल किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों को सॉल्व करने के लिए लाया जा रहा है। जैसा बिल हम अर्बन

लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट द्वारा अनएप्रूवड कॉलोनीज को एप्रूवड करके उनमें कुछ सुविधाएं देने के लिए लाए थे। ऐसे बहुत से एरियाज हैं जो म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर हैं। उन एरियाज के लिए अलग से यह बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है ताकि उनको भी रेगुलराईज किया जा सके। पहली बात यह है कि जो इरेगुलर एरियाज हैं वे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पहले के पैरामीटर्ज के अन्तर्गत नहीं आते हैं। हमें इसके लिए कोई विशेष छूट देकर प्रपोजल बनाना पड़ेगा। उनको छूट देते समय पहले के नियमों के आधार पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज कर सकता है क्योंकि उस प्रपोजल में पहले के कानून के विरूद्ध भी कोई बात हो सकती है। इसलिए यह लिखा गया है कि पहले के कानून के कारण इन सारे विषयों को लेकर छूट दी गयी है और किसी को दिक्कत होगी तो उसमें कोई सूट फाईल नहीं होगा। यह तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट द्वारा कॉलोनीज को नियमित करने के लिए लोकल कमेटी से प्रपोजल मंगवाते हैं। चूंकि संबंधित कॉलोनी में कोई लोकल संस्था नहीं है तो वहां के डिप्टी कमिशनर की तरफ से प्रपोजल समिति के माध्यम से आएगा। उस समिति की संख्या नोटिफिकेशन के आधार पर तय की जाएगी कि उसमें कौन– कौन होंगे और कितनी संख्या होगी ? इनकी एक कमेटी बनायी जाएगी। इस प्रकार संबंधित जिले से रिकमेंडेशन मंगवायी जाएंगी। उसके आधार पर किसको एप्रूव करना है, किसको एप्रूव नहीं करना है और क्या– क्या सुविधाएं देनी हैं ? इन सभी बातों पर विचार करने के लिए डायरेक्टर के पास पॉवर है। उसके पास यह पॉवर पहले भी होती थी। उस प्रपोजल को तभी पास किया जाएगा जब डायरेक्टर उसको फाईनल करेगा। इस प्रकार इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इसमें केवल इतनी ही बात है कि शायद पहले वाले टाउन एंड काउंट्री प्लानिंग विभाग के पैरामीटर्ज के अन्तर्गत संबंधित कॉलोनीज वालों को सुविधाएं नहीं दे सकते थे इसलिए एक अलग से प्रावधान किया गया है और नॉर्म्ज में कोई ढिलाई भी देनी पड़ेगी तो ढ़िलाई देकर उनको नियमित किया जाएगा।

**श्रीमती किरण चौधरी**: अध्यक्ष महोदय, सैक्शन– 10 की वर्डिंग तो एनकम्पासिंग है। इसको बहुत वाईड एम्बिट कर दिया। इसमें सरकार किसको एग्जैम्पट करेगी, इसके बारे में क्लीयर नहीं है। इस कारण से खर्ची और पर्ची वाली बात को बढ़ावा मिलेगा।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, नयी कॉलोनीज बननी बन्द हो गयी हैं। हमने सैक्शन –7ए इसी कारण से लगाया है, जिनको बहुत तक्लीफ हो रही है।

**श्री आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले जो कॉलोनीज कटी हुई हैं, उनके बारे में कह रहा हूं। हम आज के दिन के लिए नहीं कह रहे हैं।

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, जो कॉलोनीज कटी हुई हैं, उन्हीं में सुविधाएं देकर उन सभी को रेगुलराईज करना है।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, अगर यह बिल पहले से ही कटी हुई कॉलोनीज के लिए है तो why do you need this Section 10?

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को पढ़कर बता देता हूं कि सैक्शन– 10 में लिखा हुआ है कि–

> "If the Government is of the opinion that the operation of any of the provisions of this Act or any part of notification issued under the Act causes or has caused undue hardship or circumstances exists which render it expedient to do so, it may, subject to such terms and conditions, as it may impose by an order, give relaxation to any class of persons or area or land from all or any of provisions of the Act."

अध्यक्ष महोदय, मान लें यह बिल कहता है कि 15 फुट की सड़क होनी चाहिए तभी एप्रूवल मिलेगी। लेकिन किसी पार्टिकुलर एरिया में 15 फुट की सड़कें नहीं हैं और 12 फुट की सड़कें बना रखी हैं तो इसका अर्थ यह है कि अगर 12 फुट पर ही रिलैक्शेसन देनी पड़ेगी तो उनको रिलैक्शेसन नहीं दे सकते और उन कॉलोनीज को तोड़ना ही पड़ेगा।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, इसको क्वांटिफाई करना चाहिए था। इसमें बहुत स्वीपिंग पॉवर दी हुई है।

**श्री मनोहर लालः** बहन जी, बिल की भाषा जनरल ही लिखी जाती है। नई पॉलिसी बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर नई पॉलिसी बनाने के लिए तो जो पहले से एक्ट बना हुआ है उसी के अनुसार लाईसैंस दिये जाते हैं। चाहे वह रैजीडैंशियल हो और चाहे वह कमर्शियल हो। कोई एक आधा केस होता है जिसमें विशेष तौर पर रिलैक्सेशन दी जाती है जिसके लिए उसको राइटिंग में लिखकर देना पड़ेगा। रिलैक्सेशन ऐसे ही नहीं दी जायेगी कि कोई व्यक्ति अपनी प्रपोजल दे देगा और उसको रिलैक्सेशन मिल जायेगी। ऐसा भी नहीं है कि इसमें डी.सी. रिलैक्सेशन दे देगा, बकायदा तौर पर उनको इसकी परमीशन लेनी होती है।

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि सरकार इस बिल में बहुत अच्छी अमैंडमैंट ला रही है। अच्छा होगा यदि आप ये सुविधाएं दे पायेंगे, लेकिन ये जो इस बिल की सैक्शन है, इससे आगे आने वाले समय में सरकार को बहुत तकलीफ होगी।

**श्री मनोहर लाल** : बहन जी, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम फिर इस बिल में अमैंडमैंट कर लेंगे।

**श्रीमती किरण चौधरी** : ठीक है इसमें सरकार अमैंडमैंड कर लेगी लेकिन जब सरकार असैम्बली में बिल लेकर आती है तो असैम्बली में भी पढ़े लिखे सदस्य बैठे हुए होते हैं इसलिए इन बिलों की ऐसी ड्राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकार को अपना दायित्व पूरा करना चाहिए।

**श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के संबंध में कहना चाहता हूं कि गांवों में नक्शे का कोई मतलब नहीं होता है इसलिए इस बिल के माध्यम से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का लफड़ा ही खत्म कर दीजिए। (विघ्न)

**श्री मनोहर लाल** : गौतम जी, हम वहां पर पंचायत बना देंगे।

**श्री राम कुमार गौतम** : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारा बास गांव है, सिसाय गांव है तो वे भी गांव ही हैं। गांव तो गांव ही रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का जो रोल है, उनको खत्म करने का काम किया जाये। (विघ्न)

**श्री मनोहर लाल** : गौतम जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम वहां पर पंचायत बना देंगे।

**श्री राम कुमार गौतम** : अध्यक्ष महोदय, सरकार वहां पर कमेटी बना रही है। (विघ्न) वहां पर जितनी भी कॉलोनियां बनी हुई हैं, उनको सरकार तोड़ने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि इन कॉलोनियों को रैगुलराइज कर दीजिए। (विघ्न)

**श्री मनोहर लाल** : गौतम जी, इन कॉलोनियों को रैगुलराइज कर दिया जायेगा। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है–

> कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्षः** अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉजिज 2 से 14**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 14 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज–1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

## हरियाणा विधान सभा के अपर सचिव की सेवानिवृत्त की सूचना एवं उनको शुभ कामनाएं देना

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** स्पीकर सर, मुझे 05.00 बजे प्रधानमंत्री जी की मीटिंग को अटैण्ड करना है इसलिए अब मैं एक विशेष प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहा हूं। श्री सुभाष शर्मा, अतिरिक्त सचिव, हरियाणा विधान सभा, ने 15.09.1988 को सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर के पद पर ड्यूटी ज्वाईन की थी। उससे पूर्व इन्होंने साईंस एण्ड टैक्नोलोजी विभाग में वर्ष 1985 से 1987 तक जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के पद पर कार्य किया। विधान सभा में समय–समय पर पदोन्नत होते हुए आज ये अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ये वर्ष 1987 में श्री एच.एस. चट्ठा के पी.ए. बने। इसी प्रकार से इन्होंने वर्ष 1987 से वर्ष 2022 तक 11 स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स के साथ पर्सनल ब्रांच में काम किया। ये अब वर्ष 2007 से माननीय अध्यक्ष के साथ सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये दिनांक 31 जनवरी, 2022 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जहां तक विधान सभा सत्र का विषय है ये सत्र इनकी सेवा का अंतिम सत्र है। यह सदन इनकी रिटायरमैंट के बाद इनके उज्जवल भविष्य एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। इन्होंने विधान सभा में अपने सभी माननीय अध्यक्षों एवं सदस्यों के साथ जो तालमेल बनाकर कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय है।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी और पूरे विपक्ष की तरफ से श्री सुभाष शर्मा जी के लिए यह मंगल कामना करती हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और आने वाले अपने जीवन में ये इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहें।

**श्री राम कुमार गौतम :** अध्यक्ष जी, मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि श्री सुभाष चन्द्र एक बहुत ही काबिल और नेक ऑफिसर हैं इसलिए इनको कम से कम दो वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किया जाये।

———————

## विधायी–कार्य (पुनरारम्भ)

### 4.दि हरियाणा एक्साईज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाये।

**उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाये।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाये।

**श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) :** अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बिल में यह अमैंडमैंट लेकर आने की क्या जरूरत थी क्योंकि हरियाणा के अंदर नौजवानों में पहले ही नशाखोरी की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सरकार का यह दायित्व होता है कि प्रदेश के नौजवानों को नशाखोरी की प्रवृत्ति से बचाने का काम किया जाये, उनको बूजर बनने से रोका जाये। इस बिल के माध्यम से सरकार शराब खरीदने की वैधानिक आयु को जो 25 साल से घटाकर 21 साल करने जा रही है इसका हमारे प्रदेश के युवाओं पर विपरीत असर पड़ेगा और वह अपने जीवन के लक्ष्य से पूरी तरह से विमुख हो जायेगा। ऐसा होने से प्रदेश के सारे नौजवान पूरे नशेड़ी बन जायेंगे। इस बिल के माध्यम से सरकार प्रदेश के 21 साल के युवा को शराब को खरीदने और बेचने से सम्बंधित सभी अधिकार देने जा रही है। अध्यक्ष जी, मेरे विचार में यह एक बहुत ही गलत बात है। हम सभी जानते हैं कि कोविड–19 के दौरान प्रदेश में शराब घोटाला भी हुआ था। अभी तक उसकी भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। सरकार का यह कदम किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वर्तमान हरियाणा सरकार प्रदेश के 21 साल के युवा को शराब बेचने का लाईसैंस लेने के काबिल बना रही है इससे अच्छी बात तो तब होती अगर हरियाणा सरकार प्रदेश के 21 साल के युवा को नौकरी देती। जो हरियाणा प्रदेश की जनता को हरियाणा के उद्योगों में 75 परसैंट नौकरी देने का वायदा किया गया है सरकार को अपने उस वायदे को पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरे विचार में हरियाणा प्रदेश के लिए इससे ज्यादा शर्म की और बात नहीं हो सकती है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि इस अमैंडमैंट के अंदर जो तीनों सैक्शन सरकार लेकर आई है– sub-section (1) of section 27, section 29, section 30 and section 62 of the principal Act जिनके अन्दर लिखा है कि–

> 'for the words and sign "twenty-five years" wherever occurring, the words and sign "twenty-one years" shall be substituted'

उनको विद्ड्रॉ करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे सदन से यह दरख्वास्त करती हूं कि इस बिल की यह अमैंडमैंट किसी भी दृष्टि से हरियाणा के हित में नहीं है इसलिए इसको हर हाल में वापिस लिया जाये।

**श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर):** अध्यक्ष जी, जो यह अमैंडमैंट सरकार आज सदन में लेकर आई है हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान समय में कोविड 19 की वजह से प्रदेश के युवाओं को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ज्यादा फैक्टरीज और इण्डस्ट्रीज बंद हो गई हैं जिससे हमारे प्रदेश का अधिकतर युवा वर्ग बेरोजगार है और वह रोजगार की तलाश में दर–दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। ऐसे में वह बहुत ही ज्यादा डिप्रैस्ड और स्ट्रैस्ड है। ऐसी हालात में अगर हम प्रदेश के युवाओं को नशे का कारोबार करने का रास्ता दिखा देंगे तो हमारे प्रदेश का जो युवा वर्ग पहले ही नशे की चपेट में आया हुआ है वह और दिशाहीन हो जायेगा। मेरा भी यही कहना है कि सरकार को प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नये–नये अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिएं। हमें अपने प्रदेश के युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहिए न कि उनको शराब इत्यादि का कारोबार करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। नशों के मामले में पहले पंजाब पूरे देश में अग्रणी राज्य था लेकिन अब हरियाणा में भी हालत बिगड़ती जा रही है। आज हमारे प्रदेश का अधिकतर युवा यूनिवर्सिटी व कॉलेज से पास–आउट होने के पश्चात् जॉब की तलाश में है। अगर हमारे प्रदेश के युवा वर्ग को इस तरह की जॉब ऑफर होंगी तो मैं समझती हूं कि इससे प्रदेश में नशे को भी बढ़ावा मिलेगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा भी सरकार से यही आग्रह है कि इस अमैंडमैंट बिल को विद् ड्रॉ किया जाये।

17:00 बजे

**श्रीमती किरण चौधरी:** अध्यक्ष जी, 21 साल के नौजवान के मैचोरिटी लैवल को हम सभी जानते हैं। यह हमारा दायित्व बनता है कि as a State we should not sponsor this kind of amendment. इसलिए मेरा बार–बार सरकार से अनुरोध है कि इस अमैंडमैंट बिल को तुरंत विद् ड्रॉ किया जाये। **श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बड़ी फैक्चुअल बात करने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य श्रीमती किरण चौधरी जी ने जो बात रखी उसके रिप्लाई में मैं सदन के पटल पर पिछले सात साल की पुलिस एफ.आई.आर. का डाटा रखना चाहता हूं। इसको हमने पूरे प्रदेश से मंगवाया और इसको देखकर हमने एक्साईज पॉलिसी के साथ एक कमेटी फॉरमूलेट की थी जिसके पूरे परव्यू के बाद ही यह निर्णय लिया गया । अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि आज तक persons under the age of 18 F.I.R. registered 91 and persons arrested 100, persons between 18 to 21 years of age F.I.R. registered 5969 and

persons arrested 6301 and persons between the age of 21 to 25, जिस गैप को हम फुलफिल कर रहे हैं इसके अंदर F.I.R. registered 15927 and persons arrested 16913. यह तो एक फैक्ट है कि कितनी एफ.आई.आर. उस ऐज ग्रुप में रजिस्टर्ड हुई। दूसरी ओर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह में यह एज लिमिट 21 साल, आंध्र प्रदेश में 18 साल, अरूणाचल प्रदेश में 21 साल, आसाम में 21 साल, छत्तीसगढ़ में 32 साल, दिल्ली सरकार ने अपनी नई एक्साईज पॉलिसी में प्रपोज किया 21 साल, गोवा में 21 साल, हिमाचल प्रदेश में 18 साल, केरल में 23 साल, कर्नाटक में 18 साल, जम्मू काश्मीर में 18 साल, लद्दाख में 18 साल, मध्य प्रदेश में 21 साल, मणिपुर में 21 साल, मेघालय में 21 साल, उड़ीसा में 21 साल, राजस्थान में 18 साल, उत्तर प्रदेश में 21 साल, सिक्किम में 18 साल, तमिलनाडु में 21 साल, तेलंगाना में 18 साल, त्रिपुरा में 21 साल, उत्तराखण्ड में 21 साल और वैस्ट बंगाल में 21 साल है। मेरा यह भी कहना है कि पूरे देश के ज्यादातर प्रदेशों ने इस एज लिमिट को समयानुसार इसलिए चेंज किया क्योंकि यह एक ऐसा एज ग्रुप था जिसको ह्रासमैंट ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा लोगों को अरैस्ट किया जा रहा था और जेलों में डाला जा रहा था। सिर्फ हरियाणा और पंजाब में यह अमैंडमैंट नहीं हुई थी। हमारी पॉलिसी की कमेटी ने इसका परव्यू करके हमें बताया और उसको देखते हुए I propose this should be passed.

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने देश के विभिन्न राज्यों में इस एज लिमिट के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपने प्रदेश में सभी चीजें देश के दूसरे राज्यों को देखकर नहीं कर सकते। Do we do everything that our neighbours are doing? हमें तो अपनी स्टेट को देखना है। यह हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के पंजाब के साथ सटे होने के कारण हमारे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से नशाखोरी हो रही है और प्रदेश के युवा टिपलर्स बन रहे हैं। क्या वर्तमान हरियाणा सरकार यह चाहती है कि हरियाणा प्रदेश के सारे के सारे नौजवान बच्चे टिपलर बन जायें? जिन केसिज के बारे में उप मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया इस सम्बन्ध में तो मेरा इतना ही कहना है कि यह तो अच्छी बात है क्योंकि सरकार ऐसा करके उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है। अगर सरकार का यह अंकुश खत्म हो गया तो उस स्थिति में इससे नीचे की एज वाले बच्चे भी शुरू कर देंगे। सरकार उसको किस प्रकार से

रोक पायेगी। अध्यक्ष जी, मेरा तो बार–बार यही कहना है कि यह एक बहुत ही घातक अमैंडमैंट है। यह सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है we all are responsible citizens of this State इसलिए हम सभी को यह देखना है कि सरकार इस प्रकार की पॉलिसी न लेकर आये। हम सभी यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश की महिलाएं तो समय–समय पर प्रदेश में शराब के ठेकों और पूरी की पूरी शराब को बंद करवाने के लिए आंदोलन चलाती रहती हैं। हमारी सरकार प्रदेश के 21 साल के युवा को रोजगार देने की बात नहीं कर रही है बल्कि उसके हाथ में शराब का कारोबार करने के लिए लाईसैंस देने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी, मेरा तो बार–बार यही कहना है कि यह एक बहुत ही घातक अमैंडमैंट है इसलिए in the interest of the youth of the State सरकार इसको तुरंत प्रभाव से विद् ड्रॉ करे। क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इसे देखकर यह सोच रही होगी कि हरियाणा स्टेट असैम्बली ऐसा करके क्या साबित करने जा रही है?

**श्रीमती गीता भुक्कल :** अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की स्टैममैंट ऑफ ऑब्जैक्शन एंड रीजंस में जो हरियाणा एक्साईज अमेंडमैंट बिल लेकर आए हैं। उसमें लिखा है कि–

'. . . the socio economic conditions of the day have changed drastically from time . . .'

सर, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। कोरोना की वजह से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और रोजगार सब चला गया है। थोड़ी बहुत ही मजदूरी मिलती है उसमें इस तरह की बैड हैबिट्स होंगी तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि यह हमारे हरियाणा की सभ्यता संस्कृति में नहीं है। ऑफिशियली इस तरह से बिल में अमेंडमैंट लाकर मैं समझती हूं कि हमें बहुत ज्यादा शोभा नहीं देती है। जो डाटा और इंडैक्स आए हैं उसके अनुसार Haryana is the 1st State in unemployment आज हमारा बेरोजगारी का डाटा 31 प्रतिशत से ज्यादा आ रहा है। आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं। लिक्कर बार इललीगल चल रहे हैं।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो अन इम्प्लाईमैंट और सोशल इकॉनोमिक कंडीशन की बात की है it is out of the topic. मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में चौधरी बंसी लाल के समय में दो साल तक शराब बन्दी करके देखी है और उसका रिजल्ट भी प्रदेश ने देखा है।

**श्रीमती गीता भुक्कल :** अध्यक्ष महोदय, अगर हम युवाओं को रोजगार नहीं देंगे और इस तरह के रोजगार ऑफर करेंगे या उनको लाईसेंस देंगे या महिलाओं को लाइसेंस देंगे जिससे युवा लिक्कर बार में जा रहे हैं तो मैं समझती हूं कि यह हमारे हरियाणा प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं है इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। बिहार जैसे राज्य को हम फॉलो कर रहे हैं। पहले भी हरियाणा में शराब बन्दी के लिए महिलाओं ने आंदोलन किये हैं इसलिए कृपा करके इस बिल को सरकार विद् ड्रा करें।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा कि कृपा वे यह बता दें कि प्रदेश के अन्दर जो ये गली–गली के अन्दर वैंड्स खोलने की पॉलिसी और जो नम्बर ऑफ डिस्टलरीज हैं वे सबसे ज्यादा किसके राज में लगी हैं? अगर घर–घर तक वैंड्स पहुंचाने का काम किया है तो आपके समय की सरकार ने किया है। हमने तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। आज तो हम उस सोशल इकॉनोमिक कंडीशन को देख रहे हैं जहां 16–16 हजार लोगों को अरैस्ट किया गया है। जब वह वोट करने का अधिकार रखते हैं, शादी करने का अधिकार रखते हैं तो he has a right of his choice. जैसा कि किरण चौधरी जी ने कहा है कि प्रदेश के अन्दर पड़ोसी राज्य की बात नहीं थी। देश के अन्दर 27 यूनियन टैरेटरी और प्रदेशों ने इसको लागू किया है तो हम पीछे क्यों रहें? गीता जी, क्या आप यह चाहती हैं कि हम बैकवर्ड रहें? आप सोशल इकॉनोमिक मोडर्नाईजेशन की बात करती हैं, आप अधिकार देने की बात करती हैं तो why do not you give them a choice.

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल भी समय के अनुकूल नहीं है। यह हमारे नोजवानों, बच्चों की जिन्दगियों के साथ खिलवाड़ है इसलिए हम उप मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि युवाओं के हाथों में शराब के लाइसेंस नहीं थमाने चाहिए।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिसकी सरकार में शराब बंदी हुई उसका रिजल्ट क्या रहा? Who was leading the campaign वह भी हाऊस को कलैरिफाई करें।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, अगर किसी 21 साल के युवा के हाथ में ये लाईसेंस थमा दिये गये तो फिर रह क्या गया है इसलिए इस बिल को विद् ड्रॉ किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है, किरण जी, आपने आपना पक्ष रख दिया है।

**श्री बिशन लाल सैनी :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मंख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस बिल को न लाएं। वे ऐसा न करें। इन्होंने तो चुनाव से पहले यह वायदा किया हुआ था कि 4–4 कोस तक कोई भी शराब का ठेका नहीं खुलने दूंगा और गांवों में शराब का ठेका नहीं छोड़ेंगे। आज ये इसमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं। आज भी यह पॉलिसी का पार्ट है कि अगर किसी गांव की 1/10 of the population लिखकर देती है कि हमारे गांव में लिक्कर वैंड नहीं होना चाहिए तो हम उसको बन्द कर देते हैं। आप लिखवाकर दीजिए। आप इस तरह से हाऊस को मिसलीड मत कीजिए। सैनी जी, आप हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं। आप अपनी माननीय सदस्या से पूछिये कि क्या वह पॉलिसी का पार्ट नहीं है? वे भी प्रदेश की एक्साईज मिनिस्टर रही हैं। She knows it very well.

**श्री बिशन लाल सैनी :** अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी पहले के राज की बात कर रहे हैं। यह 25 वर्ष की उम्र पहले के राज में ही हुई है। आपको तो 25 वर्ष की जगह 27 वर्ष उम्र करनी चाहिए थी।

**श्री आफताब अहमद (नूंह):** अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 27 उदाहरण दिये हैं। हमारे सामने उदाहरण गुजरात भी है, बिहार भी है जिन्होंने शराब बन्दी की है। हरियाणा भी ऐसा प्रदेश है जहां एक पार्टी ने शराब बन्दी के तौर पर चुनाव जीता था। तो मेरा यह कहना है कि हरियाणा में एक कहावत है कि देशां में देश हरियाणा–जहां दूध–दही का खाना। जो शराब के लिए सरकार एज में रिलेक्सेशन देने का काम कर रही है, क्या ऐसा करके सरकार इस कहावत को बदल देना चाहती है ? सरकार किस आधार पर ऐसा करने जा रही है ? आखिरकार सरकार को अपनी सोशियो–रिस्पांसिबिलिटी को तो समझना ही चाहिए? अध्यक्ष महोदय, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है चाहे सरकार शराब खरीदने के लिए एज को 18 करे या और भी कम कर, मेरा इतना सुझाव है कि चूंकि यह पूरे प्रदेश के युवाओं के हित की बात है, अतः सरकार को इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए।

**श्री दुष्यंत चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात के भुगतभोगी हैं और उन्होंने वह समय भी देखा है जब प्रदेश में दो साल शराबबंदी हुई थी। उस समय

प्रदेश में क्या हालत हो गई थी, उन सब बातों को भी माननीय सदस्य को याद रखना चाहिए। उस समय कितनी जहरीली शराब प्रदेश में आने का काम हुआ था, यह बात शायद माननीय सदस्य भूले नहीं होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी यह क्या बात कर रहे हैं, इनको गुजरात की बात भी करनी चाहिए। उसकी बात ये क्यों नहीं कर रहे हैं ?(शोर एवं व्यवधान)

**श्री आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भाजपा शासित उन प्रदेशों की बात कैसे भूल गए जहां पर शराब पर बैन लगा हुआ है ? इन्हें सिर्फ हरियाणा के बारे में ही सब कुछ याद है। उनका उदाहरण देने से उप मुख्यमंत्री जी क्यों बच रहे है और जिस तरह की बात माननीय उप–मुख्यंत्री जी कह रहे हैं, इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** आफताब जी, आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।

**श्री आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन की कार्यवाही बाधित करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज के प्रति भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है के नहीं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉज 2 से 5**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## इनैक्टिंग फार्मूला

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## टाईटल

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

---

## कांग्रेस विधायक दल की उपनेता तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद एवं नववर्ष की शुभकामनाएं

**Smt. Kiran Chaudhary:** Speaker Sir, wishing you a very Happy New Year. You have done a good job. आपने बहुत अच्छा काम किया है। विपक्ष को भी इस बार अपनी बात रखने का बहुत मौका दिया। You are the first Speaker who has done this kind of things. You have brought so many amendments and other good things. We thank you very much, Sir.

**श्री आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, आज का सत्र 9 घंटे से ज्यादा की समयावधि तक चला है और आपने जिस तरह सूझबूझ के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने

का काम किया है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार से नई परंपराएं स्थापित करने का काम किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी के सभी साथियों की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ और आपको नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, आप सभी को भी आने वाले वर्ष की बहुत–बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए * स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।

*5.14 **(तत्पश्चात् सभा अनिश्चितकाल के लिए * स्थगित हुई।)**